दशम माला, खंड 40, अंक 23

शुक्रवार, 5 मई, 1995
15, वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 5 मई, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (1)	2	दसवां	दशम
"	10	राष्ट्रीय	राष्ट्रीयकृत
11	3	माननयी	माननीय
51, 52, 56	8, नीचे से 8, 4	मंत्रायल	मंत्रालय
67	14	श्री शाहल जान	श्री शाइस्ता जान
76, 86	नीचे से 3		
	नीचे से 11	श्री चौधारी	श्री चौधरी
83	7	श्री पी॰सी॰ थाम्स	श्री पी॰सी॰ थामस
83	17	श्री पी॰चदिम्बरम	श्री पी॰ चिदम्बरम
89	नीचे से 14	(ख)	(छ)
90	नीचे से 8	और (छ)	से (छ)
109	15	वित्त मंत्रालय "के"	वित्त मंत्रालय "में"
112	नीचे से 5	"सूचना" के पश्चात "एकत्र" पढ़िए ।	
118	नीचे से 8	सात पत्रें	सात पत्रों
126	नीचे से 5	श्री गोपीनाथ गजापित	श्री गोपीनाथ गजपति
126	नीचे से 8	(ग)	(ग) और (छ)
150	अंतिम	पर्यन मंत्री	पर्यटन मंत्री
231	नीचे से 6	श्री रंगराजन कुमार मुंगलम	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
236	5	श्री हन्ना मोल्लाह	श्री हन्नान मोल्लाह
248	नीचे से 5	डा॰ छत्रपाल सिंह	डा0 छत्रपान सिंह
248	नीचे से 17	(दो) के पश्चात 435(क) का लोप किया जाए ।	
266	अंतिम	3·36 म॰प॰ का लोप किया जाए ।	
267	2 से पहले	3·36 म॰प॰ पढ़िए ।	
267	नीचे से 2	3·38 का लोप किया जाए ।	
268	1 से पहले	3·38 म॰प॰ पढ़िए ।	

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

दसवां माला, खंड 40, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 23, शुक्रवार, 5 मई, 1995/15 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	441-444	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	445-460	22-50
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4525-4754	50-213
राष्ट्रीय बैंकों द्वारा आयकर के बारे में दिनांक 23 दिसम्बर,1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		213-216
सभा पटल पर रखे गए पत्र		237-247
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		247-248
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) निचली जोंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पानी छोड़े जाने की आवश्यकता		
श्री पवन दीवान		248
(दो) मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता		
श्री विश्वेश्वर भगत		248
(तीन) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में और अधिक डाकघर खोलने की आवश्यकता		
डा. छत्रपाल सिंह		248-249
(चार) सासाराम-चौसा-आजमगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामप्रसाद सिंह		249
(पांच) पश्चिमी उड़ीसा में गठित की जाने वाली प्रस्तावित विकास परिषद द्वारा क्षेत्र का समान आर्थिक विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्री शरत पटनायक		249
(छः) उत्तर प्रदेश में देहरादून से वायुदूत सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता		
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी		250

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा विमानपत्तन का विकास कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	250
सामान्य बजट, 1995-96 — अनुदानों की मांगें	
रक्षा मंत्रालय	251-265
श्री जसवंत सिंह	251-261
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
उनतालीसवां प्रतिवेदन — स्वीकृत	
विधेयक पुरःस्थापित	265-266
इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक	
श्रीमती सरोज दुबे	266
संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)	
श्री विलास मुत्तेमवार	266
सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम विधेयक	
श्री मंगलराम प्रेमी	267
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक	
(नई धारा 9क का अंतःस्थापन)	
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक	267
डा. वल्लल पेरूमान का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों का आरक्षण विधेयक-वापस लिया गया	
विचार करने का प्रस्ताव	268-284
श्री गोपीनाथ गजपति	268-270
प्रो. रासा सिंह रावत	270-271
श्री द्वारकानाथ दास	271-272
श्री कमल मिश्र मधुकर	272-273
श्री नवलकिशोर राय	273-275
श्रीमती गिरिजा देवी	275-276
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	276-277
श्रीमती मारग्रेट आल्वा	277-282
डा. पी. वल्लल पेरूमान	282-284

विषय		कालम
श्रीमती सरोज दुबे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक		
	(धारा 354 में संशोधन)	284 - 302
	विचार करने का प्रस्ताव	284 - 302
	श्रीमती सरोज दुबे	284 - 288
	प्रो. रासा सिंह रावत	288 - 292
	श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी	292 - 294
	श्रीमती गिरिजा देवी	294 - 298
	श्रीमती प्रतिभादेवी सिंह पाटील	298 - 300
	कुमारी फ्रिडा तोपन्ने	300 - 301
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	301 - 302

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मई, 1995/15 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 2 मिनट म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को हमारे दो सहयोगियों सर्वश्री बालासाहिब पाटिल और एन. आर. स्वामी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बालासाहिब पाटिल 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के भिराज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से वे एडवोकेट थे। उन्होंने सांगली लॉ कालेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उन्होंने 1975 से 1988 तक लोक अभियोजक के रूप में भी कार्य किया और सांगली जिला बॉर एसोशिएशन के अध्यक्ष थे।

वे एक सुविख्यात राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनका कई मजदूर संघों से संबंध था। वे भिराज तालुक कामगार संघ के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र के दक्षिण सतारा जिले की नगरपालिका कामगार संघ के अध्यक्ष थे। वे साप्ताहिक 'जनसत्ता' के संपादक थे और उन्होंने मराठी में 'द टेनैंसी एक्ट' नामक एक पुस्तक लिखी थी। खेल के क्षेत्र में उनकी विशेष रुची थी।

श्री बालासाहिब पाटिल का 73 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल, 1995 को सांगली में निधन हुआ।

श्री एन.आर. स्वामी 1952-57 और 1957-62 के दौरान क्रमशः पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पूर्व मद्रास राज्य के वांदीवाश और वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1966-72 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी थे।

वे पेशे से एडवोकेट थे। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में वकालत की।

श्री स्वामी 1943-44 के दौरान मद्रास विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान में विशेष रुची दिखाई। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और तमिलनाडु के उत्तर आरकॉट जिले के जिला बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री स्वामी का 87 वर्ष की आयु में 2 मई, 1995 को मद्रास में निधन हुआ।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

यह सभा अब दिवंगत आत्माओं को सम्मान देने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

11.04 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.05 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

*441 श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्रों के निर्यात में बहुत अच्छी प्रगति हुई है और क्या उनके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा में निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्यात का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने हेतु विदेशों में इनके लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं। किये जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए वस्त्रों के निर्यात तथा इससे अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मन्त्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) विविध क्षेत्रों में वस्त्र मदों के निर्यात ने अच्छी प्रगति दर्शाई है तथा अधिकांश क्षेत्रों में निर्यात निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हुए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

(ग) नए बाजारों में वस्त्र तथा क्लोदिंग का निर्यात संवर्द्धन करने के लिए सरकार व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजती रही है तथा बिक्री-सह-अध्ययन दौरों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है। वस्त्र व्यापार में बाजार की स्थिति के संबं

(अनन्तिम)

मिलियन अमरीकी डालर में

क्रम सं.	मद	1992 - 93 लक्ष्य	1992 - 93 उपलब्धि	1993 - 94 लक्ष्य	1993 - 94 उपलब्धि	1994 - 95 लक्ष्य (मार्च, 95 तक)	1994 - 95 उपलब्धि (फरवरी, 95 तक)
1.	सिले सिलाए परिधान	2707	3052.47	3510.51	3713.65	4262.40	3978.81
2.	सूती वस्त्र	1670	1678.64	1797.88	2008.86	2205.50	2528.49
3.	मानव निर्मित फाईबर वस्त्र	536	495.92	551.44	587.81	646.00	681.71
4.	रेशमी वस्त्र	311	253.51	273.46	251.63	265.00	270.53
5.	ऊनी वस्त्र	94	146.00	167.90	192.92	231.50	157.85
6.	हस्तशिल्प	839	830.04	946.83	1071.30	1234.00	1229.10
7.	पटसन	161	109.91	115.48	107.30	110.00	105.18
8.	कयर	31	33.13	36.50	40.44	45.60	47.56
	कुल जोड़	6349	6599.62	7400.00	7973.91	9000.00	8999.23

में विदेश स्थित हमारे मिशनों से प्राप्त सूचना को भी निर्यात संवर्द्धन परिषदों के माध्यम से निर्यातकों तक पहुंचाया जाता है।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए वस्त्रों (हस्तशिल्प, पटसन तथा कयर सहित) के निर्यात के लिए 10.5 बिलियन अमरीकी डालर का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष के शुरू में निर्धारित किए जाएगे।

प्रो सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, फरवरी, 1995 के पश्चात् उपलब्धि का कुल जोड़ ही प्रायः लक्ष्य है। इसलिए, मैं सर्वप्रथम सरकार को फरवरी तक ही यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या लक्ष्य आठवीं योजना के उद्देश्य पर विचार करते हुए निर्यात परिभाषा के अनुसार 13.6 प्र. श. प्रति वर्ष की दर से बढ़ें, निर्धारित किए गए हैं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, 1994-95 के दौरान भारत से 26.3 अरब डालर के कुल निर्यात के मुकाबले वस्त्रों का निर्यात 9.9 अरब अमेरीकी डालर से अधिक हुआ है। वस्त्रों का निर्यात कुल निर्यात का 37 प्र.श. है। वस्त्र के आयात की कम गति इसलिए है क्योंकि वस्त्रों की आयात सामग्री 10 प्र.श. से कम है। अतः वस्त्रों से निर्यात की शुद्ध विदेशी विनिमय आय देश में निर्यातों से प्राप्त शुद्ध विदेशी विनिमय आय का लगभग 50 प्र.श. है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि वस्त्र व्यापार से संबंधित बाजार स्थितियों के बारे में हमारे विदेश दूतावासों से प्राप्त सूचना का भी निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से निर्यातकों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। मैं इस बारे में ब्यौरे जानना चाहती हूं कि हमारे विदेशी दूतावास के क्रिया-कलापों से हमें क्या लाभ हुआ है और क्या विदेशी विनिमय आय की बढ़ोतरी में हमारे विदेशी दूतावासों की भूमिका की यदा-कदा समीक्षा की जाती है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं तो उनके क्रियाकलापों की समीक्षा न करने के क्या कारण हैं और क्या हमारे वस्त्र आयुक्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे वस्त्र-निर्यात के प्रभारी हैं; मूल्यों आदि की मॉनीटरिंग करते हैं; का इन विदेशी दूतावासों के नियंत्रण में कोई भूमिका होती है।

[हिन्दी]

श्री जी वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। माननीय सदस्य ने टोटल एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहा है। यह जानकारी मैंने अपने जवाब में दे दी है कि किस-किस आयटम का कितना निर्यात किया जाता है। टेक्सटाइल कमिश्नर का जहां तक सवाल है तो उनका कुछ हिस्सा इस काम में रहता है और जो आयटम्स जाते हैं, उनको वे सर्टीफाई करते हैं। मगर टोटल एक्सपोर्ट बढ़ने के दो-तीन कारण हैं। 1992-93 में जो एक्सपोर्ट किया गया था, उसके अनुपात में आज देखा जाए तो पिछले साल हमारा टारगेट 9 बिलियन डालर का था।

अब हमने 9.9 बिलियन यूएस. डालर का निर्यात किया है। इस साल हमने 10.5 बिलियन यूएस. डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले टेक्सटाइल्स में बहुत कम निर्यात होता था। अब निर्यातकों को रफ्ता-रफ्ता हमारी तरफ से काफी प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

माननीय सदस्या के दूसरे प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमने गैट एग्रीमेंट के बाद कोटा सिस्टम में बहुत सारी सहूलियतें हासिल की हैं। यूरोप के 13 देशों में जिनमें कनाडा और अमरीका भी हैं, हमने सहूलियतें हासिल की हैं। गैट एग्रीमेंट होने के बाद बाईलैटरल एग्रीमेंट यूएस. मार्केट से किया। पहले हैंडलूम में भी कोटा सिस्टम होता था। हमने बाइलेटरल एग्रीमेंट होने के बाद उसको निकलवा दिया है। अब हैंडलूम का बिना कोटे के निर्यात कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि अगर हैंडलूम को और तेजी से बढ़ाये

तो हम अपने इस साल के निर्धारित लक्ष्य से भी आगे जा सकते हैं। पहले हमारा कपड़ा साउथ अमरीका नहीं जाता था। मैंने एक व्यापारिक दल का नेतृत्व किया था और वहां चिली, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना जाकर पूछा कि आपको कपड़ा कौन देता है। उन्होंने बताया कि अमरीका हमारे कोटे से कपड़ा खरीदता है, चीन से भी लेता है और फिर उनको निर्यात करता है। हम लोगों ने कहा कि आप भारत से कपड़ा लें तो इस पर हमें काफी आर्डर मिला। इसी तरह से हम दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में भी अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं। इसके बारे में हम कांफ्रेंस भी कर रहे हैं जिससे निर्यातकों को फायदा पहुंच रहा है। जापान, एशिया और दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमने अपनी शाखाएं खोली हैं, वहां भी निर्यात करने के अच्छे अक्सर हैं। हम टेक्सटाइल्स क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम लक्ष्य से भी आगे जा सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से विदेशी देशों को कुल वस्त्र निर्यात में हथकरघा क्षेत्र के निर्यात के प्रतिशत के बारे जानना चाहूंगा। दूसरा, विभिन्न देशों को हमारे वस्त्र निर्यात के विशेष संदर्भ में अमेरिका के साथ हुए मल्टी फाइबर समझौते का क्या प्रभाव है, मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि हथकरघा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि यह हाथ से बुने धागे की व्यवस्था और उपलब्धता की दृष्टि से घोर संकट के दौर से गुजर रहा है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके प्रश्न के अंतिम भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके प्रश्न के पहले दो भागों का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्षजी, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के अंदर..

डा. मुमताज अंसारी : अमरीका के मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं वही कह रहा हूं।

डा. मुमताज अंसारी : वही नहीं कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मल्टी फाइबर एग्रीमेंट में भी यही हुआ है, उसमें भी हैंडलूम को फ्री किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हैंडलूम के उत्पाद को निर्यात करने में कुछ खामियां हैं। इसके लिए इसी महीने की 25-26 तारीख को मैंने हैंडलूम का प्रोडक्शन करने वालों की कांफ्रेंस बुलाई है। नौ राज्यों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेंटर खोले हैं जहां निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहां वे अपने डिजाइन दिखा सकते हैं। इसके साथ ही वीवर्स को जो वेज मिल रही है, उसे 25-30 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन एक्सपोर्ट ओरियेंटेड कपड़ा बनाने से 100-200 रुपए तक जा सकता है तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। यह इंटेंशन और प्रोग्राम टैक्सटाईल मिनिस्ट्री का है।

डा. मुमताज अंसारी : क्या परसेंटेज है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : पिछले साल हैंडलूम का 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : गैट पर चर्चा करते समय इस सभा के सभी सदस्यों ने गंभीर चिन्ता व्यक्त की थी कि एक बार गैट समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वस्त्र की वस्तुओं के निर्यात पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आंकड़ों से यह पता चलता है कि यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कुल मिलाकर लक्ष्य में आठ वस्तुओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई है। हम इसके बारे में प्रसन्न हैं और मैं मंत्री और मंत्रालय की समुचित ढंग से इसकी मॉनीटरिंग के लिए प्रशंसा करता हूं जिससे कि हम निर्यात के द्वारा विदेशी विनिमय अर्जित करने में समर्थ हो सके।

हालांकि यह परिवर्तन स्वागत योग्य है किन्तु दूसरा वास्तविक संकट का सामना उन कामगारों को करना पड़ रहा है जो खासतौर पर रेडीमेड वस्त्रों के व्यवसाय में लगे हुए हैं। रेडीमेड वस्त्रों के व्यवसाय में लगे कामगारों में महिला कामगारों की संख्या काफी अधिक है जो कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की होती हैं। उन्हें जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम होती है। जो कुछ भी लाभ होता है उसे या तो बिचौलियों या निर्यातकों द्वारा छीन लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों या व्यक्तियों को जो कि कोपरेटिव सोसाइटी के रूप में न हो कर अपितु सहयोग के आधार पर हैं, उन्हें न्यूनतम वित्तीय सहायता दे कर मदद करने की एक स्कीम तैयार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं और एक ठोस प्रश्न पर।

श्री ए. चार्ल्स : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या रेडीमेड वस्त्रों के व्यवसाय में लगे समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित कामगारों को न्यूनतम वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम बनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न पर नहीं बोलेंगे तो दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री ए. चार्ल्स : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वस्तुओं के निर्यात की उचित मॉनीटरिंग की जाती है या नहीं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री तरित वरण तोपदार : माडर्नाईजेशन के सिवाय एक्सटर्नल टैक्सटाईल

मार्किट में हम लोगों को और आगे बढ़ना मुश्किल है। इस सिलसिले में,

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में आधुनिकीकरण की स्कीम मंत्रीमंडल के पास लम्बित है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। मंत्री महोदय इस बारे में क्या करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न कपड़े के निर्यात के बारे में है न कि उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में।

श्री तरित वरण तोपदार : उद्योग का आधुनिकीकरण किए बिना निर्यात कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से तो आप कपास के उत्पादन अथवा बीज के उत्पादन के बारे में भी बोल सकते हैं। हमें अपनी बात निर्यात तक ही सीमित रखनी चाहिए।

श्री तरित वरण तोपदार : दूसरे अगर यह युक्तियुक्त है तो हमने निर्यात का विशेष उल्लेख करते हुए कपड़ा नीति में परिवर्तन के बारे में कई बार चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1985 की कपड़ा नीति की समीक्षा करने और उसमें परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : रिगार्डिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी करीबन में एक मीटिंग बुलाकर इसको रिव्यू करा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं, उनसे यह पता चलता है कि पटसन के निर्यात में लक्ष्य और उपलब्धियों दोनों ही में कमी आई हैं। इसके क्या कारण हैं? क्या पटसन के विभिन्न उत्पादों के निर्यात की कोई विशेष योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलताा मिली है?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : जो मेरे पास फिगर्स आयी है, यह फरवरी 1995 तक की है। इसमें एक्सपोर्ट 400 करोड़ रुपए का इस साल तक का है और पिछले साल का फिगर्स 300 करोड़ रुपए का है। मैं आनरेबल मैम्बर साहब की इन्फरमेशन के लिए बता रहा हूं कि पिछले साल एक्चुअल फाईबर जूट का 300 करोड़ रुपए और इस साल का यह 400 करोड़ रुपए का है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसी स्थिति में, हमें जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, क्या वे गलत हैं? हमें जो आंकड़े दिए गए हैं, वे 105 करोड़ रुपए, 107 करोड़ रुपए और इसके लगभग हैं और ये आंकड़े 400 करोड़ रुपए को भी पार कर गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आंकड़े सही कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े लिखित रूप में भेज सकते हैं।

श्री तरित वरण तोपदार : क्या आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाग लेने पर विचार कर रहे हैं?

कृषि उत्पादों का निर्यात

* 442 श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट" समझौता सम्पन्न होने के बाद भारतीय कृषि-उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि उत्पाद मूल्यों की दृष्टि से अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) :

विवरण

(क) कृषि संबंधी उरुग्वे दौर करार के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सामान्यतया यह होगा कि विश्व बाजार में इन उत्पादों की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के अलावा, सदस्य देशों में कृषि वस्तुओं के लिए बाजार प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे। भारत को अपनी विविध कृषि-जलवायु दशाओं, उचित श्रम लागतों और इस क्षेत्र में आयात की कम जरूरतों की वजह से कृषि वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। निर्यात नीति में किए गए विनिमय-दर समायोजनों और उदारीकरण से कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात की प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। इसलिए, देश को कृषि के और अधिक मुक्त विश्व-व्यापार वातावरण से लाभ होने की आशा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा अनाजों, फलों, सब्जियों और प्रसंस्कृत फलों/सब्जियों जैसी 17 चुनिन्दा कृषिजन्य वस्तुओं की कीमत प्रतिस्पर्धा के संबंध में किए गए एक अध्ययन से यह निष्कर्ष मिला है कि चावल, केला, अंगूर, सपोटा, लीची, प्याज, टमाटर, खुंभी, गेहूं, आम, आलू और टमाटर चटनी के मामले में अधिक अथवा सामान्य प्रतिस्पर्धा रहती है।

(घ) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, चुनिन्दा मदों पर न्यूनतम निर्यात कीमत और मात्रात्मक प्रतिबंधों की शर्त समाप्त करना, रियायती निर्यात ऋण का प्रावधान करना, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को निर्यात अभिमुख एककों (ईओयू)/निर्यात प्रोसेसिंग जोनों (ईपीजेड) की योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्रदान करना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% भाग की बिक्री करने की अनुमति देना, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता देना, क्वालिटी नियंत्रण सुदृढ़ करना, ब्राण्ड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों का निर्यात संवर्धन करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : माननयी अध्यक्ष महोदय, इस सरकारी दावे के बावजूद कि भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो रहा है, वर्ष 1994-95 के दौरान विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में निर्यात वृद्धि में तेजी से गिरावट दर्शाई गई है। इसका कारण यह है कि उस वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले अप्रैल से लेकर सितंबर तक की अवधि में वृद्धि दर मात्र 10.58 प्रतिशत थी। वस्तुवार, चाय का निर्यात 26.6 प्रतिशत कम हो गया है; तम्बाकू के निर्यात में 56.6 प्रतिशत की कमी आई है; मूंगफली के निर्यात में 24.9 प्रतिशत की कमी आई है; मसालों के निर्यात में भी 24.4 प्रतिशत कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : ये आंकड़े हैं। कच्चे-कपास के निर्यात में भी 72.8 प्रतिशत की कमी आई है। मैं माननयी मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए कोई कदम उठा रही है कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत कृषि-उत्पादों के निर्यात में ये सभी कमियां आई और यदि हां, तो क्या सरकार कृषि-उत्पादों का निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टियों से बढ़ाने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यातों की वृद्धि दर में बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी होने के बावजूद भी हमारे कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मकता अभी भी बहुत अधिक है। पिछले वर्ष बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, तम्बाकू और ऑयल मील्स के निर्यात में गिरावट आई थी। वास्तव में इन चार उत्पादों ने ही संपूर्ण आंकड़ों को प्रभावित किया है। इसके बावजूद भी, कुल मिलाकर वर्ष 1994-95 निर्यात में आंशिक वृद्धि हुई है। लेकिन कृषि पदार्थों को अनेक विशेष कारक प्रभावित करते हैं जिनमें पहला कारक घरेलू उपलब्धता, दूसरा घरेलू मूल्य और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है। इस प्रकार इसमें उतार-चढ़ाव आयेंगे। लेकिन संपूर्ण तौर पर मेरा विश्वास है कि भारत के कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत अधिक है और यह प्रवृत्ति उरुग्वे-दौर की वार्ता के बाद भी बनी हुई है। हम प्रत्येक उत्पाद पर, जिसमें पिछले वर्ष कमी आई है, निगाह रख रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑयल मील्स एक्सट्रेक्टस में सोयाबीन की फसल में कमी आई और इसीलिए हम इन पदार्थों का निर्यात नहीं कर सके, जिनसे तेल निकाला जाता है। लेकिन इस वर्ष सोयाबीन की फसल अच्छी हुई है। हम और अधिक निर्यात करेंगे। इन पर जलवायु के साथ-साथ फसल संबंधी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता अभी भी बहुत अधिक है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : देश के कृषि निर्यात में वृद्धि को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक पर्याप्त आधुनिक आधारसंरचना, प्री-कूलिंग यूनिटों, कूल-चेनों, प्रशीतक वैनों इत्यादि की कमी और विशेष रूप से आधुनिक विपणन सुविधाओं के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी हैं। कृषि पदार्थों के निर्यात में कमी होने के ये प्रमुख कारक हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि नीति की संपूर्ण रूपरेखा बनाकर एक समेकित कृषि-निर्यात नीति लाने का विचार रखती है और यदि हां तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम : जी हां, महोदय। मैं उस सदस्य का आभारी हूं जिसने यह प्रश्न पूछा है। जी हां, उदाहरण के लिए जैसे हमने आधारभूत सेवाओं के विकास की कृषि निर्यात में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक माना है। ए.पी.ई.डी.ए. ऐसा संगठन है, जिसने उन सभी मामलों के लिए योजना बनाई है, जिनका माननयी सदस्य ने उल्लेख किया है। ए.पी.ई.डी.ए. की योजनाओं में उचित सर्वेक्षणों की योजना, आधारभूत सेवाओं के विकास की योजना, निर्यात संवर्धान और बाजार योजना, गुणवत्ता नियंत्रण और वृद्धि की योजना, पैकेजिंग विकास की योजना, संगठन के निर्माण की योजना, मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण की योजना शामिल हैं। वर्ष 1994-95 के लिए योजना आबंटन केवल 10 करोड़ रुपए था। लेकिन वर्ष 1995-96 में इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष इनमें से बहुत सी योजनाओं के लिए और अधिक धनराशि दी जाएगी और इनमें से बहुत सी योजनाएं शुरू हो जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, निर्यात की बात होती है और उसके साथ विदेशी मुद्रा व अंतर्राष्ट्रीय ऋण आदि की भी चर्चा होती है। यह तो अनाज, दालें, फल और अन्य खाने-पीने की चीजें हिन्दुस्तान से निर्यात की जा रही हैं, उसके चलते देश में दामों पर कितना असर पड़ रहा है इस पर क्या सरकार कुछ सोच रही है?

अध्यक्ष जी, मैं आंकड़े देकर आपको और सदन को परेशान नहीं करना चाहता हूं लेकिन सिरील्स में पिछले दो वर्षों में 25 प्रतिशत बढ़ गए हैं। दालों में पिछले दो वर्षों में 41 प्रतिशत दाम बढ़ गए। मांस-मछली में होलसेल के जो आंकड़े हैं वे रख रहा हूं। लोगों को जो खरीदने के लिए जाना है वह अपने आप में अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मांस-मछली व अण्डे 37 प्रतिशत बढ़ गए हैं। फलों के दामों पर कोई लगाम नहीं है। केला, ग्रेप, दाल के दामों में बढ़ोतरी के कारण साधारण आदमी खरीदने की नहीं सोचता है। सपोटा, लीची, प्याज, टमाटर, मशरूम, गेहूं, आम, आलू आदि जिनमें हम लोग कपेटेटिव हैं और दुनिया हम लोगों के पास आने को तैयार है, यह आपका कहना है, अभी आयी नहीं है लेकिन आने को तैयार है। अभी आने के लिए तैयार है, तभी दाम आसमान छू बैठे हैं तो इस निर्यात के चलते आप हिन्दुस्तान के लोगों के पेट के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद करना चाहते हैं? या इस बारे में कोई ऐसी संपूर्ण नीति आपके पास है कि हमारे यहां दाम अंतर्राष्ट्रीय किस्म के न हों? और हमारे यहां दाम हम लोगों को जो खाने-पीने के लिए व फल आदि लेने के लिए न्यायोचित्त हैं इस बात को मद्देनजर रखकर कोई नीति आप बनाएंगे?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हिन्दुस्तान के लिए हम बाहर से मंगायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सिक्के का दूसरा पहलू है। इसकी एक संतुलित नीति होनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इन वस्तुओं के

निर्यात के कारण देश में इनके मूल्य बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल और अनाज...

एक माननयी सदस्य : दालों के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री पी. चिदम्बरम : दालों पर मैं अभी आता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्याज के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उस पर बोलूंगा।

अधयक्ष महोदय : वह समेकित नीति के बारे में बोल रहे हैं, प्याज के बारे में नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : अगर देश में मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो इसका कारण यह है कि हम अपने किसानों को अच्छी कीमतें दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री फर्नान्डीज़ यह नहीं कहेंगे कि हमें किसानों को अच्छी कीमतें नहीं देनी चाहिए। अगर किसानों को ऊंचे अधिप्राप्ति मूल्य दिए जाएंगे तो देश में कुछ मूल्य-वृद्धि तो होगी ही। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल को लीजिए। आजकल देश में खाद्यान्नों का कुल भंडार 30 मिलियन टन अर्थात 3 करोड़ टन से अधिक है। इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम को गैर-टिकाऊ गेहूं की केवल 25 लाख मीट्रिक टन मात्र का निर्यात करने की अनुमति है। पिछले वर्ष हमने बासमती और गैर-बासमति चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी थी। जैसा कि मैंने एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के जवाब में कहा, पिछले वर्ष की तुलना में बासमती और गैर-बासमती चावल की निर्यात की मात्र में कमी की गई थी।

उदाहरण के लिए हम दस हजार मीट्रिक टन से अधिक दालों का निर्यात नहीं करते हैं। जहां तक मोटे अनाज का संबंध है, अगर हम सभी मोटे अनाजों को लें तो हम 50,000 मीट्रिक टन से अधिक निर्यात नहीं करते हैं। ऐसा कहना सही नहीं है कि मोटे अनाजों अथवा दालों का काफी मात्रा में निर्यात किया गया है। ऐसा नहीं है। गेहूं और चावल का काफी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। हम मोटे अनाज और दालों का अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, 1994 में मिलयंस ऑफ डालर में जो चावल निर्यात हुआ वह 17 मिलियन डालर का है। सिरील्स प्रप्रेशन का जो निर्यात हुआ वह 23 मिलियन डालर है। कुल पल्सेज 138 मिलियन डालर की वैल्यू की निर्यात हुई जो हाईयेस्ट है। अगर आप रुपए में हिसाद चाहते हैं तो वह 435 करोड़ रुपए बनता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमें निर्यात तो करना चाहिए लेकिन इस प्रकार से नहीं कि देश के लोग उससे प्रभावित हों; और इसी उद्देश्य के लिए हमें एक समेकित नीति की आवश्यकता है, जो इनमें संतुलन उत्पन्न करती हो। पहले सदस्य भी और श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ भी यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या कोई नीति है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अलग-अलग मदों जैसे न तो प्याज पर और न ही चावल पर विचार कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : एक समन्वित नीति है। कृषि मंत्रालय ने निर्यात के लिए जो सीमा निर्धारित की है हम उससे अधिक निर्यात की अनुमति नहीं देते हैं। कभी- कभी ये औपचारिक रूप से निर्धारित सीमाएं होती हैं और कभी-कभी ये अनौपचारिक रूप से दर्शाई गई सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए दालों को लीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य के पास क्या आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1994-95 में कुल 86 करोड़ रुपए मूल्य की दालों के निर्यात किया गया। यह मात्र बहुत अधिक नहीं है और मोटे अनाज की मात्रा 50,000 मीट्रिक टन है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम 10,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों का निर्यात नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि देश की आवश्यकता कितनी है, कितनी मात्र में निर्यात किया जा सकता है, स्थिति विशेष में क्या किया जाना है आदि और इस समस्या के संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण क्या है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह मेरा उत्तर है। महोदय, कृषि मंत्रालय जितनी मात्रा फालतू दर्शाता है हम उससे अधिक निर्यात नहीं करते हैं। (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई नीति नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : आपको निर्यात करने की अनुमति देना नीति नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : कृषि मंत्रालय को मालूम है कि देश में कुल कितना उत्पादन होता है।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाल रहा हूं। कृषि मंत्रालय दर्शाता है कि कितनी मात्रा फालतू है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह कोई नीति नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आपके मंत्रालय के मामले पर सभा में चर्चा हो। मैंने कई मंत्रियों को यह कहते हुए देखा है कि यह मंत्रालय ये कर रहा है, वह मंत्रालय ये कर रहा है। आप इस पर मंत्रिपरिषद में चर्चा कीजिए। आप सरकार की हैसियत से उत्तर दीजिए, किसी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में उत्तर मत दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं सरकार की ओर से उत्तर दूंगा। सरकार घरेलू उत्पादन प्रचलित मूल्य स्थिति, तथा इस बात को भी ध्यान में रखती है कि घरेलू मांग को पूरा करने के बाद क्या कुछ फालतू मात्रा है जिसे निर्यात किया जा सकता है, और इन सभी बातों पर विचार करने के बाद सरकार निर्णय करती है कि सीमा क्या होगी और उसके बाद कितना निर्यात किया जा सकता है। सीमा के भीतर ही हम निर्यात की अनुमति देते हैं। कभी-कभी सीमाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमने

किसी भी मामले में सीमा पार की है। ऐसा हो सकता है कि हमने थोड़ी-बहुत सीमा पार की हो। महोदय, लेकिन हम पूरी तरह से सचेत हैं यदि किसी विशेष वस्तु के बारे में नीति की समीक्षा की जरूरत है तो मैं नीति की समीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन हम पूरी तरह से सचेत हैं कि हमारा पहला कर्तव्य देश के लोगों की जरूरत पूरा करना है और लोगों की जरूरत पूरी करने के बाद यदि कुछ फालतू बचता है तो उसे निर्यात किया जएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह नीति की समीक्षा करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक समन्वित नीति होनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे दोनों तरह से ऐसा नहीं कर सकते हैं।

अधयक्ष महोदय : उनकी एक नीति होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : इस प्रश्न के उत्तर से मंत्री जी ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपायों के बारे में बताया है कि क्या-क्या तरीके अपनाए गए हैं। उनमें एक तरीका उत्पादन के विकास का है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश में ऐसे अनेकों भाग हैं जहां उत्पादन का विकास करने की बात तो अलग है लेकिन जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है, कुल जितना उत्पादन होता है, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसकी दो वजह है — एक तो मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है और न प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल में हजारों नहीं लाखों की संख्या में हर साल फल या पैरिशेबल गुड्स सड़ जाने के कारण फेंकने पड़ते हैं और मंत्री जी यहां उत्पादन के विकास की बात कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से अवगत हैं कि देश में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो काफी पिछड़े हैं, जहां न तो मार्केटिंग की व्यवस्था है और न वहां प्रोसैसिंग यूनिट्स हैं। ऐसी जगहों पर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा प्रोसैसिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए क्या आप फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ओवरऑल पूरे राष्ट्र के स्तर पर कोई योजना बना रहे हैं ताकि हमारे यहां जो प्रोडक्शन वेस्ट जा रहे हैं, उसे रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने अभी-अभी एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक नीति बनाई गई है। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं हैं लेकिन वे उपलब्ध निधियों से सीमित हैं। जैसा कि मैंने कहा था इस वर्ष 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

मुझे आशा है कि मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी लेकिन दीर्घकालिक उत्तर यह है कि केवल सरकार को या किसी एजेंसी को ही धन उपलब्ध नहीं करवाना है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत अधिक आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है। निवेश केवल तभी बढ़ेगा जबकि ये क्षेत्र लाभप्रद होंगे। यदि निर्यात में लाभ होता है, आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में लाभ होता है तो निवेश बढ़ेगा। हमारी नीति यह है कि जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती जाए इनमें निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

यदि गढ़वाल में कोई निवेश नहीं होता है तो वह स्पष्ट रूप से एक कमी है। लेकिन राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र के इन क्षेत्रों में निवेश करना होगा और केवल तभी आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा। एक हद तक एपीईडीए के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरे अधिकार में है, जिस हद तक धन उपलब्ध होगा मैं निश्चित रूप से यह आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराऊंगा और मैं गढ़वाल क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : धन्यवाद।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि..

अधयक्ष महोदय : मैं ये मानता हूं कि आपका प्रश्न प्याज के बारे में नहीं होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : प्रश्न को दोहराने की जरूरत नहीं है। भाग (ख) और (ग) में उन्होंने उत्तर दे दिया है, कतिपय अध्ययन किए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कतिपय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कहां है। उस स्थिति में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी मदें, जिनके बारे में वे सोचते हैं कि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता है, अन्य देशों को संसाधित या प्राथमिक उत्पाद के रूप में निर्यात की जाएगी। इन सब वस्तुओं जिन्हें संसाधित किया जा सकता है, के बारेमें उनका क्या विचार है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अध्ययन करने के बाद भी संसाधित खाद्य पदार्थ के रूप में निर्यात करेगी या उन्हें प्राथमिक उत्पादों के रूप में निर्यात किया जाएगा।

मेरा दूसरा प्रश्न समुद्री उत्पादों के बारे में है। उसे भी कृषि उत्पादों का ही भाग माना जाता है। यहां उत्तर में यह बात शामिल नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने समुद्री उत्पादों को कृषि उत्पादों से अलग रखा है या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि प्राथमिक उत्पादों और मूल्यवृद्धित उत्पादों दोनों के लिए बाजार उपलब्ध है। उदाहरण के लिए आम को लीजिए। आमों के लिए भी बाजार है और आम के उत्पादों के लिए भी बाजार है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को यह निर्णय करना चाहिए कि आमों का निर्यात किया जाना चाहिए या मूल्य वृद्धित उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए। हम मूल्य वृद्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देंगे। लेकिन यह निर्णय आवश्यक रूप से उत्पादकों और क्रेताओं को लेना है। लेकिन सरकार की नीति मूल्य वृद्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है क्योंकि उससे हमें अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि कुछ परिकलनों में कुछ संगठन समुद्री उत्पादों को कृषि उत्पाद मानते हैं। कुछ परिकलनों में समुद्री उत्पादकों की गिनती कृषि उत्पादों में नहीं होती है। लेकिन यह आंकड़े देते

समय मैंने समुद्री उत्पादों को कृषि उत्पादों में शामिल किया है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और उसका जो जूस है, उसको बाहर निर्यात करने के लिए मंत्रालय ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं? आपने अपने उत्तर में जो 17 आयटम केला, चीकू आदि को बाहर भेजने के लिए प्रयत्न करने की बात बताई है, तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एप्पल और दूसरे फ्रूट होते हैं और जैसा हमारे मित्र श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी जी ने अभी कहा कि गढ़वाल के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से फ्रूट आने बहुत मुश्किल हैं क्योंकि वहां पर बेसिक फेसिलिटीज सड़कें आदि नहीं हैं, तो इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर दूरदराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां प्रचुर मात्रा में फल तो होते है, लेकिन वहां से उन्हें रोड हैड तक लाने के लिए कोई साधन नहीं है और जहां थोड़े-बहुत साधन हैं भी वहां उनको मार्केट या मंडियों में लाने पर बहुत अधिक खर्चा होता है, तो क्या मंत्री जी मुझे बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों से फल एवं सब्जियों को मार्केट तक लाने के लिए इस प्रकार की कोई स्कीम है जिससे हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभ हो सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : सेब के रस के बारे में, मैं कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय आप उन्हें बाद में सूचित कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : संसाधित फलों और उनके रस के बारे में, मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने पिछले वर्ष उनका लगभग 385 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया जबकि उससे पिछले वर्ष इन वस्तुओं का निर्यात मूल्य लगभग 176 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : चालीस मिनट में हम केवल दो प्रश्नों को ले सके हैं। अब मैं अगले प्रश्न पर आ रहा हूं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

* 443 श्री राम प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने हेतु अधिसूचना जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). हवाई अड्डों के समन्वित विकास के लिए संसाधनों को बेहतर रूप से जुटाने और उपयोग को सहज बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 1 अप्रैल, 1995 से एक एकीकृत प्राधिकरण अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विलय भारतीय विमानपत्तन में कर दिया गया। इस अवधि में इसकी क्या उपलब्धियां हुई हैं, कितने अच्छे परिणाम मिले हैं और भविष्य में कौन-कौन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं और आशाएं हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद ही बताया है कि पहली अप्रैल से इन दोनों अथॉरिटीस को मर्ज करके एक अथॉरिटी बनाया गया है। इसका कारण यह है कि 1986 में जब यह महसूस किया गया कि नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग-अलग बने ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरीटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम देखे और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम देखे लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आई। कई चीजें जैसे रनवे एक अथॉरिटी के अंदर थी तो लाइट्स दूसरी अथॉरिटी के अंदर थी। इसी तरह से और कई चीजें हैं, जिनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल आई और दिसंबर 1993 को जो एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जब कोर्ट की इंक्वायरी हुई तो उसके ऊपर बहुत टिप्पणी और निन्दा की गयी कि रनवे एक के अंदर है और लाइट्स दूसरे के अंदर, जनरेटर एक के अंदर है तो इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम दूसरे के अंदर है। इसकी जिम्मेवारी किसी पर भी नहीं होती। इनको दोनों अथॉरिटीज को मर्ज करने के बाद हमको 2-3 फायदे हुए हैं जैसे पहले एक प्रॉफिट में था तो दूसरा लॉस में था, एक टैक्स देता था और दूसरा लॉस में होता था। इस प्रकार दोनों के रिसोर्सिस मिलाकर एक लाभ हो गया। उसके अलावा दोनों का जो एक्सपर्टीज था, उसको भी मिलाने से हमको सुविधा होगी। इस प्रकार दोनों को मिलाकर हमें बहुत लाभ होगा।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार इस देश में प्रतिदिन 50 हजार सीटें हैं जिसमें से 40 प्रतिशत खाली रहती हैं। संसार के प्रति विमान में कर्मचारियों की संख्या 300 है और आपके कर्मचारियों की संख्या 830 है। मुझे यह जानकारी नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार प्राप्त हुई है। यह संख्या तीन गुणा है। इससे भी आपको काफी घाटा होता है। आपकी जो कर्मचारी यूनियन है, वह बहुत मजबूत है। वह आप पर प्रेशर डालती रहती है, हड़ताल करती रहती है। इस तरह से आपको लगभग 200 करोड़ का घाटा होता है। अब ऐसा हो रहा है कि आपके इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी सर्विस छोड़कर प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद आपका यह विभाग पूर्णतया बंद हो जाएगा। क्या आप बताएंगे कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपका प्राधिकरण कौन सी नयी योजना या नयी प्लानिंग बनाने जा रहा है?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं। पहला प्रश्न एयरपोर्ट अथॉरिटी का है और दूसरा प्रश्न इंडियन एयरलाइंस का है। अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरा प्रश्न इंडियन एयरलाइंस का है इसलिए वह कोई दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब नहीं मिला है।... (व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं विलय के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि इससे कार्यकुशलता अधिक बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ एक कठिनाई भी जुड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि दो प्राधिकरणों की सेवाओं के एकीकरण के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या इस संबंध में संबंधित यूनियनों से परामर्श कर लिया गया है, वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाएगी और यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन लोगों की छंटनी नहीं होगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में किसी की छंटनी नहीं की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पहले से ही यह प्रावधान है कि एक वर्ष के लिए दो अलग डिवीजन होंगे-इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिवीजन और नेशनल एयरपोर्ट डिवीजन और इसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान दो डिवीजनों के संवर्गों के आधार पर एक सुविचारित योजना तैयार की जाएगी जो समन्वित योजना होगी। यह बात अधिनियम में पहले से ही है। इस काम के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जा रही है। उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस समिति के सभापति होंगे और नागर विमानन की जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

इंडियन एयरलाइंस के पायलट

*444 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवा समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद और इससे पहले कितने-कितने पायलट इंडियन एयरलाइंस की सेवा छोड़कर चले गए हैं;

(ख) पायलटों को इंडियन एयरलाइंस की सेवा में बने रहने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समझौते की अवधि समाप्त होने से पूर्व नौकरी छोड़ने वाले पायलटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग). 148 विमानचालकों में से जो 1991 और 15.4.1995 के बीच इंडियन एयरलाइंस को छोड़ कर चले गए, अठानवें विमानचालकों ने सेवा करार / बंध पत्र के अधीन अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर ली थी। उन सभी 50 विमानचालकों से निर्धारित हर्जाने का दावा किया गया था जो सेवा करार / बंध पत्र के अधीन दायित्वों के पूरा होने से पूर्व छोड़ कर चले गए थे। तीन मामलों में वसूली हो गई है और अन्य मामलों में कार्रवाई की जा रही है जिनमें प्रत्येक मामले में 15,000 रुपए से अधिक की राशि बकाया है।

विमानचालकों को इंडियन एयरलाइंस की सेवा में बने रहने के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

— विमानचालकों के मासिक उपयोग में वृद्धि करने के लिए नवंबर, 1993 में उत्पादकता सम्बद्ध करार पर हस्ताक्षर करना।

— मासिक भत्तों में बढ़ोत्तरी।

— पड़ोसी देशों को प्रचालन करने के लिए विशेष भत्ता।

— आजीविका में उन्नति, प्रशिक्षण ढांचे में परिवर्तन।

— अनुदेशकों के लिए भत्तों में वृद्धि।

— विमानचालकों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तथा एकल खिड़की सेवा, आरंभ करना।

— परिवहन सुविधाओं में सुधार।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, आप 443 और 444 का, दोनों का उत्तर देने की सोच रहे हैं। आपने सदन में यह जानकारी दी है कि हवाई सेवाएं क्यों धीमी गति से चल रही है और इतना बड़ा घाटा आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके कारणों में सदन में आप का वक्तव्य आया है। उससे संबंधित मेरा यह सवाल है कि क्या सरकार एवम् पायलट एसोसिएशन के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसका पालन न होने से पायलटों में असंतोष व्याप्त है या कोई अन्य कारण है? पायलटों को अन्य कंपनियों में जाने से रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि खाड़ी की एक निजी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस के प्रशिक्षित पायलटों को भारी तादाद में अपनी कंपनी के विमान ए-320 और ए-340 विमानों की श्रृंखला के लिए आकर्षित कर रही है?

श्री राम प्रसाद सिंह : इसी में मेरे प्रश्न का भी जवाब दिलवा दीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं उसका भी जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

जहां तक प्रश्न के भाग 'क' का संबंध है, यह सही नहीं है कि आई. सी. पी. ए. के साथ किया गया समझौता...

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी, आप तो हिन्दी जानते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : उसमें टैक्नीकल वर्ड्स होते हैं, हिन्दी में एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

[अनुवाद]

जहां तक नवंबर, 1993 में हस्ताक्षर किए गए समझौते का संबंध है, कोई भी उससे पीछे नहीं हटा है। उस समझौते पर एक हद तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि 'उत्पादकता से जुड़ी योजना' पर हस्ताक्षर होने से हमें काफी हद तक सहायता मिली है। 1993-94 में, काफी संख्या में पायलट, कमांडर एवं सह-पायलट इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा छोड़कर चले गए थे। मेरे विचार से उस समय इनकी संख्या लगभग 100 तक पहुंच गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पायलटों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत का अंतर उत्पन्न हो गया था तथा इस विशिष्ट अंतर को पूरा करने के लिए हमें आई.सी.पी.ए. के साथ एक समझौता करना पड़ा था, जिसकी वजह से यह अंतर कम होकर मात्र पांच प्रतिशत रह गया था। अन्यथा, उस अवधि में हमें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता।

जहां तक इस संबंध में उठाए गए कदमों का प्रश्न है, मैं उठाए गए कुछेक ऐसे कदमों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिनसे कि हमें सहायता मिली है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि नवंबर, 1993 में आई.सी.पी.ए. के साथ उत्पादकता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने से पायलटों की अधिकतम उड़ान घंटों की संख्या 65 घंटों से बढ़कर 80 घंटे प्रतिमाह हो गई। इससे पायलटों की उपयोगिता में भी वृद्धि हुई है। अब, पायलटों को प्रतिफल में अधिक परिलब्धियां मिल रहीं हैं। उन्होंने कुछ नाम मात्र की खामियों को दूर कर दिया है। उसका पहले से ही ध्यान रखा गया है। पड़ौसी देशों को जाने वाली उड़ानों एवं एयर इंडिया की ओर से चलने वाली उड़ानों के लिए मासिक भत्तों में भी वृद्धि हो चुकी है।

उच्च स्थानों वाले विमान-क्षेत्रों की उड़ान के लिए भी अतिरिक्त भत्ते प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विमान-चालक दल परिवहन सेवा में सुधार लाने हेतु और अधिक संख्या में नई कारों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। पायलटों एवं सह-पायलटों की मृत्यु होने पर बीमा राशि भी पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है।

हमने पायलटों के साथ सुलह करने या आप कह सकते हैं कि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ही ये विकल्प लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त, हमने कुछ निवारक कदम भी उठाए हैं, जिनसे कि पायलटों के बहिर्गमन की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। ये कदम निम्नानुसार हैं :-

(एक) नोटिस की अवधि को एक माह से बढ़ाकर छह माह करना तथा नोटिस की अवधि के बदले में मूल वेतन स्वीकार न करना।

(दो) 11.12.1992 को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ए.आई.सी. जारी किया गया, इसके परिणामस्वरूप ए.टी.ओ. द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना पायलटों को ड्यूटी पर नहीं लिया जा सकता।

(तीन) बंध का मूल्य 1988 के 35000 रुपए के स्थान पर वर्तमान मूल्य 10 लाख रुपए दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के साथ करना।

अतः, हमने गत दो-तीन वर्षों में यही कुछ कदम उठाऐ हैं। मैं कहूंगा कि इनके परिणामस्वरूप, पिछले छह महीनों की अवधि में, एक भी पायलट ने एयरलाइंस की नौकरी नहीं छोड़ी है। बल्कि, मुझे यह कहना ही चाहिए कि 11 पायलटों ने कार्यभार संभाला है तथा आधा दर्जन पायलट और पुनः एयरलाइंस की सेवा में वापिस आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी के उत्तर से यह माना जाना चाहिए कि पायलटों के संघों से जो समझौता किया था और उनको विश्वास में लिया था, वह आपने पूरा-पूरा मान लिया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत में विलय के बाद कितने पायलट विमान उड़ाने से वंचित कर दिए गए? विलय के समय उन पायलटों को जो विश्वास में लिया गया था, क्या उनको उपयुक्त जगह पर लगा दिया गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है एवं ऐसे पायलटों के लाइसैंस रद्द न हों, इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? यह भी बताने का कष्ट करें कि पायलटों को संतुष्ट रखने के लिए, उनकी ट्रेनिंग में सुधार करने के लिए क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाने जा रही है?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का जवाब सत्य नहीं है कि पायलटों ने आई.सी.पी.ए. में जो कहा, वह मैनेजमेंट ने मान लिया। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, आई.सी.पी.ए. के साथ पिछले 30 सालों से बात चल रही थी कि वे महीने में 65 घंटे चलते हैं जबकि सौ घंटे तक भी चल सकते हैं। एक बात यह चली थी कि वे कम से कम 80 घंटे चलें। पहली बार उस एग्रीमेंट में उन्होंने माना कि वे हर महीने 65 घंटे के बजाए 80 घंटे चलेंगे। जैसा मैंने अर्ज किया, 30 प्रतिशत का जो गैप था, 80 घंटे चलने पर वह गैप 5 प्रतिशत में कनवर्ट हुआ जिससे हमारा करोड़ों रुपए का फायदा हुआ जोकि नए पायलट लगाने पर या नई ट्रेनिंग देने में लगता। ऐसा नहीं है कि उसके रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिला। उसके रिटर्न में हमको भी मिला और उनको भी मिला।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, यह सत्य है कि वायुदूत, इंडियन एयरलाइन्स में मर्ज हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। वह अभी डिवीजन के तौर पर इंडियन एयरलाइन्स में काम कर रहा है। उसमें हमने निर्णय लिया है कि आधे से ज्यादा व्यक्तिइंडियन एयरलाइन्स में परमनैन्टली मर्ज होंगे और बाकि आधे से कम एयर इंडिया, एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हैलिकॉप्टर कॉर्पोरेशन में मर्ज होंगे। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, उसमें वायुदूत के मुलाजिम 1300 के करीब हैं जिनमें से तकरीबन 700 से ज्यादा इंडियन एयरलाइन्स में पहले मर्ज हुए हैं। बाकी जो एयर इंडिया, एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हैलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन में मर्ज होने का प्रश्न है, वह कनटीनुअस प्रोसैस है।

जहां तक पायलट्स का संबंध है, वायुदूत के पायलट्स को हमने अनुमति

दी थी कि वह यदि प्राइवेट एयरलाइन्स में जाना चाहें तो जा सकते हैं जबकि इंडियन एयरलाइन्स वालों को हम जाने की अनुमति नहीं देते हैं बल्कि उन्हें रखने का प्रयास करते हैं। जहां तक वायुदूत का संबंध है, उसमें हमने अनुमति दी थी यदि वह प्राइवेट एयरलाइन्स में जाना चाहें तो जा सकते हैं। बहुत से प्राइवेट एयरलाइन्स में गए भी हैं और जो बचे हैं उन्हें इंडियन एयरलाइन्स में या बोईंग 737 के लिए ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं ताकि उनका इस्तेमाल हो सके। उनके लाइसैंस खत्म होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबंधन और पायलटों, इंजीनियरों एवं स्टाफ की अन्य श्रेणियों सहित कर्मचारियों के बीच संबंधों में क्या सुधार हुआ है क्योंकि जो कहा गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही में इनके संबंधों में सुधार हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संबंधों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जो सुधार हुआ है वह निजी क्षेत्र के एक अत्यंत विख्यात उद्योगपति को इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक-मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदासीन करने के कारण हुआ है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय सदस्य मुझ से क्या कहलवाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमने नवम्बर, 1993 में आई.सी.पी.ए. के साथ जो समझौता किया था, यह सब उसी की वजह से हुआ है, जिसे कि हम अब लागू कर रहे हैं। यह इस समझौते का ही परिणाम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः, ऐसा उनकी वजह से नहीं हुआ है। इसका उनको कोई श्रेय नहीं जाता।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, पायलटों को उड़ान भरने का मूल प्रशिक्षण देश में स्थित "फलाईंग क्लबों द्वारा दिया जाता रहा है। अब अधिकतर "फलाईंग क्लब बंद हो गए हैं अथवा बंद होने के दौर से गुजर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और अधिक संख्या में पायलट तैयार करने के लिए इन "फलाईंग क्लाबों" को चालू रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, निस्संदेह यह बिलकुल अलग प्रश्न है। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि पायलटों की कमी पेशेवर लाइसैंस धारक पायलटों की वजह से नहीं है। इस समय 1500 से भी अधिक पेशेवर लाइसैंस धारक पायलट हैं। कमी कमांडरों की है, न कि कनिष्ठ-स्तर पर सह-पायलटों की।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पायलट्स की बात हो रही थी। प्राइवेट कम्पनियों ने पायलट की ट्रेनिंग के लिए गरीब परिवार के लड़कों से साढ़े 4-5 लाख रुपए जमा कराये। उनको ट्रेनिंग देने के लिए लंदन भी भेज दिया लेकिन प्राइवेट कम्पनियां उनको पूरा वेतन नहीं दे रही है। इसको लेकर गरीब परिवारों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी कर चुका हूं। लेकिन ट्रेनिंग में भी उनको फंसाया जा रहा है। उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। उन बेरोजगार नवयुवकों का क्या होगा जो अपने जीवन की सारी कमाई लगा बैठे हैं। आज उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है और पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। प्राइवेट कम्पनियों वाले उन नौजवानों को पूरा वेतन दें, इसके लिए आप क्या करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे ख्याल में जो गलती इंडियन एयरलाइन्स ने की है, वह गलती प्राइवेट एअरलाइन्स वाले नहीं करेंगे तभी वे बचेंगे, वरना उनका भी वही हाल होगा जो इंडियन एअरलाइन्स का हुआ।

श्री राजवीर सिंह : उनसे पूरा रुपया जमा करा लिया गया। उन्होंने साढ़े 4-5 लाख रुपया जमा किए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, पायलट्स, स्टाफ के लोग और टैक्निशियन अपनी कम्पनियां छोड़ कर न जाए, ऐसी अभी बात हो रही थी। वायुदूत का विलय हो गया। उसने लोगों के जो पैसे देने थे, स्टाफ की जो ड्यूटी तय करनी थी, ऐसे मामले अभी तक पैंडिंग हैं। इसको लेकर उनके स्टाफ ने आन्दोलन भी किया था। इनके बारे में आप फाइनल निर्णय कब लेने वाले हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। वायुदूत इंडियन एअरलाइन्स में मर्ज हो चुकी है लेकिन वहां के स्टाफ को काम देने के लिए जगह भी होनी चाहिए, यह भी देखना पड़ता है। जहां तक एअर इंडिया और एअरपोर्ट एथॉरिटी का सवाल है, वहां जो भी जगहें निकलती हैं, उनमें बाहर से लोग लेने की बजाय वही स्टाफ को ऐबसॉर्ब करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अफीम की मांग

* 445 **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अफीम की कितनी मात्रा निर्यात की गयी तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन हेतु देश में और विदेशों में अफीम की मांग को पूरा करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राकृतिक आपदा के कारण अफीम की फसल प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात की गई अफीम की कुल मात्रा 407.781 मीट्रिक टन (198 संक्षवित वाली) थी और इससे विदेशी मुद्रा के रूप में 58.75 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग). अफीम की मांग अधिकांशत: अफीम के उन विदेशी क्रेताओं से प्राप्त होती है जो चिकित्सा और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए अफीम से ओपिएट अल्कालायड्स का विनिर्माण करते हैं। गाजीपुर तथा नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं अल्कालायड कारखानों द्वारा ओपिएट अल्कालायड के उत्पादन के लिए भी भारत में अफीम का उपयोग किया जाता है। फसल वर्ष के आरम्भ में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस देने की नीति को अंतिम रूप देने से पहले, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में अफीम की संभावित मांग (निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए) का आकलन किया जाता है। ताकि पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के लिए तदनुसार योजना बनाई जा सके।

(घ) अन्य कृषि फसलों की भांति, अफीम की फसल पर प्राकृतिक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल मौसम के कारण भी प्रभाव पड़ता है। जिन गांवों को मौसमी स्थितियों के कारण क्षति उठानी पड़ती है वे आमतौर पर हर वर्ष अलग-अलग गांव होते हैं। क्षति उठाने वाले क्षेत्र और क्षति की सीमा भी हर वर्ष अलग-अलग होती है। क्षति के मुख्य कारण हैं ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश और तेज गति से चलने वाली ठंडी हवाएं।

(ङ) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के गत तीन फसल वर्षों के दौरान क्षति के कारण उखाड़ी गई पोस्त की खेती (दुबारा जोती गई) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	मापा गया क्षेत्र (हैक्टेयर्स)	उखाड़ी गई/दुबारा जोती गई खेती का क्षेत्र (हैक्टेयर्स में)	उखाड़ी गई/दुबारा जोती गई खेती के क्षेत्र का प्रतिशत
1991-92	14440	77.75	0.54%
1992-93	13657	1747.97	12.80%
1993-94	12985	34100	2.63%

(च) किसानों से उनकी अफीम की फसल को क्षति पहुंचने की सूचना संबंधी आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर, जहां कहीं आवश्यक हो, विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षति की सीमा की जांच-पड़ताल की जाती है। विभागीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत उस क्षतिग्रस्त अफीम की फसल की दुबारा जुताई की अनुमति दी जाती है जिसकी लांसिंग नहीं की गई होती है। क्षति की जांच-पड़ताल करने वाले विभागीय अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, आगामी फसल वर्ष के लिए लाइसेंस देने की नीति के अंतर्गत संबंधित किसानों को उपयुक्त राहत मंजूर की जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों के ऋण की ब्याज दरें

*446 **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ विदेशी बैंको ने अपने ऋणों की ब्याज-दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं तथा ब्याज-दरों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्याज-दरों में यह वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कुछ विदेशी बैंकों ने दिनांक 17.4.1995 को वर्ष 1995-96 के उत्तरार्ध के लिए ऋण नीति की घोषणा के बाद अपनी प्रमुख उधार दरें बढ़ा दी हैं, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

	बैंक का नाम	प्रमुख उधार दर (ब्याज दर को छोड़ कर) (वार्षिक प्रतिशत)	लागू होने की तारीख
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	15.0	26.4.1995
2.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	16.0	21.4.1995
3.	बैंक ऑफ टोकियो	16.0	26.4.1995
4.	सोसिएट जेनरल	16.0	18.4.1995
5.	आबू धाबी कमरशियर बैंक लि.	15.5	26.4.1995
6.	सकूरा बैंक	16.0	01.05.1995
7.	क्रेडिट लियोनैस	16.0	20.04.1995

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 से बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले उधार कर्ताओं के लिए ऋण की दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। प्रत्येक बैंक की प्रमुख उधार दर घोषित की जानी चाहिए तथा ये सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। इस दृष्टि से, विदेशी बैंकों द्वारा प्रमुख उधार दरों को बढ़ाना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋण

* 447 श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र की ओर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो बैंको द्वारा दिए गए कुल ऋणों में से कितने प्रतिशत ऋण 1991-92 में औद्योगिक क्षेत्र की ओर बकाया था तथा 1994-95 में इसकी प्रतिशतता क्या थी;

(ग) किस तरह के उद्योगों पर बैंकों के बकाया ऋणों में वृद्धि हुई है; और

(घ) इन ऋणों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाए की तुलना में लघु, मझौले और बड़े उद्योगों के बकाया ऋणों की प्रतिशतता नीचे दी गई है—

मार्च, 1992	48.2
मार्च, 1993	49.3
मार्च, 1994	48.3

यह देखा जा सकता है कि प्रतिशतता में केवल नाम मात्र का परिवर्तन है।

(ग) बकाया ऋणों की उद्योग-वारस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बकाया ऋणों की वसूली तब की जाती है, जब वे देय होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक बाध्यता/प्रतिबद्धता, संबंधित बैंको द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली की निगरानी करने के लिए महाप्रबंधक के प्रभार के अधीन प्रधान कार्यालय में एक वसूली कक्ष की स्थापना करना था। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वसूली के शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वसूली के कार्य निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा करेंगे और निदेशक बोर्ड उसकी समीक्षा तिमाही आधार पर करेगा। अनुपयोज्य आस्तियों में कमी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में भी टिप्पणी की जाती है और उसकी निगरानी की जाती है। बेहतर वसूली कार्य निष्पादन की आवश्यकता के बारे में निरीक्षण के निष्कर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबंधन के साथ बैंकों के अधयक्षों के विचार-विमर्श के समय भी जोर दिया जाता है।

विवरण

कुल बैंक ऋणों का उद्योग-वार विनियोजन

(करोड़ रुपए)

की बकाया

उद्योग	मार्च 18, 1994	मार्च 19, 1993	मार्च 20, 1992
1 2	3	4	5
(लघु, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़)	80,492	78,662	65,240
1. कोयला	457	340	246
2. लोहा और स्टील	4,530	5,710	3,692
3. अन्य धातु और धातु उत्पाद	3,202	2,679	2,312
4. सभी इंजीनियरिंग	17,106	17,094	14,842
जिसमें से इलैक्ट्रानिक	2,517	2,327	2,092
5. विद्युत उत्पादन और प्रेषण	1,426	1,404	1,298
6. सूती वस्त्र	4,805	4,645	4,278
7. जूट वस्त्र	409	348	330
8. अन्य वस्त्र	4,937	4,653	3,970
9. चीनी	1,367	1,256	899
10. चाय	917	782	658
11. खाद्य प्रसंस्करण	1,598	1,423	1,241
12. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	1,075	1,017	898
13. तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	623	739	550
14. कागज एवं कागज उत्पाद	1,734	1,595	1,501
15. रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	1,196	1,186	1,077
16. रसायन, रंग, पेंट, आदि	10,027	10,117	8,280
जिसमें से			
(i) उर्वरक	1,533	1,713	1,357
(ii) पेट्रो रसायन	752	945	614
(iii) ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स	1,437	1,309	1,127
17. सीमेंट	1,218	1,103	986
18. चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1,284	1,095	1,086
19. रत्न एवं आभूषण	1,966	1,624	1,300
20. निर्माण	1,669	1,567	1,344
21. पेट्रोलियम	227	436	19
22. साफ्तांस	30	46	68
23. अन्य उद्योग	18,689	17,803	14,365

टिप्पणी : आंकड़े अंतिम हैं और 48 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋणों का लगभग 90-95 प्रतिशत बैठता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा सभी अनुसूचित बैंकों के कुल ऋणों का लगभग 85 बैठता है।

आयात से जुड़ा निर्यात

* 448 **श्री एस.एस. लालजान बाशा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान आयात से जुड़े निर्यात-व्यापार में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). अप्रैल-जनवरी, 1994-95 के लिए निर्यात और आयात के बारे में उपलब्ध नवीनतम अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं कि डालर के हिसाब से कुल वृद्धि दर क्रमश: 17.3% तथा 23.6% थी। तथापि, रत्न तथा आभूषण को छोड़कर, आयात और निर्यात के बीच सीधे सम्पर्क का रुख दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि आयातों में मुख्यत: तेल सहित कच्चा माल, मध्यवर्ती निविष्टियां और पूंजीगत सामान शामिल हैं। इन वस्तुओं के आयात से औद्योगिक उत्पादन समेत समग्र आर्थिक वृद्धि में मदद मिलती है। आम लोगों के खपत के सामान के आयात की अनुमति भी दी जाती है ताकि घरेलू सामान की उपलब्धता बढ़ा कर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।

औद्योगिक एककों की कर छूट

* 449 **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों में 1 अक्टूबर, 1994 को या इसके बाद उत्पादन शुरू करने वाले नए औद्योगिक उपक्रमों को पांच वर्षों तक कर से छूट देने के संबंध में अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन जिलों को पिछड़ा घोषित किया गया है;

(ग) इस अध्ययन दल द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) से (च). अक्टूबर, 1994 में प्रस्तुत की गई अध्ययन दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। रिपोर्ट पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

बाल श्रमिक

* 450 **श्री चित्त बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991 से बाल श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच समाज पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) बाल श्रमिकों के नियोजन को कम करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) और (ख). बाल श्रम संबंधी प्रामाणिक आंकड़े दस वर्षीय जनगणना के दौरान सृजित किये जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। 1987-88 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर में बाल श्रमिकों की संख्या 17.02 मिलियन होने का अनुमान है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम संबंधी आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ). चूंकि सामाजिक आर्थिक कारणों से बालक कार्य करना जारी रखते हैं अत: अनेक कल्याण योजनाएं शुरू की गयी हैं। सरकार की नीति बाल श्रम का क्रमिक रूप से उन्मूलन करने की है। 1987 में बनायी गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत, बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। सहायता अनुदान योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्योन्मुख परियोजनाएं शुरू कर दी गयी हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक उपबंधों के अलावा, बाल श्रम (प्रतिषेधा एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में भी बाल श्रम प्रतिविद्ध किया गया है। जिन क्षेत्रों में बालकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है उनमें उनकी कार्यदशाओं को बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के भाग III के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के प्रवर्त्तन का प्रबोधन किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी बाल श्रम से संबंधित कानूनों का प्रवर्त्तन करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाल श्रम की समस्या से निपटाने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए "बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" नामक एक कार्य योजना स्वीकार की है। संक्षेप में, इसके लिए बाल श्रमिकों की पहचान, और पुनर्वास, बाल श्रमिकों वाले परिवार का आर्थिक पुनर्वास और संगत कानूनों के कड़ाई से प्रवर्त्तन हेतु कारगर ढंग से कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर-पर सेवाओं और योजनाओं के अभिमुखीकरण का आह्वान किया गया है। इस कार्य योजना को अपनाए जाने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

उत्तरी राज्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापार समझौता

* 451 श्री शरद दिघे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारतीय राज्य सहयोग और क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा आयोजित बैठक में उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने क्षेत्रीय सहयोग, जिसमें पल्लव, राजमार्ग और कृषि आधारित उद्योग शामिल हैं, को सुदृढ़ बनाने हेतु यूरोपीय संघ की भांति क्षेत्रीय व्यापार समझौता करने और सामान्य बाजार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या प्रस्तावित समझौते में इस क्षेत्र में जीवन-स्तर को सुधारने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ङ) क्या विगत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषदों ने इस संबंध में संघीय प्रणाली के सक्रिय मंचों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन मंचों को पुन: सक्रिय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पता चला है कि भारतीय उद्योग (सी आई आई) परिसंघ द्वारा आयोजित बैठक में उत्तर भारत की राज्य सरकारें सहयोग तथा क्षेत्रीय विकास (कोनकर्ड) परिषद की स्थापना करने संबंध संकल्पना पर विचार करने पर सहमत हैं ताकि क्षेत्रीय सहयोग को जिसमें पत्तन, राजमार्ग और कृषि पर आधारित उद्योग शामिल हैं, सुदृढ किया जा सके।

कानकर्ड का मुख्य उद्देश्य रोजगार का सृजन तथा स्थायी विकास का संवर्धन करके इस क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के जीवन के स्तर में समान रूप से सुधार करने हेतु सदस्य-राज्यों के प्रयासों को समन्वित करना है। आशा है कि इस प्रकार का सहयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में लाभकारी सिद्ध होगा तथा इससे क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है।

(घ) सी आई आई के अनुसार, कानकर्ड द्वारा प्राप्त समग्र विकास से इन राज्यों के लोगों के जीवन के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होगा क्योंकि इसका उद्देश्य अवस्थापना संबंधी विकास को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन करना तथा स्थायी विकास का संवर्धन करना है।

(ङ) जी, नहीं। पांच क्षेत्रीय परिषदों अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्, पूर्वी-क्षेत्रीय परिषद्, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् का गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था। ये परिषद् सक्रिय निकाय हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में इनकी बैठकें समय-समय पर होती रहती है।

(च) और (छ). प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात-प्रोत्साहन

* 452 **श्री धर्मण्णा मोंडयूमा सादुल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति जैसे कारकों से निर्यात-प्रोत्साहनों से होने वाले लाभ समाप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). कीमतों में वृद्धि प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुप्रभाव डालती है जिसके परिणामस्वरूप भारत के निर्यातों की लाभप्रदता भी प्रभावित होती है।

सरकार का प्रयास है कि निर्यातकों को अपना कच्चा माल, संघटक और अन्य इनपुट कम से कम कीमतों पर प्राप्त करने के योग्य बनाया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आयात शुल्क कम कर दिया है और कुछ श्रेणी के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी है। स्वदेश में ही प्राप्त इनपुट भी कुछ कर राहत पाने के हकदार हैं।

निर्यात-आयात नीति को सुव्यवस्थित बनाकर तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकार ने आयातों/निर्यातों की सौदा लागत कम कर दी है।

रियायती ब्याज दर पर निर्यात ऋण भी उपलब्ध है।

सरकार ने निर्यातकों को धारा 80 एचएचसी और संबंधित धाराओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ भी निर्यातकों को देने जारी रखे हैं।

इन सभी उपायों का उद्देश्य कीमतों में वृद्धि-होने के कारण निर्यात में लाभदायकता में आई कमी को आंशिक रूप से पूरा करना है। फिर भी अन्ततोगत्वा मुद्रास्फीति नियंत्रण आने से ही निर्यात प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बने रहते हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 में निर्यात में डालर के रूप में 18.3% की वृद्धि हुई जो वर्ष 1993-94 में डालर के रूप में हुए निर्यात से 20% अधिक है।

निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

* 453 **श्री काशीराम राणा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं का पता लगाया गया है जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार ने 34 ''अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले उत्पादों'' को विशेष ध्यान दिए जाने के लिए उनकी क्षमता के आधार पर अभिज्ञात किया है जिससे मध्यावधि में मात्रा अथवा मूल्य में प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(ख) ये मदें हैं—जलजीव पालन, कृषि रसायन, आटो संघटक, बाइसिकल तथा पुरजे, सीमेंट, तैयार वाहन, औषधियां एवं भेषजीय पदार्थ, रंजक तथा मध्यवर्ती सामान, विद्युत उत्पादन तथा वितरण उपस्कर, पुष्पोत्पादन, फुटवियर, ताजे फल, स्वर्ण आभूषण, ग्रेनाइट, हाथ के औजार, आंतरिक दहन इंजिन और पुरजे, औद्योगिक कास्टिंग तथा कोजिंग, टमाटर चटनी उत्पाद, तीखे फलों के रस, गूदा तथा सान्द्रण, परिरक्षित खुम्भी, सिलेसिलाए परिधान, चावल, साफ्टवेयर पैकेज, सिस्टम साफ्टवेयर नेटवर्क, कंप्यूटर एडिड डिजायन/कंप्यूटर एडिड मैन्यूफैक्चर, मसाले, चीनी, शीरा, एथील अल्कोहल सहित अल्कोहल, चीनी मशीनरी, सिंथेटिक तथा मानव-निर्मित वस्त्र और टायर।

(ग) इन मदों से संबंधित सिफारिशों की जांच की गई है और कई निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं जिनमें ये शामिल हैं—निर्यात ऋण पर ब्याज दर में कमी, वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु दिशा-निर्देश, गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर भाड़ा केन्द्र खोलना, देश में पैकेजिंग सामग्री के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के वास्ते बैंक गारन्टियों संबंधी क्रियविधियों का सरलीकरण। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल तथा पूंजीगत माल पर, विशेष रूप से ''अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले उत्पादों'' वाली मदों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्कों में कमी की गई है। इनके परिणामस्वरूप, ''अत्यधिक ध्यान'' वाली श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मदों के निर्यात में अमरीकी डालर मूल्य की दृष्टि से 23.31% की वृद्धि हुई बताई गई है जबकि अप्रैल-दिसंबर, 1994 की उस अद्यतन अवधि जिसके लिए अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान समग्र वृद्धि दर 17% रही।

प्रमुख निर्यातक कम्पनियां

* 454 श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में से बीस प्रमुख निर्यातक कंपनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनमें से प्रत्येक कम्पनी ने कितने मूल्य का निर्यात किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने कितने मूल्य का आयात किया; और

(ग) इन निर्यातक कम्पनियों को दिए गए विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). निर्यात/आयात नीति, 1992-97 के पैरा 137 में निर्धारित मानदंड के अनुसार निर्यात निष्पादन के आधार पर मुख्य निर्यातकों को निर्यात घराने, व्यापारिक घराने, स्टार ट्रेडिंग हाउसिज़ और सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसिज़ के रूप में मान्य जाता है।

2. भारतीय निर्यात संगठन के परिसंघ से प्राप्त सूचना के आधार पर इन श्रेणियों में से चोटी के 20 निर्यातकों के नाम तथा उनके द्वारा वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान किए गए वर्ष-वार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

3. इन कंपनियों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए आयातों के मूल्य के आंकड़े संलग्न विवरण-एक पर दिए गए हैं।

4. निर्यातकों की इस प्रकार की श्रेणियों को मिलने वाले विशेष प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-दो पर दिए गए हैं।

विवरण - एक

1991-92

क्रम सं.	निजी कम्पनी का नाम	किया गया निर्यात (करोड़ रुपयों में)	किया गया आयात करोड़ों रुपयां में
1.	मैसर्स टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड का इंजीनियरिंग निर्यात विभाग, टाटा सेंटर, 7वां तल, चौरंगी रोड़, कलकत्ता-700071	440.3451	413.18
2.	मैसर्स टाटा निर्यात लिमिटेड शाह हाऊस, शिवसागर	403.2069	14.77

	एस्टेट, डा.ए.बी.रोड़,		
	वरली, बम्बई-400008		
3.	मैसर्स आई टी सी लिमिटेड	381.4669	31.26
	बर्जिनिया हाऊस 36, चौरंगी		
	कलकत्ता-700071		
4.	मैसर्स इंडियन शुगर और जनरल	366.1882	— शून्य —
	इंडस्ट्रीज एक्स आई एम कारपोरेशन		
	लिमिटेड 21, कम्युनिटी सेंटर,		
	ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065		
5.	मैसर्स अलानासंस लिमिटेड,	207.9617	6.27
	अलाना हाऊस, 4 अलाना रोड,		
	कोलाबा, बम्बई-400039		
6.	मैसर्स सेंचुरी टेक्सटाइलस और	206.4524	9.28
	इंडस्ट्रियल लिमिटेड सेंचुरी भवन		
	डा. एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली		
	बम्बई-400025		
7.	मैसर्स बी. विजय कुमार और कंपनी	204.3480	160.59
	मेहता भावन, 6ठा तल, अल्वलेस बाग		
	के सामने 311, चर्नी रोड,		
	बम्बई-400004		
8.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि.	183.6775	50.80
	हिन्दुस्तान लीवर हाऊस		
	सं. 165/166, बैकबे रिक्लमेशन		
	बम्बई-400020		
9.	मैसर्स जे.वी. गोकल एंड कंपनी	138.7051	शून्य
	कस्तूरी बिल्डिंग, 17/172,		
	जमशेदजी टाटा रोड,		
	बम्बई-400020		
10.	मैसर्स एवरेस्ट जैम्स 1009/9,	150.4312	100.77
	प्रसाद चैम्बर टाटा रोड सं. 2,		
	ओपेरा हाऊस, बम्बई-400004		
11.	मैसर्स सूरज डायमंड (इंडिया)	144.9822	101.89
	लिमिटेड, 151/2/3, सी विंग,		
	मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट		
	बम्बई-400021		
12.	मैसर्स नवभारत इंटरप्राइज लि.	129.3224	7.66
	नवभारत हाऊस, 6-3-654,		

	सोमाजीगुण्डा,		
	हैदराबाद-500001 (ए.पी.)		
13.	मैसर्स टोरंट एक्सपोर्ट लि.	126.7688	40.75
	टोरंट हाऊस, दिनेश हाल के पास		
	आश्रम रोड, अहमदाबाद-38000		
14.	मैसर्स महेन्द्र ब्रदर्स, 601 पंचरत्न,	112.5323	100.77
	6ठा तल एम पी मार्ग,		
	ओपेरा हाऊस, बम्बई-400004		
15.	मैसर्स रत्न एक्सपोर्टस और	107.2438	5.03
	इंडस्ट्रीज लि., 81/12,		
	वैस्टर्न एक्सटेंशन		
	करोलबाग, नई दिल्ली-110007		
16.	मैसर्स रेतीलाल पेचारी लाल	101.1339	81.85
	एण्ड संस, 401/2,		
	प्रसाद चैंबर, रोक्सी सिनेमा के		
	पास, बम्बई-400004		
17.	मैसर्स बिन्डन एक्सपोर्टस लि.	98.7000	43.946
	110, बाबर रोड,		
	होलीडे इन होटल के सामने		
	नई दिल्ली-100001		
18.	मैसर्स बी. अरुण कुमार एंड कं.	98.2348	83.15
	1616, प्रसाद चैम्बर, टाटा रोड		
	सं. 2, ओपरा हाऊस		
	बम्बई-400004		
19.	मैसर्स एम.जे. एक्सफोर्ट्स लि.	93.6992	1.54
	713, जीली मेकर चैम्बर,		
	संख्या 2, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021		
20.	मैसर्स कोट्स वियेला इंडिया लि.	88.4828	16.89
	144 एम जी रोड,		
	बंगलौर-560001		

1992-93

क्रम सं.	निजी कम्पनी का नाम	किया गया निर्यात करोड़ रुपयों में	किया गया आयात करोड़ रुपयों में
1.	मैसर्स आयरन एंड स्टील	634.4698	457.72

	कंपनी लि. इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट विभाग, टाटा सेंटर, 7वां तल, 43, चौरंगी रोड कलकत्ता-700071		
2.	मैसर्स गणपति एक्सपोर्टस लि. 225 डी, लोअर सर्कुलर रोड कलकत्ता-700020	529.4283	21.12
3.	मैसर्स आई टी सी लि. बर्जिनिया हाऊस, 37 चौरंगी, कलकत्ता-700071	514.6941	75.26
4.	मैसर्स टाटा एक्सपोर्ट्स लि. शाह हाऊस, शिक्सागर इस्टेट डा.ए.बी. रोड, वरली बम्बई-400018	507.7915	10.18
5.	मैसर्स एमएसएएम महोम्मद इब्राहिम लेदर प्राइवेट लि. 8-बी, बेवरी हाई रोड, परियागेट, मद्रास-600003	461.0468	0.081
6.	मैसर्स इंडियन शुगर और जनरल इंडस्ट्रीज एक्स इम्प कार्पोरेशन लि., 21, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफॅ कैलाश, नई दिल्ली-110065	326.9867	शून्य
7.	मैसर्स बी. विजय कुमार एंड कं मेहता भवन, 6ठा तल, एलब्लेस बाग के सामने, 311 चर्नी रोड बम्बई-400004	310.4000	263.92
8.	मैसर्स सूरज डायमंड (इंडिया) लि. 151/2/3, सी-विंग, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	237.0776	192.3
9.	मैसर्स अलाना संस लि. अलाना हाऊस, 4, अलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	233.8219	1.53
10.	मैसर्स सेंचुरी टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज लि. सेंचुरी भवन, डा. एनी बेसेंट रोड,	218.8626	6.44

	वरली, बम्बई-400025		
11.	मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लि. हिन्दुस्तान लिवर हाऊस, सं. 165/166, बैंकबे रिक्लमेशन बम्बई-400020	193.7890	97.67
12.	मैसर्स सुयशीश डायमंड लि. 347, पंचरत्न एम पी मार्ग, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	190.1191	162.74
13.	मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विस, एअर इंडिया बिल्डिंग, 11वां तल, नरीमन प्वाइंट बम्बई-400011	175.5000	6.81
14.	मैसर्स एडवानी एक्सपोर्ट लि. 30, एशिया हाऊस, स्वास्तिक चार के समीप रास्ता, नवरंगपुरा अहमदाबाद-380009	156.6554	शून्य
15.	मैसर्स गीतांजलि एक्सपोर्ट कार्पोरेशन 801/802, प्रसाद चैम्बर्स, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	155.9500	96.07
16.	611, पंचतंत्र 6ठा तल, एम पी मार्ग, ओपरा हाऊस बम्बई-400004	139.6510	106.34
17.	मैसर्स ब्यूटीफुल डायमंड्स लि. 101-102-103, मित्तल कोर्ट, 'ए' विंग, 10वां तल, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	134.9522	81.66
18.	मैसर्स एवरेस्ट जैम, 1608/9, प्रसाद चैम्बर्स, टाटा रोड सं. 2, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	133.4002	149.50
19.	मैसर्स रनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. 10तल, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	133.1680	104.40
20.	मैसर्स सीसा, गोआ लि. पी बी सं. 125, एलटिनो, पंजिम, गोआ-403001	122.3544	18.91

1993 – 94

क्रम सं.	निजी कंपनी का नाम	किया गया निर्यात (करोड़ रुपयों में)	किया गया आयात (करोड़ रुपयों में)
1.	मैसर्स टाटा आयरन और स्टील लि., इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट विभाग, टाटा सेंटर, 7वां तल, 43, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700071	713.4925	356.30
2.	मैसर्स आई टी सी लिमिटेड 'वर्जिनिया हाऊस' 37 चौरंगी, कलकत्ता-700071	632.3547	104.54
3.	मैसर्स टाटा एक्सपोर्ट लि., शाह हाऊस, शिवसागर एस्टे., डा. ए.बी. रोड वरली, बम्बई-400018	500.0189	18.42
4.	मैसर्स गणपति एक्सपोर्ट लि., 225 डी, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700020	428.1644	82.90
5.	मैसर्स सूरज डायमंड (इंडिया) लि. 151/2/3, सी. विंग, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	410.0240	321.66
6.	मैसर्स एडवानी एक्सपोर्ट लि. 30, एशिया हाऊस स्वास्तिक चार के समीप रास्ता नवरंगपुर, अहमदाबाद-380009	342.7100	शून्य
7.	मैसर्स बी. विजय कुमार और क. मेहता भवन, 6वां तल, अलब्लेस बाग के सामने, 311, चर्नी रोड, बम्बई-400004	329.6400	241.80
8.	मैसर्स इंडियन शूगर और जनरल इंडस्ट्रीज, एक्स. इमप. कौरपोरेशन लि., 21, कम्युनिटि सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	258.6906	शून्य
9.	मैसर्स सुआशीश डायमंड लि. 347 पन्चरत्न एम पी मार्ग, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	249.6683	115.90
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लि.,	241.3133	184.07

	हिन्दुस्तान लिवर हाऊस सं. 165/166, बैंकबे रिक्लमेशन, बम्बई-400020		
11.	मैसर्स सेंचुरी टैक्सटाइल्स और इंडस्ट्रीज लि., सेंचुरी भवन, डा. ऐनी बेसेंट रोड, वरली, बम्बई-400025	225.4404	19.26
12.	मैसर्स अलाना सन्स लि. अलाना हाऊस, 4 अलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	222.8637	4.38
13.	मैसर्स रनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि. 10वां तल, देविका टॉवर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	219.8127	122.10
14.	मैसर्स एवरेस्ट जैम्स, 1608/9, प्रसाद चैम्बर, टाटा रोड सं.-2, ओपरा हाऊस, बम्बई-400021	190.1053	104.87
15.	मैसर्स ब्यूटीफुल डायमण्ड लि. 101-102-103, मित्तल कोर्ट, 'ए' विंग, 10वां तल, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	190.1053	104.87
16.	मैसर्स महेन्द्र ब्रदर्स, 611-पन्चरत्न, 6वां तल, एम पी मार्ग, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	169.6084	126.28
17.	मैसर्स गीतांजली एक्सपोर्ट्स कोरपोरेशन, 801/802, प्रसाद चैम्बर्स, ओपरा हाऊस, बम्बई-400004	167.2998	117.23
18.	मैसर्स डाइमैक्ओन, 1202, प्रसाद चैम्बर्स, टाटा रोड सं.-2, बम्बई-400004	163.3644	131.80
19.	मैसर्स सीसा गोआ लि. बी बी सं. 125, सिल्टिनो, पन्जिम गोआ-403001	147.6555	23.52
20.	मैसर्स एशियन स्टार कं. लि. 14, मित्तल कोर्ट, 'सी' विंग नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	143.7497	117.89

विवरण – दो

निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन एवं सुपर स्टार व्यापार सदन का दर्जा प्राप्त निर्यातों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

(1) प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के पैरा 217 (क) की शर्तों के अनुसार सामान्य सीमा शुल्क के तहत प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-35 में सूचीबद्ध मदों का आयात विशेष आयात लाइसेंस पर या तो जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य या एन एफ ई अर्जित आधार पर किया जा सकता है।

(2) अपने विशेष आयात लाइसेंसों के मद्दे सरकारी प्रयोग के लिए वैध दर्जा प्रमाणपत्र के मद्दे, पांच वर्षों में एक बार स्टेट्स होल्डर एक्सचेंज अर्निंग फारेन करेंसी (ई ई एस सी) लेखे में से सामान्य सीमा शुल्क पर प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के पैरा 217 (क) (ड) की शर्तों के अध्ययधीन हकदारी के अनुसार कार का आयात भी अनुमति किया जाता है।

(3) मुक्त विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क की रियायती दरों के मद्दे स्वर्ण एवं चांदी का आयात प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के पैरा 217 (क) (घ) के अनुसार किया जा सकता है बशर्ते कि आयातक एफ ई ई एफ सी लेखा धारक हो और ई ई पी सी लेखे में सीमा शुल्क मुक्त विदेशी मुद्रा में अदा किया गया हो।

(4) विदेशों में निर्यात संवर्धनात्मक क्रिया कलापों के विपणन विकास सहायक।

(5) सीमाशुल्क एवं अन्य अभिकरणों के जहाज-पूर्व निरीक्षण से छूट

(6) शुल्क छूट योजना एवं ई पी सी जी योजनाओं के तहत निर्यात हेतु विनिर्माण की जाने वाले मदों के निर्यात के लिए कच्चा माल/पूंजीगत माल के आयात के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी के बदले विधिक घोषणा पत्र जमा करने की सुविधा।

(7) प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 के पैरा 22 ख में दिए गए विवरणानुसार ग्रीन चैनल सुविधा।

बैंक ऋणों की वसूली

* 455 **श्री राम कृपाल यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1995 को तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी बकाया ऋणों की वसूली हेतु एक व्यापक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऋणों की तेजी से वसूली के लिए भारी संख्या में बकाया मामलों के निपटारे हेतु विशेष न्यायाधिकरणों/न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :–

की स्थिति के अनुसार बकाया	राशि (करोड़ रुपए)
मार्च, 1992	77158
मार्च, 1993	81800
मार्च, 1994	92935
मार्च, 1995	106080

(ख) और (ग). जब बकाया ऋण देय हो जाते हैं तब उनकी वसूली करनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एक बाध्यता/प्रतिबद्धता यह है कि बैंकों को अपने प्रधान कार्यालयों में एक महाप्रबंधक के प्रभार में गठित वसूली कक्षों के मार्फत और शाखावार वसूली लक्ष्यों के मार्फत अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली की निगरानी करनी होती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मासिक आधार पर वसूली कार्य की पुनरीक्षा करेंगे और निदेशक मंडल तिमाही आधार पर उसकी समीक्षा करेगा। अनुपयोज्य आस्तियों की कमी पर भारतीय रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्टों में भी टिप्पणी की जाती है और उसकी निगरानी की जाती है। जांच के निष्कर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैंकों के अध्यक्षों के विचार-विमर्श के समय बेहतर वसूली कार्य की आवश्यकता पर भी जोर दे दिया जाता है।

सामान्यतया, वसूली के सभी सम्भव उपायों को कर लेने के पश्चात बैंक वसूली के लिए मुकदमा दायर करते हैं। यह आशा की जाती है कि ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से बैंकों के वसूली कार्य में सुधार होगा।

(घ) और (ङ). बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने अब तक दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, बंगलौर और अहमदाबाद में 5 ऋण वसूली अधिकरणों और बम्बई में एक ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की है।

अमरीका में उद्योगों की स्थापना

* 456 **डा. साक्षीजी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों ने अमरीका में उद्योगों की स्थापना करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अमरीका में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन उद्योगों में कुल कितना पूंजी निवेश किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय कम्पनियों ने यूएसए में व्यापार, सॉफ्टवेयर के विकास, विपणन, परामर्शी और अनुसंधान, तेल/गैस की खोज/उत्पादन और होटलों के विकास

के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां खोलने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं। फिलहाल विचाराधीन 12 प्रस्तावों में प्रस्तावित भारतीय पूंजी निवेश की राशि 354.064 मिलियन अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

* 457 श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आने से प्रतियोगिता का माहौल बना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आने से प्रतियोगिता बढ़ी है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर नए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी तभी मिल सकती है जब बैंकों के तुलन पत्र उपलब्ध हो जाए और जब उनके द्वारा जुटाई गई जमाराशियों और दिए गए अग्रिमों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो।

रबड़ का "बेंच मार्क" मूल्य

* 458 श्री रमेश चेन्निथला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान रबड़ का बेंच मार्क मूल्य किस दर पर निर्धारित किया गया था;

(ख) उस समय रबड़ की उत्पादन-लागत कितनी थी;

(ग) क्या तब से रबड़ की उत्पादन-लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्ष-वार प्रति-हेक्टेयर उत्पादन-लागत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को रबड़ की अधिक उत्पादन-लागत को देखते हुए उसका बेंच मार्क मूल्य बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) सरकार ने, वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा किए गए डेस्क अध्ययन, जिसमें उत्पादन लागत 1698 रुपया प्रति क्विंटल आंकी थी, के आधार पर आर एस ए-4 ग्रेड के लिए दिनांक 22.2.94 को रबड़ की बेंच मार्क कीमत 2490 रुपया प्रति क्विंटल अधिसूचित की थी। उसके बाद कोई लागत अध्ययन नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा यथा अनुमानित प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत निम्नानुसार है :-

वर्ष	उत्पादन लागत रुपए/क्विंटल
1992	1513
1993	1698
1994	अनुमान नहीं लगाया गया है

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को घाटा

* 459 श्री जनार्दन मिश्र :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीयकृत बैंक भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय घाटे में चल रहे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखा परीक्षित लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अलबत्ता, वर्ष 1993-94 के दौरान, 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 12 बैंकों को हानियां हुई थीं। इन बैंकों का नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक आफ महाराष्ट्र
5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. देना बैंक
7. इंडियन बैंक
8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. पंजाब एंड सिंध बैंक
10. सिंडिकेट बैंक
11. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
12. यूको बैंक

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1992-93 में आय के निर्धारण और विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत के परिणामस्वरूप, कुछ बैंकों को अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता के कारण हानियां हुई। इसके अतिरिक्त, अग्रिमों, विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों पर कम आय, मुख्य रूप से निष्क्रिय परिसंपत्तियों के कारण अग्रिमों से होने वाली औसत आय में कमी,

कारोबार की तुलना में अधिक स्थापना/ उपरिव्यय राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को हानियां होने के कतिपय कारण हैं।

[अनुवाद]

एम. एस. शूज लिमिटेड के सार्वजनिक निर्गम

* 460 श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एस. शूज लिमिटेड ने शेयर बाजार में संकट पैदा कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में बरती गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों/प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख). मैसर्स एम एस शूज ईस्ट लिमिटेड का पब्लिक इश्यू जो अभिदान के लिए फरवरी, 1995 में खुला था, असफल हो गया, क्योंकि इश्यू पूर्णत: अभिदत्त नहीं था। इश्यू दो भागों में था, जिसमें 428 करोड़ रुपए के पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेचरों के जीरो कूपन का पब्लिक इश्यू समाविष्ट था, जिसके बाद मौजूदा शेयर होल्डरों को आफॅर किए जाने वाले 271 करोड़ रुपए की राशि के पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेचरों के राइट्स इश्यू जारी किए जाने थे। इस कंपनी के शेयरों में लेनदेन से बंबई स्टाक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) का एक ब्रोकर भी दोषी बना जिसके कारण एक्सचेंज तीन दिन तक बंद रहा।

(ग) से (च). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनी, उसके निदेशकों, मर्चेंट बैंकरों और ब्रोकरों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 63 और 68 (621 के साथ पठित) के अधीन, गलत विवरण और इस महत्वपूर्ण तथ्य की कंपनी के शेयरों का प्रचलित बाजार मूल्य सह-राइट्स मूल्य था जबकि चालू इश्यू के ग्राहक राइट्स इश्यू के हकदार नहीं होंगे, को प्रकट न करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रभावित करने और यह गलत विवरण देने कि बॉय-बैक व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने मैसर्स मोरूबेनी कॉरपोरेशन, जापान के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, के लिए भी कंपनी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मैसर्स सरीन एंड कंपनी, मैसर्स आर. सी. माहेश्वरी एंड कंपनी और मैसर्स यादव एंड कंपनी द्वारा कंपनी के साथ मिलीभगत करके कीमतों को बढ़ाने के संबंध में सेबी द्वारा इन ब्रोकर फर्मों का निरीक्षण किया गया था। सेबी ने बंबई स्टाक एक्सचेंज को भी ब्रोकर-दोष के कारणों की जांच पड़ताल करने और जिम्मेदारी को नियत करने के लिए जन-प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त करने का निदेश दिया है। बंबई स्टाक एक्सचेंज ने समिति का गठन किया है, जिससे ऐसे उपाय सुझाने का अनुरोध भी किया गया है जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित समझे जाएं। सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकरों को भी उचित सतर्कता न बरतने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(छ) 'सेबी' के मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत, पब्लिक इश्यू जारी करने वाली सभी कंपनियों को प्रकटन और निवेशक के संरक्षण से संबंधित 'सेबी' के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने पेशकशी दस्तावेजों को उनके पुनरीक्षण हेतु अपने लीड मैनेजरों के जरिए 'सेबी' के पास प्रस्तुत करना होता है। सेबी (मर्चेंट बैंकर) विनियम का विनियम 23 लीड मर्चेंट बैंकरों पर यह दायित्व डालता है कि वे पुनरीक्षण हेतु दस्तावेजों की यथातथ्यता की जांच करें। विनियमों के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार लीड मैनेजरों द्वारा सेबी को एक उपयुक्त सचेतना प्रमाण पत्र देना भी अपेक्षित है। सेबी, जो केवल पुनरीक्षण करता है लेकिन किसी पब्लिक इश्यू को अनुमोदित नहीं करता, को यह सुनिश्चित करना होता है कि जनता से पूंजी जुटाने का प्रयास करने वाली कंपनी निवेशकों द्वारा जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना को पेशकशी दस्तावेजों में प्रकट करे।

प्रकटन संबंधी विद्यमान अपेक्षाओं को और मजबूत बनाने की दृष्टि से, सेबी ने प्रकटन संबंधी मापदंडों में सुधारों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है।

शिल्प ग्राम परियोजना

4525 श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में करोड़ों रुपए की 'शिल्पग्राम' परियोजना, जिसमें पारम्परिक लोक दस्तकारों तथा शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक गांव की स्थापना किया जाना शामिल है, की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी अन्य स्थान का चयन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थान बदलने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) परम्परागत लोक कारीगरों तथा शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अल्प बचतों में निवेश

4526 **श्री एन. जे. राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अन्य बचतों में निवेश के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च मूल्यांक के प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। न्यासों जैसे कतिपय अपवादों को छोड़कर संस्थाओं द्वारा किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र और डाकघर सावधिक जमा में निवेशों को 1.4.1995 से बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक विमानों का निर्माण

4527 **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या नागर विमानन ओर पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन का विचार वाणिज्यिक विमान संयुक्त रूप से निर्माण करने हेतु अपनी प्रौद्योगिकियों और अन्य संसाधन साझा प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कोरिया गणराज्य, चीन पीपल्स गणराज्य, सिंगापुर और भारत द्वारा संयुक्त रूप से एक मध्यम आकार के यात्री विमान के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए दक्षिण कोरिया की मैसर्स देऊ हेवी इन्डस्ट्री लिमिटेड, के साथ हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने अग्रणी भागीदारी के रूप मे मैसर्स सेमसंग एरोस्पेस के साथ देऊ को बदल दिया। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड सेमसंग और चीन की ऐवीएशन इन्डस्ट्री के साथ सम्पर्क बनाए हुए है, लागतों और लाभों के मूल्यकांन के आधार पर हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की भागीदारी पर निर्णय लिया जाएगा।

विशाखापत्तनम में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा

4528 **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विशाखापत्तनम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बचत

4529 **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घरेलू निगमित और सार्वजनिक बचत का प्रतिशत कितना रहा:

(ख) क्या कुछ श्रेणियों की प्रतिशतता में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सम्बद्ध श्रेणियों में बचत की प्रतिशता में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्थान से उपलब्ध नवीनतम आंकड़े के अनुसार निगमित और सार्वजनिक बचतों का ब्यौरा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में नीचे दिया है:

	1991-92	1992-93	1993-94
निजी निगमित क्षेत्र	3.2	3.0	4.0
सार्वजनिक क्षेत्र	2.1	1.5	0.2
सकल घरेलू बचतें	23.1	20.0	20.2

(ग) बचतों के संवर्धन के लिए मापदंडों का सुधार करना अनिवार्य है जो कि बचतों के व्यवहार पर निर्भर करता है। इसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजीगत बाजार की कार्यकुशलता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल हैं। सार्वजनिक और निजी निगमित बचतों पर अब तक किए गए अनेकों आर्थिक सुधार उपायों से अनुकूल प्रभाव की संभावना की गई है।

आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

4530 **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक अखिल भारतीय वित्तीय तथा निवेश संस्थानों द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को कितनी सहायता राशि स्वीकृत तथा वितरित की गई?

वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : वर्ष 1992-93 और 1993-94 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान आन्ध्रप्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपए)

	मंजूर	संवितरित
1992-93	501	438
1993-94	502	391

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण

4531 **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक राज्यवार कुल कितना ऋण दिया है,

(ख) इसकी स्थापना से आज तक बैंक द्वारा राज्यवार कुल कितनी राशि अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाली गई है, और

(ग) अप्रैल, 1995 को बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी कितनी थी और आज तक राज्यवार और क्षेत्रवार कुल बकाया ऋण कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

4532 **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है,

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है,

(घ) क्या उक्त कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

किसानों को ऋण

4533 **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंकवार कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंकवार कितनी धनराशि जमा की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में बैंकवार किसानों को कितनी धनराशि मंजूर की गई और वितरित की गई;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस प्रकार के ऋण मंजूर करने हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(च) उक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी धनराशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या नीचे दी गई है:-

बैंक	शाखाओं की संख्या
इलाहाबाद बैंक	591
आन्ध्रा बैंक	9
बैंक आफ बड़ौदा	478
बैंक आफ इंडिया	203
बैंक आफ महाराष्ट्र	9
केनरा बैंक	180
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	411
कार्पोरेशन बैंक	8
देना बैंक	34
इंडियन बैंक	31
इंडियन ओवरसीज बैंक	64
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	158
पंजाब नैशनल बैंक	834
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	116
सिंडीकेट बैंक	195
युनियन बैंक आफ इंडिया	394
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	41
यूको बैंक	119
विजया बैंक	30

(ख) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एयर इंडिया का कारोबार

4534 **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया द्वारा बंगलोर, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, कालीकट और त्रिवेन्द्रम में कुल कितना कारोबार किया गया;

(ख) इन स्थानों पर एयर इंडिया किन-किन विदेशी एयर लाइन्स के लिए हैंडलिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और एयर इंडिया द्वारा इनके लिए कितना व्यवसाय प्रदान किया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी एअरलाइन्स के हैंडलिंग कार्य से एयर इंडिया द्वारा कितनी आय आर्जित की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). 1993-94 के दौरान इन स्टेशनों पर एयर इंडिया के अनुसूचित प्रचालनों से प्राप्त कुल राजस्व निम्नवत था :—

1.	बंगलौर	21.27 करोड़ रु.
2.	मद्रास	61.18 करोड़ रु.
3.	अहमदाबाद	7.14 करोड़ रु.
4.	हैदराबाद (विशाखापत्तनम सहित)	19.98 करोड़ रु.
5.	कालीकट	22.15 करोड़ रु.
6.	त्रिवेन्द्रम	74.59 करोड़ रु.

उपर्युक्त में से एयर इंडिया मद्रास हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस, अलितालिया, ब्रिटिश एयरवेज, गल्फ एयर, कोरियन एयरवेज, मलेशियन एयरवेज, सऊदिया, सिंगापुर एयरलाइन्स और लुफ्थांसा के लिए और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर गल्फ एयर के लिए हैंडलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अन्य हवाई अड्डों पर विदेशी एयरलाइनें प्रचालन नहीं करती। 1993-94 के दौरन मद्रास पर हैंडलिंग प्रचालनों से एयर इंडिया का राजस्व 18.25 करोड़ रुपए था जबकि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यह 3.11 करोड़ रुपए था।

(ग) विदेशी एयरलाइनों के लिए हैंडलिंग प्रचालनों से एयर इंडिया का राजस्व निम्नवत था :-

वित्तीय वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1992-93	122.92
1993-94	160.24
1994-95	156.55 (अनुमानित)

बीमा पालिसियों पर किस्तें निर्धारित करना

4535 **श्री प्रकाश वी पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा पालिसी पर किस्तों को निर्धारित करने के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या पालिसी की प्रत्येक किस्त में ये सभी बातें शामिल होती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि प्रीमियम की दरों को निर्धारित करने के लिए मृत्यु दर, ब्याज और व्ययों जैसे तत्वों के आधार पर बनाई जाती है।

हड़ताल और तालाबंदी

4536 **श्री विजय एन. पाटील** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हड़तालों और तालाबंदी के कारण कितने श्रम दिवसों की राज्यवार क्षति हुई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान श्रमिक असंतोष को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति पर कड़ी और सतत् नजर रखती रही है। औद्योगिक संबंध तंत्र, केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर, मध्यस्थता, संराधन, विवाचन और न्याय-निर्णयन के माध्यम से विवादों को निपटाने और काम बंदियों को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। हड़तालों और तालाबंदियों के नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या 1992 में 3126 मिलियन से कम होकर 1994 में 15.59 मिलियन रह गई है। नियोजकों और कर्मकारों के संगठनों के साथ नियमित परामर्श तथा त्रिपक्षीय विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों में 1992-94 (अंतिम) के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस (हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992	1993	1994
आन्ध्र प्रदेश	2548	2002	2147
बिहार	495	463	344
दिल्ली	95	54	8
गोवा, दमन और दीव	26	9	20
गुजरात	443	713	596
हरियाणा	1106	460	218
कर्नाटक	135	358	386
केरल	584	1844	1533

मध्य प्रदेश	39	153	316
महाराष्ट्र	3245	2771	1863
उड़ीसा	282	100	53
पांडिचेरी	6	0	0
पंजाब	231	301	250
राजस्थान	899	302	473
तमिलनाडु	2868	2387	1415
उत्तर प्रदेश	859	836	403
पश्चिम बंगाल	17666	7252	5463
अन्य	233	298	101
कुल	31259	20301	15589

0 = शून्य अथवा 500 से कम

आंकड़ों को पूर्णांकों में बदलने के कारण आवश्यक नहीं है कि जोड़ मेल खाए। स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला।

मॉरीशस के साथ व्यापार

4537 श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-मॉरीशस व्यापार को बढ़ाने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों के बीच व्यापार के विस्तार के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस देश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां। सरकार मारीशस के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।

(ख) भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार के विस्तार के लिए अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में सूती यार्न, फैब्रिक्स मेड-अप्स, समुद्री उत्पाद, प्रसाधन वस्तुएं/सौन्दर्य सामग्री, भेषज, रसायन, प्लास्टिक, मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स, चमड़ा और उसके उत्पाद, घरेलू औजार, परिवहन उपकरण, मांस और उससे बनी वस्तुएं, खाने के पदार्थ (चावल और तेल खाद्य सहित) इत्यादि शामिल हैं।

(ग) उठाए गए कदमों में शामिल हैं :-

(1) उद्योग और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान।

(2) विशिष्ट भारतीय प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन।

(3) बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी स्तर की आवधिक द्विपक्षीय विचारविमर्श करना।

(4) भारतीय और मॉरीशस की कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यमों के वित्त-पोषण के लिए 20 करोड़ रु. के आवर्ती कोष का गठन।

(5) 3.2 मिलियन अमरीकन डालर के सरकार से सरकार को ऋण, परिवहन वाहनों तथा सिंचाई उपकरण प्रत्येक के लिए 1.6 मिलियन मूल्य के दो ऋण दिए गए हैं ताकि मॉरीशस भारत से पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सके।

(6) व्यापार और वाणिज्य सूचना के प्रसार के लिए उच्चायोग, पोर्ट लुइस के परिसर में एक व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई है।

(7) पी.टी.ए. बैंक, अफ्रीका को 6 मिलियन अमरीकन डालर का एक्सिम बैंक ऋण दिय गया है। पी.टी.ए. बैंक का एक सदस्य होने के कारण मॉरीशस भारत से पूंजीगत वस्तुएं मंगाने में उस राशि का उपयोग कर सकता है।

रबड़ की खेती के लिए राज सहायता

4538 श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 के दौरान रबड़ का पौधा लगाने पुनः/ पौधा लगाने के लिए कितनी राज सहायता स्वीकृत की गई;

(ख) क्या केरल और तमिलनाडु के रबड़ की खेती करने वालों को भी ये लाभ मिलते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) रबड़ बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान रबड़ रोपण विकास योजना के तहत इमदाद के रूप में 12.50 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) और (ग). जी हां। 8000/- रु. प्रति हेक्टे. की इमदाद दर दोनों राज्यों में समान रूप से लागू है।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त (ख) तथा (ग). के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4539 श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनके वर्तमान ऋण जमा अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, विशेष रूप से गुड़गांव ग्रामीण बैंक की गुड़गांव शाखा में काउंटरों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) हरियाणा राज्य में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं। 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, उनके नाम मुख्यालय और ऋण जमा अनुपात, नीचे दिया गया है :—

क्रम सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	मुख्यालय	ऋण जमा अनुपात
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भिवानी	47
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	गुड़गांव	58
3.	हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हिसार	61
4.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	अम्बाला सिटी	45

(ख) और (ग). हरियाणा राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विभिन्न शाखाओं पर रोकड़ काउंटरों की संख्या उनके द्वारा संचालित रोकड़ की सामान्य औसत दैनिक लेन-देनों के लिए व्याप्ति माना गया है। गुड़गांव ग्रामीण बैंक की गुड़गांव शाखा का दैनिक औसत लेन-देन लगभग 10 लाख रुपए है। फिलहाल एक रोकड़ काउंटर, कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित कर सकता है और शाखा पर अतिरिक्त काउंटर के लिए व्यवस्था करना फिलहाल बैंक द्वारा आवश्यक नहीं माना गया है।

बाल श्रमिक

4540 श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ण रूप से बाल श्रमिकों के लिए कुछ विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बाल श्रमिकों के माता-पिता को उनकी आमदनी में आई कमी की क्षतिपूर्ति करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). 1987 में बनाई गई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति-श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत, बच्चों को कार्य क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है और विशेष स्कूलों में भेज दिया जाता है जिनमें उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि उन्हें कक्षा VI से आगे नियमित स्कूलों में जाने में समर्थ बनाया जा सके। इन बच्चों को वजीफे, पोषणहार और स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेष स्कूलों की स्थापना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यकलाप हैं।

(ग) और (घ) कार्य क्षेत्र से हटाए गए बालकों के माता-पिता के आय स्तरों में सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं शामिल है। प्रस्तावित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजानाओं का उचित अभिमुखीकरण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकारण" नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

विदेशी ऋण

5441 श्री जे. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की पूंजी को पुनर्गठित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी संरचना के विकास में कितने वास्तविक विदेशी ऋण का नुकसान हुआ;

(ग) क्या विदेशी ऋण से ऐसा विकास संभव है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 700 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है। ऋण करार पर 24.3.95 को हस्ताक्षर किए गए और 27.3.95 से लागू किया गया। इसमें से 350 मिलियन अमरीकी डालर पूंजी पुनर्संरचना संघटक के लिए है अर्थात छः राष्ट्रीयकृत बैंकों को टायर-एक पूंजीगत योगदान देने के लिए सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए है जिससे कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त कर सकें।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चेक-आफ सुविधा

4542 डॉ. पी. बालाल पेरुमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने अन्तर्गत कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघों को चेक-आफ सुविधा की अनुमति दे दी है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन बैंकों में यह सुविधा नहीं है तथा इनके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कर्मचारियों की ऐसी यूनियनों/संघों को विशिष्ट मांग पर चैक-आफ की सुविधा की अनुमति दी है जो ट्रेड यूनियन

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैंक कर्मचारी कल्याण संघ, जो यद्यपि ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, अपने संबंधित बैंकों से इसी प्रकार की चैक-आफ सुविधा की मांग करता रहा है। यद्यपि सरकारी क्षेत्र में कुछ बैंकों ने सद्भावना प्रदर्शन के रूप में ऐसे कुछ कल्याण संघों को अपने बैंक में इस सुविधा की अनुमति दी है जबकि अन्य बैंकों ने यह सुविधा इस आधार पर नहीं दी कि वे इस के पात्र नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, आंध्र बैंक और स्टेट बैंक आफ मैसूर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को चैक-आफ सुविधा प्रदान की है।

किसानों की ऋण आवश्यकताएं

4543 श्री नुरुल इस्लाम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की कुल क्षमता के दोहन के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज के लिए अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में आदानों के अधिक उपयोग हेतु किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी आकलन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). योजना आयोग के कार्य दल ने आठवीं योजना अवधि के दौरान, कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण का पूर्वानुमान लगाया था, जो निम्नानुसार है:—

वर्ष	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
1992-93	7,619	7,369	14,988
1993-94	8,898	8,650	17,548
1994-95	10,534	10,143	20,677
1995-96	12,457	11,665	24,122
1996-97	15,041	13,414	28,455

कृषकों की उत्पादन ऋण की आवश्यकता वित्त की मात्र के आधार पर मंजूर की जाती है। फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्रा, स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त की इस मात्रा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी होती है और इसे कीमतों में परिवर्तन, निविष्टियों के स्तर, खेती की कुल लागत, कुल उपज, वापसी अदायगी की क्षमता आदि के आधार पर पुन: नियत किया जाता है।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋणों का कम से कम 18 प्रतिशत कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में विशिष्ट और महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से बैंकों से विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन पर वे सुविधापूर्वक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तथा उनसे तदनुसार अपनी कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादन के वास्ते समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए जो किसान कतिपय मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें उनकी निश्चित ऋण आवश्यकता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध है जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तथा उनकी भी दी जाती है जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन जो फसल उगाने के साथ डेरी, कुक्कुट पालन आदि या अन्य कृषि तर कार्य जैस संबद्ध कार्य करते हैं और जिनका बैंक/जमाकर्त्ता खाते का संतोषजनक रिकार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि ये मछली-पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलाजी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के कार्यों का वित्तपोषण करें।

महाराष्ट्र में ऋण राहत योजना

4544 श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान ऋण राहत योजना से कितने किसान और ग्रामीण दस्तकार लाभान्वित हुए;

(ख) महाराष्ट्र को इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 1994 से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 एक मुश्त उपाय के रूप में थी और कोई वर्षवार आबंटन नहीं किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में 600888 किसानों और 68017 ग्रामीण कारीगरों को एआरडीआरयोजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण राहत प्रदान की गई है। इसी प्रकार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महाराष्ट्र में 20, 39, 332 हिताधिकारियों को ऋण राहत प्रदान की है जिनमें किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर और बुनकर शामिल हैं।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)ने सूचित किया है कि नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत महाराष्ट्र में बैंकों के दावों को पूरी तरह से निपटा दिया गया है। नाबार्ड ने 464.499 करोड़ रुपए की राशि अनुदान और ऋण के रूप में राज्य सहकारी संस्थानों को जारी की

है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में या ऋण के रूप में किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान अब महाराष्ट्र सरकार को नहीं किया जाना है।

एयर ट्रैफिक का अनुमान

4545 श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पांच वर्षों के लिए विभिन्न मार्गों पर चलने वाले संभावित एयर ट्रैफिक का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1995-96 और उसके बाद मार्ग वार एयर ट्रैफिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग)भारत से विदेशों के लिए और विदेशों से भारत के लिए कितना एयर ट्रैफिक होने का अनुमान है और उसका लाभ उठाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). उपलब्ध प्रक्षेपों के अनुसार अंतर्देशीय यातायात 12.5% वार्षिक दर से तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात 6 से 7% की वार्षिक दर से बढ़ने की सम्भावना है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स निकट भविष्य में प्रचालन संबंधी कर्मीदल की कमी का सामना करके उपलब्ध क्षमता की उपयोगिता बढ़ाने की तथा कुछ वर्षों में अपने विमान बेड़े को बढ़ाने/इसका नवीनीकरण करने की योजना बना रही है।

एयर इंडिया ने दो बोइंग 747-400 विमानों के लिए आदेश दे दिया है जिनक 1996 में आने की संभावना है। आगामी वर्षों में क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से मध्यम क्षमता लम्बी दूरी वाले विमानों का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जा चुका है। आवश्यकतानुसार दोनों विमानकम्पनियों द्वारा कर्मीदल सहित विमानपट्टे पर लेकर ब्रिज क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

दिल्ली में बेरोजगार

4546 श्री केशरी लाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1990 से दिल्ली में रोजगार केंद्र में पंजीकृत बी.एड. अभ्यार्थियों की वर्ष-वार क्या संख्या है;

(ख) इनमें से कितने अभ्यार्थियों को उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार शिक्षक के पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया गया;

(ग) क्या इनमें से 1990 में दर्ज किए गए काफी ज्यादा संख्या में अभ्यार्थियों को कोई बुलावा पत्र (ब्सस स्लजजमत) अब तक नहीं भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो इनकी क्या संख्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1990 से दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षा स्नातकों (बी.एड) की संख्या निम्नलिखित थी :—

वर्ष	पीजीटी	टीजीटी	कुल
1990	7891	10579	18470
1991	1287	4633	5920
1992	2321	7374	8695
1993	2067	6768	8835
1994	5146	10229	15375
1995	1017	1734	2751

(1.1.1995 - 31.3.1995)

(ख) 1990 से साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

वर्ष	पीजीटी	टीजीटी	कुल
1990	869	2465	3334
1991	95	391	486
1992	673	1297	1970
1993	1896	2519	4415
1994	1806	3172	4978
1995	362	621	983

(1.1.1995 - 31.3.1995)

(ग) और (घ). जी हां, वर्ष 1990 में पंजीकृत लगभग 17,759 अभ्यार्थियों को प्रायोजित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रायोजकता हेतु उनकी वरिष्ठता परिपूर्ण नहीं हुई थी।

(ङ) रोजगार कार्यालय अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 के तहत आने वाले नियोक्ताओं को, रोजगार कार्यालयों में रिक्तियां पंजीकृत करने से पूर्व, इनकों अधिसूचित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि रोजगार चाहने वालों की सहायता हेतु, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अधिक पंजीकरण किया जा सके।

एम.एम.टी.सी. द्वारा स्वर्णभूषणों का निर्माण

4547 श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एम.टी.सी. ने बड़े पैमाने पर स्वर्णभूषण निर्माण उद्योग में प्रवेश करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ते में इसकी कोई शृंखला तैयार की जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनसे एम. एम. टी. सी. प्रौद्योगिक सहायता लेने पर विचार कर रहा है और उसकी क्या शर्तें हैं;

(च) अपने आभूषणों के लिए निर्यात बाजारों की खोज के लिए एम. एम.टी.सी. ने अब तक क्या कार्यपद्धति अपना रखी है और क्या वह देश में वर्तमान स्वर्ण मांग की प्रवृत्तियों को पूरा कर पाएगा; और

(छ) इस परियोजना में कितना अनुमानित पूंजी परिव्यय निहित है और इसके लिए धन की उगाही कैसे की जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) एम.एम.टी.सी. अपनी सहयोगी कम्पनियों के जरिए आभूषण के निर्यात के अलावा, निर्यात बढ़ाने के लिए संभावित विदेशी बाजारों में प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है। एम.एम.टी.सी. सोने का आयात करने और निर्यातकों को उनकी आपूर्ति करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वाहनों के लिए पार्किंग स्थल

4548 **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रगति मैदान में प्रदर्शनियों के आयोजन के दौरान वाहनों को खड़ा करने की समस्या का समाधान करने के प्रयोजन से भारत व्यापार संवर्धन संगठन के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भवन कब तक विनिर्मित कर दिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). भारत व्यापार संवर्धन संगठन (इटपो) ने तीन स्तरों अर्थात तहखाने भूतल एवं भूतल की छत में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्तावित पार्किंग काम्पलेक्स में जन सुविधाएं छतरियां, सार्वजनिक टेलीफोन आदि के अलावा सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा भूतल कार पार्किंग काम्पलेक्स के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी होंगी। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पटसन उद्योग

4549 **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चटकाल मजदूर यूनियनों के महासंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत मांगों की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी.वेंकटस्वामी) : (क) से (ग). चटकाल मजदूर यूनियन के संघ ने 16 मांगों वाला एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया है। मांगें पटसन उद्योग तथा व्यापार, सरकारी एजेंसियों की भूमिका, सिंथेटिक क्षेत्र से प्रतियोगिता, बकाया देयताएं, श्रम मुद्दे, मिलों का आधुनिकीकरण आदि से संबंधित हैं। इन मुद्दों पर सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रस्तावित समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने की नीति

4550 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने हेतु वर्तमान आर्थिक नीति को अधिक पारदर्शी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को अधिक रियायत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). औद्योगिक नीति और विदेशी निवेश नीति उपायों सहित 1991 के मध्य में शुरू किए गए आर्थिक सुधार पैकेज नीति में और अधिक पारदर्शिता लाने और प्रक्रियाओं में स्वचालता लाने की ओर प्रवर्तित थे।

(ग) और (घ). सुधार, विभिन्न राजकोषीय और टेरिफ उपायों, व्यापार और उद्योग का लाइसेंस समाप्त करने और वित्तीय और सरकारी क्षेत्र में उदारीकरण के माध्यम से घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए निवेश-वातावरण के विकास को प्रोत्साहन देने और उसे सुधारने की एक जारी रहने वाली और सतत प्रक्रिया है।

कृषि मजदूर

4551 डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में कृषि मजदूर अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

4552 डॉ. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री रामपाल सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री थाहल जान :

श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार कुल कितनी मात्र में समुद्री उत्पाद निर्यात किए गए तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई; और

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने क विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). चालू वर्ष के दौरान समुद्री उत्पाद के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निध रित नहीं किया गया है। तथापि, यह अनुमान है कि 1250 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का 3,00000 टन मात्र का निर्यात हो सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रमुख देशों/बाजारों में निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की कुल मात्र एवं उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मात्रा – मीट्रिक टन में

मूल्य – अमेरिकी मिलियन डालर में

बाजार	1992-93	1993-94	1994-95
जापान	मात्रा 41240	44985	56640
	मूल्य 279.06	378.04	542.60
यूएस.ए	मात्रा 20141	26152	32790
	मूल्य 66.29	97.62	135.65
प. यूरोप	मात्र 67582	71850	76500
	मूल्या 178.01	205.72	250.43
द.पू. एशिया	मात्रा 62410	78469	87430
	मूल्य 63.36	82.99	98.84
अन्य	मात्रा 17652	22504	19883
	मूल्य 28.74	33.88	15.93
कुल	मात्रा 209025	243960	273243
	मूल्य 615.46	798.25	1043.45

(घ) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एम्पीडा द्वारा उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कदम हैं:—

(1) झींगा अंडज उत्पत्तिशालाओं की स्थापना तथा धारा एवं मत्स्य बीजों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने, झींगा पालन के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने और कल्चर फिशरीज के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सहायता प्रदान करना।

(2) मछली पकड़ने के मामले में एम्पीडा द्वार मत्स्य क्रियाकलापों के विविधीकरण मशीनीकृत नोकाओं में सुधार एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर डीजल प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाती है। एम्पीडा मत्स्य पालन एवं मछली पकड़ने के क्षेत्र में स्थापित की गई परियोजनाओं में इक्यूटी की भागीदारी भी कर सकता है।

(3) नई इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण प्राप्त करने जल्दी ठंडा करने वाली अलग-अलग मशीनें, जेनरेटर सेट प्राप्त करने के लिए अथवा मौजूदा इकाइयों कें प्रौद्योगिकी उन्नपद के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(4) एम्पीडा की मदद विदेशी शिष्टमंडलों को प्रायोजित करने, व्यापार मेलों में भागीदारी तथा प्रमुख बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने के लिए भी उपलब्धा रहती है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं का पूर्व मूल्यांकन

4553 श्री लाल बाबू राय :

श्री छेदी पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं पर बिहार की परियोजनाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु दबाव डाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 31 मार्च, 1995 तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) ने सूचित किया है कि औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान करने का निर्णय परियोजना की आर्थिक, वाणिज्यिक, वित्तीय अर्थक्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता पर आधारित होता है। परियोजना के स्थान का मूल्यांकन उसी उपयुक्तता के दृष्टिकोण से किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष ऋण पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 के दौरान बिहार राज्य के संबंध में प्राप्त, अस्वीकृत और अस्वीकृति आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	बन्द किए गए/ वापस लिए गए/ अस्वीकृत किए गए आवेदन
1993-94	32	28	1
1994-95	27	18	2

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार में परियोजना के अर्थक्षमता मानदण्डों और अन्य मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन परियोजना की लागत 5 करोड़ रुपए से कम होने पर भी सावधि ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

4554 **मेजर डी.डी. खनोरिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की है। लेकिन हथकरघा क्षेत्र में राशि का आवंटन राज्यवार नहीं अपितु योजनावार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केंद्र सरकार ने स्वान योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में 64.31 लाख रुपए, 1993-94 में 102.32 लाख रुपए और 1994-95 में 122.58 लाख रुपए तथा मेगा क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत 1992-93 के दौरान 24.43 लाख रुपए, 1993-94 के दौरान 16.16 लाख रुपए और 1994-95 के दौरान 43.31 लाख रुपए की राशि जारी की। उपरोक्त अवधि के दौरान जारी की गई राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	1	3	4	5
1.	प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति को अंशपूंजी सहायता	राज्य सरकारों को स्थानांतरित		
2.	करघों की खरीद/आधुनिकीकरण के लिए सहायता	-	तदेव	-
3.	करघों से पूर्व व उपरांत संसाधन सहायता सुविधा	-	तदेव	-
4.	निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	2.20	2.27	2.44
5.	अनुसंधान एवं विकास	-	-	-
6.	प्रोजेक्ट पैकेज योजना	43.66	57.05	25.16
7.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	5.00	-	12.00
8.	राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक	-	-	-

1	2	3	4	5
9.	कल्याण पैकेज योजना			
	(क) ग्रिफ्ट फंड योजना	-	-	-
	(ख) स्वास्थ्य पैकेज योजना	-	-	0.63
	(ग) समूह बीमा योजना	-	-	-
10.	कार्यशाला-सह-आवास योजना	11.20	28.00	29.49
11.	हथकरघा विकास केंद्र योजना	-	2.00	30.36
12.	प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना हेतु अनुदान	-	-	-
13.	भा. ह. प्रो. सं. की स्थापना हेतु अनुदान	-	-	-
14.	राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह कार्यक्रम	2.25	13.00	22.50
	कुल प्लान	64.31	102.32	122.58
	गैर प्लान			
1.	विपणन विकास सहायता/ विशेष छूट	24.43	16.16	43.31
2.	जनता कपड़ा	-	-	-
3.	हैंक यार्न अनुदान	-	-	-
	कुल गैर प्लान	24.43	16.16	43.31
	कुल योग:प्लान और गैर प्लान	88.74	118.48	165.89

बीड़ी मजदूर

4555 **श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवारों को आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए कल्याणकारी उपायों को शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू किए गए कार्यक्रमों एवं आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(ग) कर्नाटक में लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीड़ी मजदूरों के लिए शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या और किएगए व्यय को दर्शाने वाला विवरण।

योजना का नाम	अखिल भारत		कर्नाटक	
	लाभानुभोगी	व्यय (रु. लाखों में)	लाभानुभोगी	व्यय (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5
शिक्षा (किताबों, स्लेटों, ड्रेस केलिए वृत्तिका और वित्तीय सहायता)				
1992-93	76580	179.31	8281	22.54

1	2	3	4	5
1993-94	119904	389.00	18929	66.11
1994-95	198468	663.84	27752	97.02
(जन./फर., 1995 तक)				
स्वास्थ्य				
1992-93	2522578	682	435204	20.09
1993-94	2602584	818	447866	19.77
1994-95	2411045	1023	438418	23.80
(जन./फर., 1995 तक)				

आवास

(क) अपना घर स्वयं बनाओ योजना

वर्ष	अखिल भारत		कर्नाटक	
	मंजूर किए गए मकानों की संख्या	आर्थिक सहायाता राशि+ऋण (रु. लाखों में)	मंजूर किए गए मकानों की संख्या	आर्थिक सहायाता राशि+ऋण (रु. लाखों में)
1992-93	554	19.82	-	-
1993-94	1202	38.16	-	-
1994-95	866	68.56	5	0.10
(आंकलित)				

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

वर्ष	अखिल भारत			कर्नाटक	
	मंजूर किए गए मकानों की सं.	निर्मित किए गए मकानों की सं.	निर्गत की गई आर्थिक सहायता राशि	शामिल किए गए मजदूरों की सं.	निर्गत धन राशि (रु. लाखों में)
1992-93	3507	4137	236.43	400	23.20
1993-94	6261	4659	270.13	1306	69.00
1994-95	10180	6719	530.13	-	-

समूह बीमा योजना

लाभानुभोगियों की संख्या

वर्ष	अखिल भारत	कर्नाटक
1992-93	10,41,822	3,609
1993-94	10,41,822	6,123
1994-95	10,57,048	8,544

[हिन्दी]

तस्करी रोकना

4556 श्री सत्यदेव सिंह:

श्री अमरपाल सिंह

श्री रामपाल सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूप के बीच तस्करी और स्वापक औषधियों को रोकने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस तिथि से लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारत गणराज्य तथा रूस संघ के बीच स्वापक औषधों तथा मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग देने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) समझौते में सूचनाओं के आदान प्रदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय औषध गिरोह सिंडिकेट की आपराधिक कार्रवाई का पता लगाने, समाप्त करने तथा दूर करने के उत्तरदायित्व उपायों का प्रावधान हैं।

(ग) समझौता 28 जनवरी, 1993 से प्रभावी है।

गायों की तस्करी

4557 श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतर से प्रतिवर्ष हजारों गायों को वध करने हेतु पाकिस्तान तथा बंगला देश में तस्करी किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गायों की तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार को पाकिस्तान और बंगला देश को गायों की तस्करी सहित पशुओं की तस्करी करने के कुछेक प्रयासों की जानकारी है। गायों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं। तस्करी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में तस्करी रोधी कार्यालयों को सुदृढ़ करना, सीमा पर बाढ़ लगाना, गश्त बढ़ाना और हाथ से पकड़ी जाने वाली सर्चलाइटों, रात को काम आने वाली दूरबीनों आदि जैसे उपस्करों का प्रयोग करना शामिल है।

पटसन आधुनिकीकरण कोष

4558 श्री शरत पटनायक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन आधुनिकीकरण कोष की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पटसन आधुनिकीकरण निधि योजना (जे. एम. एफ.ए.) वस्त्र मंत्रालय के परामर्श से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा 1.11.1986 से आरंभ की गई थी। इसकी नोडिए एजेंसी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. .सी. आई.) है। इसकी जमा पूंजी 150 करोड़ रु. है और यह पात्र उद्यमों को उनके संयंत्र तथा मशीनरी का आवश्यकता आधारित आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करता है। जे. एम. एफ. एस. के अंतर्गत प्रमोटर के कुल अंशदान के 80 प्रश. तक विशेष ऋण की स्वीकृति का प्रावधान रखा गया है तथा इस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रियायती ब्याज होगा जो कि 12 वर्षे की अवधि में पुनर्भुगतान किया जाना है जिसमें 6 वर्षों के लिए ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगताना दोनों पर आरंभिक ऋण स्थगन शामिल है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नए एकक

4559 श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात राज्य तथा देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के और एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक घोटाले

4560 श्री राम टहल चौधारी:

श्री खेलन राम जांगडे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने और किस तरह के बैंक घोटाले हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बैंक घोटालों की इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के निर्देश देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उनका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). वर्ष 1993 और 1994 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित की गई धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्य निम्नलिखित है:—

वर्ष	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रु. में)
1993	2213	32032.43
1994	2266	20007.88 +
	यूगांडा की सिलिंग	9844000

(आंकड़े अनन्तिम)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वार सूचित किए गए धोखाधड़ी के मामलो की प्रवृत्ति का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है:—

(i) बैंक संघटकों द्वारा दी गई नगदी का दुरुपयोग तथा विप्रेषित नगदी का दुरुपयोग।

(ii) जाली लिखतों के जरिए जमा खातों से आहरण।

(iii) जाली/कल्पित नामों से खाते खोलकर परक्राम्य लिखतों का कपटपूर्ण भुनाई।

(iv) खातों में हेर-फेर के जरिए दुरुपयोग।

(v) समाशोधन के जरिए धोखाधड़ी के कार्य।

(vi) प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरुपयोग।

(vii) उचित प्राधिकार के बिना शाख पत्र; बैंक गारंटी और लिखित खोलना/जारी करना।

(viii) विदेशी मुद्रा लेन-देन में धोखाधड़ि।

धोखाधड़ि रोकने की प्रारंभिक जिम्मेदारी बैंक की है। जब कभी किसी बैंक द्वार धोखाधड़ि का पता लगाया जाता है या उसकी जानकारी में लाया जाता है तो बैंक द्वारा प्राथमिक जांच कराई जाती है जिसके आधार पर पूरी विभागीय जांच करने या स्थानीय पुलिस या केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामला सौंपने क निर्णय लिया जाता है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ि के मामलों की समीक्षा करना, भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष स्थापित करना, परिचालनात्मक कार्य करने वाले कर्मिकों को उचित प्रशिक्षण देना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

मुख्य उड़ान प्रशिक्षकों की कमी

4561 **डॉ. के. वी. आर. चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य देश में उड़ान विद्यालयों में मुख्य उड़न प्रशिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में चल रहे उड़ान प्रशिक्षणों क्लबों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये क्लब उड़ान प्रशिक्षुओं को समुचित प्रशिक्षण दे पाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) हवाई परिवहन के क्षेत्र में उदारीकरण होने और गैर-सरकारी विमान कम्पनियों/प्रचालकों के अविभवि के बाद मुख्य उड़ान अनुदेशक गैर सरकारी विमान कम्पनियों/प्रचालकों द्वारा बेहतर भविष्य की संभावनाएं दर्शाने के कारण इनकी सेवा करने हेतु आकर्षित हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक अनुभवी उड़न अनुदेशकों ने उड़ान क्लब छोड़कर इन विमान कम्पनियों/प्रचालकों की सेवा की ली, इसलिए कुछ उड़ान क्लबों में मुख्य उड़न अनुदेशकों की कमी हो गई।

(ग) भारतवर्ष में 36 उड़ान क्लब/संस्थान/स्कूल हैं जिनमें से चार निजी स्वामित्व वाले हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंक

4562 **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में इस समय सरकारी क्षेत्र की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं तथा वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें से कितनी बैंक शाखाएं घाटे में चल रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही बैंक की शाखाओं को बंद करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें लाभकारी बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे गुजरात में जनजातीय तथा पिछड़े केंद्रों में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं और साथ ही घाटे पर चल रही ऐसी शाखाओं की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखते हैं। तथापि, दिसम्बर 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जिला-वार संख्या निम्नलिखित है:—

जिला	शाखाएं	जिला	शाखाएं
अहमदाबाद	508	खेड़ा	293
अमरेली	77	मेहसाणा	160
बनासकांठा	70	पंच महल	94
भरूच	105	राजकोट	216
भावनगर	146	साबरकांठा	91
डांगस	5	सूरत	253
गांधीनगर	45	सुरेन्द्रनगर	69
जामनगर	96	वड़ोदरा	292
जनागढ़	155	वलसाड	190
कच्छ	122		

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि गुजरात सहित देश में बैंक शाखाएं बंद करने के संबंध में उनका मौजूदा नीति की शर्तों के अनुसार, पर्याप्त शाखाओं वाले शहरी/महानगरीय केंद्रों पर स्थिति घाटा उठाने वाली शाखाओं के बंद करने के लिए, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर, निर्णय लिए जाते हैं। दो वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा सेवा प्राप्त ग्रामीण केंद्रों पर किसी एक शाखा के बंद करने के लिए निर्णय संबंधित बैंकों द्वारा आपसी विचार-विमर्श से लिया जा सकता है।

(घ) बैंकों में घाटे के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक अधिक अनुपोज्य आस्तियों का होना है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा गहन पर्यवेक्षण और अग्रिमों पर नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में कहा है।

प्राकृतिक पर्यटन

4563 श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने गुजरात और अन्य राज्यों में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्थानों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी विशेष धनराशि आवंटित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटक आधारित संरचना का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। उन क्षेत्रें जहां प्राकृतिक पर्यटन बढ़ावा दिया जा सके, का अभिनिर्धारण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट व पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, कैम्पिंग, जल-क्रीड़ाएं, नाउटेन बाइकिंग, एयरो स्पोर्ट्स आदि जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।वर्ष 1994-95 के दौरान पर्यटन विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों को नई और चल रही स्कीमों के लिए संलग्न विवरण के अनुसार धन रिलीज किया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को रिलीज की गई निधियां

राज्य का नाम	रिलीज की गई निधियां (रुपयों में)
1. बिहार	2,00,000
2. नागालैण्ड	85,000
3. त्रिपुरा	7,32,020
4. मिजोरम	11,74,300
5. मध्य प्रदेश	3,00,000
6. दमन और दीव	2,00,000
7. आन्ध्र प्रदेश	22,980
8. केरल	10,00,000
9. लक्षद्वीप	10,00,000
10. उत्तर प्रदेश	5,00,000
11. जम्मू एवं कश्मीर	23,59,000
12. दिल्ली	12,92,700
13. पंजाब	11,14,000
14. राजस्थान	4,25,000
15. चण्डीगढ़	3,11,000
16. हिमाचल प्रदेश	18,35,000
17. सिक्किम	7,60,000
18. महाराष्ट्र	30,19,000
19. गोवा	12,85,000

[हिन्दी]

तम्बाकू व्यापार के लिए बैंक की सुविधा

4564 श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूको बैंक तथा इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा तम्बाकू व्यापार के लिए बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) कितने तम्बाकू व्यापारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या निर्यात न कर रहे व्यापारियों को ये बैंक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) यूको बैंक द्वारा अपनाए जा रहे सामान्य ऋण मूल्यांकन से अलग निर्यात ऋण के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:—

(i) कम्पनी/फर्म तम्बाकू बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के पास निर्यातक के रूप में पंजीकृत हो और कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक को निर्यातक कोड संख्या देगी।

(ii) कम्पनी के पूर्ववृत्त पर तम्बाकू बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और उनकी अनौपचारिक सहमति प्राप्त की जाती है।

(iii) कम्पनी/फार्म और भागीदारों का उचित ट्रेड रिकार्ड और तम्बाकू के निर्यात में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

(iv) वर्तमान बैंकरों से संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त किया जाना चाहिए।

(v) उधारकर्त्ता कम्पनी का स्वास्थ्य कोड संतोषजनक होना चाहिए।

(vi) कम्पनी के भागीदारों और गारंटी कर्त्ताओं के बारे में संतोषजनक ऋण रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहिए।

(vii) सभी भागीदारों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त की जानी चाहिए।

(vii) बैंक को संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त सम्पार्श्विक द्वारा कम्पनी को अग्रिम प्राप्त करना चाहिए।

(ix) प्रत्येक तिमाही में एक बार सनदी लेखाकारों की किसी फर्म द्वार बहियों और स्टाकों को सत्यापित करवाया जाना चाहिए।

जहां तक इंडियन ओवरसीज बैंक का संबंध है, बैंक ने सूचित किया है कि वे आंध्र और मैसूर की फसलों के लिए तम्बाकू नीलामी प्लेटफार्मों और तम्बाकू बोर्ड के पास पंजीकृत व्यापारियों से कच्चे तम्बाकू के प्रापण, संसाधान और निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकेत पत्रों के बदले इस शर्त के अधीन पैकिंज ऋण (निर्यात वित्त) प्रदान करते हैं कि संकेत पत्र के बाद पुष्ट आदेश/साख पत्र जारी केए जाएंगे।

(ख) यूको बैंक ने अपनी गुंटूर शाखा के माध्यम से तम्बाकू का निर्यात करने क लिए 8 व्यापारियों को कुल 33.44 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया है और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 12 निर्यातकों को निर्यात वित्त ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं। 1994 के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वीकृत इस प्रकार की ऋण सीमाओं की कुल राशि 72.85 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ). यूको बैंक ने किसी गैर-निर्यातक को निर्यात सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। अलबत्ता, इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि ऋण सुविधाएं उन तम्बाकू व्यापारियों को प्रदान की जाती हैं, जो घरेलू बिक्री में भी लगे हुए हैं। लेकिन सहायता पाने वाले इन व्यक्तियों की संख्या कम है।

कुछ व्यापारी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को संसाधित और ग्रेडेड तम्बाकू की आपूर्ति में लगे हुए हैं। अत: वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक आवश्यकता पर आधारित ऋण मंजूर करता है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डे परिसर में पशुओं का प्रवेश रोकने हेतु कदम

4565 श्री अंकुशराव टोपे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डे के निषिद्ध क्षेत्रें में पशु-पक्षियों को घूमने के कारण विमानों की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डों के निषिद्ध क्षेत्रें में पशु-पक्षियों को घूमने से रोकने हेतु हवाई अड्डों में पर्याप्त कर्मचारी और उपकरण नहीं हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों के प्रचालनात्मक क्षेत्र से पक्षियों और पशुओं को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए हैं और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। भारतीय विमानपत्न प्राधिकरण प्रचालनात्मक क्षेत्र के आस-पास बाड़/प्रचालनात्मक दीवार लगवाता है, पक्षी उत्पाद को समाप्त करने हेतु कीटनाशक का छिड़काव करवाता है और पक्षियों को उड़ाने के लिए आवश्यक उपाय करता है।

वित्तीय संस्थानों द्वार विनिवेश नीति

4566 डॉ. आर. मल्लू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय कम्पनियों द्वारा ब्लूचिप कम्पनियों में अपने होल्डिंग्स को समाप्त कर अपने निवेश पर महतम बिक्री मूल्य हासिल करने हेतु कोई नीति विचाराधीन है।

(ख) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसी विनिवेशन नीति के लाभों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को ऐसे विनिवेश से काफी राजस्व प्राप्त होगा; और

(घ) इस नीति का लाभ तथा हानि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक कंपनियों में अपनी शेयर

धरिता का विनिवेश करने के संबंध में अपनी स्वयं की नीतियों का पालन करती हैं। फिर भी, यह जोड़ा जा सकता है कि ऐसे लेन-देनों को और अधिक खुला और सुस्पष्ट बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मई 1990 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में लेन-देन से संबंधित मार्गनिर्देश जारी किए थे।

सी.आई.एस. देशों को निर्यात

4567 श्री पी.सी. थाम्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एस. देशों को निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय देश तथा अमेरीका इन देशों को निर्यात, विशेषकर दवाओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु पुरजोर प्रयास कर रहे हैं;

(घ) क्या इससे भारत द्वारा सी.आई.एस. देशों को निर्यात की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चविम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार, सी. आई. एस. के 12 देशों को किए गए निर्यात में अप्रैल, 93 - जनवरी, 94 की अवधि (निर्यात-2001 करोड़ रु.) की तुलना में अप्रैल, 94 - जनवरी, 95 की अवधि में 7 प्रतिशत की वृद्धि (निर्यात-2143 करोड़ रु.) रही।

(ग) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सी.आई.एस. देशों को विशेष रूप से औषधियों तथा भेषजीय पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु, सरकार ने सी. आई.एस. देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए एक अनुकूल परम्परागत कार्य नीति अंगीकार की है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रलय द्वार अपनाया जाने वाला प्रमुख नीतिगत थ्रस्ट निम्नानुसार हैं:—

(1) सी.आई.एस. के उभरे देशों के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी नए द्विपक्षीय ढांचागत करारों पर हस्ताक्षर करना और मानक परिवर्तनीय मुद्रा व्यापार करारों के जरिए रुपया भुगतान व्यापार का प्रतिस्थापत;

(2) सी.आई.एस. देशों की तुलना में अधिक उदार ऋण नीति तैयार करना (55 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण मध्य एशियाई गणराज्यों को पहले ही दे दिए गए है);

(3) सी.आई.एस. देशों के साथ (प्रति व्यापार) प्रणाली का उदारीकरण;

(4) अपेक्षतया अधिक अर्थक्षम परिवहन एवं पारगमन मार्गों को अभिज्ञात करना तथा विकास करना-मध्य एशिया के लिए ईरान होकर पारगमन मार्गों का अध्ययन करने के लिए दो बहु-क्षेत्रीय अध्ययन दलों का गठन; रूस के साथ व्यापार करने के लिए नोवोरोसिस्क बन्दरगाह के विकास हेतु कार्यवाई;

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से खेप निर्यात एवं भंडारण विनियमों का उदारीकरण;

(6) द्विपक्षीय वायुयातायात समझौतों को अंतिम रूप देना तथा सी.आई.एस. देशों की नई राजधानियों से सीधे विमान सेवा आरंभ करना;

(7) व्यापार मेलों आदि में भागलेने के माध्यम के अलावा अन्य माध्यमों से सीधे व्यावसायिक सम्पर्क स्थापित करने को बढ़ावा देना;

(8) संयुक्त आयोगों, संयुक्त समितियों को गठित करना और उनकी बैठकें आयोजित करना;

(9) रूस के विशेष मामले में अनेक बार पहल की गई है, जिनमें शामिल हैं:

(क) संयुक्त आयोग को क्रियाशील बनाना और उसकी प्रथम सफल बैठक आयोजित करना तथा गहन उत्तरवर्तीकार्यवाही करना;

(ख) रूस के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ गहन वार्तालाप हेतु उच्चस्तरीय शिष्टमंडलों द्वार दौरे करना, जिनमें प्रधानमंत्री और वाणिज्यमंत्री के दौरे भी शामिल हों;

(ग) रूस द्वारा ऋण अदायगी निधि के उपयोग हेतु एक तंत्र बनाने के वचन को दाहराया जाना और दीर्घावधि आधार पर चाय, तम्बाकू आदि का आयात करना;

(घ) सभी परिवहन संबंधित मामलें को सुलझाने के लिए परिवहन उपदल का गठन करना और उसकी बैठकें आयोजित करना;

(ङ) संयुक्त उद्यम बैंक आदि को प्रोत्साहन देना।

सी.आई.एस. देशों को औषधियों के निर्यात के संबंधा में सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यूरोप के राष्ट्र और अमरीका सी.आई.एस. देशों को अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए भारत के पास अभी भी औषधियों का निर्यात बढ़ाने के काफी अवसर हैं कि भारतीय औषधियों के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक है और उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। वे सी.आई.एस देशों के बाजारों में काफी लोकप्रिय भी हैं। हमने सी.आई.एस. देशों को दवाओं की आपूर्ति करके सहायता की है और सरकार द्वारा मध्य एशियाई देशों को दी गई ऋण सुविधाओं का भी उपयोग दवाओं के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।

हैंकयार्न संबंधी बाध्यता नियम

4568 श्री गुमान मल लोढा:
श्री डी. वेंकटेश्वर राव:
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक वे हैंकयार्न उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक उन्हें वस्त्र निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की मिलों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना के अन्तर्गत कार्यरत धागा निर्माताओं का हैंकयार्न बाध्यता नियमों से छूट देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्य कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित हैंकयार्न दायित्व को पूरा करने की शर्त को सूती यार्न के निर्यात की शर्तों में से एक शर्त निर्धारित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त 'ग' की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). यार्न का उत्पादन करने वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों से सूती यार्न के निर्यात के लिए उपर्युक्त शर्त से छूट मांगने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(छ) हैंकयार्न दायित्व भारत के भीतर ही यार्न की किस्मों की अनिवार्य सिविल आपूर्ति से संबंधित है। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों के मामले में हैंकयार्न दायित्व घरेलू शुल्क क्षेत्र में ऐसे इकाईयों द्वारा यार्न की आपूर्ति से ही संबंधित है। चूंकि सूती यार्न का उत्पादन करने वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयां कुल मिलाकर अपना सम्पूर्ण निर्यात करते हैं, हैंक यार्न दायित्व का प्रभाव ऐसे शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों पर केवल सीमान्तिक है।

निर्यात देनदारियों का चुकाया न जाना

4569 **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री 17 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं. 1426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो उक्त अवधि के दौरान अब तक अपनी निर्यात देनदारियां चुकाने में असफल रहे हैं;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही अभी लंबित है अथवा चल रही है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आयात करने वाली कम्पनियों पर निर्यात देनदारी की शर्तें पुन: लागू करेगी ताकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लिए गए विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान कर सके और यह ऋण राशि 1994 तक 90 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम्) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस/एफ.सी. स्वीकृति तथा सी.जी. लाइसेंसों पर आरोपित निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करने के कारण 196 फर्मों को बाकीदार बतलाया गया जैसा कि 1985, 1986 एवं 1987 के अतारांकित राज्य सभा प्रश्न सं. 1426 के उत्तर में सूचना दी गई है।

इनमें से 73 मामले औद्योगिक लाइसेंस/एफ.सी. स्वीकृतियों पर लगाए गए निर्यात दायित्व से संबंधित है। इन मामलों के संबंध में कृत कार्रवाई विवरण में दी गई है।

बाकि 123 मामलों के संबंध में जहां सी.जी. लाइसेंसों पर निर्यात दायत्वि लगाए गए हैं, डी.जी. एफ.टी. के क्षेत्रीय कार्यलय से जो कि ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व की मानीटरिंग करते हैं, नवीनतम स्थिति का पता लगाया जा रहा हैं

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

1.	9 मामले	निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है।
2.	1 मामला	निर्यात दायित्व से छूट दी गई है।
3.	1 मामला	निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि बढ़ाई गई है।
4.	5 मामले	फर्मों से प्राप्त सूचना के आधार पर, निर्यात दायित्व पूरा करने के बारे में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
5.	57 मामले	न्यायालय के विचाराधीन हैं।

नये विमानपत्तन

4570 **श्री अमर पाल सिंह:**
श्री पंकज चौधारी:
श्री हरिन पाठक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नये विमानपत्तनों के निर्माण हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नये विमानपत्तनों का निर्माण कब से शुरू किया जाएगा; और

(ङ) इन नए विमानपत्तनों के निर्माण पर राज्यवार/धनराशि खर्च की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उत्तर प्रदेश में किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है। जम्मू और कश्मीर में कारगिल, मेघायल में तुरा और मिजोरम में लेंगपुई में क्रमशः 25 करोड़ रुपए, 7.20 करोड़ रुपए और 45 करोड़ रुपए की लागत पर नए हवाई अड्डों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। तुरा और लेंगपुई हवाई अड्डों पर निर्माण कार्य वर्ष 1995-96 में शुरू किए जाने की आशा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कारगिले हवाई की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है।

नाबार्ड द्वारा गुजरात को धनराशि

4571 श्री अरविंद त्रिवेदी:

श्री एन.जे. राठवा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक नाबार्ड द्वारा गुजरात की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान विशेष रूप से गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में कितने किसान इससे लाभान्वित हुए; और

(ग) अब तक कितनी ऋणों की वसूली हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा गुजरात राज्य में किए गए उद्देश्यवार संवितरणों का ब्यौरा विवरण में संलग्न दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान नाबार्ड द्वारा योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत संवितरित की गई पुनर्वित्त सहायता से लाभान्वित हुए छोटे किसानों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	किसानों की संख्या (लाखों में)
1992-93	1.05
1993-94	1.14

राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में, अलग से किसानों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गुजरात राज्य में योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा नाबार्ड को वापस की गई राशि निम्नानुसार थी:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1991-92	86.13
1992-93	91.00
1993-94	107.28

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जनवरी, 1995 तक) के दौरान गुजरात राज्य में योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को नाबार्ड द्वारा संवितरित उद्देश्यवार पुनर्वित्त

(लाखों रुपए)

उद्देश्य	1992-93	1993-94	1994-95 (जनवरी तक)
लघु सिंचाई	2119	2465	1296
भूमि विकास	57	116	33
कृषि मशीनीकरण	3989	5503	4322
वृक्षारोपण/बागवानी	37	82	30
मुर्गी/भेड़/सुअर पालन	46	96	69
मत्स्य पालन	103	100	195
डेयरी विकास	834	1342	509
स्टोरेज और मार्केट यार्ड	439	947	402
वानिकी	53	97	84
गोबर गैस प्लांट	5	-	-
गैर-कृषि क्षेत्र	2021	3501	1968
अन्य	48	2	116*
आईआरडीपी	2931	2627	898
कुल	12682	16878	9922

*अ.जा./अ.ज.जा. कार्य योजना के अंतर्गत संवितरित 52 लाख रुपए की पुनर्वित्त राशि शामिल है।

बंधुआ मजदूर

4572 श्री पंकज चौधरी :

श्री राम पाल सिंह :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में हुई प्रगति की जानकारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र नीति

4573 श्री कुंजी लाल:

श्री महेश कनोडिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान वस्त्र नीति में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तस्करी रोकने हेतु ऊंटों की तैनाती

4574 श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भुज सीमा-शुल्क डिवीजन के कर्मचारी गुजरात में कच्छ के मरुस्थली क्षेत्रों में ऊंटों की सहायता से तस्करी रोकने का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन कार्यों में ऊंटों को कब से लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऊंट-सवारों की संख्या ऊंटों से कहीं अधिक है. और

(ख) सरकार ने ऊंट सवारों की संख्या और उन पर होने वाले खर्च को कम करने हेतु क्या उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक जमा जुटाया जाना

4575 श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी/गैरसरकारी कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जमा एकत्र करने की वर्तमान प्रवृत्ति की जानकारी है जिसके कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सार्वजनिक जमा में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बागान श्रमिक

4576 श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य से कम्पनीवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य से कम्पनीवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) :(क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना ऋण

4577 श्री अमल दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में क्रमश: वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा प्रति वर्ष मंजूर किए गए परियोजना ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तरह की प्रत्येक ऋण मंजूरी पर कितनी राशि दी गई;

(ग) कितनी मूल्य का उत्पादन किया गया; और

(घ) ऐसी प्रत्येक ऋण मंजूरी पर रोजगार के कितने अवसरों के सृजन का अनुमान लगाया गया था और प्रत्येक परियोजना के पूरी होने पर कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए?

वित्त मंत्रालयय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुरुपद स्वामी समिति

4578 श्री महेश कनोडिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के अनुरूप बाल श्रम प्रकोष्ठ, बाल श्रम परामर्श दात्री बोर्ड और बाल श्रम तकनीकी परामर्शदात्री समिति का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त निकायों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). श्रम मंत्रालय में बाल श्रम प्रकोष्ठ की स्थापना 1979 में की गई है। यह प्रकोष्ठ श्रमजीवी बालकों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण, समन्वय और क्रियान्वयन का कार्य करता है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 परियोजना आधारित कार्रवाई योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान पांच राज्यों में 7,000 बालकों को शामिल करते हुए 9 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन.सी.एल.पी.) पर कार्य हो रहा था। वर्ष 1994-95 में बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन.सी.एल.पी.) पर कार्य हो रहा है जिसमें आठ राज्यों के लगभग 14,000 बालक शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत किया गया एकप्रमुख कार्य नियोजन से हटाए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है।

बाल श्रम प्रकोष्ठ बाल श्रम के लिए कार्रवाई-अभिमुख परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुदान-सहायता योजना के अंतर्गत, श्रमजीवी बच्चों के लिए कल्याण योजनाएं शुरू करने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1993-94 के दौरान इस प्रकोष्ठ ने स्वैच्छिक संगठनों की 6 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 1994-95 के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रमजीवी बालकों के कल्याण हेतु परियोजनाएं चलाने के साथ-साथ नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम के क्षेत्र में 11 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ii) बाल श्रम लघु सलाहकार बोर्ड का गठन 4.3.1981 को किया गया था। बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा संचालित वर्तमान विधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, श्रमजीवी बच्चों के कल्याण के लिए विधायी उपायों तथा कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने, उन उद्योगों तथा क्षेत्रों की सिफारिश करने यहां बाल श्रम का प्रगामी उन्मूलन हो सकता है, के लिए किया गया है। बाल श्रम सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 19.4.93 को आयोजित अपनी बैठक में , अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के मूल्यांकन, राज्यों में बाल श्रम के प्रगामी उन्मूलन के लिए सिफारिश करने के साथ ही आंध्र प्रदेश में जग्गमपेट और मध्य प्रदेश में मंदसौर, इन दो जिलों में बाल श्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भी सिफारिश की थी।। बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन 2 नवम्बर, 1994 को किया गया था।

(iii) बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन 3.8.1987 को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची के लिए व्यवसायों/प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन से केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक व्यवसाय और सात प्रक्रियाओं को अब तक बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

रूग्ण लघु उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

4579 श्री राम पूजन पटेल :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूग्न लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने लघु क्षेत्र की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान करने और उनके पुनर्वास के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु क्षेत्र की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा, अर्थक्षमता मानदण्ड, प्रारंभिक रूग्णता के साथ-साथ संभावित रूप से अर्थक्षम इकाइयों के मामले में पैकेजों के कार्यन्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से राहतें /रियायतें भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक की स्थिति के अनुसार 2,56,452 लघु क्षेत्र की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां थीं जिनके पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 3680.37 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। इनमें से 16580 इकाइयों को संभावित रूप से अर्थक्षम समझा गया और 2607 मामलों में अथक्षमता का निर्णय अभी लिया जाना था। अर्थक्षम इकाइयों में से 11376 इकाइयां उस तारीख तक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत थीं।

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात को वित्तीय सहायता

4580 श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम ने गुजरात को इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए जीवन बीमा निगम

द्वारा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

मद	1993-94	1994-1995
		(करोड़ रुपए में)
राज्य सरकार के बांडों, ऋण-पत्रों और राज्य सरकार की गारन्टीशुदा प्रतिभूतियों में निवेश	45.95	32.95
आयोजनागत सहायता के अंतर्गत राज्य सरकार को ऋण	62.36	77.11
प्राइवेट क्षेत्र के ऋण, इक्विटी और ऋण-पत्र	110.75	समापनाधीन

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग). जीवन बीमा निगम राज्यय सरकार की और सरकार की अन्य गारन्टी शुदा विपणनीय प्रतिभूतियों में निवेश करता है और राज्य आवासन शीर्ष सहकारिताओं, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि जैसे समाजोन्मुख क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों के अंतर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा आवंटित की जाने वाली राशि को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

महिला सहकारी बैंक

4581 श्री हरिभाई पटेल :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत महिला सहकारी बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से कुछ और बैंक खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय देश में 47 महिला सहकारी बैंक हैं। राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है—

राज्य	महिला बैंकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
गुजरात	7
कर्नाटक	6
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	28
मणिपुर	1
गोवा	1
कुल	47

भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 महिला बैंकों को लाइसेंस जारी किए हैं। आशा की जाती है कि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 महीने के अंदर ये बैंकिंग कारोबार शुरू कर देगा। इन 8 महिला बैंकों की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है—

राज्य	महिला बैंक
कर्नाटक	2
महाराष्ट्र	3
मध्य प्रदेश	1
राजस्थान	2
कुल	8

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे महिला बैंकों से संगठन के लिए 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये अंतिम रूप प्रदान किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

आर्थिक सुधार

4582 श्री पी. कुमारास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने बढ़ती कीमतों सरकारी क्षेत्र में विनिवेश और सामाजिक क्षेत्र में निवेश समाप्त होने पर गहरी चिन्ता प्रकट की है जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 1995 के "हिन्दू" में समाचार दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के कारण कमजोर वर्गों के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). "आर्थिक सुधार कमियों से परिपूर्ण, अर्थशास्त्रियों के कथन" शीर्षक से प्रकाशित दिनांकित 27 फरवरी, 1995 को "हिन्दू" पत्र मेंसमाचार के अनुसार 13 अग्रगण्य अर्थशास्त्रियों ने कीमतों में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश

तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश के क्षरण पर चिन्ता व्यक्त की है। अर्थशास्त्रियों ने विशेष रूप से कहा है कि नई नीतियों द्वारा सम्वेदनशील वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और 6 अच्छे मानसून गुजरने पर भी राष्ट्र निरंतर द्विअंकीय मुद्रास्फीति की व्यथा में फंसा हुआ है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को बाजार कीमतों से महत्वपूर्ण रूप से कम बेचे जाने की भी आलोचना की।

(ग) सरकार अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए निर्धारण से सहमत नहीं है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नीति तैयार किए जाने की अवधि के बाद महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। फिर भी, यह स्वीकार करते हुए कि विकास के परिणामों को हमारे समाज के कुछ अत्यधिक गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचने में और यह सुनिश्चित करने में समय लगेगा कि वे भी अल्प काल में लाभान्वित हुए हैं, सरकारने ग्रामीण विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किए जाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी है। ग्रामीण विकास के लिए आवंटन वर्ष 1992-93 (बजट अनुमान) में 3100 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1995-96 (बजट अनुमान) में 7700 करोड़ रुपए, 148 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान शिक्षा के लिए 952 करोड़ रुपए से 1825 करोड़ रुपए की 92 प्रतिशत की, जो कि स्वास्थ्य पर 302 करोड़ रुपए से 670 करोड़ रुपए की 122 प्रतिशत और जो कि परिवार कल्याण के हित के लिए, महिला तथा बाल विकास पर 1982 करोड़ रुपए से 3251 करोड़ रुपए की 64 प्रतिशत तक आवंटन में वृद्धि की गई है।

बैंकों में सुरक्षा प्रणाली

4583 श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उपयुक्त सुरक्षा प्रणाली का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई सुरक्षा संबंधी ऐसी चूकों का ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन चूकों के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार 1991, 1992 और 1993 के वर्षों के दौरान बैंक लूटपाटों/ डकैतियों की घटनाओं का ब्यौर नीचे दिया गया है—

वर्ष	घटनाओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)
1991	121	475.42
1992	88	200.37
1993	89	282.82

(आंकड़े अनन्तिम)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया है। इनमें, शाखाओं को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जो कई कारकों पर आधारित होता है,सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय सुरक्षा कक्ष की स्थापना करना और बैंकों को सुरक्षा व्यवस्था, राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियां गठित करने आदि के संबंध में मार्गनिर्देश प्रदान करना शामिल हैं। बैंको द्वारा कार्यान्वित सुरक्षा उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और यथा उपयुक्त आगे कार्रवाई की जाती है।

"इंडियन एसोसिएशन आफ टूअर आप्रेटर्स" का 11वां सम्मेलन

4584 श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इंडियन एसोसिएशन आफ टूअर आप्रेटर्स" का 11वां सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू पर्यटन का विकास करने के लिए विद्यार्थी और तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूअर आप्रेटर्स का 11वां सम्मेलन दिल्ली में 9 से 12 अप्रैल, 1995 तक हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में 10 अप्रैल, 1995 को इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय तथा यात्रा व्यवसाय से संबंधित अन्य संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त भारत और विदेश से लगभग एक हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) और (घ) एक पूरा सत्र, स्वदेशी पर्यटन को दिया गया, जिसमें, देश में विद्यार्थी यात्रा और तीर्थ स्थान पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

4585 श्री विश्वेश्वर भगत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन श्रम मजदूरों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत बाल श्रम पर रोक लगाई गई है;

(ख) क्या इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र गठित किया गया है;

(ग) क्या बाल श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल श्रमिक

(निषेध और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उपयुक्त विधेयक संसद में कब तक पुन:स्थापित कर दिया जाएगा।

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियम की अनुसूचि के भाग "क" और "ख" में समाविष्ट विशिष्ट व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। यह गैर प्रतिषिद्ध नियोजनों में बालकों की कामकाजी दशाओं को भी विनियमित करता है। इसमें कानून के उल्लंघन के लिए शास्तियों के प्रावधान हैं।

इस कानून के अतिरिक्त, विभिन्न श्रम कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 में भी संरक्षात्मक और प्रतिषेधात्मक उपबंध हैं।

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में बाल श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के प्रवर्त्तन की मॉनीटरिंग करती है।

(ग) और (घ) बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन (अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

4586 **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इलाहाबाद के निकट एक गांव को कालीन करघों में कार्यरत कुछ बाल श्रमिकों को एक सामाजिक संस्था द्वारा मुक्त कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस देश से बाल श्रम प्रथा को किस प्रकार समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है और क्या ऐसे बाल श्रमिकों के पुनार्वास हेतु धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धागों का मूल्य

4587 **डॉ. चिन्ता मोहन :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 से विभिन्न प्रकार के धागों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बुनकरों द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक प्रकार के धागों के मूल्यों में इन वर्षों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तथा 1 जनवरी, 1993 1 जनवरी, 1994 और 1 जनवरी, 1995 के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन धागों के मूल्य में हुइ वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका बुनकरों के रोजगार पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के सूत के मूल्यों के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं :—

मद	मूल्य		
	1.1.93	1.1.94	1.1.95
सूती धागा (हैंक) औसत भार)	61.31	68.05	92.65
सूती धागा (कोन्स) औसत भार)	71.50	77.43	105.48
सूती धागा (हौजरी) औसत)	69.63	69.75	94.18
पोलिस्टर मिश्रित विसकोस धागा (औसत)	144.41	137.66	148.04
पोलिस्टर मिश्रित सूती धागा (औसत)	126.13	136.88	153.12
विसकोस फीलामेंट धागा (औसत-भार)	187.78	196.24	194.54
नाईलोन फीलामेंट धागा (औसत-भार)	191.44	196.54	158.74
पोलिस्टर फीलामेंट धागा (औसत-भार)	182.00	172.00	176.00
आभिक ओरियंट धागा (औसत)	160.03	150.55	153.20
टक्टूराईज्ड धागा (औसत)	163.65	166.44	159.97

(ग) इन धागों के मूल्यों में वृद्धि का कारण निवेश के मूल्यों में हुई वृद्धि है। इसमें मूलत: कच्चे माल का मूल्य भी शामिल है।

(घ) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि धागे के मूल्यों में हुई वृद्धि के विरोध में जनवरी 1994 मे कुछ दिनों के लिए सेलम, ईरोड और कोइम्बातूर जिलों में कुछ पावरलूम इकाईयां बंद रहीं। हथकरघा क्षेत्र में भी सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि महसूस की गई लेकिन सूती धागे के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण पावरलूम और हथकरघा बुनकरों के रोजगार में किसी हद तक प्रभाव पड़ा है, इसकी भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

चिकित्सा बीमा योजना

4588 **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के स्वामित्व वाली किन-किन बीमा कम्पनियों में चिकत्सा बीमा योजना लागू है;

(ख) क्या चिकित्सा बीमा में दन्त उपचार भी शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत ही एकमात्र देश जहां बीमा योजना के अंतर्गत दन्त उपचार शामिल नहीं है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय साधारण बीमा निगम की चारों सहायक कम्पनियां यथा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड मेडिक्लेम पालिसियां जारी करती हैं। दन्त चिकित्सा जो एक बाह्य चिकित्स है, को इस पालिसी की शर्तों के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। यदि बाह्य चिकित्सा को भी इस पालिसी के अंतर्गत कवर किया जाना आवश्यक है तो, प्रीमियम शुल्क अत्यधिक बढ़ जाएगा और पालिसी अव्यवहार्य हो जाएगी। कुछ विदेशी बाजारों में जारी की जाने वाली चिकित्सा पालिसियों में भी दन्त चिकित्स को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

4589 श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कार्य करने हेतु जिन गैर वित्तीय संस्थाओं को अनुमति प्रदान की है, उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संस्थओं ने बड़ी संख्या में जमाकर्त्ताओं को धोखा दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी संस्थाओ पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत 8208 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां (एन बी एफ सी) भारतीय रिजर्व बैंक की डाक सूची में थीं। इनके अतिरिक्त, अन्य राज्यों में पंजीकृत कम्पनियों की शाखाएं महाराष्ट्र में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास शाखाओं की अवस्थिति की जानकारी नहीं है। एन बी एफ सी को अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को परिपक्व जमाराशियों की वापसी अदायगी न करने के संबंध में जनता से कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, आज तक, महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत दो कम्पनियों और पश्चिम बंगाल में पंजीकृत और महाराष्ट्र में कई शाखाओं वाली दो अन्य कम्पनियों को किसी भी व्यक्ति से आगे और जमाराशियां स्वीकार करने से मना करते हुए आदेश जारी किए हैं।

(ङ) एन बी एफ सी के कार्यकलापों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

बिहार में देना बैंक की शाखाएं

4590 श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार बिहार में देना बैंक की शाखाओं की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1967 में देना बैंक के कारोबार की शुरुआत के समय से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इस बैंक का शाखाओं के संबंध कितना विस्तार/विकास हुआ है; और

(ग) धीमी गति से विकास/विस्तार होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वार दी गई सूचना के अनुसार बिहार में दिसम्बर 1994 की स्थिति के अनुसार देना बैंक की 9 शाखाएं हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे रेशम का आयात

4591 श्री द्वारका नाथ दास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेशम उद्योग जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है, इस समय दयनीय स्थिति में है;

(ख) क्या चीन और जापान से कच्चे रेशम का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में रेशम उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). इस क्षेत्र का

कच्चे रेशम का उत्पादन 1991-92 में 800 टन, से बढ़कर 1993-94 में 890 टन हो गया था। वर्ष 1994-95 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस क्षेत्र में रेशम उद्योग के विकास को तेज करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में से प्रमुख कदम हैं असम में जोरहाट में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा केंद्रीय मूगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और रेशम उद्योग के विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना जिसे केंद्रीय रेशम बोर्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

जहां तक कच्चे रेशम के आयात का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रेशम निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न देशों (जिसमें चीन और जापान भी शामिल हैं) से केवल निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे रेशम की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आयात की अनुमति दे दी गई है।

कर्नाटक में पर्यटन विकास

4592 **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**

श्री वी. कृष्ण राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य कर्नाटक में पर्यटन विकास हेतु निवेश के लिए सिंगापुर और मलेशिया की कुछ फर्में इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन फर्मों का बंगलौर में इंटर नेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). सिंगापुर आधारित दो कम्पनियों अर्थात मैसर्स चैस्टरफील्ड इंडरनेशनल प्राइवेट लि. तथा मैसर्स रेडेवको प्राइवेट लि. ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ, बंगलौर मैसूर, हस्सन, शिमोगा और हम्पी में पांच 4 सितारा होटलों के निर्माण तथा बंगलौर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के निर्माण और एक लिमाउसिन एवं कोच सर्विस कम्पनी की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्मेलन केंद्र पर लगभग 400 करोड़ रु खर्च होंगे तथा परिसर में एक बड़ा सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हाल, पांच सितारा होटल, शॉपिंग व मनोरंजन परिसरें, सेवा कक्ष तथा पर्यटन प्रशिक्षण संस्थान होंगे।

मलेशिया आधारित एक कम्पनी ने भी पर्यटन विकास हेतु कर्नाटक में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। इस संबंध में, इस कम्पनी ने कर्नाटक आधारित भारतीय कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में एक चार सितारा होटल, एक सम्मेलन एवं व्यवसाय केंद्र, एक 18 गड्ढों वाला गोल्फ पाठ्यक्रम और एक मनोरंजन पार्क शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्तियों के माध्यम से आया धन

4593 **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जमा प्राप्तियों के माध्यम से धन में वृद्धि और कुल डालरों की प्राप्ति के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डालर प्राप्ति के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वार उठाई गई हानि के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या डालर प्राप्ति के संबंध में होने वाली हानि पर नियंत्रण रखने हेतु इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। कार्पोरेट संस्थाओं को कतिपय पात्रता संबंधी मापदंडों के आधार पर सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों (जी. डी. आर.) के निर्गम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से निधियां जुटाने के लिए अनुमति दी जा रही है। 1993-94 के दौरान भारतीय कंपनियों ने कुल 1522.441 मिलियन अमरीकी डालर के जी. डी. आर. इश्यू जारी किए हैं।

(ग) से (च). विशाल पूंजी अन्तर्प्रवाहों के मौद्रिक प्रभाव हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर खुले बाजार प्रचालन जैसे निष्प्रभावीकरण उपाय करता है। इसमें देशीय प्रतिभूतियों और विदेशी ब्याज दरों के बीच प्राप्ति विभेदक के आधार पर व्यय हो सकता है। पूंजीगत अन्तर्प्रवाहों को संयमित करने के लिए 28 अक्तूबर, 1994 से प्रभावी हुए आदेश के अनुसार जी. डी. आर. जारी करने वाली कंपनियों को इश्यू से हुई आय को अनिवार्यत: विदेश में रखना होगा और उन्हें तभी प्रत्यावर्तित किया जाएगा जब अनुमोदित अंतिम प्रयोगों पर वास्तव में व्यय उपगत किए जाएं।

खाड़ी देशों में भारतीय मजदूर

4594 **श्री एन. डेनिस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में भारतीय मजदूर की भर्ती में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन देशों में भारतीय मजदूरों के जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 4.10.1991 से कर्मकारों को निम्नलिखित छः अतिरिक्त श्रेणियो

को उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं । श्रेणी में शामिल करके उत्प्रवास प्रक्रिया और सरल कर दी गई है :

(i) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय);

(ii) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय);

(iii) अर्द्ध कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय);

(iv) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक;

(v) आशुलिपिकों, स्टोर-कीपरों, टाईम-कीपरों, टंककों आदि सहित सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार;

(vi) घरेलू नियोजनों के अलावा रसोइए।

आशा की जाती है इससे विदेशों में भारतीय कर्मकारों के प्रवास को प्रोत्साहन मिलेगा।

हवाई अड्डों पर चोरी की घटनाएं

4595 डा. वसंत पवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों द्वारा चोरी की कितनी घटनाओं की सूचना दी गई;

(ख) कितने मामलों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया और क्या अनसुलझे मामलों में यात्रियों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). हवाई अड्डों पर यात्रियों द्वारा चोरी के सभी मामलों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा हैंडल किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई केन्द्रीकृत सूचना रखी जाती है और न हीं उनके पास पुलिस छान-बीन और इसके परिणामों की ही जानकारी होती है।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलें

4596 डा. परशुराम गंगवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए गत वर्ष के दौरान कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या सरकार ने इन कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के कार्य और इनके आधुनिकीकरण पर हुए व्यय के पश्चात इनकी कार्य-कुशलता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान नेशलन टेक्सटाइल कारपोरेशन और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. के आधुनिकीकरण के लिए कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण पुरुद्धार की योजना और श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा समर्थित योजना के आधार पर एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के लिए एक संशोधित स्वागीण नीति सरकार के विचारार्थ है। चूंकि एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर के पास भेजे गए हैं, अनुमोदित किसी भी योजना के कार्यान्वयन से पूर्व की आई एफ आर का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

कंपनियों में वित्तीय संस्थानों के शेयर

4597 श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों में वित्तीय संस्थानों की भूमिका के संबंध में कोई नीति तैयार की है जिनमें संस्थानों के पर्याप्त मात्र में शेयर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) और (ख). अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए उनकी अपनी नीतियां हैं। सहायता प्राप्त कंपनियों के बोर्डों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा नामित निदेशकों के संबंध में वे मार्गनिर्देशन भी तैयार करते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा इस विषय पर जारी निर्देशों को भी उन मार्गनिर्देशों को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

सहकारी कपड़ा मिलें

4598 श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिए सहकारी क्षेत्र को कोई प्राथमिकता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक सहकारी क्षेत्र में राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

माजुली नदी द्वीप

4599 **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से माजुली नदी द्वीप को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

काफी और काफी के बीजों का आयात

4600 **श्री सी. श्रीनिवासन :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत एक महीने के दौरान काफी के बीजों की आपूर्ति में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1994-95 और 1995-96 के दौरान काफी/काफी के बीजों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयात की शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी उत्पादकों से काफी आयात किए जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने काफी और काफी के बीजों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सामन्य शुल्क पर खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रोस्टेड डिकैफोनेटिड काफी का आयात (बल्क पैकेज में) करने की अनुमति 1 अप्रैल, 1995 को दे दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ). चूंकि काफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत घरेलू कीमत के लगभग बराबर है इसलिए रोस्टेड/डिकैफीनेटिड काफी के आयात से उपजकर्ताओं के हितों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, अगर आंतरिक बाजार में भविष्य में कोई कमी होती है तो उस स्थिति में, इससे घरेलू उपलब्धता में सुधार होगा इससे उच्च कीमतों पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

एन.टी.सी. के बिक्री केन्द्र

4601. **श्री परसराम भारद्वाज :**

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूमों/बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा ये राज्यवार किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार और कितने शोरूमों/बिक्री केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एन टी सी के मौजूदा शोरूमों/बिक्री केन्द्रों की संख्या तथा राज्य-वार उनकी अवस्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन टी सी का कोई भी नया शोरूम/बिक्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	शोरूमों की संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	27	आंध्र प्रदेश
2.	6	असम
3.	26	बिहार
4.	9	गुजरात
5.	8	हरियाणा
6.	2	हिमाचल प्रदेश
7.	4	जम्मू तथा काश्मीर
8.	23	कर्नाटक
9.	18	केरल
10.	12	मध्य प्रदेश
11.	29	महाराष्ट्र
12.	1	मेघालय
13.	8	उड़ीसा

1	2	3
14.	6	पंजाब
15.	10	राजस्थान
16.	65	तमिलनाडु
17.	55	उत्तर प्रदेश
18.	71	प. बंगाल
19.	16	दिल्ली
20.	2	चंडीगढ़
21.	1	दमन दीव
22.	1	पांडिचेरी
	कुल 400	

श्रमिकों का प्रवास

4602 **प्रो. के. वी. थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मानसून अवधि के बाद मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, डिंडोजनों तथा धार, झाबुआ और खरगौन जिलों से अनेक श्रमिक हर वर्ष रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से अधिकांश श्रमिकों का उनके नियोजकों द्वारा शोषण किया जाता है और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है तथा कुछ मामलों में उन्हें बन्धुआ मजदूरों के रूप में रखा जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार के प्रवासी श्रमिकों की संख्या के सम्बंध में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराया जाएगा, और

(ङ) इन श्रमिकों के लिए स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा इन श्रमिकों का शोषण न होने देना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) इस समस्या को एक बहु आयामी कार्रवाई के माध्यम से सुलझाने का विचार किया गया है, इसका नाम है ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं में सुधार, गैर-कृषिय क्रियाकलापों का विविधीकरण, कौशल सुधार कार्यक्रमों, स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और भूमि संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना आदि। वर्ष 1993-94 से दो और महत्वपूर्ण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों, जिनके नाम हैं सघन जवाहर रोजगार योजना (आई जे आर वाई) जो कि देश के 120 पिछड़े जिलों में चलाई गई है, और रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस) जिसे देश के 2000 से अधिक पिछड़े और जनजातीय ब्लाकों में चलाया गया है को कार्यान्वित किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 और अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवी की शर्त) केन्द्रीय नियमावली, 1980 उन प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी और कामकाजी दशाओं का विनियमन करते हैं, जिनकी भर्ती ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देना, मजदूरी और कल्याण सुविधाएं और अपराधों की संज्ञेयता आदि की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं

4603 **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को कोई यात्र सुविधाएं अथवा रियायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों पर 18 पर्यटक सूचना केन्द्र, भारत में 21 पर्यटक कार्यालय और विदेशों में 18 पर्यटक कार्यालय स्थापित किए हैं जो पर्यटकीय सूचना प्रदान करते हैं जिनमें आरक्षण और अन्य उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचना शामिल होती हैं। सरकार विदेशी पर्यटकों को कोई रियायत नहीं देती है।

[अनुवाद]

उपकरणों का आयात

4604 **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूखे की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कतिपय विशेष उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोड-टैंकरों की कमी को देखते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों को अधिक प्रभावी और किफायती ढंग से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कॉलेप्सेनल कंटेनरों का आयात करने के लिए सरकार को किसी राज्य सरकार, अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कालीकट जाने वाले यात्रियों के लिए सीमाशुल्क निकासी संबंधी कार्य

4605 **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा शुल्क निकासी संबंधी कार्य भी बंबई हवाई अड्डे पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) बंबई-कालीकट सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बाद कालीकट हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए सीमा शुल्क निकासी संबंधी कार्य न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जब कालीकट जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कालीकट जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में मार्गस्थ सुविधा का लाभ उठाना चाहते हों, तो उन्हें बंबई के सहार हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी संबंधी कोई औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होती है। किंतु जब कालीकट जाने वाले यात्री अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के रूप में बंबई में उतरते हैं और घरेलू उड़ानों से बंबई-कालीकट स्थानांतरण का लाभ उठाते हैं, तो ऐसे यात्री बंबई सहार हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क निकासी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं।

बीजों का निर्यात

4606 **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने बीजों और पौध सामग्री का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इन मदों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बीजों और रोपण सामग्रियों की कुल मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित हैं—

मात्रा : एम टी में

मूल्य : करोड़ रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1991-92	3419	16.09
1992-93	7024	23.84
1993-94	9139	24.50

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

(ख) बीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं—निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत निर्यातों की निषेधात्मक सूची के एक भाग के रूप में शामिल कुछ श्रेणियों को छोड़कर अन्य बीजों का बिना प्रतिबंधों के निर्यात करने की अनुमति देना, आयात-शुल्क में कमी "इन हाउस" अनुसंधान और विकास के लिए कर-लाभ तथा ब्याज की रियायती दर पर पोतलदान पूर्व और पोतलदान-पश्चात ऋण।

विमानपत्तनों को पट्टे पर देने संबंधी प्रस्ताव

4607 **श्री के. प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तीर्थ यात्री मार्ग (सर्किट) पर बौद्ध तीर्थ यात्रियों के प्रयोग हेतु कुछ विमानपत्तनों को पट्टे पर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन विमानपत्तनों का चयन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संसाधन जोन

4608 **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संसधान जोनों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या निर्यात संसाधन जोनों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निर्यात संसाधन जोन निर्यातोन्मुखी एककों को सहायता देने में असमर्थ है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यात संसाधन जोन योजना में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) निर्यात संसाधन क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा का अर्जन, निर्यात-अभिमुख उद्योगों में घरेलू तथा विदेशी निवेशों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार करना शामिल है।

(ख) से (घ). निर्यात संसाधन क्षेत्रों की ईकाइयां अपनी कच्ची सामग्री देश में से ही अथवा शुल्क मुक्त आयातों के जरिए जुटाती है। देश में से ही सामग्री प्राप्त करने की स्थिति में ऐसी वस्तुएं उत्पाद शुल्क की छूट तथा

केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी को पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, निर्यात अभिमुख इकाईयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाईयों को की जाने वाली घरेलू आपूर्तियों को 'माने गए निर्यात' माना जाता है और ये एक्जिम नीति के पैरा 122 के अनुसार लाभों को पात्र होते हैं।

(ङ) से (ज) निर्यात-अभिमुख उत्पादन में सहायता देने के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्र तैयार फक्टरी परिसर, फैक्टरी शेडों के निर्माण के लिए विकसित भूमि जैसी मूलभूत सुविधाएं तथा विद्युत, जल आपूर्ति एवं मल निकासी की व्यवस्था जैसी अन्य अवस्थापना संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के क्षेत्र के भीतर ही सीमाशुल्क क्लीयरेंस की व्यवस्था भी की जाती है।

निर्यात संसाधन क्षेत्र के कार्यचालन की निरंतर समीक्षा की जाती है और व्यापारियों तथा उद्योगपतियों से फीड-बैक के आधार पर उसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए हाल के कुछ परिवर्तनों में सीमाशुल्क संबंधी क्रियाविधियों का सरलीकरण, स्थानीय बाजार में अधिक पहुंच, मूल्यवर्द्धन मानदंडों में लोचशीलता तथा व्यापार, पुनःपैकिंग/लेबलिंग के बाद पुनःनिर्यात, नस्मलों, रिकंडीशनिंग तथा पुनः निर्माण को शामिल करने के लिए क्रियाकलापों के क्षेत्रों का विस्तार करना शामिल है। प्रस्ताव नहीं है।

व्यवसायिक केंद्र स्थापित करना

4609 श्री एम. जी. रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका व्यापार सेवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को पूरा करने तथा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत में वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केंद्र स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार को इस तरह के किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण

4610 श्री शिवचरण वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम तीर्थ स्थानों और पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर होटलों का निर्माण करता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न तीर्थ स्थानों और पर्वतीय स्थलों पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के कितने होटल हैं, और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार किन-किन तीर्थ स्थानों और पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर होटल अथवा यात्री निवास का निर्माण करने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अपनी प्रवर्तककी भूमिका में, भारत पर्यटन विकास निगम ने तीर्थ स्थलों और पर्वतीय स्थलों पर होटलों का निर्माण/नवीनीकरण किया है।

(ख) इस समय देश में भारत पर्यटन विकास निगम के अपने स्वामित्व में 26 होटल हैं जिनमें आमतौर पर तीर्थ केन्द्रों के रूप में माने जाने वाले वाराणसी, बोधगया, जम्मू, हसन और मदुरै में होटल तथा मनाली में होटल जो कि एक सुप्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं शामिल हैं।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में तीर्थ स्थलों और पर्वतीय स्थलों पर नए होटलों का निर्माण करने के लिए किसी विशिष्ट योजना गत स्कीम/प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है।

बीमा क्षेत्र का निजीकरण

4611 श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र के निजीकरण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ श्रमिक संघों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने के विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). मल्होत्रा समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश बीमा उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से संबंधित है। सरकार को अभी मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना है।

रामपुर कोयला खान

4612 डा. कृपासिन्धु भोई : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रजराज नगर, ओरियन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत रामपुर कोयला खानों के मजदूर भूख हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है,

(ग) उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन मजदूरों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पास ऋण आवेदन

4613 श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को गत तीन वर्षों के दौरान असम से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) मंजूर/रद्द किए गए आवेदनों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) असम में उद्योगों की स्थापना हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मुर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान असम राज्य के संबंध में उनके द्वारा प्राप्त, मंजूर और अस्वीकृत किए गए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्राप्त आवेदन	मंजूर किए गए आवेदन	अस्वीकृत/बंद कर दिए गए/वापस लिए गए आवेदन
1991-92	7	5	1
1992-93	5	5	—
1993-94	13	8	4

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत असम में उद्योगों को मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है—

(रु करोड़ में)

वर्ष	मंजूर	संवितरण
1991-92	33.9	56.4
1992-93	13.0	10.8
1993-94	30.7	16.0

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

4614 श्री बलराज पासी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बुनकरों की संख्या सबसे अधिक है जबकि यह हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में बहुत पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की गई—

(लाख रुपयों में)

1. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	27.44
2. अनुसंधान एवं विकास	2.80
3. प्रोजेक्ट पैकेज योजना	125.25
4. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास	60.00
5. राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक	16.20
6. ग्रिफ्ट फंड स्कीम	18.00
7. स्वास्थ्य पैकेज योजना	58.00
8. समूह बीमा योजना	10.00
9. कार्यशाला-सह-आवास योजना	182.00
10. हथकरघा विकास केन्द्र योजना	404.89
11. राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह कार्यक्रम	4.50
12. विपणन विकास सहायता/विशेष छूट	397.15
13. जनता कपड़ा योजना	665.35
कुल	1971.58

[अनुवाद]

राजस्थान स्थित बैंकों का ऋण एवं जमा राशियों के बीच अनुपात

4615 श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऋण अग्रिम की तुलना में राजस्थान स्थित सभी बैंकों द्वारा एकत्रित जमा राशि अपेक्षाकृत काफी अधिक थी;

(ख) क्या वर्ष 1987 के पश्चात राजस्थान के लिए ऋण एवं जमा राशि के बीच अनुपात ऋण एवं जमा राशि के बीच अखिल भारतीय अनुपात के संदर्भ में नकारात्मक रहा है;

(ग) क्या ऋण एवं जमा राशि के बीच अनुपात, जो सितम्बर 1993 में 49.85% था, सितम्बर 1994 में और अधिक कम होकर 43.32% रह गया है;

(घ) क्या राज्य में संसाधानों की व्यापक संभाव्यता और मांग के बावजूद वाणिज्यिक बैंक राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) मार्च 1987 से मार्च 1994 तक की अवधि के लिए राजस्थान में और पूरे देश के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण राशि जमाराशि और ऋण जमा अनुपात (सी डी अनुपात) नीचे दिए गए हैं—

राजस्थान और देश दोनों के लिए ऋण जमा अनुपात के आंकड़ों में उपर्युक्त अवधि के दौरान गिरावट आई है।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान राज्य में निम्न ऋण जमा अनुपात के कारणों की विशेष रूप से पुनरीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए सिफारिशों करने के वास्ते कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। राज्य के लिए संयोजक बैंक, बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि रिपोर्ट के आलोक में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(रु. लाख में)

	राजस्थान			अखिलभारत		
	ऋण	जमाराशि	ऋण जमा अनुपात	ऋण	जमाराशि	ऋण जमा अनुपात
मार्च. 1987	174238	260218	67.0	6667291	10311248	64.7
मार्च, 1988	198077	315876	62.7	7490320	11867801	63.1
मार्च, 1989	243165	386337	62.9	9600852	14689050	65.4
मार्च, 1990	286314	460428	62.2	11359200	17275853	65.8
मार्च, 1991	313137	553965	56.5	12251018	20003569	62.2
मार्च, 1992	342625	615938	55.6	14221092	23308569	61.0
मार्च, 1993	400352	725610	55.2	16583621	27406793	60.5
मार्च, 1994	424671	863020	49.2	18001659	31791750	56.6

इंजीनियरिंग व्यापार मेला

4616 श्री आनन्द रन्त मौर्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोई इंजीनियरिंग व्यापार मेला आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यापार मेलों में हुई परस्पर बातचीत के आधार पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन व्यापार मेलों को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय उद्योग परिसंघ, (सी.आई.आई.) जो देश का एक शीर्षस्थ औद्योगिक संगठन है, ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 12-19 फरवरी, 1995 को 11वें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 50 से अधिक विदेशी क्रेता शिष्टमंडलों तथा 24 देशों के 1700 प्रदर्शकों ने भाग लिया। सी.आई.आई. के अनुसार, इस मेले में जो व्यापार हुआ और वास्तव में जो आदेश बुक किए गए थे क्रमशः 51,250 मिलियन रु. तथा 210 मिलियन रु. थे थे।

(ग) से (ङ) इस प्रकार के मेलों में आपसी व्यापार क्रियाकलापों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार को संयुक्त उद्यम स्थापित करने का अपनी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के गैर-सरकारी पार्टियों के प्रस्तावों पर समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसारा योग्यता के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जापान का शिष्टमंडल

4617 श्री रामपाल सिंह :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और शिष्टमंडल द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव पर विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जापान के एक सरकारी मिशन ने 15 से 23 अप्रैल, 1995 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) मिशन ने 1995-96 के येन पैकेज को निधि प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार के साथ चर्चाएं कीं। भारत सरकार ने ओ. ई. सी. एफ. की ऋण सहायता के लिए 29 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया था जिनमें से मिशन ने चर्चा हेतु 17 परियोजनाओं को छांटा। इस संक्षिप्त सूची में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए एक क्रेडिट शृंखला भी शामिल थी। 1995-96 के ऋण पैकेज को निधि प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

बोध गया हवाई अड्डे का विकास

4618 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बोधगया में पर्यटक स्वागत केन्द्र, गया में यात्री निवास बनाने तथा अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). बिहार राज्य सरकार से बोधगया में पर्यटक स्वागत केन्द्र, गया में यात्रिका के निर्माण और जन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान क्रमशः 20.55 लाख, 50.59 लाख और 12.86 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत कर दिए गए थे।

[हिन्दी]

वायुदूत पर ऋण

4619 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुदूत के इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के समय इस पर भारी ऋण था;

(ख) क्या उक्त ऋण की अदायगी-अगले कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ऋण की कुल राशि कितनी है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी ऋणराशि अदा कर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) शेष ऋण राशि का भुगतान किस तरह से किया जाएगा और निधि किन स्रोतों से प्राप्त की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार, वायुदूत की कुल देयताएं 183.45 करोड़ रुपए थीं। पुनः भुगतान और देवताओं की (सर्विसिंग) पर 5 वर्षों का ऋणस्थगन है। इसके बाद इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 10 वार्षिक किस्तों में देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

पर्यटन कार्य योजना

4620 **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत दो महीनों से पर्यटकों का आवागमन कम हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1994 और 1995 के जनवरी, फरवरी और मार्च माह में पर्यटक आगमन का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

पर्यटक आगमन

महीना	1994	1995
जनवरी	1,92,551	1,97,343
फरवरी	1,72,642	1,87,614
मार्च	1,87,129	1,88,252 (संशोधित)

साखपत्रें की रियायती दरें

4621 **कुमारी सुशीला तिरिया** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साख पत्रें को रियायती-दरों पर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि साख पत्र खोलने के लिए सेवा प्रभार लगाने के संबंध में उसने बैंकों को कोई निर्देश या मार्गनिर्देश नहीं जारी किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को अधिक मात्रा में धन का उपलब्ध किया जाना

4622 **श्री राम निहोर राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एन एस एफ डी सी) ने अभी हाल में अधिक धन दिए जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). कल्याण मंत्रालय ने 1995-96 के दौरान बाजार से उधार ले कर 50 करोड़ रुपए तक के आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है।. योजना आयोग इससे सहमत हो गया है।

डिटरजेंट पर शुल्क

4623 **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के बजट में शुल्क में राहत दिए जाने के उद्देश्य से ''बहु उपभोग्य वस्तुओं'' और आम जनता की खपत की वस्तुओं की पहचान करने का मूल आधार क्या है;

(ख) क्या डिटरजेंट जिसका 70% उत्पादन ''नान पावर डिटरजेंट'' क्षेत्र में किया जाता है तथा जिसकी खपत पूर्णतया निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग द्वारा की जाती है तथा यह आम जनता की खपत की आवश्यक वस्तु मानी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो किन कारणों से वर्ष 1991-92 से डिटरजेंट 30% के अंतर्गत आता है तथा तब से इस पर कोई शुल्क संबंधी राहत दिए जाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई;

(घ) क्या ऐसी कोई अन्य 'बहु उपभोग्य' और 'आम जनता की खपत' की वस्तुएं हैं जिन पर डिटरजेंट की तरह 30% शुल्क लगाया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार के 'बहु उपभोग्य' और 'आम जनता की खपत' की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने के वायदे के अनुसार क्या सरकार डिटरजेंट पर लगे शुल्क में कमी किए जाने पर भी विचार करेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है जिनमें माल का स्वरूप, खपत और उपयोग का स्वरूप, मांग और पूर्ति की स्थिति और ऐसे माल के उपभोक्ताओं का स्वरूप शामिल होते हैं।

(ख) और (ग). धुलाई के साबुनों के मूल्य में काफी अन्तर होता है और इनका उपयोग सभी वर्गों के लोग करते हैं। फिलहाल, धुलाई साबुनों पर 30% उत्पाद शुल्क की दर को शुल्क की सही दर समझा गया है।

(घ) से (ङ). इंस्टेंट कॉफी, पान मसाला, वातित जल, सिगरेटों, खाने का तम्बाकू, नमकीन, सफेद सीमेन्ट, सौन्दर्य वर्धक और प्रसाधन निर्मितियों जैसी वस्तुओं पर 30% या उससे अधिक उत्पाद शुल्क लगता है।

(च) और (छ). इस समय धुलाई साबुनों पर उत्पाद शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि फिलहाल इस दर को उपयुक्त समझा गया है।

बीमा पालिसी

4624 **डा. रमेश चन्द तोमर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ने अपनी अनुषंगी कम्पनियों को बीमाकृत व्यक्ति के प्रीमियम का चेक अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में बीमा पालिसी के निरस्तीकरण/पुनः चालू किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा कम्पनियां खोये जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद दोबारा प्रीमियम लेकर निरस्त की जा चुकी पालिसी को पुनः चालू करने और उसके पश्चात दावे की राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. दिल्ली द्वारा पुनः चालू की गई पालिसियों और इसके पश्चात दावे की राशि अदा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा अपनायी गयी लेखा-विधि के तहत जब प्रीमियम चैक अस्वीकृत हो जाते हैं तो बीमा पालिसियों का रद्द किया जाना जरूरी हो जाता है। ऐसी पालिसियों को केवल उस तारीख से जब बीमाकृत व्यक्ति द्वारा नया प्रीमियम चैक प्रस्तुत किया जाता है, पुनः चालू किया जा सकता है। पूर्वप्रभावी तारीख से पुनः चालू किया जाना संभव नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टी.टी.सी.आई. के अंतर्गत चाय बागान

4625 **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लुकसान चाय बागान सहित सभी चाय संपदाओं/बागानों को टी.टी.सी.आई. को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये बागान/संपदाएं कब तक बेच दी जाएंगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय चाय व्यापार निगम लि. के बागान प्रभाग को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि निगम के सभी पांच बागानों को बेच दिया जाए।

(ग) चार बागानों अर्थात पाम्बोक, बाह तुकवार, लुकसान और पोतोंग चाय बागानों के बारे में इच्छुक पार्टियों की वित्तीय पेशकश पर कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पांचवें चाय बागान अर्थात पाचिनी के बारे में भी पेशकश आमंत्रित की गयी हैं। जिसकी प्राप्ति की अंतिम तारीख 18 मई, 1995 है।

सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा हो जाने पर, सफल बोली लगाने वालों को इन चाय बागानों के स्वामित्व के हस्तांतरण की कार्रवाई यथा संभव शीघ्र की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप प्रणाली

4626 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच प्रतिभूति निक्षेप प्रणाली शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस प्रणाली को कब से कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). जी, नहीं। निक्षेप प्रणाली चालू करने के लिए कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। सरकार इस समय इस प्रयोजन के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार कर रही है।

आयात की जाने वाली मदें

4627 श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार आयातों की निषेधात्मक सूची क्या है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान सूची में से किसी वस्तु विशेष का आयात किया गया है और यदि हां, तो मद-वार कितना और कितने मूल्य का किया गया है; और

(ग) 1994-95 के दौरान किन-किन वस्तुओं के लिए विशेष आयात लाइसेंस जारी किए गए थे और मद-वार उसकी मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). आयातों की निषेधात्मक सूची आयात-निर्यात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1995) के अध्याय 15 में दी गई, इसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। उपभोक्ता वस्तुओं, भेषज और औषधियों, एअरक्राफ्ट आदि सेक्टर में सूचीबद्ध मदों के लिए लगभग 1428 करोड़ रुपए की सी आई एफ मूल्य के 640 लाइसेंस जारी किए गए थे। चूंकि लाइसेंस विशिष्ट मात्रा/सी आई एफ मूल्य के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए आयात की मात्रा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती है जो समय-समय पर अलग-अलग होती है और इसलिए वास्तव में आयातित मदों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश को आबंटन

4628 डा. लाल बहादुर रावल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण और पात्र प्रस्तावों के आधार पर 416.44 लाख रुपए की लागत पर 30 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं। स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि (रु. लाखों में)
	1992-93	
1.	नंदप्रभाग में तम्बुओं में आवास स्थापित करना	6.38
2.	(1) अगस्त मुनि (स्थल को चांद नगर में शिफ्ट कर दिया गया)	10.36
	(2) हेलांग (स्थल को किन्नौर में शिफ्ट कर दिया गया) में मेडल केन्द्र स्थापित करना	10.41
3.	जन-सुविधाओं सहित हरिद्वार में यात्री शेड	20.68
4.	वृन्दावन में काशीघाटा का सुधार	18.00
5.	फतेहपुर सीकरी की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	15.15
6.	वृन्दावन में तम्बुओं में आवास	10.00
7.	ताज महोत्सव	5.36
8.	नोदघाट उत्सव	1.00

	1993-94	
1.	मुरादनागर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.35
2.	फरेन्दा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.27
3.	शाहगंज में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.28
4.	तरधान (मेरठ जिला) में पर्यटक लाज	13.48
5.	खण्डाला में पर्यटक लाज	10.07
6.	बटेश्वर में पर्यटक लाज	13.59
7.	बटेश्वर में घाटों का सुधार	20.00
8.	ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट	23.97
9.	जशने अवध	4.70
10.	अकबर उत्सव	2.88
11.	नोएडा में गोल्फ पाठ्यक्रम	37.45
	1994-95	
1.	सारनाथ में पर्यटक स्वागत केन्द्र	28.24
2.	सारनाथ में मनन केन्द्र	64.71
3.	चौखण्डी स्तूप के चारों ओर विकास	3.40
4.	वाराणसी घाट पर स्मारकों का प्रकाश-पुंज व्यवस्था	16.50
5.	श्रावस्ती में रेस्तरां व प्रतीक्षा हॉल	12.26
6.	रेस्तरां व प्रतीक्षा हॉल, कुमीनगर	12.25
7.	रेस्तरां व प्रतीक्षा हॉल, पालिया	12.26
8.	प्रचार मेले और उत्सव	
	(1) ताज महोत्सव	5.00
	(2) अवध उत्सव, लखनऊ	2.34
	(3) प्रचार साहित्य का मुद्रण	11.10
	जोड़	416.44

विद्युतकरधा और निर्यात-संवर्द्धन परिषद

4629 श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतकरधा क्षेत्र के विकास तथा इसके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विद्युत करघा और निर्यात संवर्धन परिषद जैसी किसी संस्था की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय लेगी; और

(ग) प्रस्तावित परिषद के क्षेत्राधिकार संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने विद्युत करघा क्षेत्र के लिए विद्युत करघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ग) नई परिषद का मुख्य उद्देश्य विद्युत करघा के विकास को प्रोत्साहन तथा सहायता ऐसा और विद्युत करघा फैब्रिक्स और उसके मेड अप्स का निर्यात करना है तथा ऐसी गतिविधि का इस तरीके से कार्यान्वयन करना है जो कि आवश्यक अथवा यथोचित हो।

[अनुवाद]

पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस

4630 डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में पोस्त की खेती करने वालों को लाइसेंस देने के लिए क्या नीति अपनायी थी;

(ख) क्या उपायुक्त मध्य प्रदेश (स्वापक) ने बहुत सी अपीलों को अभी तक नहीं निपटाया है;

(ग) क्या लाइसेंस देने में मैनुअल के एन.डी.पी.एस. नियमों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) फसल वर्ष 1994-95 के लिए पोस्त के उत्पादकों को लाईसेंस जारी करने के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज 43 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई थीं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन सभी किसानों को जिन्होंने वर्ष 1993-94 के दौरान 43 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से न्यूनतम उपज प्रस्तुत की थीं, उन्हें फसल वर्ष 1994-95 के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं बशर्ते कि उन्होंने औषधियों के अवैध व्यापार, लाइसेंस-शुदा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती करने आदि जैसी किन्हीं अन्य शर्तों का अन्यथा उल्लंघन न किया हो। राजस्थान और मध्य प्रदेश के केवल उन्हीं गांवों में नए किसानों को अफीम-पोस्त के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे जिनकी गत तीन वर्षों के दौरान औसत फसल 40 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से अधिक थी।

(ख) मध्य प्रदेश के बहुत से किसानों और अखिल भारतीय अफीम उत्पादक संगठन नामक एक संगठन ने वर्ष 1993-94 में अर्हकारी उपज को 40 कि.ग्रा. से बढ़ा कर फसल वर्ष 1994-95 के लिए 43 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर करने के बारे में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर पीठ में रिट-याचिका सं. 1760/94 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन सभी किसानों को वर्ष 1994-95 के लिए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए जिन्होंने वर्ष 1993-94 के दौरान 40 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर उपज प्रस्तुत की है। सरकार ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरम्भ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी और बाद में इसे अंतिम रूप से निपटाने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया और साथ ही इस बीच स्थगन आदेश को जारी रखने के लिए आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभी रिट याचिका सं. 1760/94 पर निर्णय नहीं लिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए, उन किसानों द्वारा उप-नार्कोटिक्स आयुक्त, नीमच के समक्ष दायर की गई अपीलों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिन्होंने 40 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से अधिक किन्तु 43 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से कम दर पर अफीम प्रस्तुत की थी। जैसे ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले का निपटान कर लिया जाएगा, इन अपीलों का निर्णय कर लिया जाएगा।

(ग) लाइसेंसों के आंवटन के मामले में स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत यथा विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार लाइसेंस जारी किए गए।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) एवं (ग) को देखते हुए कोई जांच किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा भंडार

4631 श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी मुद्रा भंडार के विस्तृत संघटक कौन-कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार भारतीय रिजर्व बैंक ने इस भंडार के कितने हिस्से का पूंजी-निवेश किया था और उस पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादकता कार्यों के लिए इस भंडार का उपयोग न किए जाने के कारण मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1995 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के व्यापक संघटक नीचे दिए गए हैं :

(अमरीकी मिलियन डालर)

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	20809
विशेष आहरण अधिकार	7
सोना	4370
	25186

(ख) भंडारों का अनेकों मुद्राओं/विदेशी साधनों में विवेकपूर्ण भंडारों के प्रबंधन के मानदंडों के अनुकूल परिनियोजन किया है। प्रारक्षित भंडारों की मुद्रा संरचना को प्रकट करना जनता के हित में नहीं है।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का उपयोग अधिक निवेश और अधिक प्रभावशाली उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयातों के साथ-साथ आयातित काम में आने वाली वस्तुओं, पूंजीगत सामानों, कच्चे माल आदि के लिए अर्थव्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। प्रारक्षित भंडरों का उपयोग, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को बनाए रखे जाने के लिए उपायों के रूप में घरेलू मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आवश्यक मदों के आयात हेतु भी, जब आवश्यक हो, किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गैर-सरकारी बैंक

4632 श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर गैर-सरकारी बैंक स्थापित किए गए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कौन-कौन से बैंक मुनाफा कमा रहे हैं और कौन-कौन से बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने घाटे में चल रहे बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना किए जाने से संबंधित 22 जनवरी, 1993 के इसके दिशानिर्देशों के जारी होने के समय से अबतक उसने इन्डसइंड बैंक लि. और एच डी एफ सी बैंक लि. को महाराष्ट्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय क्रमश: पुणे और बम्बई में होंगे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वित्तांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैंकों के तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: घाटा उठाने वाले बैंक (बैंकों) के नाम नहीं दिए जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिनलैंड के साथ व्यापार

4633 श्री गोपीनाथ गजपित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिनलैंड के साथ व्यापार बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में भारत फिनलैंड व्यापार आरम्भ किए गए हैं;

(ग) भारत-फिनलैंड व्यापार के विस्तार के लिए अभिनिर्धारित नए क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उस देश के साथ व्यापार संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार का यह प्रयास रहता है कि फिनलैंड सहित अपने सभी व्यापारिक साझीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जाए।

(ख) फिनलैंड को भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें हैं—प्रसंस्कृत खनिज, वस्त्र, परिधान, कपफी तथा कालीन। फिनलैंड से आयात होने वाली प्रमुख मदों में अखबारी कागज, कागज, लुगदी, लोहा तथा इस्पात, मशीनरी और परियोजना सामान शामिल हैं।

(ग) फिनलैंड को निर्यात हेतु संभाव्य क्षेत्रें में शामिल हैं—कंप्यूटर साफ्टवेयर, इंजीनियरी मदें, खाद्य-उत्पादन, कृषि औजार और लघु उद्योगों के लिए मशीनें। फिनलैंड से अधिक आयात विद्युत उत्पादन, दूरसंचार और ऊर्जा संरक्षण उपस्करों के क्षेत्र में संभव है।

(घ) फिनलैंड के साथ व्यापार संबंधों में सुधार के लिए किए गए उपायों में सरकारी और व्यापारी स्तर पर नियमित द्विपक्षीय सम्पर्क शामिल हैं। इनमें ये शामिल हैं— जनवरी, 1995 में भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग के 9वें सत्र का आयोजन और उस समय फिनलैंड से प्रमुख व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ फिनलैंड के विदेश व्यापार मंत्री का दौरा।

आई एफ सी आई द्वारा सलाहकारों की सेवा लेना

4634 श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम लिमिटेड विदेशी सलाहकारों की सेवा ले रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई एफ सी आई द्वारा सेवाओं में विस्तार करने तथा इसमें गति लाकर इसे उपभोक्ता के अनुकूल बनाने हेतु अब किन-किन संभावनाओं का पता लगाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई एफ सी आई) ने सूचित किया है कि उसने बाहरी देशों द्वारा स्थापित तीन सहायक कंपनियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। आई एफ सी आई ने व्यवसाय संबंधी नीति, संगठनात्मक पुनर्संरचना, क्षतिपूर्ति पैकेज और निष्पादन मूल्यांकन के क्षेत्रों में सलाह देने के लिए भी विदेशी परामर्शदाताओं का चयन किया है।

(ग) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि उसने शीर्ष प्रबंध समिति स्थापित की है, जिसमें निश्चित समय सीमा में प्रत्येक प्रस्ताव के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी देने के लिए वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं। स्वीकृतियों की प्रगति संवितरण तथा सहायता प्राप्त संबंधित व्यक्तियों से देय राशियों की वसूली पर निगरानी रखने के लिए आई एफ सी आई द्वारा सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के अध्यक्षों की मासिक पुनरीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की जाती है। उद्यमियों से मिली शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

विमानपत्तन के अन्दर अनाधिकार प्रवेश

4635 श्री सुशील चन्द्र शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विमानपत्तनों के अंदर अनाधिकार प्रवेश को रोकने की शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) गत छः माह के दौरान भारत में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर "एप्रेन" नियमों का उल्लंघन करते हुए अनाधिकार प्रवेश, विशेषतः 'एप्रेन एरिया' में, के कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इन नियमों के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम अली आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1.10.1994 से 31.10. 1995 की अवधि के दौरान पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिक्रमण के 489 मामलों का पता लगाया है। उल्लंघन के मामले, अनाधिकार प्रवेश, अधिक तेज गति से वाहन चलाना/लापरवाही से वाहन चलाना, गलत ढंग से पार्सिंग करना आदि किस्म के हैं।

फिलिपाइन्स के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता

4636 श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार दोहरे कराधान से बचने के लिए फिलिपाइन्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते पर किस तिथि तक हस्ताक्षर किए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत और फिलिपीन्स के बीच दोहरे कराधान के परिहार के बारे में एक करार पर दिनांक 12.2.1990 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, इस करार को अभी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है। इस करार में एक देश के उद्यम के कारोबार के लाभों पर दूसरे देश में केवल तभी कराधान किए जाने का प्रावधान है यदि वह दूसरे देश में स्थायी रूप से स्थापित हो। स्रोत देश में नौवहन और विमान संबंधी लाभों पर कराधान को 40 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा। लाभांशों, रायल्टियों और ब्याज पर रियायती दरों पर कर लगाया जाना है, कर की धोखाधड़ी अथवा अपवर्धन की रोकथाम करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंक

4637 श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में कितनी राशि जमा की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसानों के लिए बैंक-वार कुल कितनी राशि मंजूर की गई और वास्तव में उन्हें कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किसानों से कितनी राशि वसूल की गई;

(ङ) क्या इस तरह का ऋण प्रदान करने के संबंध में इन बैंकों के अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

4638 श्री एन. जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कुछ उप-क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी कब तक स्थापना की जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बैंक शाखाओं को सैटेलाइट नेटवर्क के साथ जोड़ना

4639 श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों की शाखाओं को सैटेलाइट संचार नेटवर्क के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है और किन-किन बैंकों को इस नेटवर्क के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन बैंकों को सैटेलाइट संचार नेटवर्क के साथ कब तक जोड़ दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र हेतु संस्थागत ढांचा

4640 श्री बोल्ला बुल्सी रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लघु उद्योग क्षेत्र की पूंजी बाजार में प्रवेश सुगम बनाने की दृष्टि से एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की अविलंबनीय आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रलय ने इस बात को महसूस किया है कि ऋण अंतर को पाटना और कार्यचालन पूंजी की अपर्याप्तता की समस्या दूर करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई ठोस प्रयास किए गए हैं जिसके अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र पूंजी बाजार में प्रवेश कर सके; और

(घ) इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार लघु क्षेत्र की पूंजी बाजार तक पहुंचने का माध्यम मुहैया कराने के लिए विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करती रही है। पूंजी बाजार में लघु क्षेत्र के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत 23 अगस्त, 1989 को "ओवर दि काउन्टर (ओ. टी. सी.) एक्सचेंज आफॅ इंडिया" को मान्यता दी। एक्सचेंज ने अक्तूबर 1992 में कारोबार आरम्भ कर दिया। दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी वाली कंपनी ओ.टी.सी. एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र है जबकि अन्य स्टाक एक्सचेंजों में यह राशि 3 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, ओ. टी. सी. एक्सचेंज लघु क्षेत्र को पूंजी बाजार में प्रवेश करने की सुविधा देता है।

होटलों में कार्यरत बच्चे

4641 श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री कुंजी लाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में होटलों में कार्यरत बच्चों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह जानती है कि इन होटलों के मालिक अपने होटलों में कार्यरत बच्चों का शोषण कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा होटलों में बच्चों को लगाए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, होटलों सहित अन्य श्रेणी की सेवाओं में कार्यरत मुख्य बाल श्रमिकों की संख्या 3.2 लाख है। समूचे देश के होटलों में कार्यरत बच्चों की संख्या नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन अधिनियम की अनुसूचि के भाग (क) और (ख) में शामिल व्यक्तियों और प्रक्रियाओं में प्रतिषिद्ध है। बालकों की कार्य दशाओं का नियमन होटलों सहित उन सभी नियोजनों में किया जाता है जो बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध नहीं हैं। केन्द्र सरकार/राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करते हैं। अधिनियम के किसी नियामक उपबंधों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड

4642 श्री रमेश चैन्नितला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वेतन भोगी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों हेतु वेतन बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन्हें अपनी सिफारिशें दिए जाने के लिए कोई समय सारणी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सरकार ने अपनी दिनांक 2.9.1994 की अधिसूचिना के द्वारा एक पत्रकारों और दूसरा गैर-पत्रकार समाचार पत्र और न्यूज-एजेंसी कर्मचारियों के लिए दो वेतन बोर्डों का गठन किया। दोनों वेतन बोर्डों का एक ही अध्यक्ष है, दो स्वतंत्र सदस्य दोनों वेतन बोर्डों में हैं और नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक के दो-दो सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वेतन बोर्डों की सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है।

हवाला कारोबार करने वाले लोग

4643 श्री मोहन रावले :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन को बाहर भेजने वाले हवाला कारोबारियों और तस्करों को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के प्रयास सफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों और राजनैतिज्ञों के बीच सांठ-गांठ की जांच करने वाली एक सदस्यीय वोहरा समिति के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी तट रेखा और भूमि सीमाओं पर होने वाले इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में किए गए प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का पता चला है फिर भी इन उल्लंघनों को रोकने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। विदेशी मुद्रा का आगमन पहले की अपेक्षा अब सरकारी स्रोतों द्वारा बड़ी मात्रा में हो रहा है।

(ग) श्री वोहरा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गृह मंत्रालय में विचाराधीन है।

एयर इंडिया और कनाडा एयरलाइन्स द्वारा संयुक्त संचालन

6444 श्री शरत पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का देश में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कनाडा एयरलाइन्स के साथ संयुक्त रूप से विमान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). बैंकोवर/हांगकांग/दिल्ली सैक्टर और इसकी विपरीत दिशा में, कनाडा एयर लाइन्स के साथ एक संयुक्त प्रचालन के संबंध में एक प्रस्ताव पर एयरलाइन्स स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रचालन का आरंभ किया जाना हांगकांग प्राधिकारियों के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4645 श्री दत्ता मेघे :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री कुंजी लाल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री प्रवीन डेका :
श्री अन्ना जोशी :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विदेशी सहायता के राज्य-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी

विदेशी सहायता प्रदान की है और संबंधित राज्य सरकारों ने प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ग) प्रत्येक मामले में मामले में कितना विलम्ब हुआ है और लागत में कितनी वृद्धि हुई है तथा सरकार ने इस परियोजनाओं की लागत में वृद्धि और विलम्ब को कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कुछ और प्रस्ताव मिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को ऋण

4646 **श्री गाभाजा मंगाली ठाकुर :**

डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक गुजरात और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के कितने बेरोजगार युवकों ने बड़े मध्यम और छोटे उद्योग लगाने हेतु बैंक ऋण के लिए आवेदन किया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन आवेदकों को कितना ऋण मंजूर किया गया और प्रत्येक राज्य में ऐसे लाभार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). गुजरात राज्य के संयोजक बैंक देना बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उन युवाओं की संख्या, जिन्होंने गुजरात में बड़े, मझोले और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण के वास्ते आवेदन किया, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 1912 और 1983 है। 1993-94 के दौरान 1601 व्यक्तियों को 612.13 लाख रुपए और 1994-95 के दौरान 1547 व्यक्तियों को 424.00 लाख रुपए की राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में किसानों को ऋण

4647 **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में नलकूप लगाने के लिए कितने छोटे और सीमान्त किसानों को क्रमशः सहकारी, वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहातया देने में कतिपय बैंकों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लब

4648 **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कार्यरत फ्लाइंग तथा ग्लाइडिंग क्लबों की संख्या कितनी है, ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं, इनकी स्थापना किन-किन तिथियों पर हुई तथा उनके अधीन विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इनमें से प्रत्येक क्लब की कितनी-कितनी राजसहायता दी गई; और

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इन क्लबों की कार्यगुणवत्ता के संबंधा में इनमें से प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा दिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1951 में इंदौर में स्थापित "मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब" म.प्र. में सरकारी सहायता प्राप्त एकमात्र उड़ान क्लब है। वर्ष 1958 में भोपाल में इस क्लब की एक शाखा स्थापित की गई थी। इस समय इस क्लब के पास पांच विमान हैं। इसके अलावा, वर्ष 1990 में इंदौर में उड़ान रिसर्च एण्ड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नाम के एक गैर सरकारी उड़ान क्बल ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया। इस क्लब के पास छः विमान हैं।

(ख) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब को वर्ष 1992-93 में 7.49 लाख रुपए, 1993-94 में 11.87 लाख रुपए तथा 1994-95 में 18.61 लाख रुपए की सहायता दी थी। गैर-सरकारी क्लब को कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई थी।

(ग) क्लबों की रैंक देने की कोई प्रणाली नहीं है।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों को ऋण

4649 **श्री एस. एम. लालजान बाशा :**

डा. खुशीराम बुगरीमल जेस्वाणी :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान परियोजना पैकेज स्कीम के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को ऋण देने हेतु केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों को पहले दिए गए ऋणों को माफ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिए वर्ष 1994-95 में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिसमें हथकरघा विकास केन्द्र योजना प्रोजेक्ट पैकेज योजना और एकीकृत ग्राम विकास योजना शामिल हैं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1995-96 के बजट प्राक्कलन में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 में प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 1994-95 स्वीकृत ऋण राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	15.8125
2.	हिमाचल प्रदेश	15.00
3.	असम	7.875
4.	बिहार	5.87125
5.	गुजरात	6.375
6.	हरियाणा	2.00
7.	हिमाचल प्रदेश	6.00
8.	कर्नाटक	29.00
9.	केरल	45.175
10.	मध्य प्रदेश	3.40
11.	महाराष्ट्र	33.4125
12.	मणिपुर	13.70
13.	उड़ीसा	10.39125
14.	राजस्थान	32.9075
15.	तमिलनाडु	23.33
16	त्रिपुरा	1.00
17.	उत्तर प्रदेश	15.50
18.	पश्चिम बंगाल	3.25
	कुल	300.00

ट्रेड यूनियनों को मान्यता

4650 **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम में ट्रेड यूनियन से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ट्रेड यूनियन की सदस्यता की, मान्यता के प्रयोजनार्थ गुप्त मतदान द्वारा अनिवार्य रूप से जांच करने हेतु कोई विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर पाबन्दी

4651 **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इसके वन विभाग के पास उपलब्ध लाल चन्दन की लकड़ी के 1200 मीट्रिक टन भंडार के निर्यात हेतु लाल चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर लगी पाबन्दी से एक बार छूट देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी हां। चालू नीति के उपलबन्धों के अनुसार, लाल चन्दन की लकड़ी, चाहे वह अनगढ़ हो अथवा परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत किसी भी रूप में हो और उससे बने किसी भी उत्पाद का निर्यात वर्जित है।

किन्तु लाल चन्दन की लकड़ी का लठ्ठों के रूप में निर्यात करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव मिलने पर यह मामला पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया गया था। उस मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने उत्तर में सुझाव दिया है कि लाल चन्दन की लकड़ी का लठ्ठों के रूप में निर्यात किए जाने की बजाए लाल चन्दन की लकड़ी की संचित स्टाक में से वाद्य यंत्रों, लाल चन्दन के ऐक्स्ट्रैक्शन आदि जैसी मूल्यवर्धित मदें बनाने पर विचार किया जाए। इन मूल्यवर्धित मदों के निर्यात से अपेक्षतया अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

रुग्ण कपंनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री

4652*. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद किए जाने के लिए उपयुक्त पायी गयी रुग्ण कंपनियें की परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए एक पृथक एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परिसम्पत्तियों की बिक्री का कार्य गैर-सरकारी एजेंसियों को सौजने की संभाव्यता के बारे में पता लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने मामले की जांच के लिए एक समूह का गठन किया है।

(ग) और (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइपर) ने सूचित किया है कि उसने 12 परामर्शदात्री फर्मो (सरकारी और गैर सरकारी दोनों में)/ चार्टर्ड लेखाकार फर्मो को यह जानने के लिए नवम्बर 1994 में लिखा था कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपलबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 (4) के अंतर्गत बाइपर द्वारा आदेशित रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री के कार्य को करने में उनकी रुचि है या नहीं। जबकि एक कंपनी ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है, अन्यों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

4653 श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी कितनी शाखाएं हैं जिनमें कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा क्लीनिक है;

(ख) कितने क्लीनिकों में स्थायी आधार पर चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं;

(ग) स्थायी चिकित्सा अधिकारियों को सेवाओं के बिना कितने क्लीनिक कार्यरत हैं; और

(घ) आज तक इन क्लीनिकों में स्थायी चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (घ). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी दिल्ली स्थित 8 शाखाओं/कार्यालयों में मेडिकल क्लीनिक सुविधा है। इन 8 में से 7 क्लीनिकों में स्थायी आधार पर चिकित्सा अधिकारी हैं। एक में हाल ही में स्थायी चिकित्सा अधिकारी का पद बनाया गया है और बैंक उसे भरने के लिए केन्द्रीय भर्ती बोर्ड को मांग पत्र भेजने हेतु कार्रवाई कर रहा है जो बैंक में अधिकारियों की भर्ती करते हैं। उस समय तक, जबतक कि रिक्ति को स्थायी आधार पर भरा नहीं जाता, बैंक एक चिकित्सा अधिकारी को सेवाओं का उपयोग अनुबंधित आधार पर कर रहा है।

[हिन्दी]

फूलों का निर्यात

4654 श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुष्प कृषि के विकास के लिए फूलों के निर्यात की उत्पादकता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त दल की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पुष्प कृषि के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सृजित किए गए आधारभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है तथा इसको निर्यात क्षमता के अधिकतम दोहन और उपयोग करने के लिए क्या प्रणाली तैयार की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) पुष्पोत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाए किए गए हैं, उनमें कुछ नीचे दिए गए हैं—

(i) प्रशीतित/ऊष्मा रोधी बंदगाड़ियों जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए और प्रशीतन-पूर्व/प्रशीतन भंडार ईकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) निकासी के लिए प्रतीक्षा में पड़े निर्यात माल हेतु पांच चलते-फिरते प्रशीतन-भंडारों की स्थापना करना;

(iii) ग्रीन-हाउस के लिए अपेक्षित निश्चित सामानों पर रियायती सीमा शुल्क लगाना।

(iv) निर्यातोन्मुख इकाईयों/निर्यात संसाधन जोन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले शुल्क मुक्त आयातों के लाभ पुष्पोत्पादन में लगी इकाईयों को भी मुहैय्या कराते हुए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपने उत्पादन का 50% बिक्री करने की अनुमति देना;

(v) फूलों के उत्पादन एव तोड़े गए फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए यूएनडीपी की सहायता प्राप्त पुष्पोत्पाद संबंधी एक परियोजना को लागू करना। इस परियोजना में किए जाने वाले क्रिया-कलापों में कुछ शामिल

हैं, उद्यमियों को पुष्पों के उत्पादन के बारे में परामर्श देना, फसल नियमावली तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार के बारे में सूचना देना; और

(vi) अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा बैंक ऋणों का भुगतान

4655 प्रो. उम्मरेड्डि वेंक्टेस्वरल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त ऋणों का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारें एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी नान परफारमिंग एसेट्स का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षी बोर्ड

4656 श्री अंकुशराव टोपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों, इसके कार्यकरण और खर्चों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियम, 1994 के अनुक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड ने 16 नवंबर, 1994 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं—

(i) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(ii) उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक जिनमें से एक उप गवर्नर को गवर्नर द्वारा पूर्णकालिक उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड से गवर्नर द्वारा चार निदेशक सदस्यों के रूप में नामित किए जाएगे।

बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग संस्थाओं जैसी विभिन्न वित्तीय प्रणाली के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बोर्ड, कार्य करेगा और पर्यवेक्षण और निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा। वह ऐसे अन्य सभी कार्य करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग भी करेगा जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेश बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

[हिन्दी]

जूट निर्माता विकास परिषद की विकास और समन्वयन समिति

4657 श्री रामकृपाल यादव :
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट निर्माता विकास परिषद (जे. एस. डी. सी.) ने एक नई विकास और समन्वयन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नई समिति के गठन का ब्यौरा क्या है और इसे क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जे एस डी सी द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 1994 को गठित समिति की निम्नलिखित संरचना है :

सदस्य :

1. संयुक्त सचिव (पटसन), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. पटसन आयुक्त, भारत सरकार, कलकत्ता	सह-अध्यक्ष
3. निदेशक (आई एफ डब्ल्यू), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4. अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता	सदस्य
5. अध्यक्ष, कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिप्पर्स एसोसिएशन कलकत्त	सदस्य
6. निदेशक, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता	सदस्य
7. श्री अकोन बोरन, टोकाबारी, गुवाहाटी, असम (पटसन उपजकर्ताओं के प्रतिनिधि)	सदस्य
8. सचिव, पटसन विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता	संयोजक

स्थाई आमंत्रित सदस्य

1. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र।
2. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक (पटसन) यू एन डी पी, नई दिल्ली।
3. श्री जी. श्रीनिवास, मैसर्स कारीकोर इंडस्ट्रीज, मद्रास (विकेन्द्रीकरण क्षेत्र के प्रतिनिधि)
4. निदेशक, मैसर्स एशिया कारपोरेशन, बंबई (कलकत्ता से बाहर सर्वाधिक आय वाले निर्यातक शिप्पर)

5. श्री डी.जे. बाधवा, मैसर्स चम्पदानी इंडस्ट्रीज लि., कलकत्ता (सर्वाधिक आय वाले गैर-आई जे एम ए सदस्य)

6. कार्यकारी निदेशक, भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता।

समिति के विचारार्थ विषय :

(क) विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन आधार, विविध बाजारों का अध्ययन करना तथा सफल अंतर संपर्कों के लिए उपयुक्त बाजार संवर्द्धन नीतियां बनाना तथा तदनुसार परिषद के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

(ख) वार्षिक कार्य योजना के अनुसार परिषद का बजट तैयार करना।

(ग) वार्षिक कार्य योजना की तुलना में जे एम डी सी के कार्यकलापों की समीक्षा तथा मानीटरी करना।

(घ) नौजूदा तथा नए उभरते बाजारों के संदर्भ में उत्पाद विकास पर सलाह देना।

(ङ) घरेलू बाजार के अनुरक्षण तथा विस्तार के साथ-साथ निर्यात संवर्धन संबंधी सभी मामलों पर सलाह देना।

(च) पटसन उत्पादों विशेषकर विविधीकृत उत्पादों के मानकीकरण को बढावा देना।

(छ) आंकड़ों तथा सूचना का एकत्रण, मिलान तथा वितरण करना।

(ज) वार्षिक लेखों पर विचार करना।

(झ) यदि आवश्यक हो तो जे एम डी सी अधिनियम तथा नियमों में संशोधन सहित परिषद के नियम एवं विनियम।

(ट) ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर परिषद द्वारा निर्देशित हों।

(ठ) परिषद के समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समिति द्वारा विचारित अन्य कोई प्रासंगिक मामला।

(ग) से (ङ) चूंकि यह विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों आदि पर विकचार करने/अनुमोदन करने के लिए परिषद की एक 'स्थाई समिति' है, इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को ऋण

4658 श्री लाल बाबू राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों को श्रेणी-वार कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) संसाधनों पर लगाए गए प्रतिबंध और घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि उत्पादों के विपणन के परिणामस्वरूप किसानों को प्रदान किए गए नकारात्मक संरक्षण के कारण किसानों को कितना अनुमानित घाटा हुआ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों पर ऋण का अत्यधिक भार पड़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कृषि और संबंधित कार्यों के पास प्रत्यक्ष वित्त की कुल बकाया राशि 18,287.74 करोड़ रुपए थी। इस कुल बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	(करोड़ रुपए)
अल्पावधिक ऋण	4,988.21
सावधि ऋण	9,221.38
संबंधित गतिविधियां	4,078.15
कुल	18,287.74

जून 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए सावधि ऋणों की कुल बकाया राशि का प्रयोजन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	बकाया राशि करोड़ रुपए में
(i) लघु सिंचाई योजनाएं	2,137.87
(ii) सुधार और भूमि विकास योजनाएं	267.20
(iii) ट्रेक्टर और कृषि उपकरण तथा मशीनरी	4,328.96
(iv) वृक्षारोपण	622.12
(v) अन्य सावधि ऋण	1,865.23
कुल	9,221.23

(ख) से (घ) किसानों के उत्पाद का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधन तथा विपणन करने पर लगे प्रतिबंध के कारण उन्हें दिए गए नकारात्मक संरक्षण के परिणामस्वरूप उनको हुए नुकसान से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पोर्टफोलियो निवेश

4659 डा. आर. मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भावी औद्योगिकीकरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) की क्या भूमिका है;

(ख) क्या आई डी बी आई ग्रीन फील्ड उद्योगों का औद्योगिक वित्त पोषण करने के बजाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान दे रहा है; और

(ग) ब्लू चिप कंपनियों तथा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली निजी कंपनियों में आई डी बी आई द्वारा किए गए पोर्टफोलियो निवेश का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्य कार्य उद्योगों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण देकर देश के औद्योगिक विकास में सहायता देना है। बदलती हुई आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी भूमिका अधिक प्रभावशाली ढंग से निभा सके, इसके लिए उसे अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता तथा संचालनात्मक लोचशीलता प्रदान किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंकों को इक्विटी शेयर पूंजी जारी करके पूंजी बाजार में पहुंचने तथा अपनी शेयरधारिता आधार को बढ़ाने में समर्थ बनाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, हामीदारी सहायता, प्रत्यक्ष अंशदान, ऋण परिवर्तन, बोनस और अधिकार निर्गम (राइट ईश्यु) के बदले विकास के द्वारा सामान्य परियोजना वित्तपोषण क्रियाकलापों के तहत कंपनियों के शेयर हासिल करता है। यह गौण बाजार से शेयर प्राप्त नहीं करता है। दिसंबर 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार वाली 11 कंपनियों में निवेश किया था। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों तथा साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार निवेशों के ब्यौरे उद्घाटित नहीं किए जा सकते हैं।

निर्यात वृद्धि

4660 **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्मित माल और कृषि उत्पाद का कुल निर्यात में कितने-कितने प्रतिशत हिस्सा रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल आयात में पूंजीगत माल, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का व्यवसायिक उपकरणों का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा;

(ग) आयात और निर्यात के मामले में प्रतिशत कम रहने की अवस्था में लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं तथा कृषि-उपज का प्रतिशत अंश निम्नानुसार रहा :

निर्यातों में प्रतिशत अंश

	1992-93	1992-94	1994-95*
विनिर्मित वस्तुएं	76.1	75.6	76.7
कृषि उत्पाद	17.6	18.7	17.1

* ये आंकड़े अप्रैल-जनवरी से संबंधित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल आयातों में पूंजीगत वस्तुओं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों तथा व्यवसायिक उपकरणों का प्रतिशत अंश निम्नानुसार रहा :

आयातों में प्रतिशत अंश

	1992-93	1993-94	1994-95*
पूंजीगत वस्तुएं	17.1	22.8	15.3
कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन	6.5	5.9	7.8
व्यावसायिक उपकरण	2.0	1.8	1.6

* ये आंकड़े अप्रैल-जनवरी से संबंधित हैं।

(ग) सरकार की नीति मूल्यवर्धित उत्पादों, विशेष रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहन देने की है। इस समय निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं का अंश तीन-चौथाई है। खाद्य तेल और चीनी जैसी बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तुओं तथा अन्य कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के अतिरिक्त आयातों में कच्ची सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, उपभोज्य, पूंजीगत वस्तुएं तथा मध्यवर्ती निविष्टियां शामिल हैं। इस आयात का उद्देश्य घरेलू उपलब्धता को पूरा करना तथा कीमत में वृद्धि को रोकना है। तथापि, निर्यात अथवा आयात, किसी के लिए भी मदों के अंशों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

4661 **श्री पी. सी. थामस :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत 1994-95 और 1995-96 के दौरान रबड़ का आयात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ओ.जी.एल. योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात को शामिल करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आयात से घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में कमी आएगी;

(घ) यदि हां, तो रबड़ के आयात का घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या सरकार को रबड़ उत्पादकों/सहकारी समितियों/संगठनों से रबड के आयात के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. शिवम्बरम) : (क) से (घ). जी, नहीं। चालू आयात-निर्यात नीति के अनुसार रबड़ आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की सूची में बनी हुई है और इसका आयात केवल विशेष आयात लाइसेंस पर ही किया जा सकता है। तथापि, मांग और आपूर्ति के वर्तमान अंतर को देखते हुए, सरकार ने वास्तविक प्रयोक्ताओं/ विनिर्माताओं को केवल एक बार में 20,000 एम टी प्राकृतिक रबड़ का आयात करने को अनुमति दी है। इससे घरेलू आपूर्ति की स्थिति सुधरने की संभावना है।

(ङ) से (छ). जी हां। कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि इस तरह के आयात से रबड़ उपजकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि रबड़ की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें वर्तमान घरेलू कीमतों से अधिक बनी हुई है। इसलिए इससे उपजकर्ताओं के हितों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है विशेष रूप से तब जबकि मांग और आपूर्ति में अंतर है।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग की क्षमता का उपयोग

4662 श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन उद्योग में निहित अर्जन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) 1992, 1993 और 1994 के दौरान सरकार को इस उद्योग से क्रमश: कितनी-कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस उद्योग में निहित अर्जन क्षमता के अनुसार आय न होने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पर्यटन उद्योग की अर्जन क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने के लिए सरकार, बजटीय और अन्य नियंत्रणों के भीतर रहकर पूरा प्रयास करती है।

(ख) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान पर्यटन से हुई आकलित विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार थी—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1992	5886.95
1993	6146.81
1994	713.53

(ग) क्षमता का भरपूर उपयोग करने के सरकार के प्रयासों से प्राप्त परिणाम और आय वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और चीन के बीच विमान सेवा

4663 श्री सत्यदेव सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और चीन के बीच विमान सेवा शुरू करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच विमान सेवा शुरू हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). भारत और चीन के बीच हवाई सेवा करार पर 20.12.1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। करार और सम्बद्ध समझौता ज्ञापन में अनुमोदित मार्गों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा सेवाएं प्रचालित करने की व्यवस्था है। तथापि, उपयुक्त मध्यवर्ती और आगे के स्थानों के लिए कम यातायात संभावना के कारण और यातायात संबंधी अधिकारों के अभाव में किसी भी पक्ष द्वारा दोनों देशों के बीच प्रचालन आरंभ नहीं किये जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को फिर से चालू करना

4664 श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को फिर से चालू करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). टेक्सटालइ रिसर्च एसोसिएशनों ने गुजरात सहित एन टी सी की मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए योजनाएं तैयार की थीं। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि एन टी सी की मिलें तथा अधिगृहित की गई मिलों को टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा यथाप्रस्तावित आधुनिकीकरण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता है। टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजनाओं के आधार पर सर्वांगीण सुधार योजना सरकार के विचाराधीन है। चूंकि एन टी सी की गुजरात सहित 9 सहायक निगमों में से 8 सहयाक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जो भी योजना उभरकर सामने आएगी उसका कार्यान्वयन करने से पूर्व उस पर बी आई एफ आर का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

बेरोजगारी भत्ता

4665 श्री खेलन राम जागंडे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार संसाधन बाधाओं के कारण किसी भी श्रेणी के बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में होटल, मोटल और गैस्ट-हाऊस

466 श्री कुन्जी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित होटलों, मोटलों तथा गैस्ट-हाऊसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 1994-95 के दौरान कितने होटलों और गैस्ट-हाऊसों का निर्माण किया गया?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से प्राप्त विशेष और पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर, उन्हें, पर्यटक परिसरों, पर्यटक लॉजों, मार्गस्थ सुख सुविधाओं, यात्रिकाओं, यात्री निवासों और पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है—

क्रम सं.	स्कीम का नाम	मंजूर की गई राशि (लाखों रुपयों में)
1.	हनुमानगढ़ में पर्यटक बंगले का निर्माण	18.76
2.	धप्प में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	10.92
3.	शिलवाड़ा में पर्यटक बंगले का निर्माण	18.76
4.	संचोर में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	10.80
5.	कैला देवी में यात्रिका का निर्माण	20.24
6.	मेहंदीपुर में यात्रिक का निर्माण	15.38
	कुल	89.38

[अनुवाद]

उद्यम पूंजी कोष

4667 श्री मनोरंजन भक्त :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों को उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

4668 श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/डिस्पेंसरियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ अस्पतालों/डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाने है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल/डिस्पेंसरियां किराए के भवनों में कार्यरत हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) इस समय बिहार में ई एस आई योजना के अंतर्गत 6 अस्पताल, 53 औषधालय और एक तपेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग). फुलवरियाशरीफ के ई एस आई अस्पताल को 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों वाला करने के लिए बिहार सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) ई एस आई का कोई अस्पताल किराये के भवन में कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, 46 ई एस आई डिस्पेन्सरियां किराये के भवनों में कार्यरत हैं।

यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम सुविधाएं

4669 श्री महेश कनोडिया :क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद विमानपत्तन पर यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम हेतु व्यवस्था करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार से कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस विमानपत्तन पर उड़ानों में अत्यधिक विलंब अथवा उनके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ानों में अधिक देरी अथवा इनके रद्द किये जाने पर, आवश्यक प्रबंध करने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइनों का होता है।

[अनुवाद]

कपास एकाधिकार खरीद योजना

4670 **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार खरीद योजना के प्रमुख की ओर से महाराष्ट्र में कपास की एकाधिकार खरीद के पट्टे की अवधि को 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, नहीं। महाराष्ट्र अपरिष्कृत कपास एकाधिकार खरीद योजना 30 जून, 1995 तक समाप्त होनी है।

[हिन्दी]

भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

4671 **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि अर्जित की और कितना खर्च किया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (इटपो) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरम ट्रेड (अई आई एफ टी) द्वारा अर्जित की गई कुल राशि तथा किया गया व्यय निम्नानुसार है--

(लाख रु. में)

	1993-94		1994-95 (अनंतिम)	
	आय	व्यय	आय	व्यय
इटपो	4929.41	3887.73	6750.76	5849.55
आई.आईएफ.टी	116.98	322.48	215.00	410.00

[अनुवाद]

कर प्रशासन प्रणाली

4672 **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री तारासिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कर प्रशासन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान कर प्रणाली में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर प्रशासन प्रणाली के आधुनिकीकरण से कर राजस्व वसूली में कितनी वृद्धि होगी और कर अपवंचकों को पकड़ने में कितनी सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). डा. राजा जे. चेल्लया की अध्यक्षता में गठित कर सुधार समिति द्वारा कर कानूनों और उनके प्रशासन के आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थीकरण से जुड़े मामलों पर विचार किया गया। समिति द्वारा तकनीकी मामलों पर की गई सिफारिशों को जहां तक स्वीकार योग्य माना गया, वित्त अधिनियम, 1992, 1993 और 1994 द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(घ) यह अपेक्षा की जाती है कि कर दरों में नियमन, कर कानूनों के सरलीकरण और कड़े परंतु सही प्रवर्तन द्वारा वसूली में और अधिक वृद्धि की जा सकेगी साथ ही साथ इससे कर अपवंचन को भी रोका जा सकेगा।

गुजरात में नागर विमानन का विकास

4673 **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास हेतु चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आज की तारीख तक नागर विमानन के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने योजना-वार गुजरात राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में इस क्षेत्र में शुरू किए गए/किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कार्यान्वित स्कीमें निम्नलिखित हैं—

अहमदाबाद : उपकरण प्रणाली का प्रतिष्ठापन किया गया था। धावनपथ को सुदृढ़ किया गया और एप्रन का विस्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त अति विशिष्ट व्यक्ति लाउंज का नवीकरण किया गया था और प्रस्थान क्षेत्र को वातानुकूलित किया गया था।

वडोदरा : एक अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास प्रतिष्ठापित किया गया।

केशोद : धावनपथ पर पुनः परत बिछायी गई।

पोरबंदर : धावनपथ पर पुनः परत बिछायी गई।

जामनगर : एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली प्रतिष्ठापित की गई।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य सरकार की राज्य में नागर विमानन के विकास के लिए किसी राशि की मंजूरी नहीं की है।

(ग) हवाई अड्डों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इनका उन्नयन प्रायोजित आवश्यकताओ तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरण-बद्ध रूप से किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, भुज, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और बडोदरा पर विमानपत्तनों के उन्नयन की योजना है।

लघु उद्योगों को ऋण

4674 **श्री डी. देंकटेश्वर राव :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित श्री विशाखा ग्रामीण बैंक सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीरण को बढ़ावा देने हेतु अग्रिम के तौर पर बड़ी राशि देने और ऋण उपलब्ध कराने पर बल देने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों को ऋण कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए दिसंबर 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा घोषित किए गए उपायों के पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-लक्ष्य समूह को दिए जाने वाले अग्रिमों की सीमा को उनके नए ऋणों के 60% तक करना शामिल है। तदनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कार्य योजनाएं तैयार की हैं जिनमें लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण भी शामिल हो सकते हैं। श्री विशाखा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 1994-95 के वर्ष के लिए अनुमानित 1650 लाख रुपए के नए अग्रिमों में से गैर-लक्ष्य समूह को 990 लाख रुपए के अग्रिम देने का अनुमान है।

हवाई अड्डे का विकास

4675 **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में नए हवाई अड्डों के विकास का कार्य निजी क्षेत्र या राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कर्नाटक में बंगलौर निजी पार्टियों की सहायता से और केरल में कोचीन में अनिवासी भारतीयों सहित जनता से जुटाए गए धन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने अपनी अनापत्ति दे दी है। संबंधित राज्य सरकारों को परियोजना की लागत और अन्य तौर-तरीकों को स्थिर करना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी सहायता मुहैय्या करेगा।

रेशम के धागे का आयात

4676 **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान रेशम के धागे का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) रेशम के धागे का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को रेशम के धागे के आयात पर रोक लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 1994-95 (अप्रैल-94-जनवरी 95) के दौरान आयात की गई अपरिष्कृत रेशम की मात्रा 42.07 टन थी।

(ख) भारतीय रेशम निर्यातकों को प्रभावशाली ढंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अपने निर्यात उत्पादन की आवश्यकता के लिए अपरिष्कृत रेशम को आयात करने की अनुमति की सुविधा है।

(ग) जी, हां।

(घ) अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को अपनी जरूरत के कच्चे माल को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आयात करने की सुविधा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावित ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसी लिए रेशम के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगना वांछित नहीं है। तथापि, 1.4.1995 से एकिजम नीति में रेशम कीट कोसों को आयात की निषेधात्मक सूची में प्रतिबंधित मदों की सूची में रखा गया है। रेशम कोसों पर आयात शुल्क कोसों पर भी 1995-96 के बजट प्रस्तावों के अनुसार 30% से 40% तक बढाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास के लिए सहायता

4677 **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र मे पर्यटन विकास हेतु केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए तथा वित्तीय सहायता के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उपरोक्त सहायता प्रदान की गई; और

(घ) उपरोक्त स्थानों में से कौन-कौन से स्थान राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में पड़ते हैं?

नागर विमनन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सभी प्रस्ताव, जो हर लिहाज से पूर्ण पाए गए थे, स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान 546.25 लाख रुपए की राशि की 28 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं। राशि और स्थान सहित स्वीकृति परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1994-94 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि (लाख रु. में)	क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं
1	2	3	4
1.	गणपतिफुले, जिला रत्नगिरि (कोणार्क परिपथ) में पर्यटक परिसर (समुद्रतट कुटीरें) का निर्माण	26.57	हां।
2.	मचेरा (पर्वतीय स्थल, जिला रायगढ़) में पर्यटक परिसर का निर्माण	16.39	हां।
3.	महाबलेश्वर (पर्वतीय स्थल, जिला सतारा), में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.46	नहीं।
4.	फर्दापुर (जिला औरंगाबाद) में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.25	हां।
5.	हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, जिला रायगढ़, कोंकण परिपथ में समुद्र तट कुटीरों का निर्माण	24.88	हां।
6.	कुंकेश्वर, तालुक, देवगढ़, सिंधुदुर्ग जिला में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.80	हां।
7.	भंडारदारा, अकोला तालुक, अहमदनगर जिला में लेक व्यू रिज़ार्ट का निर्माण	27.00	हां।
8.	महेड, रायगढ़ जिला, कोंकण परिपथ में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	7.33	हां।
9.	गोल्फ कोर्स, बंबई का स्तरोन्नयन	35.61	नहीं।
10.	गोल्फ कोर्स का स्तरोन्नयन, पुणे	48.00	नहीं।
11.	10 एच पी ओ बी एफ एस (20+35) सहित 6 वाटर स्कूटर की खरीद	4.67	नहीं
12.	शिरोदा और मथपुर के लिए 100 सेल्फ कटेन्ड टैंटों की खरीद	12.80	
13.	जल-क्रीड़ा उपकरणों की खरीद	20.54	
14.	गणेश उत्सव	7.33	
15.	अजंता और एलौरा गाइड बुक के लिए प्रचार सहायता	5.48	
	जोड़	309.11	

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि	क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं
1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	गगनबावड़ा में पर्यटक परिसर	25.02	हां।
2.	कुडाल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.85	हां।
3.	पनहाहाल में पर्यटक परिसर	25.02	हां।
4.	तारकारली में पर्यटक परिसर	23.21	हां।
5.	विजयवाड़ा में पर्यटक परिसर	23.21	हां।
6.	वाशिम में पर्यटक परिसर	23.65	हां।
7.	नौकाओं की खरीद	27.13	

1	2	3	4
8.	कारवां की खरीद	32.40	
9.	दो सीटों वाले होवर क्राफ्ट की खरीद	27.00	
10.	पांच सीटों वाले होवर क्राफ्ट की खरीद	10.80	
11.	गणेश उत्सव के लिए सहायता	5.00	
12.	एलिफैंटा उत्सव	2.37	
13.	प्रचार सहायता	5.48	
	जोड़	237.14	

उद्यमियों को ऋण

4678 श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितने उद्यमियों को बैंक ऋण दिया गया;

(ख) जिला औद्योगिक केन्द्र द्वारा अनुशंसित कितने शिक्षित बेरोजगारों को अब तक ऋण नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी योग्य पात्रों को कब तक ऋण दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एसईईयूवाई) और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों से है। दिनांक 2 अक्टूबर, 1993 को आरंभ की गई पी एम आर वाई का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। पहली अप्रैल, 1994 से एस ई ई यू वाई योजना, पी एम आर वाई में शामिल कर दी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, आंध्र बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य में 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए पी एम आर वाई के तहत प्राप्त हुए और मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है—

वर्ष	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत आवेदनों की संख्या	ऋण मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1993-94	6340	3466
1994-95*	37874	19541

* आंकड़े अनन्तिम

बैंकों को 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अंतर्गत आवेदन पत्रों को निपटाएं।

मूल्य वर्धित कर प्रणाली

4679 श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री राम कापसे :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति ने राज्यों में मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने राज्य वित्त मंत्रियों की समिति को कर-सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी अवधि को 30.6.1995 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं हेतु आवास योजना

4680 श्री वसन्त पवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भविष्य निधि में सम्बद्ध आवास योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की जाएगी;

(ग) इस योजना से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ). क. भ. नि. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने मकान, फ्लैट आदि खरीदने हेतु ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए निजी क्षेत्र के अंशदाताओं सहित सभी क. भ. नि. अंशदाताओं हेतु एक गृह वित्त निधि स्थापित करने का सिफारिश की थी। बोर्ड की सिफारिशों की जांच की गई थी और क. भ. नि. संगठन से प्रस्ताव की वित्तीय विवक्षाओं और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। क. भ. नि. संगठन ने अब सूचना दी है कि बदले हुए उदार आर्थिक वातावरणों में गृह वित्त निधि संबंधी प्रस्ताव पर पुन: विचार

करने की आवश्यकता है। चूंकि क. भ. नि. संगठन ने मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है अत: यह बताना कठिन है कि कब तक योजना चालू की जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र

4681 श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाइडे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र के लिए कुछ मदों को आरक्षित करने से संबंधी मार्ग निर्देशकों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख)और (ग). इस संबंध में, समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं और केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4682 डा. परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों ने 1994-95 के दौरान अब तक औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1994 (अवतन उपलब्ध) के अंत तक मझोले, बड़े और लघु क्षेत्र के उद्योगों के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनन्तिम बकाया ऋण 80492 करोड़ रुपए के हैं।

सोने के बिस्कुट जब्त किया जाना

4683 श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी, 1995 को मद्रास हवाई अड्डे पर एक यात्री से कुछ सोने के बिस्कुट जब्त किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस जब्ती का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1994-95 के दौरान सीमा शुल्क और राजस्व तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने कितनी धनराशि का सोना जब्त किया और इन्हें जब्त किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में सोने की तस्करी में संलग्न किन्हीं गिरोहों का पता चला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 21 फरवरी, 1995 को, मद्रास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वायु आसूचना इकाई के अधिकारियों ने नीदरलैंड पासपोर्ट नंबर ई 401884 धारी एक यात्री को रोका। वह कोलम्बो से उड़ान संख्या यू एल 121 द्वारा आया था। यात्री की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर, 10-10 तोले के वजन की 22 सोने की छड़ें, जो चिपकाने वाली टेप में बंद करके उसकी कमर के इर्द-गिर्द छिपाई हुई थीं, बरामद की गई, 10 तोले के वजन की 19-19 सोने की छड़ें उसके दोनों जूतों में से बरामद की गई थीं। इस प्रकार कुल मिलाकर 6990 ग्राम वजन की 60 सोने की छड़ें बरामद की गई थीं। यात्री को 21.2.95 को गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान 55.41 करोड़ रुपए मूल्य का 1186 किलोग्राम सोना पकड़ा गया। (आंकड़े अनन्तिम हैं)

(घ) वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत तस्करी रोधी एजेंसियों को देश में सोने की तस्करी करने के प्रयासों में रत गिरोहों की जानकारी है। देश में सोने की तस्करी करने के ऐसे संगठित प्रयासों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

4684 श्री विजय नवल पाटील :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकारों की समस्याओं को हल करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास विभाग को ठोस व्यावसायिक आधार पर पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सरकार का राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का पुनर्गठन करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार इस निगम को पहले ही ठोस व्यावसायिक आधार पर गठन किया गया है। यह निगम निदेशक मंडल के नियंत्रण व निगरानी में कार्य करता है। इस मंडल में सरकारी व गैर सरकारी निदेशक शामिल हैं जिन्हें हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त व्यावसायिक ज्ञान है।

[हिन्दी]

निर्यात के अस्वीकृत दावे

4685 श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्री रमेश्वर पाटीदार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार निर्यात के अस्वीकृत दावों के लिए मुआवजा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की गई मुआवजे की राशि निर्यातकों से बाद में वसूल कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और निर्यातकों द्वारा मुआवजे के पुनर्भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). जी, नहीं। तथापि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम विदेशी क्रेता द्वारा भुगतान न करने पर तथा उस देश से भुगतान राशि बाहर न भेजने के कारण उत्पन्न स्थितियों के लिए निर्यातकों को बीमा सुरक्षा तथा गारंटी प्रदान करता है। यदि कोई निर्यातक ई सी जी सी से बीमा सुरक्षा लेता है तो निर्यातक को आकस्मिक स्थिति के उत्पन्न होने पर दावे को प्रस्तुत करना होता है जिसके लिए राशि दी गई थी। ई सी जी सी नियमों के अनुसार ऐसे दावों पर कार्रवाई करता है तथा भारतीय रुपए में उनका निपटान करता है। इसके बाद ई सी जी सी विदेशी क्रेता/देश से राशि वसूल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

निर्यात लक्ष्य

4686 श्री एम. जी. रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक के लिए निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार ने वर्ष 2000 तक निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

आठवीं योजना 1992-97 में योजना अवधि के दौरान मात्रा के रूप में (1991-92 की कीमतों पर) प्रति वर्ष 13.6% का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ है कि वर्ष 1996-97 के दौरान, 1991-92 की कीमतों और विनिमय दरों पर 33.7 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात होने की आशा है।

(ग) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार, उद्योग तथा अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करके निर्यात संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं। सरकार नीतियों और क्रियाविधियों को निर्यात के लिए अधिक सरल बनाने का प्रयास कर रही है। किए गए प्रयासों में शामिल हैं—निर्यात लाभों पर आयकर में छूट देना, परिवर्तनीय मुद्रा में सस्ते निर्यात ऋण देना और निर्यात बाजार विकास के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता देना। ऐसी उम्मीद है कि सरकार द्वारा तैयार किए गए निर्यात के अनुकूल वातावरण से और व्यापार तथा उद्योग के प्रयास से निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

अभिरक्षा शुल्क

4687 श्री गुरुदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी बैंकों ने अभिरक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभिरक्षा शुल्क में वृद्धि के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

असम में बैंकों की शाखाएं

4688 श्री नुरूल इस्लाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कार्यरत बैंक शाखाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में किन-किन स्थानों पर स्वीकृत बैंक शाखाओं की अब तक स्थापना नहीं की गई है तथ इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की म्युचुअल फंड योजना

4689 श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी प्रस्तावित म्युचुअल फंड योजना के लिए धनराशि जुटाने हेतु सड़क-शो आरंभ कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि उसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, अर्थात आईडीबीआई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लि. ने एक विज्ञापन ऐजेंसी के साथ मिलकर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित मौलिक उद्देश्यों के साथ सड़कों पर 150 नुक्कड़ नाटक (रोड़ शो) किये —

(i) म्युचुअल फंडों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए।

(ii) निवेशकों की आवश्यकताओं और वर्तमान में उनके सामने आ रही समस्याओं पर जोर देने के साथ-साथ म्युचुअल फंड योजनाओं के बारे में निवेशकों के विचारों का पता लगाने के लिए।

(iii) आईडीबीआई म्युचुअल फंड की एक मात्र योजना—उसकी विशेषताओं और इस बारे में चर्चा करना कि कैसे योजना की अद्वितीय विशेषताओं

के कारण उनकी कुछ वर्तमान समस्याओं के कम हो जाने की संभावना है।

(iv) योजना के विपणन के लिए स्थानीय एजेंटों को भरती करना।

अनिवासी भारतीयों, विदेशी निगमित निकायों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित आवंटन

4690 श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों, विदेशी निगमित निकायों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को पूरा आरक्षित आवंटन स्वदेश भेजने हेतु कुछ कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विगत में किसी अन्य ऐसी कंपनी को पहले कभी इस प्रकार की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इनमें कभी कोई संशोधन किया गया है; और

(छ) यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनियों को, पोर्टफोलियो निवेश योजना, जिसमें भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए पब्लिक इश्युओं में से आरक्षण शामिल हैं, के अनुसार अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) समुद्रपारीय कार्पोरेट निकायों (ओ सी बी) और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) को प्रत्यावर्तन संबंधी लाभों सहित शेयरों का आवंटन करने के लिए अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ). जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21.3.1995 तक 72 कंपनियों के मामले में इसी प्रकार की अनुमति दी है।

(ङ) से (छ) अब तक ये अनुमोदन एन आर आई/ओ सी बी तथा एफ आई आई के लिए बनी पोर्टफोलियो निवेश योजना के मौजूदा उपबंधों तथा पब्लिक इश्युओं में से आरक्षण से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी अक्टूबर 1993 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्पादित किए जाते रहे हैं।

वित्त निगम की स्थापना

4691 डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अलग से एक वित्त आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सुझाव क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

एयर इंडिया में "हब एण्ड स्पोक" सेवा

4692 श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया को अहमदाबाद से दिल्ली तथा मुम्बई से जोड़ने के लिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में 'हब एण्ड स्पोक' सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). एयर इंडिया के इंडियन एयरलाइंस विमानों के साथ 'हब और स्पोक' प्रचालन फरवरी, 1994 में शुरू हुए; बम्बई-अहमदाबाद-बम्बई मार्ग पर सेवा शनिवार को और दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग पर सेवा बुधवार को प्रचालित की जाती है।

ये उड़ानें एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं और इनसे व्यवधान रहित स्थानांतरण के रूप में एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें से/के लिए सीधी संयोजी उड़ानें मिलती हैं क्योंकि सीमा-शुल्क और आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं अहमदाबाद में पूरी कर ली जाती है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश

4693 श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1995 की अपनी विश्व रोजगार रिपोर्ट में वैकल्पिक आय और लाभकारी प्रस्ताव तैयार करने हेतु लघु किसानों तथा श्रम प्रधान लोक निर्माण परियोजनाओं के लिए सीधी राज्य सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) ने हाल ही में विश्व रोजगार 1995 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। सरकार ने इस रिपोर्ट में उल्लिखित विचारों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निक्षेप और विस्तार सेवाओं में कमी की आशंका व्यक्त की गई है, जिनसे छोटे किसानों की उत्पादकता क्षमता में कमी आने की संभावना है और महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना, जिसका उद्देश्य गरीबी, असमानता में कमी लाना और उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है, के सफल कार्यान्वयन की सराहना की गई है, पर गौर किया है।

पिछले साढ़े तीन वर्षों से किए गए आर्थिक सुधारों से कृषि क्षेत्र की सापेक्ष लाभकारिता में सुधार हुआ है। छोटे किसानों की आर्थिक अर्थक्षमता में सुधार करने, गरीबी का उन्मूलन करने और रोजगार सृजन में वृद्धि करने से संबंधित सरकार का संकल्प कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए उच्चतर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय, फार्म क्रेडिट में पर्याप्त वृद्धि और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय प्लान आबंटन में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है।

भूतल पर उठाने-रखने की सुविधाएं

4694 **प्रो. के. वी. थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों में भूतल पर उठाने-रखने की सुविधाओं का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एक अंतर मंत्रालयीय ग्रुप ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि ग्राउंड हैंडलिंग कार्यकलापों को निजी भागीदारी तक सीमित कर दिया जाए। इस सिफारिश पर सरकार कुछ समय बाद निर्णय लेगी।

रेशम तैयार करने वाले श्रमिक

4695 **श्री अमर पाल सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में रेशम तैयार करने वाले श्रमिकों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग में लगे श्रमिकों के उत्थान के लिए और रेशम के उत्पादन मे वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). रेशम उद्योग में विविध गतिविधियां जैसे कि शहतूती कृषि, रेशम कीट प्रजनन, रीलिंग, रंजन, वीविंग, मुद्रण, फिनिशिंग आदि शामिल हैं जो कि कृषि, एस.एस.आई, हथकरघा, विद्युतकरघा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन गतिविधियों को अधिकांशत: निजी क्षेत्र/विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा समय-समय पर नियोजित किए गए कामगार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आते हैं।

तथापि, केन्द्रीय रिजर्व बोर्ड की इकाइयों में कार्यरत मजदूरों को समय मान मजदूर, महंगाई भत्ते की मंजूरी, चिकित्सा भत्ता, त्यौहार अग्रिम, उपादान का भुगतान, बोनस तथा ग्रेड-डी के पदों में खपाने जैसी सुविधाओं को देने पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे निर्धारित अपेक्षताओं को पूरा करते हों।

रेशम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आवश्यक अनुसंधान तथा विकास, विस्तार, संरचनात्मक तथा रेशम उत्पाद के विकास के लिए प्रशिक्षण सहायता देने के लिए देश भर में इकाइयों का नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक/स्विस विकास निगम द्वारा सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना देश के 17 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

सहकारी बैंक

4696 **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में घाटे में चलने वाले सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि का घाटा हुआ; और

(ख) घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अल्पावधिक ऋण ढांचे के अंतर्गत असम में शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं जो लाभ अर्जित करने वाले बैंक हैं। सिवसागर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के अंतर्गत ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं। सिवसागर डीसीसीबी को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान क्रमश: 23.23 लाख रुपए, 9.93 लाख रुपए और 28.46 लाख रुपए की हानि हुई।

असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एएससीएआरडीबी), जो राज्य की दीर्घावधिक निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है, पिछले तीन वर्षों से हानि उठा रहा है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(लाख रुपए)

वर्ष	हानि	संचित हानि
1991-92	41.34	40.98
1992-93	59.62	200.60
1993-94	290.40 *	391.00 *

* अनुमानित

एएससीएआरडीबी की वित्तीय अर्थक्षमता, परिचालनात्मक दक्षता और प्रबंधकीय क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से एक विकास कार्य योजना (डीएपी) तैयार की गई है। नाबार्ड और असम राज्य सहकारी बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात के लिए परियोजना

4697 **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि/कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात और सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में लगी इन परियोजनाओं के लिए कोई प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने किसी संयुक्त उद्यम को स्वीकृति प्रदान की है अथवा सरकार के विचाराधीन है और इसमें कुल कितना पूंजी निवेश होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन उद्यमों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). कृषि वस्तुओं के निर्यातक, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या गैर-सरकारी क्षेत्र के, जो कृषि आधारित उत्पादों के निर्माण में लगे हैं, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और मसाला/तम्बाकू बोर्डों की इकाइयों जैसे निर्यात संवर्धन निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रदत्त प्रोत्साहनों का लाभ ले सकते हैं, वे शुल्क छूट, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल और निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई ओ यू एस)/निर्यात संसाधन जोन (ई पी जेड) योजना के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं। ई ओ यू/ई पी जेड इकाइयों के बारे में, कृषि उत्पाद इसके अतिरिक्त अपने उत्पादन के संबंध में 50% की सीमा तक घरेलू बाजार में पहुंच के पात्र हैं।

(घ) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा विमान रोकना

4698 **श्री के. प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं जो भारत में किसी भी स्थान पर अपने विमानों को नहीं रोकती हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमानों को भारत में किसी एक स्थान पर रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1993 में राजस्व यात्री किलोमीटर के आधार पर श्रेणीकृत विश्व में 25 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में से निम्नलिखित 13 भारत के लिए अनुसूचित सेवाएं प्रचालित नहीं कर रही हैं—

1. यूनाइटेड एयरलाइंस	2. अमेरिकन एयरलाइंस
3. नार्थवेस्ट एयरलाइंस	4. कान्टीनेन्टल
5. यू. एस. एयर	6. जापान एयरलाइंस
7. कॅन्टास	8. ट्रान्स वर्ल्ड एयरलाइंस
9. आल निप्पन	10. साउथ वेस्ट एयरलाइंस
11. इबरिया	12. वारिग

13. कनेडियन एयरलाइंस इन्टरनेशनल

(ख) और (ग) उपर्युक्त 13 एयरलाइंसों में से 12 एयरलाइनें उन देशों की हैं जिनके भारत के साथ विमान सेवा करार हैं। विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में एयरलाइनों द्वारा निर्णय उनकी अपनी वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता संबंधी सूझ-बूझ के आधार पर लिए जाते हैं।

रोजगार सहायता केन्द्र

4699 **श्री पी. कुमारासामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार सहायता केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके उद्देश्य क्या हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय नवीकरण निधि में, अन्य बातों के साथ, औद्योगिक पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप योक्तिकीकृत कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की लागतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत कर्मकारों को परामर्श देने, पुनर्प्रशिक्षित करने तथा पुनर्नियोजित करने संबंधी योजना को 9.9.93 को मंजूरी प्रदान की गई थी। भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, इन्दौर और कानपुर में कर्मचारी सहायता केन्द्रों के माध्यम से पांच प्रायोगिक योजनाएं संचालित की गयी हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि को कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन योजनाओं के लिए 48 अतिरिक्त स्थानों की पहचान की गयी है (राष्ट्रीय नवीकरण निधि की कर्मकारों में पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों और स्थानों को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है)। इन केन्द्रों में व्यापक रूप से यौक्तिकीकृत कर्मकारों को कार्य बाजार में प्रवेश करने अथवा स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए सुसज्जित बनाने हेतु पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की अपेक्षा की गई है। ये कार्यक्रम ऋण, कच्चे माल, विपणन और व्यापार संबंधी सलाह हेतु पहुंच सुविधा करवाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने वालों के रूप में कार्य करेंगे। श्रम मंत्रालय यौक्तिकीकृत कर्मकारों को 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

सुविधाए भी उपलब्ध करवाते हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन और क्षेत्रीय पुनसृर्जन योजनाओं के प्रयोजनार्थ 48 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय नवीकरण निधि की कार्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों और स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. रामागुन्डम 3. विशाखापट्टनम 4. वारंगल
2.	असम	1. नामरूप
3.	बिहार	1. बोकारो 2. पटना 3. रांची 4. सिन्दरी
4.	दिल्ली	1. दिल्ली
5.	गुजरात	1. अहमदाबाद/गांधीनगर 2. बड़ौदा 3. कलोल 4. नवसारी 5. भावनगर 6. पेटलाड 7. पोरबंदर 8. कैम्बे 9. सुरेन्द्रनगर 10. वीरमगांव
6.	हरियाणा	1. अम्बाला
7.	केरल	1. कोचीन 2. त्रिवेन्द्रम
8.	कर्नाटक	1. बंगलौर 2. मैसूर 3. ओरगाम
9.	मध्य प्रदेश	1. भोपाल 2. इंदौर 3. जबलपुर 4. कोरबा 5. नेपानगर
10.	महाराष्ट्र	1. बम्बई 2. पुणे
11.	उड़ीसा	1. कटक
12.	पंजाब	1. लुधियाना
13.	राजस्थान	1. ब्यावर 2. जोधपुर 3. कोटा
14.	तमिलनाडु	1. कोयम्बटूर, 2. इन्दूनगर 3. मद्रास
15.	उत्तर प्रदेश	1. गोरखपुर 2. कानपुर 3. सहारनपुर
16.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता 2. दुर्गापुर 3. हावड़ा 4. हुगली

48

चंदन के तेल की तस्करी

4700 श्री सुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट पत्तन से भारी मात्रा में चंदन के तेल की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कालीकट पत्तन से जब्त की गई चंदन के तेल की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे में चंदन की लकड़ी का तेल नहीं पकड़ा गया है। प्राप्ति रिपोर्टों से कालीकट हवाई अड्डे से चंदन की लकड़ी के तेल की तस्करी होने का पता नहीं चलता है।

अफीम का उत्पादन

4701 श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौान प्रतिवर्ष अफीम का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफीम की अधिकांश मात्रा का उपयोग अवैध रूप में हो रहा है जैस कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 1994 की अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अफीम का उत्पादन निम्नानुसार है :—

वर्ष	उत्पादित/70 सी (मैट्रिक टन) पर एकत्र की गई अफीम
1991-92	635
1992-93	444
1993-94	546
योग	1625

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफीम की कुछ मात्रा अपवर्तित रूप से प्राप्त हो रही है।

(घ) विधिसंगत अफीम के विचलन को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) केंद्रीय स्वापक ब्यूरो के निवारण प्रतिष्ठापन को सुदृढ़ तथा पुनःसंगठित किया गया।

(2) पैदावार के क्षेत्र में तथा उसके आसपास प्रवर्तन क्रियाकलापों को तेज कर दिया गया है। कानूनी प्रवर्तन के सुधार को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अतिरिक्त संचार सुविधाएं तथा मोटर वाहन प्रदान कर दिए गए हैं। दो खोजी कुत्ते भी लगा दिए गए हैं।

(3) सरकार हर वर्ष खेतिहरों द्वारा दी गई अर्हकारी पैदावार को बढ़ा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खेतिहर सारी पैदावार सरकार को दे दें और अफीम का उपयेग अवैध रूप से न हो सके।

(4) अब अफीम का संग्रह तथा भंडारण परम्परागत टंकियों के स्थान पर केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्लास्टिक के डिब्बों में किया जाता है।

(5) खेतिहरों के खेतों का माप वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाता है।

आयकर राशि की वापसी

4702 **श्री रामपाल सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर राशि की वापसी में विलम्ब होने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना तैयार करने का है जिसके तहत आयकर राशि की वापसी निर्धारित समय में की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). आकयर अधिनियम के अंतर्गत वापसी की धनराशि की मंजूरी देने में हुए विलम्ब के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों पर विचार के करने के पश्चात और विलम्बकारी पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं—

(i) चूंकि यह पाया गया था कि विलम्ब मुख्यतया देय वापसी की धनराशि में से समयोजन के प्रयोजनार्थ बकाया राशि के सत्यापन की अपेक्षा के कारण होते हैं, अत: 5,000रु- रु. तक की वापसी की राशि को जारी करने के लिए बकाया राशियों के पूर्व सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है, इस प्रकार के मामलों में केवल वापसी के बाद ही जांच की जाएगी;

(ii) वापसी के वाउचरों को उन आदेशों के साथ भेजा जाना चाहिए, जिनके आधार पर यह वापसियां हुई हैं;

(iii) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वापसियों की मंजूरी शीघ्र दी गई है; तथा

(iv) यदि किसी चूक की जानकारी मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(घ) और (ङ) हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)(क) के उपबंधों के अंतर्गत आय विवरणियों पर संगत कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए और उनसे यदि कोई वापसी की धनराशि उत्पन्न होती हो तो उसकी मंजूरी दी जानी चाहिए, तथापि आयकर विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों में यह निहित है कि संगत कर-निर्धारण वर्ष के भीतर ही 90 प्रतिशत विवरणियों पर इस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अनुदेश भी मौजूद हैं कि वापसी आदेश पारित होने के 10 दिन के भीतर वापसियां जारी कर दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

बिहार में बैंक डकैतियां

4703 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य बिहार में बैंक डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने और अपना जीवन दांव पर लगाकर ऐसी घटनाओं को रोकने वाले नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और पुरस्कृत करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में बैंक लूट-पाटों और डकैतियों की घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	घटनाओं की संख्या	अंतर्गस्त राशि (लाख रुपए)
1992	44 + 2*	120.71
1993	46	78.55
1994	43	52.37

* प्रयास किया गया (आंकड़े अनन्तिम)

(ग) और (घ) अतंर्ग्रस्त जोखिम के तत्व, जैसे कि अवस्थिति, नकदी कर लेनदेन, कानून और व्यवस्था की स्थिति के आधार पर, बैंकों ने अपनी शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई उपाए किए हैं जैसे कि सशस्त्र गार्डो का प्रावर्धन, अलार्म प्रणाली की व्यवस्था आदि। लूटपाटों/डकैतियों को रोकने के लिए कर्मचारियों, पुलिस और आम जनता को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार देने की एक योजना चलाई जा रही है जिसमें 50,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जा सकता है जो बैंक लूटपाटों/डकैतियों को रोकने में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का कार्यनिष्पादन

4704 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के कार्यनिष्पादन में कमी आई है;

(ख) क्या सरकार ने दोनों एयरलाइनों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए कोई योजना बनाई और लागू की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)

(क) वर्ष 1992-93 से वर्ष 1994-95 तक एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का लाभ/घाटा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1992-93	333.14 करोड़ रुपए (लाभ)	195.16 करोड़ रुपए (घाटा)
1993-94	201.90 करोड़ रुपए (लाभ)	258.46 करोड़ रुपए (घाटा)
1994-95 (अनन्तिम)	26.49 करोड़ रुपए (लाभ)	234.55 करोड़ रुपए (घाटा)

(ख) और (ग). मार्केट में भागेदारी की कमी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों एयरलाइनों ने अपने निष्पादनों में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। एयर इंडिया के विमान बेडे का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका, इन्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया में नए गंतव्य स्थान जोड़े गए हैं। यात्रियों को भूमि पर और उड़ान में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एयरलाइनों द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के साथ-साथ किरायों में रियायत की घोषणा भी की गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

4705 श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को वैधानिक प्रस्तावों के बारे में विचार-विमर्श करते समय शामिल न किए जाने पर उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया के उड़ानों में घटिया खाद्य वस्तुएं

4706 डा0 साक्षीजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया की उड़ानों में घटिया खाद्य वस्तुओं तथा शाकाहारी खाद्य वस्तुओं की अनुपलब्धता संबंधी शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एयर इंडिया को, पिछले छः महीनों के दौरान विमान में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता और शाकाहारी भोजन की अनुपलब्धता के बारे में 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, मेन्यू की मानीटरिंग और नमूना जांचों द्वारा भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाते हैं परंतु सभी यात्रियों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। सभी उड़ानों पर शाकाहारी भोजन की मांग को पूरा करने के प्रयास भी किए जाते हैं, तथापि, यदि एक सेक्टर पर शाकाहारी भोजन की कमी होती है तो विमान में भोजन लेने के अगले स्टेशन को, उड़ान के अगले खण्ड के लिए शाकाहारी भोजन में वृद्धि करने का संदेश भेजा जाता है।

[हिन्दी]

सामूहिक निधि एककों का शुद्ध सम्पत्ति मूल्य

4707 श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रातिभूति और विनिमय बोर्ड ने सामूहिक निधि एककों के शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (नेट एसेट वेल्यू) के परिकलन का मानकीकरण करने हेतु मानदंडों की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिपोर्ट को कब तक अंतिम रूप दिया और लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). म्युचुअल फंडों द्वारा निवल सम्पत्ति मूल्य के परिकलन की जांच पड़ताल करने के लिए सेबी द्वारा स्थापित की गई समिति को म्युचुअल फंडों द्वारा निवल सम्पत्ति मूल्य के परिकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से और भारत में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की जांच करनी थी। इसमें अंतराष्ट्रीय व्यवहारों और मानदण्डों के आंकड़ों को एकत्र करना शामिल था। जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ।

(ग) मसौदा-रिपोर्ट को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कैम्पस भर्ती

4708 श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक कुछ संवर्गों के अधिकारियों के लिए कैम्पस भर्ती पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैम्पस भर्ती के लिए गए अधिकारियों के वेतनमान सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के वेतनमान से अलग होंगे;

(घ) इस प्रकार की कैम्पस भर्ती में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की भर्ती में आरक्षण प्रतिशतता किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का विकास

4709 श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95 के दौरान कतिपय राज्य सरकारों ने अपने पर्यटन स्थलो के विकास हेतु केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उन परियोजनाओं को कितनी सहायता प्रदान की गई जिनके लिए सहायता मांगी गई थी; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है और इन परियोजनाओं के संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) बीस राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए संघ सरकार से वर्ष 1994-95 के दौरान केंद्रीय वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) और (ग). राज्य-वार और परियोजना-वार स्वीकृत केंद्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

राज्य	यात्री निवास/ यात्रिकाएं	पर्यटन बंगले/ परिसर/कुटीरें	मार्गस्थ सुख-सुविधाएं/पर्यटक स्वागत केंद्र/फास्ट फूड/केफेटेरिया	साहसिक क्रीड़ाएं/ तम्बुओं में आवास/ ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	5	—	—	—	5	171.99
2. असम	—	2	—	—	2	52.99
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
4. बिहार	—	3	1	1	5	103.16
5. गोआ	—	1		3	4	76.74
6. गुजरात	—	1		—	1	14.50
7. हरियाणा	—	4		—	8	173.98
8. हिमाचलप्रदेश	2	9	4	1	12	
9. जम्मू औरकश्मीर	—	4	—	3	7	297.90
10. कर्नाटक	2	5		—	6	143.47
11. केरल	4	2	—	5	6	229.96
12. मध्यप्रदेश	—	3	4	5	7	287.05
13. महाराष्ट्र	—	—	—	2	911	207.39
14. मणिपुर	—	4	1	—	—	—
			—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
15. मेघालय	—	—	—	8	5	56.49
16. मिजोरम	—	2	—	—	2	23.08
17. नागालैण्ड	—	1	1	1	5	164.60
18. उड़ीसा	—	4	—	2	7	113.93
19. पंजाब	—	4	1	—	6	94.86
20. राजस्थान	2	2	2	—	—	—
21. सिक्किम	—	—	—	—	5	132.45
22. तमिलनाडु	1	1	3	3	5	46.61
23. त्रिपुरा	—	1	1	1	7	149.62
24. उत्तर प्रदेश	—	—	6	—	7	164.87
25. पश्चिम बंगाल	1	2	4	—	—	—
26. अण्डमान और निकोबार	—	—	—	1	2	21.38
27. चण्डीगढ़	—		1			
28. दादरा और नगरहवेली	—	1	—	—	1	23.62
29. दिल्ली	—	—	—	4	4	44.29
30. दमन और दीव	—	—	1	2	3	37.41
31. लक्षद्वीप	—	—	—	1	1	19.95
32. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
जोड़	17	53	27	34	131	2842.29

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा यात्री किराए में कमी किया जाना

4710 **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मास्को-दिल्ली और दिल्ली-लंदन-दिल्ली मार्गों पर एयर इंडिया के यात्री किराए में पर्याप्त कमी किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया का विचार कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपने यात्री किराए में कमी करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एयर इंडिया को ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका और कुछ अन्य देशों की विमान कंपनियों में जारी किराया प्रतिस्पर्धा (प्राइस वार) के कारण यात्री यातायात तथा धनराशि की काफी हानि हुई है?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विमान यात्री किराया अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किराए से कम किए जाने से अंतराष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन के नियमों और विनियमों का उल्लघन होता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). इन सैक्टरों पर किराया कम करने का एयर इंडिया का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रूसी सरकार द्वारा स्वीकृति न मिलने के कारण मास्को का कम किया हुआ किराया लागू नहीं किया गया था। लंदन के लिए प्रथम श्रेणी के किराए में 35% क्लब श्रेणी में 25% तक तथा इकोनोमी श्रेणी में 15% तक की कमी दिनांक 23.11.94 से लागू हो गई है। भारत लंदन सैक्टर पर किराए में कमी यूरोपीय वाहकों से प्रतिस्पधा के कारण की गई थी।

(ग) और (घ). अमेरिकी/कनाडायी/यूरोपीय वाहकों किरायों से समानता रखने के लिए भारत से अमेरिका, कनाडा, इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी के लिए किरायों में भी 14% से 35% तक की कमी लागू की जा चुकी है।

(ङ) और (च). पिछले दो वर्षों में अन्य कारकों के अलावा टैरिफ स्पर्धा के कारण भी एयर इंडिया के यात्री भार गुणक में कमी आई थी। वर्ष 1992-93 1993-94 और 1994-95 में यात्री भार गुणक क्रमश: 64.6%, 59.6% और 52.7% था।

(छ) जी नहीं।

(ज) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक

4711 श्री दत्ता मेघे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने बीड़ी श्रमिक हैं;

(ख) महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष की सहायता से चल रहे अस्पतालों और औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर ये अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कितने, बीड़ी श्रमिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राज्य सरकार / कल्याण आयुक्त, नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 2.56 लाख बीड़ी श्रमिक हैं।

(ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए गए औषधालयों की एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). हाल ही में चन्दरपुर जिला में ब्रह्मपुरी में एक आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 2000 बीड़ी कर्मकार लाभान्वित होंगे, और शोलापुर स्थित बीड़ी कर्मकारों के लिए स्थायी औषधालय को स्थायी-और-सचल औषधालय के रूप में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है जिससे लगभग 20,000 बीड़ी कर्मकार लाभान्वित होंगे।

विवरण

नागपुर क्षेत्र

महाराष्ट्र

1. स्थायी-और-सचल औषधालय, टुपसर, जिला भंडारा
2. स्थायी-और-सचल औषधालय, आमगांव, जिला भंडारा
3. स्थायी-और-सचल औषधालय, तिरोरा, जिला भंडारा
4. स्थायी-और-सचल औषधालय, लखानी, जिला भंडारा
5. स्थायी-और-सचल औषधालय, भंडारा, जिला भंडारा
6. स्थायी-और-सचल औषधालय, गोण्डिया, जिला भंडारा
7. स्थायी-और-सचल औषधालय, सिन्नर, जिला नासिक
8. स्थायी-और-सचल औषधालय, अहमदनगर, जिला अहमदनगर
9. स्थायी-और-सचल औषधालय, संगमनेर, जिला अहमदनगर
10. स्थायी-और-सचल औषधालय, पुणे, जिला पुणे
11. स्थायी-और-सचल औषधालय, संगली, जिला संगली
12. स्थायी-और-सचल औषधालय, खाट, जिला नागपुर
13. स्थायी औषधालय, कम्प्टी, जिला नागपुर
14. स्थायी औषधालय, शोलापुर, जिला शोलापुर
15. स्थायी औषधालय, जलना, जिला जलना
16. आयुर्वेदिक औषधालय, ननडेड, जिला ननडेड

अफीम की खेती

4712 श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अनुबंध के अंतर्गत अधिक अफीम का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ ऐसे अनुबंध किए गए हैं;

(ग) क्या तदनुसार ही अफीम की सप्लाई की जाएगी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष अफीम की खेती एक नए रोग से प्रभावित हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अफीम उत्पादकों को लाइसेंस प्रतिवर्ष नार्कोटिक्स आयुक्त के संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान भारत की अफीम की वार्षिक आवश्यकता उसकी निर्यात वचनबद्धताओं तथा ओपिएट अल्कालायडों के उत्पादन के लिए घरेलू आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। फसल वर्ष 1994-95 के दौरान, उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोस्त की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया गया था। यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात प्रयोजनों के लिए 90° संशक्ति की लगभग 850 मीट्रिक टन अफीम की आवश्यकता होगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए अफीम के निर्यात के लिए किसी विदेशी क्रेता के साथ कोई नया अनुबंध नहीं किया गया है। वर्ष 1994-95 में अमरीका, जापान और फ्रांस को अफीम का निर्यात किया गया था।

(ग) वर्ष 1995-96 में विदेशी क्रेताओं को अफीम की सप्लाई के लिए निर्यात अनुबंधों पर चालू फसल वर्ष के दौरान खेतिहरों द्वारा दी जाने वाली अफीमी की मात्रा का अंदाजा लगाने के बाद ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

विभाग द्वारा आरंभ किया गया अफीम तुलाई का कार्य चल रहा है। निर्यात के लिए संपिदागत अफीम की मात्रा इस वर्ष आवश्यकता को पूरा करने के बाद अफीम कारखानों के पास उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करेगी।

(घ) इस वर्ष अफीम की फसल को नया रोग लगने का कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

कर मामले के लिए न्यायाधिकरण

4713 श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर प्राधिकरण अथवा न्यायालय गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) यह निर्णय कब तक कार्यान्वित कर लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आयकर अपील अधिकरण के पास बकाया पड़े मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के लिए उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	बकाया
1991-92	2,22,513
1992-93	2,45,855
1993-94	2,66,605

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अधिकरण गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। संविधान के अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत अधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 323 ख की व्याख्या के प्रश्न पर एक याचिका उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लंबित है, विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख पड़ी याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रस्तावित अधिकरण की कार्यप्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

कपास का उत्पादन

4714 श्री फूलचंद वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कपास का कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई;

(ख) राज्य में कपास के कितने गिनिंग एवं प्रेसिंग एकक कार्यरत हैं;

(ग) उनमें से कितने एकक रुग्ण हैं; और

(घ) इन एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादित की गई तथा खपत की गई कपास की मात्रा का अनुमान निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन लाख गांठों में (कपास सलाहकार बोर्ड के अनुसार)	मध्य प्रदेश में कपास की खपत लाख गाठों में (अनुमानित)
1991-92	8.94	0.90
1992-93	8.50	1.30
1993-94	14.50	1.60

(ख) और (ग) राज्य में कार्यरत गिनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयां निम्न प्रकार हैं :—

गिनिंग फैक्टरियों की संख्या	प्रेसिंग फैक्टरियों की संख्या
246	64

इनमें से रुग्ण इकाइयों की सं. = 21

(घ) इनमें से अधिकांश इकाइयां वित्तीय समस्याओं के कारण रुग्ण हैं जिनका वित्तीय संस्थानों द्वारा समाधान किया जाता है।

[अनुवाद]

रूस को निर्यात

4715 श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रूस ने उस वर्तमान कानून में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है जिसके अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक आयातित पुर्जों वाले उत्पादों का रुपए के भुगतान पर निर्यात नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) रूसी सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के जरिए अर्थात रुपया व्यापार के अंतर्गत निर्यात के लिए मूल्यवर्धन मान दण्डों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निर्यात के मामले में लागू होने वाले 33-1/3% मूल्यवर्धन मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाए।

(ख) तथापि, एग्जिम नीति (31 मार्च, 1995 तक संशोधित) के पैरा 21 (घ) तथा पैरा 61 और क्रियाविधि पुस्तिका, वाल्यूम (30 अप्रैल, 1995 तक संशोधित) के परिशिष्ट XIII के प्रावधानों के अनुसार रूस को होने वाले निर्यात पर इस समय निम्नलिखित मूल्यवर्धन मानदण्ड लागू हैं :—

(1) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होने वाले व्यापार के लिए मूल्यवर्धन मानदण्ड वही होंगे जो मानदण्ड जी सी ए देशों को होने वाले निर्यात पर लागू हैं;

(2) भूतपूर्व आर पी ए देशों को दिए गए ऋण के बकाया रुपए के परिसमापन के बदले भारत से होने वाले निर्यातों के लिए मूल्यवर्धन मानदण्ड 100% अथवा क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-2), 1992-97 में दर्शाया गया प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा; और

(3) भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा दिए गए सरकारी ऋण के भारतीय पुनर्भुगतान के बदले रूसी परिसंघ को किए जाने वाले निर्यात के लिए मूल्यवर्धन मानदण्ड 100% अथवा क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-2), 1992-97 में दर्शाया गया प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

गुजरात में बैंकों को लाभ/हानि

4716 **श्री एन. के. राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों को कितनी-कितनी लाभ-हानि हुई; और

(ख) घाटे में चल रही बैंक शाखाओं को लाभकारी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों की हानि/लाभ की राज्य-वार स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऋण मूल्यांकन मशीनरी का मजबूत बनाने और अग्रिमों का बारीकी से पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने की आवश्यकता के बारे में बैंकों पर जोर देते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय परिसंपत्तियों की वसूली/कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बैंकों ने निष्क्रिय परिसंपत्तियों पर अलग से नजर रखने के लिए अपने महाप्रबंधकों के प्रभार के अधीन अपने-अपने मुख्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना भी की है। निष्क्रिय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वसूली के मामले में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की मुख्य कार्यपालकों द्वारा मासिक आधार पर प्रधान कार्यालयय स्तर पर निगरानी करनी होती है। निदेशक बोर्ड को भी तिमाही अंतरालों पर वसूली में हुई प्रगति के बोर में सूचित करना होता है। व्ययों में कमी करने पर भी बल दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4717 **श्री चित्त बसु :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. ओबुल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को देय वेतन और अन्य भत्तों तथा सुविधाओं के संबंध में 30 अप्रैल को एक पंचाट दियथा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचाट को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या "नाबार्ड" द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को "आईबीए" का सह सदस्य बना लिया गय है; और

(चा) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी को दिनांक 1.9.1987 से प्रायोजक बैंकों के तदनुरूप पदों में तुलनात्मक स्तर के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के समान वेतनमान, भत्ते तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को जनवरी, 1991 से संशोधित वेतन दिया जा रहा है। परंतु अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें दिनांक 1.9.1991 से पहले की अवधि के लिए देय बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया गया है। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय के पास न्यायाधीन है।

(ङ) और (च) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के गैर-सरकारी बैंकों क शेयर

4718 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (आईसीआईसीआई) विभिन्न गैर-सरकारी बैंकों के पर्याप्त मात्रा में शेयर खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो पहले से स्थापित वित्तीय तथा बैंकिंग कंपनियों में इस प्रकार आने का प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या आईसीआईसीआई ने नई कंपनियों के प्रवर्तन करने में अपनी भूमिका कम कर दी है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. ने सूचित किया है कि उसने गैर सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों की इक्विटी पूंजी में निवेश किया है। निवेश का उद्देश्य उनके सहयोग से विद्यमान शाखा संजाल का उपयोग करना था।

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. ने सूचित किया

है कि वह वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है और नई कंपनियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को उचित महत्व प्रदान किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खर्च पर कर लगाना

4719 श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयकर विभाग आडंबरपूर्ण उत्सवों और समारोहों पर खर्च की सीमा के आकलन हेतु जांच-पड़ताल करता है जैसा कि 29 मार्च,1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानक अपनाए जा रहे है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गई ऐसी जांच-पड़तालों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अवधि के दौरान ऐसे खर्चों पर कुल कितना कर वसूला गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। आयकर अधिनियम की धारा 133-क (5) में यह प्रावधान है कि जहां किसी समारोह, उत्सव या कार्यक्रम के संबंध में किसी कर निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय की प्रकृति एवं मात्रा को देखते हुए आयकर प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या अनिवार्य है तो वह ऐसे समारोह, उत्सव या कार्यक्रम के बाद किसी भी समय ऐसा व्यय करने वाले कर-निर्धारिती अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो आयकर प्राधिकारी की राय में किए गए व्यय के संबंध में सूचना रखता हो, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने को कहे जो वह किसी मामले के लिए आवश्यक समझे औ जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही से संबंधित हो या लाभदायक हो और वह कर-निर्धारिती या किसी दूसरे व्यक्ति के बयान भी दर्ज कर सकता है और इस प्रकार दर्ज किया गया कोई भी बयान इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में इसके बाद साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धारा 133-क(5) के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1992-93	664
1993-94	487
1994-95	226*

(फरवरी, 1995 तक)

(* अनंतिम)

(घ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

नेशनल टेस्ट हाउस के अंतर्गत परीक्षण प्रयोगशालाएं

4720 श्री राम कृपाल यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए नेशनल टेस्ट हाउस की अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित विभिन्न लघु, मझौले और ग्राम उद्योगों की परीक्षण सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय परीक्षण शाला की एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला गुवाहाटी में स्थापित की जा रही है।

(ख) परीक्षण केंद्र, गुवाहाटी में एक सिविल प्रयोगशाला, एक रबड़, प्लास्टिक और टैक्सटाइल प्रयोगशाला तथा एक रासायनिक प्रयोगशाला होगी। परीक्षण केंद्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 185 करोड़ रु. का है।

(ग) प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के लिए असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का कब्जा ले लिया गया है और आवश्यक पुनरुद्धार कार्यशीघ्र आरंभ हो जाएगा। वर्ष 1995-96 के लिए 50 लाख रु. के योजना आबंटन को देखते हुए परीक्षण केंद्र को यथाशीघ्र चालू करने के लिए भंडार और उपस्करों की खरीद संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान न किया जाना

4721 श्री लाल बाबू राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 28 फरवरी, 1995 तक कितनी धन राशि का भुगतान रोका गया है;

(घ) यदि हां, तो भुगतान रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित बिलों का निश्चित अवधि में भुगतान करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, नहीं। यदि सप्लायरों के बिल ठीक होते हैं और उनके साथ अपेक्षित दस्तावेज लगे होते हैं तो उनको देय तथा अनुज्ञेय भुगतान कर दिया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में विभिन्न कारणों, जैसे, खरीददार/मांगकर्त्ता/परेषिति द्वारा वसूली का परामर्श, मुकदमा, दस्तावेजों/रिकार्ड का उपलब्ध न होना आदि, से सप्लायरों को किए जाने वाले भुगतान को लंबित रखा गया है।

(ग) और (घ) 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार (लगभग) 10 करोड़ रु. मूल्य के कुल 10,356 बिलों का भुगतान प्रश्न के (क) और (ख) भाग में उल्लिखित कारणों की वजह से नहीं किया जा सका।

(ङ) लंबित बिलों की यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रुप से समीक्षा की जाती है कि जैसे ही लंबित रखने के कारण दूर हो जाए, वैसे ही उन बिलों का भुगतान किया जा सके।

[अनुवाद]

राज्य के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

4722 श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1994 में राज्य के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए; और

(ग) राज्यों में निर्णयों विशेषकर नई आर्थिक नीति को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं। तथापि 27 मई, 1994 को राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, सार्वजनिक वित्त एवं नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट, अंतर्देशीय व्यापार कर सुधार, मूल्य-वर्धित कर आरंभ किए जाने के प्रभावों, परेषण कर लगाए जाने, घोषित माल की सूची में और अधिक मदों को शामिल किए जाने सहित बिक्री कर दरों के सुमेलीकरण पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) सम्मेलन में मूल्य-वर्धित कर आरंभ किए जाने सहित कर-सुधारों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया था। समिति का अब गठन कर दिया गया है।

रोपाई वाली फसलों संबंधी बोर्ड

4723 डा. आर. मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत तम्बाकू जैसी रोपाई वाली विभिन्न फसलों के कामकाज से संबंधित निकायों ने राजकोषीय नीतियां तय करने के पूर्व कभी विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बजट-पूर्व की गई तैयारी में किसी स्तर पर तम्बाकू बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ग) ऐसी बजट पूर्व की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है जिसमें तम्बाकू बोर्ड जैसे बोर्ड और निकाय शामिल थे; और

(घ) यदि नहीं, तो रोपाई वाली फसलों के बुरी तरह प्रभावित होने के संबंध में नीति बनाने में ऐसे निकायों की भूमिका क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). वस्तु बोर्डों/परिषदों और सरकार के बीच निरंतर बातचीत के अतिरिक्त, बजट पूर्व अभ्यास के एक भाग के रूप में उनकी गतिविधियों को प्राप्त करना एक सामान्य क्रियाविधि है जिन्हें मंत्रालय का बजट तैयार करते समय तथा उससे संबंधित सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजते समय ध्यान में रखा जाता है। जहां आवश्यक होता है इन पर उपयुक्त स्तर पर उस मंत्रालय से भी विचार-विमर्श किया जाता है।

कृषि और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक

4724 श्री पी. सी. थामस : क्या श्रम मंत्री यह बात बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की राज्य-वार संख्या और उनकी औसत आय कितनी-कितनी है;

(ख) शोषण की गंभीर स्थितियों से उनकी सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए एक विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कृषि और निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा कृषि एवं गैर-कृषि श्रमिकों की औसत मजदूरी/वेतन आय दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) भारत सरकार ने श्रमिकों, जिनमें असंगठित श्रमिकों की पहचान की गई श्रेणियां शामिल है, के संरक्षण के लिए अनेक कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, आदि अधिनियमित किए हैं। इन कानूनों के प्रवर्तन की राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में पुनरीक्षा की जाती है।

आठवीं योजना के दौरान, असंगठित क्षेत्र की इकाईयों में आय, कार्य-दशाओं और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से रोजगार की गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ). खेतिहर मजदूरों के लिए विधान बनाए जाने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। बिल्डिंग और अन्य भवन निर्माण कर्मकार विधेयक राज्य सभा में 1988 में पुन: स्थापित किया गया था किन्तु याचिका संबंधी लोक सभा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय अभियान समिति के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस पर विचार किए जाने पर रोक लगा दी गई।

विवरण I

कृषि और निर्माण कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खेतिहर मजदूरों की संख्या (1991 की जनगणना)	कृषकों की संख्या (1991 की जनगणना)	निर्माण कर्मकारों की संख्या (1991 की जनगणना)
1	2	3	4	5
1.	भारत (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)	74,597,744	110,702,346	5,543,205
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159	7,891,167	470,668
2.	असम	844,964	3,559,117	109,607
3.	बिहार	9,512,892	11,164,519	162,230
4.	गुजरात	3,230,547	4,703,628	282,822
5.	हरियाणा	896,782	1,829,530	123,476
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	1,125,311	86,246
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	4,999,959	5,915,633	427,972
9.	केरल	2,120,452	1,015,983	332,340
10.	मध्य प्रदेश	5,863,029	12,904,121	388,425
11.	महाराष्ट्र	8,313,223	10,172,108	801,735
12.	मणिपुर	47,350	437,499	10,971
13.	मेघालय	89,492	395,804	11,349
14.	नागालैंड	7,233	371,597	9,032
15.	उड़ीसा	2,976,750	4,598,500	90,315
16.	पंजाब	1,452,828	1,917,210	136,045
17.	राजस्थान	1,391,670	8,181,512	337,033
18.	सिक्किम	12,851	95,078	11,655
19.	तमिलनाडु	7,896,295	5,664,090	489,270
20.	त्रिपुरा	187,538	305,523	11,752
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	22,031,181	510,520
22.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	5,844,993	381,317
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	4,989	14,525	12,449
24.	अरुणाचल प्रदेश	20,054	235,987	23,392
25.	चंडीगढ़	1,642	2,302	22,098

1	2	3	4	5
26.	दादर व नागर हवेली	6,233	36,278	1,736
27.	दिल्ली	25,195	33,296	231,571
28.	गोवा	35,284	56,528	25,037
29.	दमन और दीव	1,199	3,266	1,960
30.	लक्षद्वीप	—	—	1,916
31.	मिजोरम	9,527	178,101	7,158
32.	पाण्डिचेरी	77,203	17,959	11,108

विवरण II

खेतिहर और गैर-खेतिहर श्रमिकों की औसत मजदूरी/वेतन उपार्जन को दर्शाने वाला विवरण (राज्य-वार) 1982-88 में रु. प्रतिदिन

राज्य	खेतिहर श्रमिक		गैर-खेतिहर श्रमिक	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
आंध्र प्रदेश	11.54	9.99	31.72	23.39
बिहार	10.01	9.29	33.88	33.37
गुजरात	11.94	10.40	37.82	30.64
हरियाणा	6.32	16.76	36.78	14.41
कर्नाटक	11.92	7.71	35.03	22.84
केरल	28.58	24.58	40.34	32.97
मध्य प्रदेश	8.42	8.87	29.84	17.42
महाराष्ट्र	14.97	8.23	33.90	23.79
उड़ीसा	10.54	6.41	30.87	19.43
पंजाब	17.29	10.81	33.36	29.36
राजस्थान	12.96	11.51	33.26	19.64
तमिलनाडु	10.83	6.53	26.30	13.91
उत्तर प्रदेश	11.81	6.85	31.86	21.72
पश्चिम बंगाल	12.58	13.81	35.19	15.20
अखिल भारत	14.58	10.65	34.90	26.28

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें दौरे के आंकड़े जिन्हें केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त किया गया।

[अनुवाद]

कर सेवा विभाग

4725 श्री सत्येदेव सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए करदाताओं की सुविधा के लिए कोई सेवा विभाग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं तथा उद्देश्य क्या है तथा इससे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इस समूची प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कोई योजना बनाई है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्यक्ष करों के लिए सम्पूर्ण कर परिकलन पद्धति का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग-अलग कर-दाताओं के खाते रखे जाएंगे, जिसके पहले से अदा किए गए करों के लिए शीघ्र क्रेडिट प्राप्त करने और वापसियां शीघ्र करने में सुविधा होगी। नई कम्प्यूटरीकृत कर परिकलन पद्धति इस समय दिल्ली, बम्बई और मद्रास में लागू की जा रही है।

[अनुवाद]

स्टॉक एक्सचेंज

4726 श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टॉक एक्सचेंजों में विकलांग व्यक्तियों की दलाल, उप-दलाल, जॉबर आदि के रूप में नियुक्ति करने हेतु कोई आरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का पालन न करने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टॉक एक्सचेंज गैर-सरकारी संगठन हैं जिनके सदस्य-ब्रोकरों के प्रवेश से संबंधित अपने नियम होते हैं। इस क्रम में सब-ब्रोकर ब्रोकरों के साथ कारोबार करते हैं। जॉबर सदस्य-ब्रोकर अथवा उनके कर्मचारी होते हैं। तदनुसार, एक्सचेंजों को इन मामलों में अपने निर्णय खुद लेने की आवश्यकता होती है। आखिरकार, ब्रोकर, सब-ब्रोकर और जॉबर कारोबार करते हैं और वे एक्सचेजों के कर्मचारी नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

4727 श्री कुंजी लाल :

श्री बलराज पासी :

श्री प्रवीन डेका :

श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

श्री खेलन राम जांगड़े :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण की तुलना में उसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों में प्रति व्यक्ति ऋण की राशि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बैंक शाखाएं

4728 डा. कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में सिंडिकेट बैंक और ऑफ महाराष्ट्र की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा में इन बैंको की कुछ और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया है कि इस समय उड़ीसा में सिंडिकेट बैंक की 27 शाखाएं कार्य कर रही हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उड़ीसा में कोई शाखा नहीं है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकों ने अभी वर्ष 1995-96 के लिए अपनी शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत नहीं की है।

विद्युत करघा सेवा केंद्र

4729 डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार किन-किन स्थानों पर विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की स्थापना की गई;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इन केंद्रों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और भविष्य में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों को विद्युत करघा सेवा केंद्रों की स्वीकृति दी गई है, वे राज्य-वार निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	स्थान	राज्य
1.	1992-93	कोमारापलयम	तमिलनाडु
2.	1992-93	ढोलका	गुजरात
3.	1993-94	बेतागिरी	कर्नाटक
4.	1993-94	हजूराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	1993-94	भिवण्डी	महाराष्ट्र
6.	1993-94	सचिन	गुजरात
7.	1994-95	सेलेम	तमिलनाडु
8.	1994-95	पन्देसरा	गुजरात
9.	1994-95	अलवर	राजस्थान
10.	1994-95	सोमानूर	तमिलनाडु

(ख) और (ग) विद्युत करघा सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों का चयन राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा विद्युत करघा संकेंद्रण वाले क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। एक विद्युत करघा सेवा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 लाख रुपया का एक ही बार के लिए पूंजी अनुदान तथा 4.5 लाख रु. का आवर्ती वार्षिक व्यय प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4730 **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अभी कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों का स्थान-वार ब्यौरा है;

(ख) इन बैंकों के मुख्य उद्देश्य, ब्यौरे तथा इन बैंकों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या है।;

(ग) क्या इनमें से कुछ बैंक वित्तीय संकट से होकर गुजर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) महाराष्ट्र राज्य में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम और उनके मुख्यालय नीचे दिए गए हैं:—

क्र. सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	मुख्यालय
1.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	नांदेड़
2.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	औरंगाबाद
3.	चन्द्रपुर-गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	चन्द्रपुर
4.	अकोला ग्रामीण बैंक	अकोला
5.	रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	रत्नागिरी
6.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	सोलापुर
7.	भंडारा ग्रामीण बैंक	भंडारा
8.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	यवतमाल
9.	बुलढ़ाणा ग्रामीण बैंक	बुलढ़ाणा
10.	थाणे ग्रामीण बैंक	थाणे

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता के घरों तक, विशेषरूप से अब तक के बैंक रहित क्षेत्रों में ले जाना, समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण बचतें, जुटाना और उसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों की सहायता करने के लिए करना, पुनर्वित्त के माध्यम से केंद्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह के लिए पूरक माध्यम सृजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां 16,513.78 लाख रुपए और अग्रिम (बकाया) 22,512.75 लाख रुपए था। मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां 14,496.72 लाख रुपए और अग्रिम (बकाया) 16,756.96 लाख रुपए था।

(ग) और (घ) कमजोर वर्गों तक पहुंचने और विस्तृत सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में, इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से क्षति उठानी पड़ी है। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली के खराब कार्यनिष्पादन से चल निधि की समस्या में और वृद्धि कर दी हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हानियां होने के कई कारण हैं, जैसे कि ग्राहकों के चयन पर प्रतिबंध, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन, विशेषरूप से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ती हुई स्थापना लागतें आदि।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने उपाए किए हैं और उपायों के एक पैकेज की घोषणा दिसम्बर, 1993 में की गई थी और तत्पश्चात 1994-95 के दौरान व्यापक पुनर्गठन के लिए कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया लगाया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनायी जाने वाली योजना का मार्गदर्शन करेगा। इस समय कमजोर और बीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकेंद्रीकृत ग्रामीण बैंकिंग के वित्तीय रूप से सक्षम और प्रभावी लिखित में परिवर्तित करने का उद्देश्य है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों को विनिर्दिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों और प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित शेयर भागीदारी प्रमाणपत्रों के माध्यम से अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति दी है।

देश में व्यापक पुनर्गठन के लिए चुने गए 49 क्षेत्रीय बैंकों में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र के हैं। केंद्रीय सरकार ने 294.76 लाख रुपए की राशि इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अतिरिक्त इक्विटी के लिए अपने हिस्से तथा चल-निधि संघटक के रूप में जारी की है।

[अनुवाद]

विदेशी इक्विटी पूंजी निवेश

4731 **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च,1993 तथा मार्च, 1994 तक देश में कुल कितने-कितने मूल्य की विदेशी इक्विटी का पूंजी निवेश किया गया और किस-किस देश ने आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश किया है;

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इक्विटी पूंजी, लाभ, लाभांश, रायल्टी, तकनीकी शुल्क आदि सहित कुल कितनी विदेशी पूंजी भारत में आई तथा यहां से अन्य देशों को भेजी गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी-कितनी निवल विदेशी पूंजी देश में आई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूई का निर्यात

4732 **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाह्डे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अन्य देशों में कपास का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस वर्ष और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु रूई और धागे का और अधिक मात्रा में निर्यात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात हेतु निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। 1994-95 के कपास मौसम के दौरान अन्य देशों में भी कपास के उत्पादन में गतिरोध आया।

(ख) और (ग). घरेलू स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अब तक कपास की बंगाल देशी किस्म की केवल 1 लाख गांठे तथा असम कोमिला किस्म की 0.05 लाख गांठ रिलीज की हैं। जहां तक सूती यार्न के निर्यात का संबंध है सरकार में वर्ष 1995 के लिए 1-40 काऊण्टों की सूती यार्न के निर्यात के लिए 75 मिलियन कि. ग्रा. की उच्चतम सीमा निर्धारित की है। 41 तथा उससे अधिक के काऊण्टों के सूती यार्न उच्चतम सीमा नियंत्रण के अधीन नहीं है।

दुबई स्थित एअर इंडिया का कार्यालय

4733 **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1994 में एअर इंडिया ने अपने दुबई स्थित कार्यालय में कार्यरत सभी भारतीय कर्मचारियों को वापस बुला लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हं; और

(ग) दुबई स्थित कार्यालय के हालात सुधारने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दुबई-बंबई सैक्टर पर 29 अगस्त, 1994 को एअर इंडिया उड़ान ए आई-744 पर सीमा शुल्क द्वारा सोना पकड़े जाने के परिणामस्वरूप, सरकार ने एअर इंडिया के दुबई में उड़ान प्रचालनों के हैंडल करने वाले कर्मचारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। तदनुसार एअर इंडिया द्वारा संबंधित कर्मचारियों को अक्तूबर, 1994 से फरवरी, 1995 तक चरणबद्ध तरीके से वापस बुला लिया गया था।

(ग) सभी प्रस्थानों के संबंध में विलंब संबंधी कम्पार्टमेंट की जांच के इंजीनियरिंग कर्मिकों को अनुदेश दिएए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच की जाती है कि प्रणाली उचित रूप से कार्य कर रही है।

देशी माल को विदेशों में सस्ता बेचने से रोकने हेतु विधान

4734 **श्री विजय एन. पाटील :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1995 के "फाइनैन्शियल एक्सप्रैस" में "एक्सपर्टस काल फार इम्प्रूव्ड एंडी-डम्पिंग लेजिस्लेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय करण प्रक्रिया के आधार को देखते हुए देशी माल को विदेशों में सस्ता बेचने से रोकने की प्रवृत्ति से निपटने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देशी माल को विदेशों में ससता बेचे जाने के कितने मामले सामने आए, कितने मामलों की जांच की गई और कितने मामलों का निपटारा किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में पाटनरोधी जांच सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 9, 9(क) और 9(ख) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (क्षतिनिर्धारण के लिए डम्प की गई मदों की पहचान, क्षति का आकलन ओर पाटनरोधी शुल्क की वसूली) नियम, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। उपर्युक्त विधायन

का निर्माण पाटनरोधी जांच पड़ताल से संबंधित डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 6 के अनुरूप किया गया है और इसलिए यह इस विषय पर अन्य देशों के विधायन के समान है।

(ग) जी हां, पाटनरोधी मामलों के निपटान के लिए वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी नामोदिदष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस अधिकारी की सहायता के लिए पाटनरोधी प्रभाग में इन मामलों को देखने के लिए उपयुक्त स्टाफ होता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाटन से संबंधित जिन मामलों की जांच की गई और जिनका निपटान दिया उनका विवरण निम्नलिखित है :—

विवरण

वर्ष	मद	देश	वृत्त–कार्रवाई
1992-93	बिसफिनॉल-ए	जापान	अंतिम निष्कर्ष निकाले गए और पाटनरोधी शुल्क लगाया गया
	पी वी सी रेजित	अर्जेन्टीना, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और यू.एस.ए.	-वही-
1993-94	आइसोब्युटाइल बेन्जीन	चीन जनवादी गणराज्य (पी.आर.सी.)	प्रारंभिक निष्कर्ष निकाले गए और अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
1994-95	थायोफाइलीन और	पी आर सी	-वही-
	केफीन 3, 4, 5	पी आर सी	-वही-
	टी एम बी ए		
	बिसफिनाल-ए	रूस और ब्राजील	जांच चल रही है
	के.एम.एन.ओ 4	पी आर सी	-वही-
	एन बी आर	जापान	-वही-

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

4735 **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन लाने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को सुदृढ़ बनाने और मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए अधिनियम के प्रवर्त्तन और कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपाय करने हेतु राज्य सरकारों से समय-समय पर जोर देती रही है। इनमें प्रवर्त्तन तंत्र को सुदृढ़ किया जाना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से संबद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान किए जाने तक प्रत्येक दो वर्ष में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया

जाना, तथा अधिनियम के उपबंधों को व्यापक प्रचार दिया जाना शामिल है। राज्य सरकारों से अनुरोध भी किया गया है कि ग्रामीण कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार दिसम्बर, 1990 के दौरान प्रचलित मूल्यों के आधार पर 20/- रु. प्रतिदिन से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित न करें।

[अनुवाद]

लन्दन-दिल्ली-लन्दन का विमान किराया

4736 **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-लंदन-दिल्ली क्षेत्र के विमान किराए में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). गंतव्य स्थानों के बीच विमान किरायों का निर्धारण संबंधित एयरलाइनों द्वार उनके वाणिज्यिक विवेक से और नागर विमानन महानिदशक के अनुमोदन से किया जाता है।

बोनस अधिनियम

4737 **श्री राम प्रसाद सिंह :**

डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार के पास वेतन सीमा बढ़ाने हेतु बोनस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने इस संबंध में केंद्रीय सरकार को काई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सरकार को विभिन्न व्यवसाय संघों और अन्य संगठनों से बोनस अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बोनस संदाय अधिनियम के अंतर्गत पात्रता के परिकलन की उच्चतम सीमा बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

शराब का निर्यात

4738 **श्री धर्मणा मोंडय्या सावुल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में शराब की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है; और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) इन मदों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान खाड़ी देशों को निर्यात किए गए मादक पेय पदार्थों के मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मादक पेय पदार्थों सहित कृषि पर आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है :

(I) बेहतर प्रौद्योगिकी के प्रवेश तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों की अनुमति देना; और

(II) निर्यात संवर्धन और बाजार विकास उन्नत पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्यातको को वित्तीय सहायता देना।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए मादक पेय पदार्थों के मूल्य

	वर्ष	बीयर	शराब	विस्की	ब्रांडी	लिक्वर्स	अन्य मादक	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संयुक्त अरब अमीरात	1991-92	5	3	1044	23	129	63	1267
	1992-93	4	4	1403	17	80	63	1571
	1993-94	14	–	1750	27	141	68	2000
ओमान	1991-92	–	–	40	–	6	5	51
	1992-93	3	3	54	–	12	9	81
	1993-94	2	–	63	11	5	7	88
साऊदी अरेबिया	1991-92	–	–	6	–	–	–	6
	1992-93	–	–	–	3	–	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1993-94	–	–	–	–	–	–	–
कुवैत	1991-92	–	–	–	–	–	–	–
	1992-93	–	–	3	–	–	–	3
	1993-94	–	–	–	–	–	–	–
बहरीन	1991-92	–	–	31	–	25	14	70
	1992-93	–	–	60	5	3	2	70
	1993-94	–	–	28	3	–	–	31
कतर	1991-92	–	–	–	5	5	5	5
	1992-93	–	–	4	–	4	4	8
	1993-94	–	–	4	–	–	–	4

(स्रोत : कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

चर्मकारों और बुनकरों के लिए कल्याण-योजनाएं

4739 श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चर्मकारों और बुनकरों के लिए कोई कल्याण-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से धनराशि मुहैय्या कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उक्त योजना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि प्रदन की गई है।

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली-त्रिवेन्द्रम सैक्टर पर विमान सेवा

4740 प्रो. सावित्री लक्ष्मण : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम सैक्टर पर विमन यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सैक्टर पर सांयकालीन विमान सेवा शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सैक्टर पर विमान सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइंस 19 फरवरी, 1995 से दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और विपरीत दिशा में एक दैनिक बी-737 सेवा का प्रचालन कर रही है। इंडियन एयरलाइंस का इस सैक्टर में देर शाम उड़ान प्रचलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हुबली स्थित टेक्सटाइल नगर

4741 श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हुबली में टेक्सटाइल नगर की स्थापना हेतु मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समेकित ढांचागत विकास योजना भी प्रस्तुत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किनती वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हर्षद मेहता और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सी. बी. आई. के मामले

4742 श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1995 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'हर्षद साइफन्ड आफ डी. डी. ए. फंड्स, संज सी. बी. आई' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 15, 80, 87, 037/- रुपए की धनराशि दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) के खाते से अवैधानिक रूप से श्री हर्षद एस. मेहता के खाते में कथित रूप से हस्तांतरित की गई थी।

(ग) और (घ) संबंधित बैंक अधिकारियों के दिल्ली में स्थित कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों के 4 स्थानों पर तलाशियां की गई थी। इस संबंध में स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, बम्बई के सहायक प्रबंधक और श्री हर्षद मेहता के विरूद्ध 11.11.1994 को मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम के गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग (जो पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास था) ने ब्याज सहित बैंकों में जमा धनराशि अब वापस ले ली है।

प्रबंधक तथा भारतीय विमान-चालक संघ के बीच समझौता

4743 **प्रो. के. वी. थामस :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रबंधन और भारतीय विमान चालक संघ के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत एअर इंडिया के अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तुलना में विमान चालकों की परिलब्धियों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या एअर इंडिया के विमान चालकों, फ्लाइट इंजीनियरों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों का परिलब्धियों में असमानता है;

(ग) क्या एअर इंडिया प्रबंधन विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने हेतु कोई कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कमांडों/सह-विमानचालकों की प्रति घंटा भुगतान की संशोधित दरों के संबंध में 26.9.94 को एअर इंडिया प्रबंधकवर्ग द्वारा भारतीय विमानचालक गिल्ड के साथ एक समझौता किया गया था।

(ख) से (घ) एअर इंडिया का प्रबंधकवर्ग भारतीय विमानचालक गिल्ड के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप फ्लाइट इंजीनियर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तकनीकी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगों/विषयों की जांच कर रहा है।

पर्यटन के विकास लक्ष्य

4744 **श्री अंकुशराव टोपे :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्य नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपलब्धियां रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ने पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा पर्यटन के माध्यम से नियोजन, में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीति निर्धारित की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यटक आगमन तथा पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु अंतिम वर्ष लक्ष्य क्रमशः 2.57 मिलियन पर्यटक तथा 7000 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए पर्यटक आगमन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	आगमन (मिलियन)	विदेशी मुद्रा अर्जन (रु. करोड़ों में)
1992-93	1.82	6060
1993-94	1.87	6509 अनन्तिम
1994-95	1.90	7365 अनन्तिम

बंधुआ मजदूर

4745 **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तेरह राज्यों के स्वयं सेवी संगठनों एवं वकीलों को बंधुआ मजदूर के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने शपथ पत्रों में इस बुराई को समाप्त कर देने का दावा किया है;

(ग) क्य इन स्वयं सेवी संगठनों ने उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय देश में बंधुआ मजदूरों की स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, सम्बद्ध राज्य सरकारों ने बंधित श्रम प्रथा को अभिज्ञात करने और रोकने के लिए तथा जो इस प्रथा के शिकार हैं उनका पुनर्वास करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ग) और (घ). उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के एक अधिवक्ता और महासचिव, बंधुआ मुक्ति मोर्चा को न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समन्वय करने और दिनांक 6.3.1995 के आदेश की तारीख से छः माह के भीतर माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

(ङ) सरकार बंधित श्रम प्रणाली के समूल उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसाकि राज्य सरकारों ने सूचित किया है, दिनांक 31.3.1993 तक अभिज्ञात किए गए और मुक्त कराए गए 2,51,424 बंधित श्रमिकों में से अब केवल 6,000 बंधित श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना है।

उड़ीसा में पर्यटन विकास

4746 **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए एक विस्तृत 'बृहद् योजना' तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो 'बृहद् योजना' क्रियान्वित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस बारे में विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने बृहद् योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा कोई विस्तृत मास्टर योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि राज्य सरकार ने, उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के लिए टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज को नियुक्त किया है। रिपोर्ट निम्नलिखित केवल 4 परिपथों को अभिनिर्धारित करती है :—

(1) बौद्ध परिपथ

(2) भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क

(3) सिमलीपाल-चांदीपुर-पंचालिंगेश्वर

(4) चिल्का झील

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिक्कों के रूप

4747 **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उलझन दूर करने के लिए विभिन्न सिक्कों और करेंसी के रूप और आकारों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में भारी संख्या में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार विद्यमान मुद्रा/बैंक नोटों को पूर्ण रूप से नए आकार में बदले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सर्वसाधारण जनता से प्राप्त कुछ शिकायतों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए सुझावों के आधार पर कुछ सिक्कों के रूप और आकार के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

नए हवाई अड्डे

4748 **श्री महेश कनोडिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान नए हवाई अड्डे बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर ये हवाई अड्डे बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन विद्यमान हवाइ अड्डों के नाम क्या हैं जिनका विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जम्मू और कश्मीर में कारगिल, मिजोरम में लेंगपुई और मेघालय में तूरा में नए हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अगरतला, औरंगाबाद, बंगलौर, भुवेनेश्वर, कालीकट, दीमापुर, गोवा, गुवाहाटी, कांगड़ा, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, जोधपुर, लेह, नागपुर, पटना, पोर्टब्लेयर, सिल्चर, शिमला तेजपुर, तिरूपति और बड़ौदरा मे हवाई अड्डों के उन्नयन की योजनाएं हैं।

गोवा में आय कर एकत्रण

4749 **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में आयकर दाताओं की कुल संख्या कितनी है तथा उनसे गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना आयकर एकत्रित किया गया और इस अवधि के दौरान राज्य सरकार को उक्त आयकर का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ; और

(ख) आयकर से संबंधित लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है और उनके कारण आयकर की कितनी राशि वसूल नहीं हो सकी है तथा इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गोवा में आयकर दाताओं की कुल संख्या, गोवा में गत तीन वर्षों के दौरान की गई आयकर की वसूली तथा इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया आयकर का हिस्सा निम्नानुसार है :—

वित्त वर्ष	करदाताओं की संख्या	आयकर की वसूली (निगम कर सहित)	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया आयकर का हिस्सा
1992-93	30,891	78.64	6.52
1993-94	35,380	102.30	9.45
1994-95	48,174	105.66	9.42

(अनंतिम)

(ख) जिन मामलों में आयकर की धनराशि बकाया है, उनकी संख्या 19,433 है और दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार वसूल न हो सकी धनराशि 10.57 करोड़ रु. है।

बकाया मांग को वसूल करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें अथदण्ड लगाने, आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अंतर्गत बैंक-खातों की कुर्की करने, कर वसूली अधिकारियों द्वारा चल और अचल संपत्तियों, दोनों की कुर्की करने आदि जैसे प्रयास शामिल हैं।

चमड़ा विकास शुल्क

4750 **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने अंतिम रूप से तैयार चमड़े के निर्यात पर चमड़ा विकास शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे निर्यात पर लगाए गए शुल्क के विरुद्ध चमड़ा निर्यातकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). तैयार चमड़े के निर्यात के लिए चमड़ा निर्यात परिषद ने विकास-शुल्क की शुरुआत की है। प्राप्ति का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ चर्म शोध उद्योग की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषकर प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने के लिए कानूनी दायित्वों को निभाने तथा पर्यावरण के अनुकूल चमड़े की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन करने में उत्पादकों की सहायता करने में किया जाता है।

(ग) से (ङ). जी, हां। तमिलनाडु चर्म निर्यातक तथा आयातक संघ तथा अखिल भारतीय लघु चर्मकार तथा निर्यातक संघ ने चमड़ा विकास शुल्क इकट्ठा करने की चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पर्यटन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का विकास

4751 **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के उस राज्य का विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राज्य में पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और केंद्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों को उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, आंध्र प्रदेश में पर्यटन आधारभूत संरचना के विकास के लिए, वर्ष 1994-95 के दौरान, केंद्र सरकार ने 17.99 लाख रु. की लागत की पांच परियोजनाएं मंजूर की हैं।

(ग) और (घ). आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए एक पर्यटन-नीति तैयार की है जिसमें पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

4752 **श्री पी. कुमाराभामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 1994 के दौरान अफीम उत्पादन के बारे में भारत द्वारा दी गई गलत सूचना के बारेमें चिंता व्यक्त की है जैसा कि 6 मार्च, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और

(ग) उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आई.एन.सी.बी.) की वर्ष 1994 की रिपोर्ट में इस बारे में चिंता व्यक्त की गई है कि 1994 में भारत में अफीम की उपलब्धता में काफी कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के अनुसार, अफीम की उपलब्धता में कमी वर्ष 1990 से अफीम के निर्यात में वृद्धि होने, वर्ष 1993 और 1994 में लगातार दो फसलों के खराब होने के मिश्रित प्रभावों के परिणामस्वरूप हुई है और यह भी सच है कि भारत में अफीम के भंडार भारत सरकार द्वारा आई. एन. सी. बी. को पहले सूचित किए गए भंडारों से वास्तविक रूप में कम थे। बोर्ड की चिंता इस कारण से भी बढ़ी है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो निर्यात के लिए अफीम का वैध रूप में उत्पादन करता है।

(ग) आई. एन. सी. बी. को पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बोर्ड को भंडारों के सूचित किए गए आंकड़े किताबों में दर्शाए गए भंडारों के आंकड़े थे और ये अफीम के वास्तविक रूप में उपलब्ध भंडार के आंकड़े

नहीं थे। किताबों में दर्शाए गए भंडार के आंकड़े अफीम की उस मात्रा को दर्शाते हैं जो पिछले वर्षों के दौरान कारखानों में प्राप्त हुई थी, और इनमें वर्ष-दर-वर्ष अफीम के भंडारण, रख-रखाव तथा विनिर्माण के दौरान होने वाली क्षति/हानि की मात्रा को हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि इसे खुली हुई बड़ी-बड़ी टंकियों में रखा जाता है। टंकियों में रखी अफीम के स्टाक का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है। अत: भारत द्वारा किताबों में दर्शाए गए भंडार के आंकड़ों की सूचना देने से भारत में भंडार की सही स्थिति के बारे में गलतफहमी पैदा हो गई है। पत्थर के बने बड़े खुले हौजों में रखे गए अफीम के स्टाक की तुलाई में, जो कि 200 वर्षों से अपनाई जाने वाली बहुत पुरानी प्रणाली है, वास्तविक रूप में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए पूर्व कई वर्षों के संबंध में अफीम के वास्तविक भंडारों के आकंड़े वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित नहीं किए जा सके। अफीम के भंडार की पुरानी प्रणाली को 1993-94 से अब नई प्रणाली से बदल दिया गया है जिसमें अब अफीम को समान आकार के टिकाऊ प्लास्टिक के आधानों में रखा जाता है। विगत अवधि के बारे में क्षति/हानि का परिकलन करने तथा उसे बट्टे-खाते डालने का कार्य इस समय चल रहा है। भंडारों की वास्तविक सही मात्रा का हिसाब उसके बाद ही रखा जाएगा। आई एन. सी. बी. को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

रूस के साथ व्यापार संतुलन

4753 **श्री आनंद रत्न मौर्य :**

डा. साक्षीजी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान रूस के साथ डालर व्यापार में संतुलन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्तमान मे रूस के साथ व्यापार में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) रूस के साथ व्यापार में वृद्धि करने में क्या रुकावटें है और सरकार द्वारा दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारत और रूस के बीच वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान व्यापार-संतुलन निम्नानुसार था :—

(मिलीयन अमरीकन डालर)

	निर्यात	आयात	व्यापार-संतुलन
	(1)	(2)	(3)
1993-94	639	258	381
1994-95	630	381	249

(जनवरी '95 तक)

(टिप्पणी : करोड़; रु. में डी. जी. सी. आई. एण्ड एस के आंकड़ों को अमरीकी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की गई विनियम दर) :—

1993-94 के लिए — 31.36 रु. = 1 अमरीकी डालर

1994-95 के लिए — 31.37 रु. = 1 अमरीकी डालर

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रूस के साथ व्यापार को बढ़ाने में बाधाएं मुख्यत: रूस द्वारा केंद्रित (अर्थव्यवस्था) से बाजार-अर्थव्यवस्था में स्थानान्तरण के कारण उसके सामने आ रही सांस्कृतिक समस्याओं तथा प्रभावी बैंकिंग, बीमा, भंडारण तथा परिवहन सुविधाओं के रूप में व्यापार के लिए उचित बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं :—

— रूसी पक्ष के साथ वर्तालाप को बढ़ावा जिसमें उच्च स्तर पर वार्तालाप शामिल है।

— संयुक्त आयोग व्यवस्था को उसके नौ कार्यदलों तथा अनेक उपदलों, जिनकी द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के सम्पूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग बैठकें हुई हैं, सक्रिय करना।

— व्यापार में वृद्धि वातावरण तैयार करने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर इनमें पर्यटन, द्विपक्षीय निवेश, सुरक्षा तथा व्यापारिक पोतवाहन संबंधी समझौते शामिल हैं।

— द्विपक्षीय विचार-विमर्श के जरिए वस्तुओं के निर्यात के रूप में रूस के का तेजी से उपयोग; विशेष वस्तुओं की खरीददारी के लिए अलग से एक समझौता किया गया है।

— प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों के आयोजन, मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी इत्यादि के जरिए सीधे व्यापार सम्पर्कों का विकास।

— यह सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरकों को प्रोत्साहन कि व्यापार के लिए बैंकिंग भंडारण और परिवहन (रूस के नावोसिस्क के काला सागर बंदगाह से होकर) बैंकिंग जैस क्षेत्रों में व्यापार के लिए तेजी से अवस्थापना का निर्माण किया जाए।

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइनें

4754 **श्री अन्ना जोशी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न विदेशी एयरलाइनों को हुए लाभ का एयरलाइन-वार विवरण क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक एअरलाइन को कितनी राशि प्रत्यावर्तित हुई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी एयरलाइनों को होने वाले लाभ/हानि की मानीटरिंग नहीं की जाती है। वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान विदेशी एयरलाइन कम्पनियों द्वारा भारत से भेजी धनराशियों के भारतीय रिजर्व बैंक से यथा उपलपब्ध आंकड़े विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्षवार एवं एयरलाइनवार धनराशियां जिन्हें भारत से भेजने को विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अनुमति दी गई।

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	एयरलाइन कंपनी	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	एअर कनाडा	28	191	133
2.	एअर फ्रांस	4,794	9,541	9,329
3.	एअर हांगकांग	—	—	324
4.	एअर लंका	638	1,107	2,242
5.	एअर लिंक	—	—	29
6.	एलीटालिया	2,552	4,240	4,513
7.	बीमान बंग्लादेश	—	112	392
8.	ब्रिटिश एयरवेज	8,461	17,720	14,913
9.	कैथे पेसिपिक	3,891	6,234	7,970
10.	कार्गलक्स एयरलाइन्स	—	—	148
11.	डेल्टा एयरलाइन्स	2,053	5,026	6,433
12.	एलएल	—	—	53
13.	इमेरात्स	6,958	9,875	12,380
14.	इजेप्ट एअर	280	787	921
15.	इथोपियन	1,167	11,885	1,974
16.	फिन्न एअर	—	—	32
17.	गल्फ एअर	11,261	16,907	21,138
18.	जापान एयरलाइन्स	4,229	2,591	667
19.	केनिया एयरवेज	—	448	1,043
20	कोरियन एयरवेज	13	—	1,240
21.	केएलएम	3,[illegible]	8,123	13,531
22.	कुवैत एयरवेज	5,572	11,310	11,862
23.	लीबिया एयरलाइन्स	24	—	—
24.	लुफ्थांसा	26,309	27,324	30,791
25.	मलेशिया एयरलाइन्स	2,537	4,662	3,137
26.	पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स	1,438	2,325	3,804
27.	पनामा वर्ल्ड एयरवेज	—	—	494

1	2	3	4	5
28.	ओरिएण्टल एयरलिंक	—	—	291
29.	क्वान्टास	971	1,348	1,991
30.	रॉयल जोर्डेनियन	1,143	1,928	3,087
31.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	—	—	985
32.	साबीना बेल्जियम एयरलान्स	69	3	—
33.	स्कैन्डिनावियन एयरलाइन सिस्टम	194	435	340
34.	सऊदिया	9,194	14,180	16,986
35.	सिंगापुर एयरलाइन्स	8,923	15,191	18,319
36.	सोवम एअर	—	—	3
37.	स्विश एअर	2,133	5,257	5,605
38.	सीरियन एअर	—	—	471
39.	थाई एयरवेज	2,158	5,413	3,723
40.	ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स	912	418	115
41.	ट्रांसमेडिटेरियन एयरलाइन्स	239	329	170
42.	टर्किस एयरलाइन्स	—	—	6,868
43.	यूनाइटेड एयरलाइन्स	—	—	3,173
44.	उजबेकिस्तान एयरलाइन्स	—	—	1,495
45.	यूगोस्लाविया एयरलाइन्स	3	4	—

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वार आयकर के बारे में दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

दिनांक 23.12.1994 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में एक विवरण संलग्न किया गया था, जिसें राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंकों के बारे में सूचना प्रस्तुत की गई थी।

खेद है कि पंजाब एंड सिंध बैंक और ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स से संबंधित सूचना में कुछ गलतियों का पता चला है। संशोधित सूचना संलग्न विवरण में संलग्न है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी एण्ड बालवाड़ी वर्कर्स, जिसकी कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं सहित, हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, साहिकाएं एवं बालवाड़ी कार्यकर्त्ता विभिन्न अखिल भारतीय मजदूर संघों के नेतृत्व में केंद्र सरकार से अपनी शिकायतों के निराकरण कराने के लिए आज दिल्ली में एक जुलूस निकाल रही है तथा धरना दे रही हैं।

इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की प्रमुख मांगें यह हैं कि न्यूनतमपरिश्रमिक देने की गारंटी देने वाले मामले के लंबित पड़े रहते हुए, उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए, आई. सी. डी. एस. योजनाओं का नीतिकरण न किया जाए तथा उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में दी जाने वाली वर्तमान नगण्य धनराशि एवं लाभार्थियों के लिए खाना पकाने हेतु दिए जाने वाले, ईधन प्रभार में वृद्धि की जाए।

बालवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की आर्थिक स्थिति तो उससे भी बदत्तर है। उन्हें भत्ते के रूप में अत्यंत अल्पराशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शैक्षणिक प्राधिकरणों के अंतर्गत, उन्हें भत्ते के रूप में अलग-अलग धनराशि मिलती है। इस संबंध में कोई एक समान दिशानिर्देश नहीं हैं।

आज सुबह, हम मानव संसाधन मंत्री से मिले थे। वह हमें इस संबंध में बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं दे सके।

आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की इस दयनीय स्थिति के बारे में मामला अनेक बार इस सभा में उठाया गया है तथा यह देखा गया है कि इन कार्यकर्त्ताओं की मांगों को व्यापक समर्थन मिला है।

विवरण

प्रश्न	मूल उत्तर (भाग (क) तथा (ख)						संशोधित उत्तर				
	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम	वित्त वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	निर्धारित आय	मांगा गया कर	भुगतान किया गया कर	वित्त वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	निर्धारित आय (आंकड़े करोड़ रु. में)	मांगा गया कर	भुगतान किया गया कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को आयकर की अदायगी अद्यतन है;	पंजाब और सिंध बैंक	1991-92	1992-93	69.85*	36.78	56.30	1991-92	1992-93	6.99*	3.68	5.63
		1992-93	1993-94	घाटा 79.12*	शून्य	8.60	1992-93	1993-94	घाटा 79.12*	शून्य	8.60
		1993-94	1994-95	घाटा 14.75	शून्य	14.24	1993-94	1994-95	घाटा 14.65	शून्य	14.24
(ख) यदि हां, तो बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों, एसोसिएट बैंकों में से प्रत्येक बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आंकी गई आय, उनसे मांगे गए कर तथा उनके द्वारा अदा किए गए कर का ब्यौरा क्या है;	ओरिन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1991-92	1992-93	15.52*	28.73	30.91	1991-92	1992-93	55.52*	28.73	30.91
		1992-93	1993-94	32.05*	16.58	32.04	1992-93	1993-94	32.05*	16.58	32.04
		1993-94	1994-95	10.33*	5.34	45.33	1993-94	1994-95	10.33	5.34	45.33
(ग) यदि नहीं, तो दोषी बैंकों से आयकर की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?											

*नियमित [illegible] निर्धारण लंबित हैं। यह आंकड़े प्रथम दृष्टया समायोजन के बाद विवरणीगत आय को प्रदर्शित करते हैं।

के बारे में

महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करती हूं कि वह इन कार्यकर्त्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं भी इस मुद्दे का समर्थन करती हूं क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता काफी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए लड़ रही हैं तथा हम इस मुद्दे को इस सभा में लगातार उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका यह कहना है कि आपने इस मुद्दे का समर्थन किया है, तो इतना ही काफी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन, इस संबंध में अभी तक बहुत कम कार्रवाई की गई है। अतः, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करती हूं कि इस मुद्दे की ओर ध्यान दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, यह मामला कई बार सदन में आया है। पहले एक बार प्रश्न के रूप में भी आया था। जब यह प्रश्न यहां आया था तब मंत्री महोदय की ओर से यह बताया गया था कि इनकी तनख्वाह बढ़ाने के मामले पर सरकार अभी विचार कर रही है। लेकिन आज सुबह जब आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंत्री जी से मिले तो उनको वहां से कोई भी, किसी भी प्रकार का आश्वासन, आशा या उम्मीद नहीं मिल पाई। वे सब वहां से निराश होकर आई हैं।

महोदय, देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काम का जहां भी मूल्यांकन होता है वहां यह बताया जाता है कि यह अति महत्वपूर्ण काम है। हिन्दुस्तान के ग्रामीण विकास और ग्रामीण लोगों की समस्याएं, विशेषकर स्वास्थ्य परिवार नियोजन आदि मामलों को लेकर है। मगर इन कामों को करने वाले लोगों के बारे में इतनी लापरवाही हो रही है कि यह इनकी गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी का लगातार शोषण है। आज ये कई हजार महिलाएं दिल्ली में आई हैं, अपनी कैफियत लेकर आई हैं। आज मंत्री महोयद ने जिस प्रकार से इन लोगों को निराश करके अपने घर से भेजा है उस पर वह पुनर्विचार करें और इस प्रश्न को हल करने की दिशा में अपना कदम उठाएं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, ये हजारों महिलाएं एक बार नहीं कई बार हमारी संसद के सामने आई हैं। ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। सब जगह कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन ये महिलाएं जनता के भीतर इतनी मेहनत का काम करती हैं। इनके वेजेस बहुत कम हैं। मेरे ख्याल से पांचवी बार हजारों की संख्या में पार्लियामेंट के सामने इन्होंने अपनी फरियाद को रखने का काम किया है।

अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि इस सवाल पर सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए और इस सवाल के समाधान के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : हम इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मैंने बोलने के लिए उनका नाम पुकारा है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान सिक्किम के किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। सिक्किम के अनेक भागों में किसान सूखे जैसी स्थिति की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि सिक्किम को डेनजोंग अथवा 'चावल की घाटी' कहा जाता है, लेकिन सिक्किम में किसानों का प्रमुख आधार मक्की की खेती करना है। लेकिन, वर्षा की कमी के कारण किसान हानि उठा रहे हैं। पौधे बिल्कुल भी उगते नहीं और जो उग पाते हैं वह भी वर्षा के अभाव में सूख जाते हैं। भौगोलिक एवं जलवायु-संबंधी परिस्थितियों की वजह से, किसान दोबारा बुवाई नहीं कर सकते। इससे किसानों की फसलें पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं तथा यहां तक कि उन्हें भुखमरी का भी शिकार होना पड़ सकता है। उनहें भुखमरी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राहत दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार अकेले राहत-कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं कर सकती। मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह राहत-कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करके राज्य सरकार की सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बारे में कुछ कह देती, क्योंकि अभी हम लोगों को फिर उनकी सभा में जाना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर दिया गया आश्वासन है। यही काफी होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आज तो सरकार को कुछ कहना चाहिए, नहीं तो हम लोग सभा में जाकर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। इसलिए इस सदन में सरकार की तरफ से कुछ कहा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकारने सभा-पटल पर आश्वासन दिया है। मैं अध्यक्षपीठ पर बैठा हुआ था। यह कहा गया था कि वे इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

तो आप कह दीजिए कि हम कोशिश करके कुछ दिलवा देंगे।

श्री डी. जे. टंडेल (दमन और दीव) : अध्यक्ष महोदय, समस्त भारत में लगभग दो तहसील से अपने-अपने राज्यों में धरने पर बैठे हुए है, जिसका कारण विदेशी कंपनियों को भारत सरकार द्वारा फिशिंग की अनुमति देना

है। यहां दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी धरना दिया जा रहा है। दो तारीख को भी माननीय सदस्यों द्वारा इस सवाल को सदन में उठाया गया था, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा मछुआरों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

12.07 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

पोरबंदर में भी मछुआरे धरने पर बैठे हुए हैं, रोजाना हम लोगों के पास लंबे-लंबे तार आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। सरकार का कहना है कि विदेशी कंपनियों को कुछ दूरी तक मछली पकड़ने की परमीशन नहीं दी गई है, लेकिन यह सही नहीं है। भारत के अंदर विदेशी कंपनियां कानून का उल्लंघन करके फिशिंग कर रही है। आज उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि सभी राज्यों में फिशरमैन चिंतित हैं। इस बारे में सरकार को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, धरने पर बैठे हुए मछुआरों को जाकर आश्वासन देना चाहिए, ताकि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो सके। यदि सरकार द्वारा शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये मछुआरे प्रधानमंत्री निवास पर जाकर धरना देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सरकार ने गरीब मछुआरों की समस्याओं के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। मेरी मांग है कि मछुआरों की समस्याओं के समाधान के बारे में सरकार शीघ्र कदम उठाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्वारका नाथ दास जी कृपया अपनी बात रखिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाईक जी, यदि प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहता है, तो जिन व्यक्तियों के नाम इस सूची में हैं, उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह भी सही है कि यदि हर कोई एक ही मुद्दे पर बोलना चाहता है, तो यह एक सामान्य चर्चा हो जाएगी।

श्री राम नाईक : मैंने भी पूर्व-सूचना दी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आएगी, तो मैं अवश्य आपका नाम पुकारूंगा। अब, मैं श्री द्वारका नाथ जी को बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री लोक नाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, कृपया मुझे कुछेक शब्द कहने की अनुमति दीजिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इन मछुआरों की समस्याओं के बारे में मुद्दा इस सभा में दो बार उठाया गया है। वे भूख-हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने कठोर रूख अपना रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यहां उपस्थित हैं। सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह सुन रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह मांग करता हूं कि इस विषय पर तुरंत कार्यवाई की जानी चाहिए। सरकार को अब अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वे हरेक को लाईसेंस जारी कर रहे हैं तथा इससे काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री द्वारका नाथ दास जी को बोलने के लिए कहा है। कृपया आप बैठ जाईए।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, नार्थ-ईस्ट फ्रंटीयर रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंद्ध श्रेणी 'ग' एवं 'घ' की भारी संख्या में रिक्तियां भरी नहीं गई हैं। इस सभा पटल पर सरकार का यह आश्वासन देना कि इस बैकलॉग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, मात्र एक कागजी समाधान था तथा इससे कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ है। नैमित्तीकरण समाप्त किए जाने के कारण चालू-रजिस्टर में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नैमित्तिक श्रमिकों के नाम काट दिए गए थे, लेकिन बाद में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 'ग' एवं 'घ' श्रेणियों में यह बैकलॉग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध व्यक्तियों की भर्ती न किए जाने तथा उन्हें पदोन्नतियों से वंचित रखने के कारण हैं।

अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय की ओर ध्यान दे तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध इस बैकलॉग को भर्ती के माध्यम से तथा उन्हें विभिन्न सेवाओं में ज्येष्ठ पदोन्नतियां देकर समापत करे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुसूचीबद्ध कार्यक्रम एक बजे तक चलता रहेगा। अतः, यह आप पर निर्भर है कि आप अपने कुछ साथियों के बोलने के लिए गुजांईश छोड़ दें। उन्हें बोलने के इस मौके से वंचित मत कीजिए। हर व्यक्ति दो अथवा तीन दिन पहले बोलने के लिए पूर्व-सूचना देता है, चूंकि उनके नाम अंत में आते हैं, इसलिए वे बोलने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। उनमें से कुछ माननीय सदस्य अत्यंत क्षुब्ध हैं। कृपया मेरा सहयोग दीजिए तथा अपने अन्य साथियों को भी बोलने का अवसर दीजिए।

..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार, सभा की अनुमति से, हम सूची के अंतिम सिरे से सदस्यों के नाम बोलने के लिए पुकारेंगे।

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, तालचेर में भारी पानी संयंत्र नामक एक परियोजना है, जोकि उड़ीसा राज्य में अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है। पिछले दो से भी अधिक वर्षों से यह पड़ी हुई है। जैसा कि आपको विदत ही है कि भारी पानी हमारी रक्षा संबधी तैयारी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस तरह से यह हमारी रक्षा संबंधी आवश्यकता है। अतः, इस परियोजना का अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना तालचेर उर्वरक संयंत्र के कार्यालय से जुड़ी है। यह संयंत्र (भारी पानी संयंत्र) तालचेर उर्वरक संयंत्र से अपने आदान से प्राप्त करता है तथा इस भारी पानी संयंत्र को चालू रखने के लिए तालचेर उर्वरक संयंत्र के सह-उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तालचेर उर्वरक संयंत्र कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी पर चल रहा है, जोकि जर्मनी-प्रौद्योगिकी से आई थी। हमनें इस प्रकार की प्रौद्योगिकी अपने

दो संयंत्रों—एक संयंत्र तालचेर तथा दूसरा आंध्र प्रदेश के रामागु में स्थित है—में अपनाई है। अब, उर्वरक क्षेत्र में विभिन्न प्रकारकी समस्याएं होने की वजह से इस संबंध मे काफी बहस हुई थी और अन्य उर्वरक संयंत्रों के साथ इन् दो संयंत्रों का मामला भी इन ईकाइयों के ऋण हो जाने के कारण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास भेज दिया गया था। यद्यपि, यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार ने इन सभी उर्वरक संयंत्रों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया हे। अब तालचेर उर्वरक संयंत्र भी चालू है तथा सरकार ने इन इकाईयों को भी चालू करने का निर्णय लिया है। महोदय, इस तरह से, भारी पानी परियोजना को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, और न ही कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें इस परियोजना को बंद करना पड़े। इसमें 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा वह इसके भविष्य के बारे में संदिग्ध हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह परियेजना...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही जी, आपको भी एक अथवा दो दिन और बोलने के अवसर से वंचित होना पड़ा था, क्योंकि आपका नाम वक्ताओं की सूची के अंत में है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके अन्य साथियों को भी बोलने का अवसर मिल जाए।

श्री बल्लभ पाणिग्राही : महोदय, मैं अपनी बात समापत कर रहा हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह भारी पानी संयंत्र कार्य करना प्रारंभ न करे, एक षडयंत्र रचा गया है। नौकरशाहों एवं टेकनोक्रेट्स के इस संबंध में मत अलग-अलग हैं। एक...

उपाध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। प्रो. प्रेम धूमल जी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। सांसदों के लिए...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदस्यों के नाम मेरे समक्ष हैं। मैं एक-एक करके उनके नाम पुकारूंगा। सदस्यों को हाथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों के लिए स्थानीय विकास निधि की योजना है जिसके तहत हम अनुशंसा कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और सांसद किसी अन्य पार्टी से है, यदि सांसद किसी काम के लिए अनुशंसा करते हैं तो स्थानीय अधिकारी उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। कुछ मामलों में नयी शर्तें लगाई जा रही हैं। मैं एक उदाहरण द्वारा इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की एक सड़क के लिए एक लाख रुपया देने की घोषणा की तो डी. सी. महोदय ने लिखा कि 50 प्रतिशत राशि का सामान खरीदा जाए और 50 प्रतिशत रुपया मजदूरों के लिए रखा जाए। अब इस बात का अड़ंगा लगाया जा रहा है कि 50 प्रतिशत धन से सड़क खोदने के लिए सामान खरीदा जाएगा। स्थानीय अधिकारी जान-बूझकर कोई न कोई नयी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और इस कारण काम पूरा नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, जो राशि स्वीकृत होती है उसको कभी बढ़ा दिया जाता है और कभी कम कर दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यहां से सभी प्रदेश सरकारों को स्पष्ट निर्देश जिाए कि सांसद जिस कार्य की अनुशंसा करता है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। यदि उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो सांसद को लिखें कि इसमें करना संभव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट निर्देश में कहा गया है लेकिन स्थानीय अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार बदल रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुआ है, उसके लिए चार महीने बाद चिट्ठी जा रही है और कई जगह तो यह कहा जाता है कि इतना पैसा सर्विस चार्जेज में चाहिए। इस योजना के तहत जो कार्य चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं लेकिन जानबूझकर अड़ंगा लगाकर काम को टाला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार का यहां से स्पष्ट निर्देश जाए। मेरे साथ यहां सभी सांसद सहमत होंगे।

कई माननीय सदस्य : हां, यह गंभीर बात है।

प्रो. प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश दे कि सांसद जो अनुशंसा करे, उसके अनुसार काम हो। मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, वे आश्वासन दें कि सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों के लिए यदि लोकल अधिकारी अड़ंगा लगाएंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वे इस योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कमीशन खाने की बात कर रहे हैं, इस योजना का लाभ जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय सम्बद्ध व्यक्तियों को विशेष निर्देश दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। वे कहते हैं कि पहले एक करोड़ रुपया खर्च हो जाए उसके बाद दूसरा सेंक्शन करेंगे... यह राशि लैप्स हो जाती है (व्यवधान)।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। यह चालू वर्ष के लिए है। आप सम्बंधित मंत्री जी से बात करें। वह आप की समस्या हल कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। मेरा कहना है कि क्या एक करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे?

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम धूमल : सरकार को अवश्य कुछ कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि यहां पर कोई पार्लियामेंटरी मिनिस्टर नहीं है, स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है। तो बताइए कि कौन जवाब देगा। कम से कम पार्लियामेंटरी मिनिस्टर को यहां होना चाहिए।

[अनुवाद]

आप संसदीय कार्य मंत्री को बुला सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संसद की अवमानना हो रही है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इस समय सात मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : ये तो बातें कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए। कृपया आप मंत्री महोदय को बुलाइए.. (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आधा दर्जन मंत्री बैठे हुए हैं। यह मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस लिए, मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : ये आपसी बातों में इतने मशगूल हो गए हैं कि अभी से सदन की अवमानना करने पर तुले हुए हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाऊ बयाल जोशी (कोटा) : ये सदन की अवमानना करते हैं। कल ये सारी बात राज्यसभा में उठ चुकी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जोशी जी, कृपया बैठ जाइए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि जब पीठासीन अधिकारी खड़े हों, तो सदस्यों को ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। यह आपको भी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, पर सरकार इस पर रिसपोंड करे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत : सरकार को अनुदेश दीजिए..

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं; वे उन्हें सुन रहे हैं और वे इसे विभिन्न मंत्रियों को बताएंगे। मैं मंत्री महोदयों से भी अनुरोध करता हूं कि वे सदस्यों के अनुरोध पर ध्यान दें, यह वक्तव्य सामान्य नहीं होने चाहिए। आपको जानकारी सहित तैयार रहना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं..

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पूरी स्कीम को ही एक तरह से खत्म कर दिया गया है। .. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : न्याय, आप मानदंडों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? जहां तक सदस्यों के फण्ड का प्रश्न है, यदि इसमें कोई संदेह है, यदि विभिन्न जिलों की कार्यकारी प्राधिकरण सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं चल रही हैं तो, आप माननीय मंत्री जी को लिख सकते हैं और मंत्री अवश्य ही स्पष्टीकरण देंगे। यदि आगे कोई संदेह है तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार, चूंकि आपके मामले पर सभा में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देते समय उत्तर दिया जा चुका है, तो इसे फिर से उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : यह बहुत आवश्यक मामला है। मंत्री महोदय के जवाब देने से समस्या काफल नहीं हो रहा है। इस समय देश में किसानों के लिए डीजल की इतनी आवश्यकता है कि.. (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार, मैं समझता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन चुके हैं। आपने मुद्दे पर जो डीजल की कमी के बारे में था, कल माननीय मंत्री जी द्वारा ले लिया गया था और उन्होंने बहुत विस्तृत वक्तव्य दिया था। अतः फिर से वही मुद्दा उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभा में सामान्य वातावरण रहे क्योंकि हम एक अच्छे वैठक को समाप्त कर रहे हैं। कृपया आप दूसरे सदस्यों का अवसर न छीनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऐसा प्रतीत होता है कि सूचीसूची में निचले हिस्से से नाम बुलाने होंगे जिससे पिछले तीन दिनों से जिन्हें बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है उनको अवसर मिले। जिन्हें नियमित रूप से बोलने का अवसर मिला है उन्हें अपने वक्तव्य में कमी करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के लाखों हथकरघा बुनकर सरकार की गलत नीतियों के चलते आज भुखमरी के कगार पर हैं। उनमें बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। सूत और सूत के धागे की भारी किल्लत है। महीने में पंद्रह दिन वे बेकार रहते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है। हथकरघा के कपड़े बिक नहीं पा रहे हैं। उन्हें देश का कमजोर और गरीब तबका तक खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार का रवैया उनके प्रति सौतेला और भेदभावमूलक है। सरकार पॉवरलूम और बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलों को बढ़ावा दे रही है।

यही कारण है कि पॉवरलूम और बड़े कारखाने बुनकरों को निगलते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि देश के लाखों बुनकरों की जो समस्याएं हैं उनका स्थायी हल खोजा जाना चाहिए। सरकार सिर्फ आश्वासन देती रहती है किंतु कुछ ठोस कार्यवाही नहीं करती है। अतः मेरा सुझाव है कि बुनकरों के कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एक स्थायी कोष की स्थापना की जानी चाहिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष गंगवार, आप सभा के नियम जानते हैं। यह बहुत बुरी बात है कि आप उन्हीं नियमों को तोड़ रहे हैं जो आपने ही बनाए हैं। और जिनको आप स्वीकार कर चुके हैं। आप को ऐसा करना शोभा नहीं देता है।

[हिन्दी]

डा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष जी, मेरा मामला भी बुनकरों से संबंधित है। 1989 में उत्तर प्रदेश के बुनकरों के 10 हजार तक के कर्जे माफ किये थे। केन्द्र सरकार ने 2400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे परंतु आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों के वे कर्जे माफ नहीं किए और पैसे को दूसरे खर्चे में ले लिया है। बुनकरों की हालत खराब है और उनसे जबर्दस्ती वसूली की जा रही है। 5-6 हजार की वसूली पर ही उनको जेल भेजा जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जो 2400 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुनकरों के 10 हजार तक के कर्जे माफ करने के लिए दिया था उसको उसी मद में खर्च करके उत्तर प्रदेश के बुनकरों के कर्जे माफ कराए जाएं।

श्री राम निहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं जो सोनभद्र जिला है, जहां पर प्रदूषण का अंबार है वहां पर चूना-भट्टा, पत्थर के क्रेशर, डाला सीमेंट फैक्ट्री, चुरक सीमेंट फैक्ट्री, हिंडाल्को, हाइटेक कार्बन, रेनुसागर, NTPC, NCL आदि हैं। मान्यवर, मैंने दो दिन तक इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद देखा कि अनपरा में, सोनभद्र, डाला एरिया में इस तरह से धुआं व राख उड़ रही है कि वहां पर पेड़ सूखते जा रहे हैं। मैंने दो दिन के दौरे में पूरा निरीक्षण किया और मैंने पाया कि पेड़-पौधे प्रदूषित होकर सूख गए हैं। मैंने इस संबंध में कई बार पर्यावरण मंत्री को भी लिखा लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा डाला सीमेंट फैक्ट्री से वहां के निवासियों को परेशानी हो रही है और उसके कारण वे बीमार हो रहे हैं। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको पेड़ हरे नहीं दिखायी देंगे, बल्कि उन पर सीमेंट की पर्तें जमीं दिखायी देंगी। हिंडाल्को एरिया के तमाम पेड़ हाइटेक कार्बन से खराब हो रहे हैं। रेनुसागर और जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वे पंतसागर के चारों तरफ हैं उसमें भी पूरा मलवा जाता है। जो एस डैम है उसका भी किनारा लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया इस पर अविलम्ब कार्यवाही करने की व्यवस्था करें। तत्काल ऐसी व्यवस्था करें, प्रदूषण से वहां के जंगल को बचाया जाए।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, 2 मई को मैंने जो सवाल उठाया था कि गहरे समुद्र में मछलीमार और विदेशी ट्रालर्स को दी हुई परमिशन और उसके कारण थामस कोचरी, जो नेशनल फिशरीज फोरम की एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय कन्वीनर है उन्होंने पोरबंदर में अनिश्चितकाल के लिए अनशन प्रारंभ किया है। जब मैं यह कह रहा था कि यहां के मंत्री इस बात का नोट नहीं लेते हैं तो उसका मतलब यह था कि दो मई को यह मामला मेरे द्वारा उठाने के बाद भी उन्होंने उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाये। आज 5 मई है, अनशन को तीन दिन हो गए हैं। आज सुबह मैंने पोरबंदर में टेलीफोन पर बातचीत की और मुझे यह बताया गया कि उनकी स्थिति तीन दिन के अनशन के कारण गंभीर होती जा रही है। वहां गर्मी के दिन हैं और पोरबंदर में अधिक गर्मी होती है। सारे देश के 70 लाख मछुआरे एक दृष्टि से देखा जाए तो परेशान हैं। अब शनिवार व रविवार दो दिन तक पार्लियामेंट की छुट्टी है और मिनिस्टर व सरकार उनको चर्चा के लिए भी नहीं बुलाये, सांसदों के साथ चर्चा नहीं करे और यहां भी कोई पार्लियामेंटरी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर नहीं है तो क्या स्थिति होती है? इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि आप अभी आदेश दें और मेरी प्रार्थना है कि आप उनको बताएं कि इसके ऊपर तुरन्त वहां के कन्वीनर को यहां बुलाया जाए और उनके साथ चर्चा की जाए। अन्यथा अनशन के कारण कोई उल्टी बात हो गयी तो देश के लिए परेशानी होगी।

यह 70 लाख लछुआरों का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूं, आग्रह करता हूं और मांग करता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि तुरन्त उनके साथ बातचीत की जाए।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि आप इस तरह किसी सदस्य का बीच में बोलना पसन्द नहीं करते हैं और मैं भी इस तरह बोलना पसन्द नहीं करता लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जो मछुआरों का सवाल है वह किसी पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। सरकार देश में जो आर्थिक सुधार कर रही है उससे एक ऐसा पहलू सामने आता है जिसके बारे में चिन्ता होना स्वाभाविक है। क्या छोटे-छोटे मछुआरे अपनी आजीविका से वंचित कर दिए जाएंगे? क्या वे भूखों मरने के लिए विवश कर दिए जाएंगे? यह मामला कई बार सदन में उठाया जा चुका है। श्री तरुण गोगोई इस समय सदन में नहीं हैं तथा दूसरे जितने मंत्री बैठे हैं, वे भी यहां की कार्यवाही पर कितना ध्यान दे रहे हैं उसका मुझे पता नहीं। आज मछुआरों के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्हें तीन दिन हो गए हैं और दो दिन इस सदन की बैठक नहीं होगी। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या नीति है। सरकार कहतीहै कि हमने विदेशी ट्रॉलर्स को समुद्र में जाने की इजाजत दी है और जब विदेशी ट्रॉलर्स गहरे समुद्र में जाएंगे तो मछलियां किनारे पर नहीं आतीं और छोटे मछुआरों का मछलियां पकड़ना असंभव हो जाता है। यह प्रश्न ऐसा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ कर डालिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुन क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं? लोग भूख हड़ताल पर हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। कृपया आप कुछ सूचनाओं के साथ आएं।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं भी इसे गंभीरता से ले रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय अपने स्थान पर खड़े हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय मैं भी इसे गंभीरता से ले रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अपने स्थापर खड़े हैं। कृपया आप उन्हें सुनें।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं भी इसे गंभीरतापूर्वक ले रहा हूं। मैं सम्बद्ध मंत्री को इसे बताऊंगा। वह बताएंगे कि सरकार द्वारा क्या सम्भव कदम और उपाय किए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह और अच्छा होगा कि सरकार सदन में कुछ सूचनाओं के साथ उपस्थित हो।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय ने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुन उनके साथ बात करेंगे और सभा की भावनाओं से अवगत कराएंगे। हम देखते हैं। उन्हें कुछ सूचनाओं के साथ आने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह सम्बद्ध माननीय मंत्री महोदय को सदन की भावनाओं से अवगत करा देंगे और माननीय मंत्री पुनः इससभा में आएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मंत्री जी को कम से कम यहां इतना आश्वासन देना चाहिए कि मछुआरों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि पिछले तीन दिनों से वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और दो दिन यह सदन बंद है। इनको कहना चाहिए कि उनके नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रक्षा राज्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, यह सदन उसे स्पष्ट रूप से समझना चाहता है। क्या वे ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि जो मछुआरे भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी एसोसिएशन के, संगठन के प्रतिनिधियों को आप चर्चा के लिए बुलाएंगे। उनका मान्यता-प्राप्त संगठन है लेकिन आप उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। क्या वे छोटे मछुआरे हैं, इसलिए आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं या आप सिर्फ विदेशी ट्रॉलर्स के मालिकों से ही बात करेंगे, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, माननयी वाजपेयी जी जानते हैं कि मैं दूसरे मंत्री की तरफ से आश्वासन देने में सक्षम नहीं हूं और मैं निश्चित रूप से वाजपेयी जी द्वारा और अन्य सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं को सम्बद्ध मंत्री महोदय को बताऊंगा। चाहे कुछ भी हो निर्णय वही लेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, हम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और इस विषय में अपना रोष प्रकट करने के लिए सदन के बाहर जा रहे हैं।

12.35 म.प्र.

तत्पश्चात श्री अटल बिहारी तथा कुछ अन्यमाननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीमहोदय द्वारा दिए गए जवाब से हम भी संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग जा रहे हैं।

12.35 म.प.

इस समय श्री वी. जी. नारायणन और अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के थाना भीमपुरा के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव के श्री अटल बिहारी मिश्र और उनके छोटे भाई श्री ज्ञान प्रकाश मिश्र, जो वाराणसी में हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र है अपने गांव 6 तारीख को जा रहे थे। चूंकि किड़िहापुर रेलवे स्टेशन से उतर कर गांव जाने के लिए कोई साधन रात्रि में नहीं मिलता है, इसलिए ये दोनों भाई पैदल ही रात्रि में 11 बजे अपने घर जा रहे थे और अपने गांव के निकट प्राइमरी स्कूल के सामने पहुंचने पर इन्हें भीमपुरा थाने की पुलिस मिली। पुलिस ने कहा कि तुम रात्रि में कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जो मेरे गांव के प्रधान खड़े हैं श्री बब्बन यादव उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी है और हम अपने घर जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने अटल बिहारी मिश्र को पकड़ लिया, तो उसका छोटा भाई ज्ञान प्रकाश भाग कर घर जाता है, तो पुलिस उसके घर पर धावा बोलती है और उसके घर की सम्पत्ति को लूट लेती है और अटल बिहारी मिश्र की भीमपुरा थाने में जाकर पिटाई शुरू करती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य का विषय है। सभा में इसका कौन उत्तर देगा?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे मत लें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल हरिकेवल प्रसाद जी ने उठाया है यह अत्यन्त महत्व का सवाल है। यह लड़का मेरे गांव से डेढ़ किलोमीटर की दूरी के गांव का था। उसने शुरू से अंत तक हाई स्कूल से बी.ए. तक हर क्लास में टॉप किया था और वह एम.ए. का छात्र था। कहा जाता है कि पुलिस के थानेदार पर किसी ने बम फेंका। पुलिस चारों तरफ दौड़ रही थी। यह और इसका भाई स्टेशन पर उतर कर अपने घर पैदल आ रहे थे। इनका घर मेरे गांव के पास ही है। पुलिस वालों ने रास्ते में इनको रोका और इनसे पूछा कि क्या तुमने बम फेंका है। बम का नाम सुनकर इसका बड़ा भाई भाग गया और इस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। यह लड़का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बी.जे.पी. से संबंधित है। पुलिस के लोगों ने इसको पकड़ा और जिस तरह से मारा है और जिस कारुणिक बरबरता और निर्दयता से हत्या की है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि शायद इतिहास में ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला।

महोदय, मैं अभी उस गांव में गया था। वह मेरे नजदीक के गांव का लड़का था। मैं उसके परिवार को जानता हूं। मैं उसके परिवार के लोगों से मिलाथा। उस लड़के का बाप इंटरमीडिएट कालेज में लैक्चरर है। उस परिवार का न हिन्सा से कोई संबंध है और न बम बनाने से कोई संबंध है। मैं उसको और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। उस लड़के को इसतरह से मार दिया गया, पांच, सात और दस दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनारस में आंदोलन किया, उसके बाद भी सरकार ने हत्या की रिपोर्ट नहीं की। मुझे कई दिनों के बाद इसका पता चला, क्योंकि यह मेरे गांव से डेढ़ किलोमीटर की दूरी का मामला था, इसलिए मैंने पुलिस के लोगों और जिला प्रशासन को इस मामले की जांच करने के लिए लिखा, लेकिन फिरभी कुछ नहीं हुआ। संयोगवश मैं देवरिया गया हुआ था और जिस दिन में अपने गांव गया, तो उस दिन पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट लिखी। सरी झूठी बातें लिखवकर उस लड़के के परिवार के खिलाफ मामला बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह राज्य सरकार का सवाल है, लेकिन यह मानवाधिकार का सवाल है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और पार्टी के सवाल के ऊपर इसको नजरअंदाज कर देंगे, तो मुझे आश्चर्य है। इससे बड़ी बात और क्या होगी और इसको कहने के लिए मेरे पास शब्दनहीं है, हालांकि मेरी जुबान पर बहुत कठोर शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, मैंने अखबारों के जरिए भी कहा है, जरूर निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराए। जो जांच हो रही है, वह सही नहीं है।

मैं समझता हूं कि अगर मानवाधिकार आयोग कुछ मतलब रखता है तो फिर यह कैसी घटना है? इसमें जरूर जांच होनी चाहिए क्योंकि उससे सारे इलाके में ही नहीं बल्कि जो लोग उस लड़के के बारे में जानते हैं, सारी बनारस हिन्दु यूनीवर्सिटी में जिस प्रकार से इस घटना की प्रतिक्रिया हुई है, वह अत्यंत भयावह है। मैं खुद उस दिन से इस बात को भूल नहीं पाता, जिस दिन से मैंने उसके परिवार के लोगों को बिलखते हुए देखा है। उसको मारने के बाद पुलिस उसके सारे परिवार के लोगों को गिरफ्तार करके ले गयी ताकि वह कहीं जाकर अपनी बात न कह सके। उसकी लाश तक उसके परिवार वालों को नहीं दी गयी। जो भी लोग उनसे बात करने गए, उनकी बात तक नहीं सुनी गयी... (व्यवधान) केवल शेम कहने से बात नहीं चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है जिस पर भारत सरकार कोई न कोई कठोर कदम उठाने की कोशिश करे। आपके पद से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को कोई डायरेक्शन देने के लिए नहीं कह रहा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई सलाह दी जा सकती है तो आप उनसे कहिए कि वह इस मामले की जांच करें।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात हरि केवल प्रसाद जी व चन्द्र शेखर जी ने कही है, वही बात अटल जी ने पिछले हफ्ते कही थी। उन्होंने एक मांग यह रखी थी कि केन्द्र सरकार और कुछ न करे तो कम से कम इस सारे वाक्यात के तथ्य तो मंगाए। यदि यह बात सही है तो उसके तथ्य मंगकार सदन के सामने रखें। अटलजी ने जो दूसरी मांग रखी थी, वही चन्द्र शेखर जी ने दोहराई है कि और कुछ नहीं तो कम से कम तथ्य मांगने के बाद केन्द्र सरकार अपनी पहल पर, हमने

जो मानवाधिकार कमिशन बनाया है, उसे उसके सुपुर्द करे ताकि वे इस पर जांच करके सीधा सदन को पहुंचा सके। इसमें कठिनाई तो है। माननीय अटल जी आ गए हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते ही इस मुद्दे को उठाया था। हम उत्तर प्रदेश की सरकार की टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यह घटना अपने आप में उस सरकार की घिनौनी हरकत पर सबसे बड़ी टिप्पणी है। माननीय अटल जी ने कहा था कि इस सारी घटना के तथ्यों को बताकर सदन में हमें सूचित किया जाए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, हरि केवल प्रसाद जी और चन्द्र शेखर जी ने जो बातें सदन के सामने रखी हैं, उनसे ऐसा लगता है कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करते रहे हैं। जिस तरह से वहां पुलिस की बर्बरता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से यह घटना मोड़ ले रही है, वह कोई नई बात नहीं है। पिछले साल शेर गली में पुलिस ने दो दलित नौजवानों-बिट्टू और ऋषिपाल को गोली से उड़ा दिया। उनका केवल इतना ही कसूर था कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की रक्षा कर रहे थे जबकि बाद में वह मूर्ति उसी सरकार द्वारा लगाई गई। वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम हो रहा है। यदि यह मामला सही है तो यह बहुत ही गंभीर बात है। इसकी निश्चित रूपसे सदन को जानकारी दी जानी चाहिए। यह मामला राज्य का न होकर मानवाधिकार का बनता है। निश्चित रूप से किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को और सरकार को भी एक गंभीर स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिभूति घोटाले और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण राशि पर्यवेक्षण मामले में गंभीर त्रुटियां प्रकाश में आयी हैं। वास्तविकता यह है कि मेरे पास वह प्रतिवेदन है जिसमें 5000 से अधिक मामले दर्ज हैं जिससे पता चलता है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डूबे हुए ऋण के रूप में दर्शाई गई है और बाकीदारों के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी एक परिपत्र में कहा है कि व्यक्तियों, फर्मों और संस्थानों को आगे और ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कृपया आप उदाहरणार्थ नामों का ब्यौरा दें। (व्यवधान)

श्रीरंगराजन कुमार मुंगलम : वास्तविकता यह है कि उनमें वह भी हैं जिन्हें घोटाले में दलालों के रूप में पाया गया है। उनमें से लगभग 82 वास्तविक दलाल हैं जो घोटाले में शामिल हैं। बड़े लोगों के नाम भी हैं। मैं उन लोगों के नामको नहीं छोड़ना चाहता जो यहां नहीं हैं। किंतु क्या वास्तव में मामला यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्देश देने के बाद भी ऋण न दिया जाए, 45,000 करोड रुपए के ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन्हीं पार्टी को स्वीकृत किए गए और जब ऋण वसूली का मामला आया है _ (व्यवधान)। सूची यह है। यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा। मैं इसे प्रमाणित करूंगा। अति महत्वपूर्ण मामला क्या है और जो बहुत सार्थक है वह है, इसके बाद एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक स्टामटेमिंग रोकने के लिए कहता है कि ऋण वसूल करो। अब उन्होंने यह कहने की प्रणाली शुरू की है कि अब हम उसे लेंगे। माना कि 5000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और बाकी रकम 5000 करोड़ रुपएहो, वे 100 करोड़ रुपए दे देते हैं और वे कह देंगे कि वे दोषी नहीं हैं क्योंकि वे रकम की एक छोटी धनराशि अदा कर चुके हैं। अब वे पिछले दरवाजे की टेकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। बात को छिपाने की भी कोशिश की जा रहीहै। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह एक वक्तव्य दे। अंततः यह सब वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण विभाग था जो अब यह आफ साइड विभाग बन गया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय रिजर्व बैंक अब बैंकों में नहीं जाएगा और सीधे सभी वित्तीय संस्थानों में खातों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकेगा है।

अब वे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वीकार कर लेंगे और स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउटेंट, अगर वे दावा करते हैं और जब तक उन्हें विशेष मामलों में संदेह नहीं होता, आगे कार्यवाही नहीं करेंगे। इस प्रकार, वास्तव में निरीक्षण और पर्यवेक्षण का काम कमजोर पड़ रहा है और यह सीधे-सीधे की गई कार्यवाही रिपोर्ट, जो हमें इस सभा में दी गई थी, के विरुद्ध जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतपूर्वक विचार करें क्योंकि यह 75,000 करोड़ रुपए की धनराशि का मामलाहै।

जब मैं 1000 करोड़ रुपए के साथ खाद्य राज सहायता देने की बात करता हूं तो वे कहते हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब उन लोगों को ऋण देने की बात आती है, जिनके पास बहुत सा पैसा है, तो उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले पर स्पष्ट जवाब दे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मेरे पास वह सूची है। मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात ठीक है। मेरा अनुरोध यह है कि अगर आपको अनुमति दी जाती है तो अन्य सदस्य भी उसमें भाग लेना चाहेंगे। फिर यह सामान्य चर्चा का विषय हो जाएगा और अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण मामले उठाने हैं और उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं तो सिर्फ कार्य प्रणाली की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक कंपनी—डॉलवेड और अन्य कंपनियों ने अलग-अलग ऋण लिया है और अदा नहीं किया है। तत्पश्चात उसी संगठन का एक सदस्य अग्रिम ऋण लेता है और वह भी उसका भुगतान नहीं करता है। इस प्रकार से चूककर्ताओं की सूची लंबी होती जाती है। प्रत्येक कंपनी के लगभग 10-15 अथवा कई बार चार या पांच व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके नाम सूची में दर्ज हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नये विभाग पर्यवेक्षण विभाग की पूर्ण असफलता का द्योतक है। मैंने पहले भी इस ओर ध्यान दिलाया है। अगर 70,000 करोड़ रुपए के लगभग वसूली की जानी है और

उसे वसूल कर लिया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होने के कारण दो वर्षों तक 13,000 करोड़ रुपए और इस वर्ष 850 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार, बजट घाटा और मौद्रिक घाटा कम हो जाएगे। पर्यवेक्षण न करने से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है और मुझे संदेह है कि सांठ-गांठ अर्थव्यवस्था को...

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। मैं पुन: यह बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इससे इस आधार पर इन्कार किया गया है क्योंकि इसके साथ ही एक प्रश्न लंबित है और संभवत: उसे उठाया जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर संभव हो तो इसे अध्यक्ष महोदय के नोटिस में लाइये क्योंकि कम से कम किसी प्रकार की गलत धारणा को दूर करने के लिए हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना काफी महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल भी कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाये जाने थे लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया क्योंकि बारंबार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी पूर्व वक्तओं ने उस अनुरोध को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट का समय है। थोड़ी उदारता दिखाइए। संक्षेप में बोलिए। सदस्यों के नाम मेरे पास हैं। मैं एक-एक करके बुलाता हूं। मैं इसमें व्यतिक्रम नहीं होने दूंगा जहां कहीं भी मुझसे उल्लंघन हुआ असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत लिखित रूप में माफी मांग लूंगा।

डॉ. एन. मुरूगेसन (करूर) : यह अत्यधिक हर्ष की बात है कि इस महान सभा को सूचित करना चाहता हूं कि डॉ. शिवाजी गणेशन, जो एक जानेमाने राष्ट्रीय कलाकार हैं और पूर्व सांसद हैं, को हाल ही में फ्रांस की सरकार ने प्रतिष्ठित 'केवेलियर' पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सिनेमा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया है। ऐसे समय पर जबकि फ्राँस सिनेमा महोत्सव मना रहा है, इसने अपने सम्मान से विभूषित करने हेतु डा. शिवाजी गणेशन का चयन किया है, जिन्हें पहले भी 1962 में मिस्र के राष्ट्रपति, नासिर ने काहिरा में 'एशिया के शेर' के रूप में सम्मानित किया था। ऐसा उनके द्वारा **वीरापांडिया कट्टाबोम्मान** तथा **कप्पालोटिया थामिझान** फिल्मों में, जिनमें उन महान तमिल स्वतंत्रता सेनानियों का चित्रण किया गया था जिन्होंने भारत में ब्रिटिशों का उटकर सामना किया, अग्रणी भूमिका अदा करने के तुरंत बाद किया गया था।

22 अप्रैल, 1995 को शिवाजी को, जिन्होंने महान मराठा सम्राट के बाद 'शिवाजी' की उपाधि धारण की है, मद्रास में आयोजित एक भव्य समारोह में 'केवेलियर'की उपाधि प्रदान की गई। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डॉ. पुरात्चि थालेवी ने समारोह की अध्यक्षता की और फ्रांस के महामहिम राजदूत ने फ्रांस जो विश्व की कला और संस्कृति की राजधानी है, की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया।

पराशक्ति से **पासुंपन** तक डा. शिवाजी ने लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया और प्रत्येक फिल्म में उनका चरित्र अभिनय उनकी पूर्व फिल्म से अधिक श्रेष्ठ होता था। उनका नाम तमिलनाडु में घर-घर में जाना जाता है और वह अनेक महान भारतीय सिनेमा कलाकारों के लिए एक आदर्श हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या क्या है? आपका सुझाव क्या है? आप इसे चार या पांच पंक्तियों में बताइए।

डा. एन. मुरूगेसन : मुझे इस बात का दु:ख है कि भारत सरकार ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया है, जिसके वह हकदार हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि महान जानेमाने अभिनेता को 'दादा साहेब फाल्के' पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह महान सभा प्रतिष्ठित कलाकार डा. शिवाजी गणेशन को उनकी अद्वितीय कलात्मक सेवाओं के लिए प्रशंसा करते हुए उनके प्रति बधाई व यथोचित सम्मान व्यक्त करे। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री बलराज पासी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : उपाध्यक्ष महोदय, तराई और भाभर में पीने के पानी और सिंचाई के पानी का भारी संकट खड़ा हो गयाहै। इससंकटकोदूर करने के लिए आवश्यकता यह है कि केन्द्र सरकार के पास जमरानी बांध परियोजना वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है और पैसा खर्च करके नहरों का निर्माण कर दिया गया है, पुलों का निर्माण कर दिया गया है लेकिन बांध की परियोजना रुकी हुई है। उसमें कारण यह बताया जा रहा है कि पर्यावरण के कारण से निर्माण रोक दिया गया है। इसमें वन विभाग की आपत्ति है, जबकि वन विभाग की जितनी भूमि बांध के क्षेत्र में आती है, उसके बदले में हरदोई में जगह दे दी गई है लेकिन उसके बाद भी उस योजना को रोक दिया गया है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही जमरानी बांध परियोजना को प्रारंभ किया जाए, जिससे हलद्वानी, तराई और भाभर के लोगों को पीने और सिंचाई के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, थोड़ा बोलना है। जो बोलना है, इफैक्टिव बोलना है और कम सेंटेंस में बोलना है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजनीति से अपराधीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हालमें आयोजित बिहार विधान सभा के चुनाव में अपराधियों का खुला प्रयोग हुआ है। इस चुनाव में हथियारों का प्रयोग तथा अपराधियों का प्रदर्शन हुआ है। ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी।

इस प्रसंग में मुझे कहना है कि 246 घोसी विधान सभा, में व्यापक पैमाने पर हिंसा और मतदान केन्द्रों पर कब्जे की घटनाएं हुई, पर प्रशासन और संवैधानिक तंत्र मौन रहा। इसी क्षेत्र में हमारे दल के राज्य स्तरीय नेता श्री जयप्रकाश यादव को चुनाव की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनकी कांग्रेस के गुंडों ने ... (व्यवधान) गोली मारकर हत्या कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : बस-बस, माफ कीजिए। उनको भी बोलने दो।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जय प्रकाश यादव के हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ, लेकिन अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि इस केस की CBI से जांच करवाई जाए, जिससे कि इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के अन्दर आदिवासी इलाके, खासतौर से बस्तर के इलाके, के लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वहां के आदिवासियों के ऊपर छठी अनुसूची के अधिकार लागू किए जाएं, जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में लागू किए गए हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आदिवासी इलाके में छठी अनुसूची लागू करके उनके अधिकारों को बहाल किया जाए। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बक्सर से लेकर कोयलबर तक तटबंध बनाने का फैसला किया। बरसात होने में दो महीने शेष हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस बांध का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल बाढ़ आई थी तो सैया, मरचइया में बांध टूट गया था। शाहपुर के 120 गांव गंगा की चपेट में आ गए थे। उसका काम अभी अधूरा है। हालांकि बिहार सरकार ने सैया, मरचइया बांध को बनाने का आश्वासन दिया है लेकिन आरा की साइड में जो बांध टूटा हुआ है, वह अभी तक नहीं बनाया गया है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह रुपया देकर इस बांध का निर्माण कार्य पूरा कराये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। मैं यह बात बार-बार दोहरा रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखते हुए गोवंश की रक्षा हेतु जो कदम उठाने चाहिए, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोशालाओं को दी जाने वाली दान राशि को आयकर से मुक्त किया जाए। गोशाला संस्थाओं को आयकर से पूर्णत: मुक्त किया जाए और पक्के चमड़े के निर्यात पर से निर्यात शुल्क समाप्त न किया जाए क्योंकि अधिकांश काफ लैदर का निर्यात होता है जो कि छोटी आयु के बछड़ों और बछिया का वध करके तैयार होता है। गोवंश हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चमड़े पर से निर्यात शुल्क हटाने से गो वध को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार गोवंश की रक्षा हेतु शीघ्र कार्यवाही कर उपयुक्त कदम उठाए। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। हन्नान मोल्लाह जी, मैं यह नामों की सूची आपके पास भेज दूंगा। अगर उसमें कुछ हेर-फेर हो तो आप उसकी ओर इशारा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरों के हित के साथ जुड़ा हुआ सवाल उठाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की सहायता से 1950 और 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए जो मकान बनाए गए थे, उनके बारे में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया है कि मार्किट रेट से मजदूर इन मकानों को खरीदें। यदि वे मकान नहीं खरीदेंगे तो वे मकान अमीरों को दे दिए जाएंगे। इसकी वजह से गरीब लोगों में बहुत असंतोष है। इससे मजदूर बेघर हो जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में बात करे और देखे कि मजदूरों के साथ कोई अन्याय न हो।

[हिन्दी]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री भी यहां मौजूद हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर अनोखी घटनाएं घट रही हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रीयगान गलत तरीके से गाया गया और किसी को भी दंडित नहीं किया गया था।

परसों ही एक समाचार था कि एक बिल्ली ने एक यात्री को काट लिया और इस नुकसान के लिए लगभग 10 लाख रुपए देने पड़े। हालांकि मेरा प्रश्न अलग है और वह भूतपूर्व-सैनिकों के बारे में है, जिनका माननीय प्रधान मंत्री ने हृदयस्पर्शी उल्लेख किया था। उनकी विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 12,000 रुपए दिए गए थे। हालांकि ये भूतपूर्व सैनिक, जो हवाई अड्डे पर ठेके के मजदूरों के रूप में नियोजित हैं, उन्हें केवल 400 से 500 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहा जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। उन्हें भी सेवा से बरखास्त किया जा रहा है। चार सुरक्षा गार्डों को, जो ठेके की मजदूरी पर थे, को सेवा से हटा दिया गया और उन्हें फिर काम पर नहीं लिया गया था। अब इनके ठेके के मजदूरों को अनदेखा करके एक नये सिरे से स्थायी भर्ती की जा रही है। इस तथ्य के बावजूद भी कि एक ठेका श्रम अधिनियम है जिसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, ऐसा किया जा रहा है। इन भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकारों द्वारा दी गई न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, जो अन्य ठेके के मजदूर प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ताकि इसका शीघ्र निपटारा हो सके।

श्री हन्ना मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यवाही न करने, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग न करने और बेईमान प्रमोटर द्वारा अंधाधुंध लूटपाट करने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अत्याधुनिक सूती कपड़ा मिलों में से बोरिया कॉटन मिल नाम की एक मिल को हाल ही में काम बंद रहने के बहाने से बंद कर दिया गया है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अनेक बैठकों के उपरांत एक योजना अनुमोदित की, जिसे एक महीने के भीतर लागू किया जाना है। लेकिन प्रमोटर पर्याप्त धनराशि जुटाने में असफल रहा। इलाहाबाद बैंक ने धनराशि प्रदान न करने का एक तुच्छ सा बहाना किया कि अन्य बैंकों जैसे सिटी बैंक, ग्रिन्डलेज़ बैंक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने अपनी शेयर राशि नहीं दी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इसमें भाग न लेने का यह तर्क दिया कि बैंक पैसा नहीं दे रहे हैं। इससे श्रमिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अनेक मजदूरों की छंटनी कर दी गई थी और योजना के अनुसार केवल 2100 मजदूर लिए जाने थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को काम पर नहीं लिया गया और अंत में मिल बंद हो गई।

मैंने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री, तथा वस्त्र मंत्री को पत्र लिखे लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं सरकार से हस्तक्षेप करने और हजारों श्रमिकों के हित में मिल को पुनः खुलवाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने श्री रामपाल सिंह का नाम पुकार था, वह उपस्थित नहीं थे। अब, वह बोलने का अवसर देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उनका नाम सूची में तीसरे स्थान पर है। मेरे विचार में मैं उनका नाम पुकार सकता हूं और उनका नाम अंत में होगा। अब श्री रामपाल सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

1.00 म.प.

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद सिद्धार्थनगर में पानी की बहुत कमी हो गई है। यह क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है। यहां पर एक इस समय कुएं बहुत सूख गए हैं और वहां पर जो सरयू नहर बन रही है वह 15 साल से बन रही है। जमीन तो ले ली गई है लेकिन वहां पानी नहीं है। आदमी और जानवर, दोनों के लिए पानी की समस्या हो गई है। अतः, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सरयू नहर शीघ्र पूरी कराई जाए ताकि यहां के लोगों के पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री

श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल : महोदय, मैं श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 7489/95)

(दो) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 7490/95)

(3) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 7491/95)

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के समेकित वार्षिक लेखे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं श्री पी.ए. संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 क की उपधारा (9) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल.टी. 7492/95)

समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण कोच्चि का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुएविलंब को दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारण, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कीएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7493/95)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) सा.का.नि. 11(अ), जो 4 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितंबर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 30(अ), जो 16 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 73/94.सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 85(अ), जो 22 फरवरी, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 110(अ), जो 6 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका म्यांमार संघ से भारत में आयात किया जाए, कतिपय शर्तों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक है, छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 318(अ), जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें दर्शायी गई कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयातित माल (यानान्तरण की शर्तें) संशोधन विनियम, 1994, जो 28 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 884(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 203(अ), जो 16 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 204(अ), जो 16 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 227(अ), जो 29 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 278(अ), जो 29 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7494/95)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 8(अ), जो 4 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों, इलैक्ट्रोनिक यंत्र सामग्री प्रौद्योगिकी पार्क अथवा प्रक्रिया सामग्री प्रौद्योगिकी पार्क योजना की इकाईयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाईयों से प्राप्त किए

जाने वाले विनिर्दिष्ट माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 9(अ), जो 4 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय डी.टी.ए. की बिक्री पर लागू शुल्क की दर और वह सीमा निर्धारित करना है जिस सीमा तक डी.टी.ए. द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों, निर्यात प्रसंस्करण जोन की इकाईयों, इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क इकाईयों की एककों के लिए बिक्री किया जाना अनुमत्य है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 10(अ), जो 4 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें दर्शायी गई चार अधिसूचनाओं को विखण्डित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 86(अ), जो 22 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना संख्या 212/87.के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 87(अ), जो 23 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाइयों से शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम के रूप में पंजीकृत किसी जलकृषि फार्म द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट माल को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1995 जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ), में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 354(अ), जो 20 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 32/94.के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7495/95)

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन), नियम, 1995 जो 20 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 444, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू (सी. आर.वाई.), मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का. आ. 445, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का. आ. 446, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का. आ. 447, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ट्रिब्यून न्यास, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का. आ. 448, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हमदर्द दवाखाना (वक्फ), दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का. आ. 449, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हमदर्द दवाखाना (वक्फ), दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का. आ. 450, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आर्य वैद्यशाला, कोट्टकल केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 451, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1861 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आर्य वैद्यशाला, कोट्टकल केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का. आ. 452, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का. आ. 453, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दिल्ली सोसाइटी फार दि वेलफेयर आफ मेंटली रिटार्डिड चिल्ड्रन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 और 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 454, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नई तालीम समिति, सेवाग्राम वर्धा (महाराष्ट्र)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 और 1995-96 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का. आ. 455 जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 456, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी संशोधन संस्थान, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का. आ 457, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की अवधि के लए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का. आ. 458, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तेल समन्वय समिति, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 459, जो 18 फरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मराठा मंदिर, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का. आ. 460, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि अम्लगमेटिड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट-वार सर्विसिज रिकन्सट्रक्शन फंड एंड स्पेशल फंड फार रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहैबीलिटेशन आफ एक्स सर्विसमैन फंड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का. आ. 461, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधियिम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि टाटा एग्रीकल्चरल एंड रूरल ट्रेलिंग सेंटर फार ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का. आ. 462, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चंडीगढ़" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का. आ. 463, जो 18 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानन्द निधि, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 7496/95)

इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखवंस कौर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (क) (एक) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रीशन नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7497/95)

(दो) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7498/95)

(तीन) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन मद्रास, के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7499/95)

(चार) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट,केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7500/95)

(पांच) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7501/95)

(छह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बंगलौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7502/95)

(सात) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रीशन, लखनऊ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7503/95)

(आठ) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7504/95)

(नौ) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7505/95)

(दस) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7506/95)

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, जयपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7507/95)

(बारह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7508/95)

(तेरह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7509/95)

(चौदह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलोजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7510/95)

(पन्द्रह) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रीशन, चंडीगढ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7511/95)

(सोलह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, उदयपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7512/95)

(सत्रह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7513/95)

(अठारह) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7514/95)

(उन्नीस) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, गंगतोक के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7515/95)

(बीस) पांडिचेरी इंस्टीट्यूट आफ हास्पिटेलिटी क्राफ्ट्स, पांडिचेरी के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7516/95)

(इक्कीस) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7517/95)

(ख) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, गोवा, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल, ग्वालियर, तिरूअनंतपुरम, चंडीगढ और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, उदयपुर, फरीदाबाद, दार्जिलिंग, गंगतोक और पांडिचेरी तथा नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एलटी. 7518/95)

1.02 म.प.

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की बैठकों के तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं:

(1) कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(3) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

01.03 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) निचली जोंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को पानी छोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान (महासमुन्द) : महोदय, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से लोवर जोक योजना बनी थी। समझौते के मुताबिक मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी थी। उड़ीसा को उक्त योजना के तहत पानी मिलने लगा है, किन्तु अभी तक मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिला है जिसके कारण मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खेती पर निर्भर रहने वाले लोग सिंचाई के अभाव में दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर देते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को शीघ्र ही सिंचाई सुविधा दिलायी जाए।

(दो) 435 (क) मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र में कृषि आधारित भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघट) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बालाघाट औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, जिसमें आदिवासी लोगों का बाहुल्य है। इस क्षेत्र के औद्योगिकरण की तरु समुचित ध्यान नहीं दिया गया है जिसके कारण लोग अन्य पड़ोसी राज्यों में रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं। इस क्षेत्र में कोई भारी उद्योग नहीं है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु कृषि आधारित उद्योग तथा एक भारी उद्योग जनहित में शीघ्र लगाया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले में और अधिक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

छा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद बुलन्दशहर में डाकघरों की संख्या बहुत कम है। 400 की आबादी तक के गांवों में भी डाकघर नहीं है जिसके कारण डाक वितरण में अव्यवस्था रहती है। जनता के पत्र प्रायः 15-20 दिन बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं जिससे बहुत से बेरोजगार नवयुवक समय पर पत्र न मिलने के कारण रोजगार से

वंचित रह जाते हैं। सरकार का मानक प्रत्येक तीन किलोमीटर के बाद डाकघर खोलने का है परन्तु यह मानक मेरे संसदीय क्षेत्र में पूर्ण नहीं है। इस संबंध में एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि ग्रामों में जिन व्यक्तियो को डाकघर चलाने की जिम्मेदारी दी गई है वे जमा खातों में प्राय: हेराफेरी करते रहते हैं जिससे जनता का आकर्षण डाकघरों में बचत करने की अपेक्षा बैंकों में अधिक है। इसकी जांच कराई जाए।

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में अविलम्ब कम से कम सौ नये डाकघर खुलवाये जाएं ताकि जनता को राहत मिल सके।

(चार) सासाराम चौसा-आजमगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जानेकी आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार राज्य के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से कोनार, करगहा, कोचल, चौसा, बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़ जानी वली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क ऐतिहासिक शहर सासाराम, बक्सर और बलिया, तीन शहरों को जोड़ते हुए चार जिलों को जोड़ती है। कलकत्ता सेस आने वाली बसे और ट्रक इस सड़क से होकर उत्तर प्रदेश को जाते हैं। व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टि से इस सड़क का बहुत महत्व है। इस सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। यह सड़क एकतरफा सड़क है। भीड़ भरी इस सड़क पर ट्रेक, बसें और छोटी चार पहिया गाड़ियों की बहुतायत से भयंकर दुर्घटना हो जाया करती है। काफी संख्या में लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए है।

अत: मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं हक इस अंतर्राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए तथा इसी वित्तीय वर्ष में धन देकर इस योजना का कार्यान्वयन कर राहत देने का कष्ट किया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) पश्चिमी उड़ीसा में गठित की जाने वाली प्रस्तावित विकास परिषद द्वारा क्षेत्र का समान आर्थिक विकास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री शरत पटनायक (बोलांगीर) : महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि उन्होंने उड़ीसा के पश्चिमी भाग के तेजीसे विकास के लिए एक विकास परिषद स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार को निर्देश दिए। नि:संदेह यह समृद्धता का एक नया युग होगा और उड़ीसा के गरीब तबके व पददलित लोगों के लिए यह एक आशा की किरण होगी। प्रस्तावित विकास परिषद को संसाधनों के समान वितरण और समान आर्थिक विकास और अविकसित क्षेत्रों के सर्वमुखी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(छह) उत्तर प्रदेश में देहरादून से वायुदूत सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, देहरादून में वायुदूत की सेवा पिछले डेढ़ साल से बंद पड़ी है। वायुदूत की सेवाओं में बाधा पड़ने से इस क्षेत्र के लोगों को ही असुविधा नहीं हो रही है, बल्कि पर्यटन को भी भारी क्षति हो रही है।

देहरादून और मसूरी में भारी संख्या में बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर व पर्यटन स्थल हैं और साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री एवं हेम कुंड साहब, फूलों की घाटी आदि अनेकों पर्यटक स्थान हैं, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और देहरादून की वायुसेवा का उपयोग करते हैं।

वायुसेवा न होने से पर्यटन को भारी क्षति हो रही है और पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी हो रही है। इसके साथ ही देहरादून और मसूरी के जो अधिकारी वायुसेवा का उपयोग कर सकते हैं, वे प्राइवेट टैक्सियों और कारों में दिल्ली तक आते हैं, जिससे काफी अधिक मात्रा में पैट्रोल की भी क्षति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिल्ली से देहरादून वायुसेवा शुरू करने का प्रयास हुआ था, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया है।

मेरा माननीय नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री जी से सबल आग्रह है कि वे दिल्ली और देहरादून के बीच में वायुसेवा को तुरंत उपलब्ध करवाएं, ताकि पर्यटन को क्षति न हो और जनता को भी सुविधा प्राप्त हो।

[हिन्दी]

(सात) आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा विमानपत्तन का विकास कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के बाद विजयवाड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत पहले यहां पर एक हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। इसे सुदृढ बनाने, धावन पट्टी का विस्तार करने और अन्य आधारभूत सुविधाओं मे सुधार करने के लिए एक प्राक्कलन पहले ही तैयार कर लिया गया है। इससे विजयवाड़ा विमानपत्तन में बोइंग जहाज की उड़ानों का आवागमन हो सकेगा। विजयवाड़ा विमानपत्तन के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बगैर ब्याज के 8 करोड़ रुपए देने के लिए सहमत हो गई है। राज्य सरकार इस वर्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पहले ही 4 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं।

मैं, नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विजयवाड़ा विमानत्तन के विकास कार्य को शुरू करने के लिए विशेषकर धावक पट्टी को सुदृढ़ बनाने व उसका विस्तार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.15 म.प. बजे पुन: समवेन होने के लिए स्थगित होती है।

1.11 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा दोपहर भोजन के लिए 2.15 तक स्थगित हुई।

2.15 म.प.

(2.15 म.प. पर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई थी। गणपूर्ति नहीं हुई। 2.18 म.प. पर गणपूर्ति घंटी पुन:बजाई गई थी तब भी गणपूर्ति नहीं हुई थी। 2.21 म.प. एक बार फिर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई थी तब भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात, महासचिव महोदय ने निम्नलिखित घोषणा की।)

2.27 म.प.

गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक 2.45 म.प. तक के लिए स्थगित करने के बारे में घोषणा।

महासचिव : सभा में गणपूर्ति पूर्ण नहीं है। अत: सभा की बैठक नहीं हो सकती और जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम सभा की बैठक शुरू नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया है कि सभा 2.45 म.प. पर पुन: समवेत होनी चाहिए।

2.27½ म. प.

तत्पश्चात लोकसभा 2.45 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.48 म.प.

लोकसभा 2.45 म.प. पर पुन: समवेत हुई। उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

सामान्य बजट, 1995–96 अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्रालय : जारी

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची की मद संख्या 10 लेने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कल माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या दर्शाते हुए उसकी सूचना पटल पर लगा दीगई है। जो माननीय सदस्य कल सभा में उपस्थिति थे और स्लिप भेज कर जो कल अपने कटौती प्रस्ताव पेश नहीं कर सके थे वे 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर एक स्लिप भेजकर जिनमें कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या अंकितहोगी कटौती प्रस्ताव दे सकते हैं। केवल वही कटौती प्रस्ताव पेश किए गए माने जाएगे।

पेश किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए एक दूसरी सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर लाग दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति नजर आती है तो वह उसे कृपया तत्काल सभा पटल की जानकारी में लाएं।

इस विषय के लिए 8 घंटे का समय नियत किया गया है। कांग्रेस-3 घंटे 45 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 1 घंटा 43 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 32 मिनट, जनता दल 20 मिनट।

अब श्री जसवंत सिंह।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चर्चा की शुरुआत ऐसी बात से हो रही जो मेरे लिए प्रसन्नतादायक नहीं है। रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें पिछले पांच वर्षों में सिर्फ दो बार ली गई हैं। एक अंतराल के पश्चात हमें रक्षा मंत्रालय पर विचार करने का अवसर मिला है। यह कल के लिए नियत थी। मैं इस मामले के सम्बंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अन्य संसदीय कार्य के कारण रक्षा मंत्रालय पर चर्चा नहीं ली गई है—मैं अन्य संसदीय कार्य पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं-और आज भी निर्धारित समय पर चर्चा आरम्भ नहीं की जा सकती है। मैं सभा में बैठे हुए सोच रहा था कि रक्षा मंत्रालय पर चर्चा क्यों नहीं की गई है अथवा समय पर क्यों नहीं आरंभ की गई है। ऐसा तो नहीं है कि रक्षा मंत्रालय पर चर्चा से वोट नहीं प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा रक्षा मंत्रालय सम्बंधी मामले सीधे तौर पर किसी के भी वोटों को प्रभावित नहीं करते हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामले, जैसे रक्षा, को देखते हैं तथा रक्षा को इतने अनौपचारिक ढंग से लेते हैं तो मेरे विचार में यह गैरजिम्मेदाराना ही है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : शुक्रवार का माहौल है।

श्री जसवन्त सिंह : अगर माननीय सदस्य शुक्रवार के माहौल के बारे में सोच रहे हैं तो शायद मैं अपनी बात को सदस्यों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। हम लोग यह आशा कैसे कर सकते हैं कि सशस्त्र सेनाएं वास्तव में अपने प्राणों की आहुति दें अगर हम इस राष्ट्रीय मामले के संबंध में आवश्यक कटिबद्धता प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा संसद में नेतृत्व नहीं प्रदान करते हैं। मैं यह सब कहना आवश्यक समझता हूं। मैं रक्षा मंत्री के अलावा किसी और को कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जो सभा के नेता भी हैं, उनकी वरिष्ठता, पदावधि, प्रतिष्ठा सभी को ध्यान में रखते हुए, पर आरोप लगाना चाहता हूं कि अगर उनके लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहना सम्भव नहीं है तो उसकी उपेक्षा जारी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो हम संसद सदस्यों के रूप में इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जो कि हमें करनी चाहिए यानि कि कार्यपालिका को दिशानिर्देश देना तथा नेतृत्व प्रदान करना।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : इस समय माननीय प्रधान मंत्री जी 'टाडा' कानून के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यह मामले की गंभीरता है कि उनको उपस्थित रहना चाहिए। अगर वह मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं तो इस पर चर्चा क्यों की जा रही है? कह दीजिए कि रक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। परंतु, मेरे यह सब कहने का फायदा क्या है? अगर मैं अपने प्रिय दोस्त, महाराष्ट्र के माननीय सदस्य, श्री सुधीर सावन्त जी, से यह कहूं कि सम्मेलन समाप्त हो चुकाहै तो यह मसले की गंभीरता को खत्म करना होगा। विशेषत: मैं इस मामले पर वाद-विवाद करके छोटी-मोटी जीत अर्जित नहीं करना चाहता हूं।

मैं आगे बढ़ता हूं। महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय पर इस चर्चा को काफी तोड़मरोड़ा जा चुका है। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बीच में इसको सुविधा अथवा असुविधा के आधार पर रख दिया गया है। यह शुक्रवार की दोपहर है। उपलब्ध समयावधि में हम अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। इससे बात फिर ठोस ढंग से नहीं उठा पाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चर्चा 5 म.प. पर पुन: आरम्भ की जाएगी या फिर सोमवार को पुन: आरम्भ की जाएगी क्योंकि मैं उसके ही अनुसार अपने निवेदन को सजाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रख सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके पश्चात चर्चा

पुन: आरम्भ की जाएगी क्योंकि 3.30 म.प. पर सभा में सब कार्यों को छोड़कर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा। क्या गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात 5.00 म.प. पर चर्चा पुन: आरम्भ की जाएगी या फिर सोमवार को पुन: आरम्भ की जाएगी? (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : 35 मिनट का समय अभी शेष है और जबकि भा.ज.पा. के लिए 40 या 45 मिनट का कुल समय आवंटित किया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। एक घंटा है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को एक लंबे अंतराल के पश्चात लिया जा रहा है। इसलिए, इस मामले पर एक पद्धति के अनुसार चर्चा होनी चाहिए। मैं हमारे समक्ष चिन्ता के विषयों और कुछ अतिरिक्त चिन्ताजनक विषयों को उठाना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का परीक्षण करते हुए मेरे विचार में हम, वर्तमान में, हर बार दोहराने वाली बातों को ही दोहराते हैं।

हम लोग रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की मूल अवधारणा और नीति का परीक्षण कर रहे हैं। दूसरे, हम इस अवधारणा और नीति के क्रियान्वयन पर भी विचार कर रहे हैं। अगर कोई नीति या अवधारणा नहीं है तो आरंभ से ही क्रियान्वयन गलत होगा। तीसरे, हम देश के रक्षा सम्बंधी मामलों और नीतियों तथा इनसे सम्बद्ध अतिरिक्त बातों के क्रियान्वयन पर विचार कर रहे हैं। सम्बद्ध मसले वास्तव में अनुदानों की मांगें हैं फिर भी हम वास्तव में देश की सुरक्षा पर वाद-विवाद और चर्चा कर रहे हैं।

मैं कुछ ही समय में देश की सुरक्षा क्या है इस पर पुन: आऊंगा। मेरे विचार में रक्षा मंत्रालय का यह परीक्षण इस मंत्रालय में व्याप्त सात गंभीर खामियों और इन खामियों के परिणामों के बारे में है। मेरा मत है कि नीति और अवधारणा की कमी है। पहली खामी अवधारणा के बारे में है। दूसरी खामी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, श्रमशक्ति नीति तथा उपकरण नीति के बारे में है। मेरे विचार में तीसरी खामी नेतृत्व, दिशा तथा मनोबल की कमी है। चौथी खामी, जो कि अनुभवजन्य तुल्य कमी है, तथा जो लगभग पिछले छह वर्षों के दौरान प्रदर्शित हो चुकी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बजट से समर्थन की है। पांचवी खामी मुकाबला करने की शक्ति में कमियों और विशिष्ट सशस्त्र सेनाओं की मुकाबला समर्थन प्रणालियों में खामियों की है। अगली खामी रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को स्पष्ट तौर पर समर्थन देने तथा यथेष्ट प्रोत्साहन देने की है। और अंतत:, सातवीं खामी प्रक्षेपास्त्र तथा आणविक नीतियों में खामियों और उनके क्रियान्वयन की है।

इन बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए समय नहीं है। इसलिए, इन सात खामियों में से मैंने कुछ विशेष खामियों को चुना है। मैं इन्हीं पर बोलूंगा।

मैं थोड़े समय में विस्तारपूर्वक अवधारणा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर बोलूंगा। तत्पश्चात रक्षा व्यय पर विचार प्रकट करूंगा। रक्षा व्यय के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मूलत: परीक्षण किस-किस पहलू का किया जाना चाहिए। तीसरे, मैं रक्षा श्रमशक्ति नीति अथवा उस श्रमशक्ति, जिसमें प्रशिक्षण और कल्याण भी शामिल हैं, के प्रबंधन की नीति के बारे में बोलूंगा।

3.00 म.प.

इसके पश्चात् मैं चार रक्षा समर्थन तत्वों, रक्षा उपकरण नीति, राष्ट्रीय रक्षा में प्रक्षेपास्त्र और राष्ट्रीय रक्षा में आणविक प्रश्न की खामियों पर बोलूंगा। तत्पश्चात, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण के विस्तार के बारे में अपने विचारों को प्रकट करूंगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में मैं विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हम बहुत व्यापक अति महत्वपूर्ण अवधारणा ना कि राष्ट्रीय रक्षा का परीक्षण कर रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा का परीक्षण करते हैं हमको स्वीकार करना चाहिए कि विश्व में वर्तमान स्थिति में आक्रमण कई प्रकार से होता है ना कि सिर्फ सैनिक आक्रमण ही होता है। सैनिक आक्रमण का न होना हमको यह सोचने पर भ्रमित न करे कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की इच्छा-शक्ति भी खत्म हो चुकीहै। यह एक आम कठिनाई और पनप रहा भ्रम है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में कुछ राजनीतिक पहलू हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित पहलू हैं तथा कुछ पूर्णरूपेण अराजनीतिक पहलू हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में आर्थिक औद्योगिक तथा अंदरूनी पहलू और गृह मंत्रालय का योगदान है। परंतु, इन सभी प्रत्येक मामले में राजनीतिक योगदान, राजनीतिक विचारधारा हो सकतीहै और इसी प्रकार से राष्ट्र कार्य करता है।

परन्तु, जब रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं के सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान की बात उठती है, तो इसका एक ही मानदंड है और वह राष्ट्रीय हित है। रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं और संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान का परीक्षण दलगत राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाता है। रक्षा मंत्रालय की कारगरता का मूल्यांकन करने की एकमात्र कसौटी यह है कि क्या वह भारत के गौरव, भारत के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करने में समर्थ है। मेरे विचार में यह कहना कि उनका कार्य देश की सीमित भौगोलिक सीमा की रक्षा करना है का मतलब यह होगा कि सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए जा रहे महान कार्य की संपूर्णता के महत्व को घटाना।

महोदय, मैं अपनी बातों को जल्दी-जल्दी कह रहा हूं क्योंकि मेरे लिएआवंटित समय को काफी घटा दिया गया है। मैं सभा में गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अराजनीतिक मामले में भी कोई नीति नहीं है और नीति के न होने के कारण सिर्फ खोखलापन नहीं है अपितु संभ्रांति ही है। इससे मैं कोई उदाहरण या उद्धरण नहीं देना चाहता हूं अपितु सिर्फ हवाला देना चाहता हूं।

मुझे प्राक्कलन समिति, जिसने रक्षा बलों का मूल्यांकन किया था, की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। उस समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि तत्कालीन रक्षा सचिव ने स्पष्टरूपेण कहा था कि कोई रक्षा नीति नहीं है। अगर रक्षानीति पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जाती है और अगर रक्षा नीति है ही नहीं, तो उक्त समिति के प्रतिवेदन के केवल पहले के कुछ पृष्ठ या अध्याय पढ़ना ही काफी है। मैं इस पहलू पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरे विचार में राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाये रखने में राष्ट्रीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है और इसको बढ़ाने में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका भी

है। ये सब राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। इसलिए, मैं आपके समक्ष चार प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से इन चार प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। पहली बात, यह है कि अगर राष्ट्रीयता की भिन्न अवधारणा है तो अंततः देशभक्ति के विरोधात्मक मत होंगे, दूसरे, नैतिकता और भौतिकता का अनुपात 3 : 1 का है, इसीलिए, परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मनोबल कम होगा और वर्तमान में हम इसी के शिकार हो गए हैं। तीसरे, इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय इच्छाशक्ति की ह्रास होगा और अगर यह कमजोर है तो हम किस प्रकार से राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का सामना करेंगे? स घोर कमी के परिणाम भी होते हैं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से राष्ट्रीय रक्षा पर वापस आता हूं। राष्ट्रीय रक्षा पर यह मानना चाहिए कि इसके सीधे और विनाशकारी परिणाम होते हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं आपकी दुलमुलता के कारण और आपके पक्षपात के कारण भ्रमित हैं, राजनीतिक कोलाहल का सीधे उनके ऊपर असर पड़ता है और उसके परिणाम भी उनको भुगतने पड़ते हैं चाहे वह बोलें या न बोलें। जैसा कि मैंने पहले संक्षेप में कहा था कि अगर नीतियों, अवधारणाओं और नेतृत्व की कमी के कारण नीतियों और ज्ञान और ज्ञान की कमी रहती है तो इससे तदर्थता ही नहीं अपितु अव्यवस्था, और दिशा तथा उद्देश्य की कमी पैदा हो जाती है। और अगर आप अव्यवस्था तथा दिशा और उद्देश्य की कमी को राष्ट्रीय रक्षा के साथ जोड़ देते हैं तो आप इसके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं।

महोदय, अब मैं रक्षा व्यय पर आता हूं। मैंने पहले ही सोचा था कि मैं रक्षा व्यय की जांच परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर कर सकता हूं। मैं रक्षा व्यय का अंकगणितीय परीक्षण कर सकता हूं अथवा सभा के साथ रक्षा व्यय पर विचार के दौरान अपने विचारों को बांट सकता हूं कि वास्तव में हम किन-किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? हम रक्षा व्यय में निरंतर कमी किए जाने की जांच कर रहे हैं।वर्ष 1988-89 के रक्षा व्यय के वास्तविक आंकड़े वर्ष 1993-94 के बजट अनुमान है अर्थात लगभग 19,000 करोड़ रुपए हैं। इसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 8.2 प्रतिशत रही है। 8.2 प्रतिशत की दर, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर से कम रही है। इसके साथ-साथ रुपए के मूल्य में भी कमी आई है। इसलिए वास्तविक रक्षा व्यय और कुल रक्षा के आवंटन में निरंतर कमी हो रही है। आप इन तीन में से किसी भी कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम एक से ही निकलेंगे। इसी अवधि में रक्षा व्यय कुल केन्द्र सराकर के व्यय का 16.3 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गया है। रक्षा व्यय जो पहले सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8 प्रतिशत था अब घटकर लगभग 2 प्रतिशत रह गया है। अब आप आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वस्तु स्थिति हमारे सामने है। इसके क्या परिणाम हैं? मेरे विचार से इसका एक प्रमुख अस्वीकार्य परिणाम यह है कि इसका सशस्त्र सेनाओं की मुकाबला करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बाद में मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में सैन्य बल स्थिर है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बदलती रहती हैं और बढ़ती जा रही हैं। बजटीय आवंटनों में कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहली बात यह है कि मुकाबला करने की प्रभाविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, आधुनिकीकरण, तीसरे, प्रशिक्षण, और चौथे, सशस्त्र सेनाओं के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह सब निवेदन करने के पश्चात अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम रक्षा व्यय की जांच करते हैं तो हमारे सामने तीन कसौटियां उभर कर आती हैं। पहली कसौटी है उस व्यय का उत्तरदायित्व। इस संबंध में आपने सभा को आज तक जानकारी नहीं दी है। दूसरे, रक्षा व्यय की लागत प्रभाविता क्या है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जो कुछ भी रक्षा व्यय किया जा रहा है वह लागत प्रभावी है। मैं जल्दी ही इस पर विस्तार से बोलूंगा। तीसरे, व्यय में कुशलता, मेरा आप पर यह आरोप है कि वर्तमान में कुशलता नहीं रखी जा रही है और मैं बताऊंगा क्यों तथा कैसे? परंतु, इस पर बोलने के पूर्व मैं संक्षेप में यह कहना आवश्यक समझता हूं कि रक्षा व्यय में सबसे पहले प्रमात्रा की बात उठती है। अब तक हम लोग सिर्फ प्रमात्रा पर बोलते रहे हैं लेकिन इसकी भी एक निर्धारित सीमा होती है। परिमात्रा निर्धारित करने के दो आधार होते हैं। पहला आंतरिक आधार है। देश की अर्थव्यवस्था अपेक्षित परिमात्रा की इजाजत नहीं देती है। यह देश की वास्तविक स्थिति है। परिमात्रा की मांग है। परिमात्रा कोई निश्चित मांग नहीं है। परिमात्रा के संबंध में हठधर्मी नहीं चल सकती है। यह बजट पर आधारित होती है और मैं इस वास्तविकता को समझता हूं। परिमात्रा के अंदरूनी आधार के अलावा बाहरी आधार भी हैं। आप इसको इनकार कर सकते हैं लेकिन हमारे समक्ष प्रमाण हैं। बाहरी प्रभाव जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संपूर्ण विश्व समुदाय चिल्ला रहा है कि "रक्षा व्यय कम करो, रक्षा व्यय कम करो।" यह बाहरी प्रभाव है। सरकार इस बाहरी प्रभाव का सामना अपनी नैतिकता, राजनीतिक शक्ति और देश के लिए खड़े होने की इच्छाशक्ति से करती है।

हमको परिमात्रा की बात को छोड़कर रक्षा व्यय की गुणवत्ता की बात करनी चाहिए क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया है कि परिमात्रा परिवर्तनशील है। रक्षा व्यय की गुणवत्ता क्या है? हम उस राशि का खर्च कैसे कर रहे हैं जो हमारे पास है। यह मेरा प्रश्न है। यह कोई लेखापरीक्षा का प्रश्न नहीं है। क्या किए जा रहे व्यय का हमको एक सौ प्रतिशत लाभ मिल रहा है? हो सकता है हम 1,000 मांगे लेकिन हमें सिर्फ 500 ही मिले। मेरा प्रश्न है कि क्या हमको 500 का पूरा-पूरा लाभ मिल रहा है। लेखापरीक्षक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नहीं अपितु व्यय की गुणवत्ता के रूप में हमको पूरा लाभ मिल रहा है। इसीलिए, जब मैं यह सब कहता हूं तो मूल बातों का जिक्र करता हूं व दृष्टिकोण का जिक्र करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यय की गुणवत्ता को या तो मैं रक्षा मंत्रालय के व्यय घटक के रूप में ले सकता हूं अथवा सशस्त्र सेनाओं के समुचित व्यय के रूप में ले सकता हूं। अब तक हम लोग रक्षा मंत्रालय के व्यय पर ही बात करते आ रहे हैं।

मेरे विचार में अगर हम लोग उत्तरदायित्व, कुशलता तथा लागत प्रभावित चाहते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि सशस्त्र सेनाओं में क्या हो रहा है। क्या इस विश्वासघाती प्रभाव, जो देश पर छाया हुआ है, के कारण उनकी सोच-समझ को भी जंग लग गया है। यह एक अति गंभीर मामला है और अगर हम इस पर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करते तो हमें उतनी धनराशि नहीं मिलेगी जितनी हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित व्यय के मामलों में हम बिना

सोचे समझे अनुमति दे देते हैं। हम जानते हैं कि इससे कितनी बरबादी हो रही है और मैं इसके विशेष उदाहरण दूंगा।

मैं एक विशेष उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा क्योंकि यह प्रासंगित है और इससे व्यय की उपयुक्तता का पता चलता है। यह कोई अच्छी चर्चा नहीं है और मेरे विचार से यह चर्चा व्यर्थ है और इसको अनेक नाम दिए गए हैं। यह चर्चा 'दांत बनाम पूंछ', अथवा 'मोटा बनाम दुर्बल' और इसी प्रकार के नामों से चलती है। मैं इसे सैन्य बलों में लड़ाकू तत्व बनाम सैन्य बलों में सहायक तत्व' कहना पसंद करूंगा। मेरे विचार में 'दांत बनाम पूंछ' की सारी कहानी गलत है। यह बात पुरानी हो गई है और हमें इसे पांच वर्ष पहले ही छोड़ देना चाहिए था। कुछ भी हो, चूंकि आप इसका आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूं। बात चाहे लड़ाकू सेना की हो या सहायक सेना की, किसी भी तरह से भारतीय वायु सेना और भारतीय नौ सेना के उदाहरण वास्तव में अनुकरणीय नहीं हैं। भारतीय सेना का उदाहरण अनुकरणीय नहीं है। मेरे पास अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मोटे से अनुमान से मेरे विचार में भारतीय सेना में लगभग दो तिहाई लड़ाकू और एक तिहाई जवान सहायक सेवाओं में जुटे हुए हैं। मेरे विचार में यह संख्या 68 से 70 प्रतिशत के बीच है—68 प्रतिशत जवाब लड़ाकू सेना में हैं और 32 प्रतिशत सहायक सेवाओं में हैं अथवा आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भारतीय सेना में 70 प्रतिशत जवान लड़ाकू सेना में हैं और 30 प्रतिशत सहायक सेना में। मेरे विचार में उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे विचार से यह बहुत ही उत्तम अनुपात है। विश्व में ऐसे सैन्य बलों की संख्या बहुत ही कम होगी जिनका इस प्रकार का दो तिहाई लड़ाकू और एक तिहाई सहायक तत्व वाला अनुपात हो। लेकिन प्रश्न वास्तव में यही है। लड़ाकू बनाम सहायक सेना, जिनकी संख्या 68 से 70 प्रतिशत तक है, को ध्यान में रखते हुए माननीय रक्षा राज्य मंत्री को ही देखना होगा कि क्या वहां जनशक्ति का, खर्चे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्या वहां जनशक्ति का विनियोजन गलत अथवा निष्प्रभावी तो नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और इसे यहीं पर छोड़ता हूं।

ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे विचार में सशस्त्र बलों में शिथिलता आ गई है। वहां चल रही अन्य प्रवृत्तियों के कारण उनकी कार्यक्षमता में और भी गिरावट आती जा रही है। मेरे विचार से सिविल सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण के कारण सैन्य बलों का मनोबल गिर रहा है। सिविल सेवाओं के कई कर्मचारी बहुत योग्य हैं। लेकिन सैन्य बलों की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर दुःख होता है। महोदय, अगर हम ऐसा ही चलने देते हैं तो इससे बहुत सी चीजें प्रभावित होंगी। व्यय की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, आवास और यहां तक कि उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, वह भी प्रभावित होगी।

मैं छोटे उदाहरण नहीं देना चाहता। लेकिन जब मुझे वर्दी पहनने का विशेषाधिकार मिला था तो ऐसा नहीं सुना जाता था कि किसी अधिकारी की पत्नी कार की सुविधा ले सकेगी और जहां चाहे उससे जा सकेगी। आजकल जब मैं यहां दिल्ली में काम से आता हूं तो अक्सर ऐसी बातें देखता हूं। यह एक छोटी सी बात है। लेकिन शिथिलता का यह क्षोभपूर्ण पहलू हमारी सशस्त्र सेनाओं में घुसपैठ कर चुका है। यह शिथिलता आई कहां से? मैं यह बातें गुस्से में नहीं बल्कि अत्यधिक दुःखी होकर कह रहा हूं। शिथिलता की यह प्रवृत्ति सिविल सेवा और राजनीतिक वर्ग की आरामतलबी की वजह से आई है। ऐसी प्रवृत्ति सशस्त्र सेनाओं में भी आ गई है। मैं यह बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। यदि हम जागरुक नहीं हुए और शिथिलता के भयंकर परिणामों को हमने नजरअंदाज किया तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह जन शक्ति के बारे में है। मैं मानता हूं कि हमारी कोई राष्ट्रीय जनशक्ति नीति नहीं है। हमें आपसे इसकी आशा भी नहीं है। मुझे आपसे यह आशा नहीं है कि आप नितांत जरूरी मानते हुए राष्ट्रीय जनहित नीति बनाएंगे न कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो मैंने प्राक्कलन समिति की ओर से तैयार की थी। विभिन्न सुरक्षा बलों के होते हुए भी हमारी कोई राष्ट्रीय जनशक्ति नीति नहीं है। विभिन्न सुरक्षा बलों से मेरा क्या तात्पर्य है, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले मैंने यह कहकर बात शुरू की थी कि विभिन्न सुरक्षा बल एक बहुत बड़ बल है। गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अनेक अर्द्ध-सैन्य बलों की नियुक्ति करता है। वित्त मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उद्योग मंत्रालय और अन्य मंत्रालय-दूर संचार सेवाएं प्रदान करते हैं। संपूर्ण राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है।

विभिन्न सुरक्षा बलों, जिनमें केवल रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आते हैं, के होते हुए भी राष्ट्रीय जनशक्ति नीति न होने से मेरा क्या तात्पर्य है, मैं इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सेनाओं के बारे में कहूंगा। यह बात सब जानते हैं, मुझे इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कि आजकल अधिकारी रैंक में बहुत कम भर्ती की जा रही है,, और सबसे अधिक दुःख मुझे इस बात का है कि नए युवा कमीशन अधिकारियों को लड़ाकू दस्ते में भर्ती नहीं किया जाता अपितु उन्हें सहायक सेना के रूप लिया जाता है। उन्हें सेना रूप में लगया जाता है और अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई गलत बात हो रही है। यदि हम स्वयं उस गलती की जड़ों तक नहीं पहुच पाते, तो हम एक ऐसी सेना तैयार नहीं कर सकेंगे जिसमें राष्ट्र के समक्ष आई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हो और वह उसी भावना से लड़े जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। यह इसका दूसरा चिंताजनक पहलू है।

मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मेरे संसदीय कैरियर में एक समय था जब मैं प्रयत्न करके ये सभी आंकड़े प्राप्त किया करता था। अब मैंने ऐसा करना छोड़ दिया है। मेरे पास सैन्य बलों की बढ़ी हुई सांविधिक और गैर-सांविधिक शिकायतों के आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं इतनी अधिक शिकायतों के बारे में चिंतित हूं मै। सशस्त्र बलों के अदालती मामलों की संख्या और उनके जो मामले सिविल न्यायालयों में भेजे गए उनकी संख्या तथा कोर्ट मार्शल के विरुद्ध चुनौती दिए गए मामलों की संख्या देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूं। और केवल इतना ही नहीं, पदोन्नतियों के मामले में भी चुनौतियां दी जाती हैं। वास्तव में कहीं न कहीं कुछ कोई भारी गलती हो रही है। जब मैं यह कहता हूं कि कहीं कोई भारी गलती हो रही है तो एक यह पहलू हमेशा मेरे दिमाग में आता है।

दूसरा पहलू यह कि सैन्य बलों के संबंध में कोई राष्ट्रीय जनशक्ति नीति

क्यों नहीं बनाई गई है। इसका कारण यह है कि विभिन्न सुरक्षा बलों का प्रत्येक घटक अपनी पृथक और स्वतंत्र जनशक्ति नीति अपना रहा है। प्रत्येक घटक फिर अपना तरीका अपनाता है। प्रत्येक घटक अपना यह तरीका इतने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनाता है कि यह स्वयं में हास्यास्पद हो जाता है। सीमा सुरक्षा बल ने सेना की वर्दी की नकल करनी शुरू कर दी है और सेना को इसका कोई हल नजर नहीं आता।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह एकतरफा बात है और मैंने कई बार सेना के अनेक अति वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर बातचीत की है और मैंने गंभीरतापूर्वक कहा था कि कि सेनाओं में जितनी अधिक चमक-दमक की भावना होगी उनमें लड़ने की, संघर्ष करने की भावना उतनी ही कम होती जाएगी। आजकल जब मैं सेना के जवानों को विभिन्न प्रकार के गोर वर्ण के कमरबंध और अन्य सभी प्रकार की चीजें पहने देखता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं और सोचता हूं कि, उस चीज की पूर्ति करने के लिए जिसका सेना में अभाव है, क्या यही सब आडम्बर काम आएगा? इस प्रतिस्पर्धात्मक सजावट से मुझे घृणा है। सिपाही का सबसे बड़ा अलंकार उसकी सादगी है। उसकी सादगी कहां चली गई है? यह सब क्यों हो रहा है?

सीमा सुरक्षा बल का उदाहरण लीजिए। जब मैं यह कहता हूं कि इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना है तो मैं यह भी कहता हूं कि यह स्वतंत्र भी है। मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। मुझे पता चला है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आंकड़े पूरी तरह से ठीक है या नहीं-सीमा सुरक्षा बल अब 200 से अधिक बटालियनों वाला संगठन है। 200 से अधिक बटालियनें/वे राष्ट्रीय सुरक्षा बल का मूल भाग है। उनकी अपनी जनशक्ति नीति है। सीमा सुरक्षा बल का अपना एक तोपखाना है, उसके पास एक एयर विंग है; मुझे सूचना मिली है कि वे एक नौसैनिक विंग भी चाहते हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास 90 से 180 बटालियन हैं। इसकी अटालियनें दुगुनी हो गई हैं। हम क्या कर रहे हैं?

महोदय, तीसरा उदाहरण दीजिए।

श्री सुधरी सावन्त : वे अपनी सेना तैयार कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं ठीक यही कह रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जनशक्ति नीति नहीं बनाई गई है, आपके पास राष्ट्रीय जनशक्ति नीति नहीं है। मैं जानता हूं कि इस सरकार में इसकी क्षमता नहीं है। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ईश्वर के लिए, यदि ईश्वर के लिए नहीं तो राष्ट्र की भलाई के लिए, एक राष्ट्रीय नीति बनाइए एक जन शक्ति नीति बनाइए। यदि आप यह नीति नहीं बनाते हैं तो यह तो वही बात हो गई कि पोपोस्की की सेना की तरह हर कहीं जिनी सेनाएं बढ़ रही हैं, सीमा सुरक्षा बल की 200 बटालियनें हो गई हैं, केन्द्रीय आरक्षी बल की बटालियनों की संख्या 90 से बढ़ कर 180 हो गई है। मैं नहीं जानता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं?

महोदय, मैं राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कुछ कहने के लिए अब मेरे पास समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर साढ़े तीन बजे विचार किया जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह : फिर तो शायद मुझे अब अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। मैं सोमवार को अपनी बात जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो-तीन मिनट और बोल सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में कुछ कह रहा था। यद्यपि मुझे कार्यकारी प्राधिकार नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय राइफल्स की धारणा पहली बार सामने आई तो इसको बनाने वाले लोगों के पास कार्यकारी प्राधिकार प्राप्त थे। कुछ विशिष्ट कर्मचारियों, जो आज रक्षा मंत्रालय में उच्च पदों पर आसीन हैं, और जो पहले उन पदों पर रह चुके हैं, ने मुझसे इस बारे में परामर्श किया था। मैंने अपने विचार दिए थे।

महोदय, मैं अपने विशिष्ट और वरिष्ठ सहयोगी जो इस समय प्रतिरक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, से क्षमा मांगता हूं कि मैं राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में उनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। ऐसा मैंने उनका अनादर करने के लिए नहीं कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं वास्तव में इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीय राइफल्स की मूल धारणा कुछ और ही थी। अत: इस धारणा और निष्पादन के बीच एक दरार आ रही है। मूल रूप से यह माना गया था कि इसका गठन करते समय यदि मुझे ठीक से याद है तो राष्ट्रीय राइफल्स के लिए "फैडरल गार्ड" वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद "फैडरल गार्ड" वाक्यांश का अनुवाद राष्ट्रीय राइफल्स किया गया था। मूल अवधारणा यह थी कि इसे अलग कर दिया जाएगा और यह एक संयोजन नहीं होगा यह उससे पृथक होगा। अन्य रैंक के लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा, अधिकारी वही रहेंगे, उनकी वर्दियां अलग होंगी, रैंक के परिचायक उनके बैज अलग होंगे और उनकी भूमिका होगी आंतरिक सुरक्षा। राष्ट्रीय राइफल्स के गठन के बाद सेना को कभी भी आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यह अवधारणा थी। अब हमने क्या किया है? हमने उस अवधारणा के साथ बेइमानी की है। साथ ही एक यह शर्त भी थी कि सुरक्षा वातावरण की निरंतरा के तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार सेना से किसी तत्व को पृथक करने के बाद जब अपने राष्ट्रीय राइफल्स का गठन कर दिया , उसके अधिकारियों की वर्दी भिन्न रखी, फिर उसके बाद यह एक संयोजन नहीं होगा इसे स्थानांतरण माना जाएगा। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात—मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने इसकी विस्तार से जांच नहीं की है, यह है कि वे सेना जैसे सीमा सुरक्षा बल से राष्ट्रीय राइफल्स में जिन लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा वे 58 वर्ष की आयु तक सेवा में रहेंगे।

राष्ट्रीय राइफल्स के संबंध में यह पहले का एक आवश्यक विचार है। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने इसको स्थानांतरण कर दिया। आपने मौजूदा यूनिटों को तोड़ कर स्थानांतरण पर राष्ट्रीय राइफल्स में भेजने का प्रावधान किया। इन यूनिटों को तोड़कर आपने यूनिटों को कमजोर किया है। राष्ट्रीय राइफल्स की मर्यादा मर्यादा नहीं बनी। यद्यपि, मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इसके विकसित होने में थोड़ा समय लगेगा। अत: एक विशेष बेमेल चीज जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में आई। सबसे दुख की बात तो यह है कि सेना को अभी भी निरंतर आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए बुलाया जा रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस काम के लिए राष्ट्रीय राइफल्स पर्याप्त होगी। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि क्या

राष्ट्रीय राइफल्स रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है या गृह मंत्रालय का हिस्सा है। वह बहस एक अलग पहलू है। राष्ट्रीय राइफल्स को बजटीय आवंटन का कार्य किसके पास होना चाहिए गृह मंत्रालय के पास या रक्षा मंत्रालय के पास उसके बाद संबंधित आवश्यकता यह थी कि सेना की शक्ति का स्तर, सैनिकों की संख्या शक्ति की संख्या निश्चित हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए महसूस करता हूं क्योंकि हमने ही बेमेल चीज बनाई है। हम राष्ट्रीय राइफल्स से कभी संतुष्ट नहीं होंगे और सेना निश्चित रूप से अपनी शक्ति के मौजूदा स्तर और आकार को बनाए नहीं रह सकेगी। वह जब-तब यह मांग करेगी कि उन्हें इतनी और इफैंट्री बटालियनों या डिवीजनों की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको और कितना समय चाहिए क्योंकि हमें साढ़े तीन बजे दूसरी मद पर चर्चा शुरू करनी है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात को समाप्त करने के लिए एक मिनट लूंगा। मैं केवल एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं कि जहां तक जन शक्ति का संबंध है, मैंने केवल इसका उदाहरण दिया है। मानव शक्ति के प्रशिक्षण और कल्याण जैसे अन्य पहलू हैं जिन पर अभी रोशनी डालनी है लेकिन मेरे पास जितना समय है मैं उसमें उन पर रोशनी नहीं डाल सकता हूं। अत: मेरा अनुरोध है कि मुझे सोमवार को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी जाए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी में देशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने में असफलता और इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रण देने से भारत के राष्ट्रीय हित को उत्पन्न गंभीर खतरा। (1)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नवास हेतु प्रभावी कार्यक्रम प्रारंभ करने में असफलता। (2)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

तथाकथित शांति स्थापित करने संबंधी कार्यों के लिए भारत की सैनिक टुकड़ियों को विदेशों में भेजने की प्रथा को समाप्त करने में असफलता। (3)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

भारत के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाले भारत-अमरीकी संयुक्त रक्षा अभ्यास को समाप्त करने में असफलता। (4)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

भारत के अग्नि और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों संबंधी विकास कार्यक्रमों में कटौती करने के विदेशी दबाव को रोकने में असफलता। (5)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन करने में असफलता। (6)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

विभिन्न रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी एकत्र करने तथा जांच कर उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयोजन मात्र से स्थापित निदेशालय के स्थान पर रक्षा योजना हेतु एक समुचित संगठन बनाने में असफलता। (7)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

एक से अधिक रक्षा सेवा द्वारा संयुक्त तथा एकीकृत कार्य करने संबंधी योजना बनाने में असफलता। (8)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

देश के रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए साधन जुटाने हेतु पर्याप्त मितव्ययता बरतने में असफलता। (9)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

खाड़ीयुद्ध से सबक लेने तथा उनको कार्यान्वित करने में असफलता। (10)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पुराने नौसेना पोतों को बदलने के लिए पर्याप्त पोतों को खरीदने मे असफलता। (11)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

आयुध डिपो में वस्तुसूची पर समुचित नियंत्रण लागू करने में असफलता जिसके कारण अत्यधिक अपव्यय हो रहा है। (12)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों तथा सैनिकों को सेवा के दौरान समुचित प्रशिक्षण दिए जाने में असफलता। (13)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं"

भारतीय वायुसेना की पुरनी अस्त्र प्रणाली को बदलने की आवश्यकता। (14)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

युद्धक विमानचालकों को समुचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता। (15)

तीनों रक्षा सेवाओं की निगरानी प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता। (16)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

तीनों रक्षा सेवाओं की संचार कमांड तथा नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता। (17)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

हथियार तथा अन्य प्रणालियों संबंधी स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास कार्यों को तेज करने की आवश्यकता। (18)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रणाली हेतु योजना बनाने तथा उसी को कार्यान्वित करने की आवश्यकता। (19)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

लम्बे अंतराल के बाजवूद बोफोर्स तोप सौदे के संदर्भ में पूरी सूचना प्राप्त करने में सरकार की असफलता। (40)

"रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

समान पद और समान पेंशन योजना को लागू न किए जाने के फलस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों को हो रही तकलीफों को दूर करने की आवश्यकता। (63)

श्री भाइया सिंह यमुनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

म्यांमार तथा बंगलादेश के साथ लगने वाले सीमा क्षेत्रों में रक्षा पंक्ति का गठन करने में असफलता। (41)

"रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

थल सेना, नौ सेना और वायुसेना में अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती करने में असफलता। (42)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

देश के पूर्वी भाग में विशेषतः मोरे में रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता। (52)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, सतर्कता बनाये रखने की आवश्यकता। (53)

श्री एम. रमन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी केरल में एज़ीमाला में नौसेना अकॉदमी का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने में असफलता /(45)

"कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रक्षा सेवाओं में भर्ती करने में असफलता। /(46)

"कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक उच्च तकनीक वाले इलैक्ट्रोनिक शस्त्रों का निर्माण करने में असफलता /(47)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

संयुक्त राज्य अमरीका से रक्षा संबंधी खरीद न किए जाने की आवश्यकता। /(50)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास न किये जाने की आवश्यकता, क्योंकि उसका उद्देश्य विश्व में अपना प्रभुत्व जमाना है जो भारत के हितों के प्रतिकूल है। /(51)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

/रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास को बढ़ाव देने में असफलता। /(48)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

/प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने में असफलता। /(49)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता। /(54)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/अर्जुन टैंक के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। /(55)

[अनुवाद]

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं।"

"भारतीय विमानों का आधुनिकीकरण करने में असफलता।" /62

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपया कम किए जाएं।"

/भारतीय सशस्त्र बलों में पुरानी सशस्त्र प्रणाली को बदले जाने की आवश्यकता। /(66)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/पाकिस्तान से किसी भी प्रकार से सम्भावित खतरे का मकाबला करने के लिए सशस्त्र बलों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता। /(67)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/रक्षा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता। /(68)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/दिवंगत सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले प्रतिकर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। /(69)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/रक्षा कार्मिकों को पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। /(70)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

/सभी तीनों रक्षा सेनाओं में और अधिक महिलाओं की भर्ती करने की आवश्यकता। /(71)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/बोफोर्स तोप सौदे के संबंध में पूरी जानकारी एकत्र किए जाने की आवश्यकता। /(72)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता। /(73)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

/अर्जुन टैंक के अनुसंधान और विकास के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता। /(74)

[अनुवाद]

03.33 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति उनतालीसवां प्रतिवेदन

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुतकिए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

03.34 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी-सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरम्भ करते हैं। विधेयक पुरः स्थापित किए जाने हैं।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक **

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दूबे (इलाहाबाद) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

03.35 म.प.

[अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक ** (अनुसूचि में संशोधन)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

03.36 म.प.

** दिनांक 5.5.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम विधेयक **

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सफाई कर्चारियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा उससे संसवत या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम को स्थापना और निगमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए सफाई कर्मचारी लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना और निगमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

03.37 म.प.

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक **

(नई धारा 9 क का अंतःस्थापन)

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

03.38 म.प.

[अनुवाद]

** दिनांक 5.5.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (सरकारी सेवाओं में) पदों का आरक्षण विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, मद संख्या 13 लेगी—9 दिसंबर, 1994 को डा. वल्लाल पेसमान द्वारा प्रस्तुत विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव अर्थात

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में उच्च पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा।"

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : यहां नहीं हैं। श्री गोपीनाथ गजपति।

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में केवल निचले स्तर और मध्य स्तर के पदों पर ही आरक्षण है। उनके लिए चारों तरफ से वरिष्ठ पदों और नियुक्तियों में आरक्षण की बहुत मांग की जा रही है। उनके हितों की रक्षा करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे सम्माननीय साथी डा. वल्लाल प्रेसमान एक प्रस्ताव लाए हुए हैं कि सरकारी सेवाओं में उच्च स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटों का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण होना चाहिए। वर्तमान समय में, हालांकि, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का आधार उनकी जनसंख्या को माना गया है जिसे दशकों पहले निर्धारित किया गया था। उनका तर्क है कि उनके लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत में आनुपातिक वृद्धि प्रत्येक जनगणना में रिकार्ड की गई। कुल जनसंख्या में इनकी जनसंख्या के समानुपात के आधार पर की जानी चाहिए।

वास्तव में, हाल के वर्षों में राजनीतिक, प्रशासनिक, संस्कृति में प्रत्यक्ष परिवर्तन हुए हैं, कम से कम कुछ उच्च पदासीन महत्वाकांक्षी नौकरशाह राजनीतिक नेतृत्व के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाकर शक्ति संरचना के हिस्से बन रहे हैं और दर्जनों अधिकारी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों को देखते हैं जो कि एक सामान्य बात है। यहां तक कि ईमानदार अधिकारी जो पुराने नौकरशाही मूल्यों में के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनको नकार दिया जाता है और या तो उनको गर्त में ढकेल दिया जाता है।

अब, समाज के एक निश्चित वर्ग को खुश करने के लिए तत्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उस तरह का पक्षपात सरकारी सेवाओं के मनोबल को गंभीरता से प्रभावित करता है।

मंडल फारमूले को अपनाने के परिणाम स्वरूप इसने विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त किया, पहली बार, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के पक्ष में चालू वर्ष से सिविल सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण होने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन ने इस आरक्षण को बाध्यकारी बना दिया है। पूरे देश में इन सभी सेवाओं के लिए कुल मिलाकर 600 से अधिक रिक्तियां नहीं होती हैं, यह अच्छा ही होगा यदि सिविल सेवाओं को आरक्षण के दायरे से मुक्त रखा जाता। यह बड़ी विचित्र बात है कि कुछ उम्मीदवारों का निचला रैंक प्राप्त करने पर भी रैंकवार उच्च रैंक प्राप्त करने वालों की अपेक्षा चयन कर लिया जाए और विशेषकर

ऐसा तब हो जब सभी एक ही परीक्षा में बैठें। किंतु राजनीतिक बाध्यता का सरकार पर भारी दबाव है और इस प्रक्रिया को बदलने में भी अब बहुत देर हो चुकी है। आरक्षण नीति का प्रभाव तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सेवाओं में विविध सामाजिक और सांस्कृतिक वरीयता वाले व्यक्तियों को लाया जा सके जिससे विशेष प्रकार की विजातीयत्व सामने आए, इससे अनुक्रियाशीलत्व बढ़ सकती है। यद्यपि इससे तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हो जाती है।

भर्ती नीति और चयन प्रक्रिया पर कोठारी समिति के रिकार्डों पर जाने से पता चलता है कि प्रशासकों और दूसरे जो लोग समिति से मिले उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च आयु सीमा का केवल तभी स्वागत योग्य होगी जब इससे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अवसर मिले जो अपनी पसंद के जीवनवृत्त में आने से पहले उच्च शैक्षणिक अध्ययन करना चाहते हों या किसी विषय पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हों। प्रशासन में एक विशेषज्ञता बन गई है जिसमें उच्च दक्षतावाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, रियायतो को बढ़ावा देना केवल मेरिट के साथ समझौता करना है और औसत योग्यता को बढ़ावा देना है। यह भी सत्य है कि आदिवासी प्रवृत्तियां जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद और दूर-दूर तक इस तरह के सम्बंधों की निहित राजनीतिज्ञों द्वारा खुले रूप में वकालत की जाती है व इस तरह का रवैया अपनाया जाता है जिससे सेवाएं भी ग्रसित हो गई। एक अनुभवी प्रशासक और राजनेता श्री सी सुब्रमण्यम ने कहा है कि विज्ञान, तकनीक और मेडिसीन जैसे विशेष क्षेत्रों में केवल योग्यता को ही आधार माना जाए और वहां आरक्षण के सिद्धांतों को न लागू किया जाए। यद्यपि इस विचार को कोई माननेवाला नहीं है, तथापि इस क्षण यह प्रतीत होता है कि जब आरक्षण प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया जा रहा है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, सक्षम पुरुष और महिलाएं ही मात्र गुणवत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही भर्ती किए जाने चाहिए। फरवरी 1995 के दौरान आरक्षण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था जिसमें कहा गया कि पिछडे वर्गो के लिए दिए गए आरक्षण को प्रतिशत सरकार द्वारा केवल इसलिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि कुछ पिछड़े वर्गो के सदस्यों की सामान्य वर्ग के पदों के तहत पहले से ही भर्ती व पदोन्ति दी जा चुकी है। पन्द्रह पृष्ठ के निर्णय में न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में उच्चतम नयायालय की खंडपीठ ने कहा कि रोटरर में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित सीटों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपायक्ष महोदय : गजपति जी, एक छोटी सी प्रार्थना है। प्रारंभ में इसके लिए दो घंटे दिया गया था। तदन्तर 9.12.94 को, एक घंटे और बढ़ाया गया था। एक बार फिर 31.3.95 को इसे दो घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तक इसमें पांच घंटे का समय लग गया है। हम पहले भी चार घंटे पैंतीस मिनट का समय गंवा चुके हैं और अब केवल 25 मिनट का समय बचा है। आज उत्तर अवश्यक आना चाहिए।

श्री गोपीनाथ गजपति : महोदय, मैं एक मिनट का और समय लूंगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कमजोर वर्गो में से वस्तुत: सबसे अधिक कमजोर हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, माननीय श्री जे.बी. पटनायक ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण कोटा 27 प्र. श. तक बढ़ाकर क्रियान्वित करने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उड़ीसा सरकार इन असहाय लोगों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण मानवीय कदम उठाने के लिए प्रशंसा के योग्य है। अंतिम विश्लेषण में आरक्षण का विषय शब्दश: तर्क बनाम भावनाओं की लड़ाई बन जाता है। हम यह स्वीकार करते हैं कि तर्क एक अच्छी नीति है। लेकिन प्रश्न उठता है :क्या यह सर्वोत्तम नीति है?

निष्कर्षत:, मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि इस भावनात्मक मुद्दे पर बहुत बरीकी से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी विपक्षी दलों के प्रमुख शामिल हों जिससे कि समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आम सहमति हो सके और जिसके द्वारा हमारे मौजूदा समाज में असंतुलनों को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, मैं डा. पेरुमाल जी द्वारा 9 दिसंबर, 1994 को सदन में प्रस्तुत, सरकारी सेवा में उच्च श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के उपबंध करने संबंधी बिल का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आरक्षण का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया, वह समाज में समरसता पैदा करने के लिए किया गया।

समाज में समता की भावना पैदा करने के लिए, समाज में ममता की भावना पैदा करने के लिए, समाज के उपेक्षित वर्गो को समकक्षता की स्थिति में लाने के लिए किया गया था और आज संविधान लागू होने के 45 वर्ष पश्चात इन विषयों की ओर दृष्टिपात करें तो ऐसा मालूम होता है कि आरक्षण एक राजनैतिक मुद्दा बन गया है, एक वोट बैंक की राजनीति बन गयी है। जबकि आरक्षण के पीछे यह भावना थी कि हिन्दू समाज में जो छुआछूत की प्रवृत्ति थी और समाज के कुछ वर्गो को उपेक्षित स्थिति में रहना पड़ता है, उनको दलित कहा जाता था, उनके साथ में अमानीय व्यवहार होता था और हजारों वर्षो से उनको दबाकर रखा जाता था उनको ऊपर उठाया जा सके। इसलिए समाज में समकक्षता लाने के लिए, जातिवादिता के कलंक को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए और देश में एक जैसा सामाजिक पुनर्गठन करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसलिए मान्यवर हमारे संविधान में जो 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है उस प्रावधान की अनुपालना करते हुए 45 वर्ष के पश्चात आज यह स्थिति हो गयी है कि हर जाति कहती है कि हमें एस.सी., एस.टी. में सम्मिलित कर लिया जाए।

मान्यवर, संविधान लागू होते समय विशेषज्ञों, समाज-शास्त्रियों ने ऐतिहासिक, धार्मिक व अन्य सभी पृष्ठभूमियों में जाकर उन जातियों का चयन किया था। लेकिन आजकल केवल राजनीति के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर

कोई भी जाति कहती है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यह सही है कि 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत में वृद्धि हुई है इसलिए उसी अनुपात में उनके आरक्षण में वृद्धिहोनी चाहिए। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। 27 प्रतिशत पिछड़ों के लिए, 15 प्रतिशत एस.सी. के लिए, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण हो गया है तो फिर भूतपूर्व सैनिकों व विकलांगों के लिए जो आरक्षण किया गया था उनका क्या होगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आपने केवल दाई मिनट की मांग की थी। आपको इसे समझना चाहिए। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सर मैं एक मिनट में पूर कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संविधान में यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था इसलिए आज लगभग 50 वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि समाज में कितनी समता की वृद्धि हुई है। इनको वोट बैंक मानकर ही काम नहीं करना चाहिए। समाज में समरसता, समता और समकक्षता की भावना पैदा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि उनको उच्च पदों पर आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर सकें और समाज में वे सम्मान का पद प्राप्त कर सकें। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब मैं श्री द्वारका नाथ दास को बुलाता हूं।

श्री द्वाराका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के माननीय सदस्य, डा. पी. वल्लाल पेरुमान द्वारा पुरःस्थापित अति महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता कुल मिलाकर 25 प्र.श. से अधिक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में कुल मिलाकर 15 प्र.श. से अधिक नहीं है। साक्षरता की कम दर होने का कारण बेतरतीब बसाना, आधारभूत ढांचे का अभाव और गरीबी है, सेवा में आरक्षण का प्रश्न अभी तक अनुसूचित जातियों के लिए 15.5 प्र.श. और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 7 प्र.श. है। 1991 की जनगणना के अनुसार, इस देश में अनुसूचित जाति की मौजूदा जनसंख्या लगभग 16.48 प्र.श. है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.50 प्र.श. है। मेरी राय में, अनुसूचित जाति के लिए मौजूदा आरक्षण 16.5 प्र.श. और अनुसूचित जनजाति के लिए 8.5 प्र.श. होना चाहिए। महोदय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों में पिछली काफी रिक्तियां पड़ी हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे में 'छ' वर्ग में अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए 900 से अन्यून पिछली रिक्तियां खाली पड़ी हैं। 'ग' वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पिछली रिक्तियां खाली हैं।

इससे बढ़कर, मेडिकल शिक्षा के स्नातकोत्तर संस्थान और चंडीगढ़ में अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के डाक्टरों की पदोन्नति आज तक रुकी पड़ी है।

महोदय, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मानकों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने राज्य, असम में 15.5 प्र.श. या 7 प्र.श. आरक्षण की तरह कोई चीज नहीं है।

3.56 म.प.

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

सरकार अपने नियम अपनाती है। इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता है।

महोदया, समान्यी उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। वस्तुतः यह उच्चतम न्यायालय का आम विचार है। लेकिन उस मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जिनका आरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति या भर्ती हुई है अपनी पदोन्नति के सुखद दिन कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है।

महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग यह नहीं चाहते हैं कि आरक्षण अनिश्चित काल के लिए जारी रहे। लेकिन अन्य विकसित समाज के स्तर तक उनका दर्जा बढ़ाने के लिए आरक्षण एक सभ्य समाज में सभी प्रकार के क्रियाकलापों में तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि उनकी पूर्ण रूप से दर्जा नहीं बढ़ जाता है।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति महोदया, लोक सभा के पिछले सत्रमें जो बि लाया गयाथा, आज उस पर फिर से विचार हो रहा है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे बहुत से मित्रों और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को खायद यह समझ में नहीं आता क्योंकि यहां जब आरक्षण की चर्चा चलती है तो वे समझते हैं कि यह चर्चा वोट के लिए है लेकिन आपने भी तो समस्त हिन्दुओं को काल्पनिक सपनों के आधार पर एक करने की बात की थी, राजनीति की थी, जो चल नहीं सकी। मैं समझता हूं कि आरक्षण एक सामाजिक क्रांति है। हजारों वर्षों से जिस अंग को हमारी वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज ने और नियमों में दबाकर रखा था, उसकी आवाज श्री वी.पी. सिंह ने उठाने का काम किया था जो आज इस लोक सभा के सदस्य नहीं हैं। बिहार में इसे लागू किया गया, उड़ीसा में भी लागू करने की कोशिश की गयी तथा तमिलनाडु में भी लागू करने की कोशिश की गयी लेकिन इसमें अड़ंगे डालने के लिए बहुत से तर्क दिए जा रहे हैं। एक तर्क यह दिया जाता है कि उच्च पदों पर यदि आरक्षण होगा तो बुद्धि को प्रश्रय नहीं मिलेगा, योग्यता को प्रश्रय नहीं मिलेगा। बुद्धि और योग्यता किसी खास जाति की सम्पत्ति नहीं है। हिन्दुस्तान

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के इतिहास मे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो जाति के हिसाब से तो उच्च वर्ग में पैदा नहीं हुए लेकिन हिन्दुस्तान की संस्कृति में, 'समाज के उत्थान में, सांस्कृतिक उत्थान में और साहित्य में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

4.00 म.प.

उदाहरणस्वरूप मैं श्री बाल्मीकि जी का नाम लेना चाहूंगा। आज बाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता है। हिन्दुस्तान ही नहीं विश्व में बाल्मीकि-रामायण को लोग जानते हैं। बाल्मीकि-रामायण ही ऐसी है जिसकी व्याख्या और प्रस्तुतिकरण विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसलिए आज यह कहना कि आरक्षण करना ठीक नहीं है, मेरी समझ में यह बिल्कुल गलत बात है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए आरक्षण आवश्यक माना गया है। मानव समाज की गति और विकास के लिए आरक्षण आवश्यक माना गया है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसका दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, इसके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने इस संसद को चुना है और इसने सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं की संरचना की है। जब जनता की यह इच्छा है, तो जनता की बनाई हुई संरचनाएं उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकती है। इसलिए यदि जनता की इच्छा को पूरी करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो संविधान में परिवर्तन कर के आरक्षण को और बढ़ाया जाए।

हमारे बिहार के मुख्य मंत्री ने तो ऐलान कर दिया है कि हम 60 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देंगे और उसको लोक सभा ने मान लिया है और अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसी अवस्था में उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ऊंचे से ऊंचे पद से लेकर नीचे से नीचे के पद तक तमाम विभागों में और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने देश में उद्यम लगाने आ रही हैं उनके अधिकार सीमित कर के, उनको भी जो आरक्षण का सिद्धांत है, उसको पूरी मुस्तैदी और पूरी इच्छा के साथ लागू करने के लिए बाध्य करे।

महोदया, हम समझते हैं सरकारी दल में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके मन में इस आरक्षण को लागू करने या बढ़ाने के प्रति हिचकिचाहट है और उनका मन इस बारे में साफ नहीं है, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बिल्कुल साफ हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए औरसख्ती से लागू करना चाहिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि इस बात में किसी को कोई निचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और पूरे सदन को एक-मत, एक-स्वर से और एक विचार से इस विधेयक को पूरा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदया, मैं डा. वी. वल्लल पेरुमान के प्राईवेट मैम्बर विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 15 और साढ़े सात प्रतिशत की गई है, उस आरक्षण की व्यवस्था में सबसे पहले तो यह किया जाए कि जिन-जिन विभागों में बैकलाग है उन सभी विभागों में उसको तुरंत पूरा किया जाए। इस सदन के सभी सदस्य इस बात को बार-बार उठाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं और सरकारी बैंच की तरफ से यह आश्वासन आता रहता है कि हम बैकलाग पूरा करेंगे।

सभापति महोदय : नवल किशोर जी, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए कृपया आप अपनी बात को एक मिनट में कहकर अपने भाषण को समाप्त करिए।

श्री नवल किशोर राय : ठीक है सभापति महोदया, मैं अपनी बात को एक मिनट में कहकर समाप्त करता हूं।

सबसे पहले तो बैकलाग को पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह विधेयक जो खासकर डा. वी. वल्ल पेरुमान उच्च पदों पर आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में लाए हैं, यहां हमारे कल्याण मंत्री जी बैठे हैं, माननीया कार्मिक राज्य मंत्री जी बैठी हैं, मैं आपके जरिए केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से साढ़े 22 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है,

क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी विभागों में, जो विभाग के सचिव हैं, उसमें उस रेशियो का पालन हुआ है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सभी विभागों में सैक्रेटरी के पद पर साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं?

देश में जितने भी सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं,उसमें जो एम.डी. या और बड़े पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नियुक्त किया गया है? जहां तक मेरी जानकारी है, वह यह है कि बड़े पदों पर सरकार के सभी विभागों के सचिव के रूप में और सार्वजनिक उपक्रमों के बड़े पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दो फीसदी से ज्यादा नहीं बैठाया गया है। मैं इस पर चिन्ता व्यक्त करता हूं और आपके जरिए कार्मिक मंत्री व कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत लोगों को सरकारी विभागों में सचिव के पद पर और सार्वजनिक उपक्रमों में बड़े पदों पर नियुक्त किया गया है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सभी पक्षों के सदस्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष से आवाज आती रही है और यह सवाल उठता रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। सभी पक्षों की यह मांग है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का यह आरक्षण साढ़े बाइस फीसदी से बढ़ाकर पच्चीस फीसदी किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने साढ़े बाइस फीसदी से बढ़ाकर पच्चीस फीसदी तक आरक्षण करने का विचार किया है? अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्यों मल्टीनेशनल बुलाया जा रहा है। देश के सभी कार्यों को निजी क्षेत्रों को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि निजी क्षेत्रों में जो भी संस्थान खुलेंगे या खोले हैं, उनके लिए कोई कानून बनाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी क्षेत्रों में जो आरक्षण दिया गया है, वही आरक्षण निजी

क्षेत्रों में भी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन कर कोई विधेयक लाया जाए। इसके साथ ही ऊंचे पदों पर जो आरक्षण का मामला है, उसका पालन करने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

अंत में मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग दें।

सभापति महोदया : गिरिजा जी, समय का अभाव है इसलिए आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदया, एक मिनट की मापक सूची भले ही गड़बड़ा जाए लेकिन मैं कम समय में अपना मत प्रकाशित करना चाहूंगी। पांच साल पहले जब हमारी सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने पहले पहल यही सोचा था कि आरक्षण कीसीमा को बढ़ाना होगा लेकिन उस समय उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। आज वही लोक एक और जहां यह बिल लाये हैं वहीं दूसरी ओर इसका पुरजोर समर्थनकर रहे हैं। उस समय इन्हीं लोगों ने एक देशव्यापी बवंडर मचाया था, उस सरकार को बदनाम करने का काम किया था। यह आरक्षण का मुद्दा हमने केवल मानवता के नाम पर उपस्थित किया था तभी वह सांच की आंच है। अब यह हर किसी की मजबूरी बन गयी है।

आज यहां जो प्राइवेट मेम्बर बिल उपस्थित हुआ है उसमें मैंने सिर्फ सफाई कर्मचारी का बिल देखा है। कहीं महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। नाना प्रकार के आरक्षण को हमने पास किया। तमिलनाडु को हमने 80 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने तो केवल 50 प्रतिशत ही किया था तो कोई गलती नहीं की थी। यहीं से इस तरह के बिलों की शुरुआत होती है। अच्छी मानवता, अच्छे समाज और अच्छे देश की कल्पना जो हमने की थी, उसको खंडित करने का काम राजनीतिज्ञों ने किया है।

आज वह अपनी गलती मान रहे हैं, भले ही उसका नाम बदल दें या उसको छदम् वेश दे दें, मगर हमारे निश्चय की दर-ब-दर जीत होती जा रही है।

जो भी आरक्षण हमने दिया है, 1947 से लेकर उसमें बैकलाग है, यह मैं मानती हूं, लेकिन बैकलाग किस कारण से है। एक पार्टी की सरकार आज तक यहां पर सत्ता में प्रधानत: रही और उस पार्टी की सरकार ने इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने गांधी का नाम लिया, लेकिन अन्त्योदय की बात कभी नहीं कही कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अन्त में बैठा हुआ है, वह कैसे काबिल होगा कि सरकार की नौकरियों में उच्चस्थ पदों पर आयेगा और जितने भी पद हैं, उनको भर सकेगा। इसके लिए न केवल पद बनाने की कल्पना करनी चाहिए थी, बल्कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए था, ऐसा माकूल वातावरण बनाना चाहिए था कि वहां से पढ़-लिख करके यह सारे लोग इन पदों को भरने के काबिल हो सें लेकिन यह काम आज तक नहीं हो सका है। लेकिन हमने, जिस दल ने यह मंशा बनाई थी कि हम 50 प्रतिशत लोगों को आरक्षण देंगे, उन्होंने सस्ती शिक्षा नीति बनाई है और अपना यह मन बना लिया है कि जितना बैकलाग है, उसको हम पूरा करेंगे और आगे भी हम चाले वह सरकारी उपक्रम हो या निजी क्षेत्र हो या शिक्षण संस्थान हो, हम सब में केवल इस बात की होड़ खड़ा करके ही नहीं कि क्वलिटी और क्वांटिटी को इक्नेट नहीं किया जा सकता है और जो झोपड़ियों में पैदा होते हैं, वह सारे दिमागविहीन होते हैं, उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती है, ऐसा मन बनाने की बात है और हमने उनको आरक्षण दिया है तो उनका कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, इसका मन बना लिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत ही कम वक्त दिया, मैं इसके लिए आपको कोटिश: धन्यवाद देती हूं और ऐसे बिल के लिए पेक्मल जी को, जो नेक इरादे रखते हैं, धन्यवाद देती हूं कि आपकी सही सोच की वजह से उच्चस्थ पदों पर भी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा और जनसंख्या के आधार पर आगे जो पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको हम नौकरियों में आरक्षण देंगे, तभी एकरस, समरस समाज की हम कल्पना करेंगे, न कि आन्ध्र प्रदेश जैसी सरकार की, जहां आज भी अस्पृश्य अस्पृश्य ही हैं और इस कांग्रेस सरकार के सामने वहां पर अस्पृश्य को मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता है, इसलिए समरस सरकार, समरस समाज और समरस देश की भावना की हम कल्पना करते हैं लेकिन सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाकर हम अपने देश में एकता की भावना सच्चे और सही स्तर पर ला सकते हैं।

अंत में मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करती हूं।

श्री नवल किशोर राय : आरक्षण के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की उपस्थिति से ही स्पष्ट हो रहा है कि इनकी इसमें कितनी रुचि है। कांग्रेस पार्टी के माननीय मंत्री तो हैं लेकिन मैम्बरों की संख्या देखी जाए।

सभापति महोदय : कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं।

हाउस को मैं यह बताना चाहती हूं कि पिछली बार रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, आप बोले रहे थे। पहले आप नहीं थे, इसलिए स्पेशल केस करके आपको मैं एक मिनट का समय दे रही हूं, क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है, वैसे तो समय समाप्त हो चुका है लेकिन आप एक मिनट बोल लें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, थोड़ी देर बाहर चले जाने के कारण हमारा नाम पुकारे जाने पर हम नहीं थे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक मिनट का समय दिया। इस बिल पर मैं पहले बोल चुका हूं और कुछ बात अभी कहना चाहता हूं। आरक्षण की बात अब बहुत जोरों से चल रही है। आरक्षण की बात आज से नहीं है लेकिन जो आरक्षण आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दिया है, वह आरक्षण भी जितना उनको मिलता है, वह भी आप पूरा नहीं कर सके हैं। मैंने पहले एक सुझाव दिया था, वह यह था कि पोस्टल विभाग की गांव में जो शाखा खुलती है, जो पोस्ट आफिस खुलता है, जहां वह डाक ढोने वाला बहाल करते हैं, एक चिट्ठी बांटने वाले को बहाल करते हैं, लेकिन उसमें एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आदमी बहाल नहीं किया जाता है।

उस पद पर उन्हें रखने की बात अलग है। नीचे के पद उन्हें दिए जा सकते हैं। ऐसे में आप उच्च श्रेणी के पदों में उन्हें आरक्षण देने की

बात कैसे करते है.? सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनको देने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो ऐसे-ऐसे पदों पर उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौजवानों की भर्ती की जा सकती थी। सरकार की नीयत पर मुझे शक है। इसलिए उसने इस मामले को लटकाया हुआ है। अभी भी तीसरे और चौथे दर्जे की जगहें खाली पड़ी हुईहैं। आज भी अनुसूथित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। यह काम करने में उनको बहुत तकलीफ होती है। काम न मिलने की वजह से वे उग्रवाद की तरफ जा रहे हैं। उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले नेता कहते हैं कि आरक्षण के बावजूद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है, मौजूदा सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, तुम इस रास्ते को छोड़ कर हमारे साथ आ जाओ। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बिहार में चारों तरफ उग्रवाद का बोलबाला हो गया है। कहीं यह कम है और कहीं ज्यादा है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए।

सरकार में राष्ट्रीयता नाम की चीज नहीं है। इनसे नैतिकता की बात करना बेकार है। अगर देश में राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी तो नैतिकता अपने आप पैदा हो जाएगी। नैतिकता जब पैदा हो जाएगी तो आरक्षित जगहों को भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना हीं कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आरक्षित जगहों को आप निश्चित रूप से भरिये।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को बड़ी रुचि और ध्यान से सुना। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है और सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता से सहमत है। वाद-विवाद लगभग साढ़े चार घटे से चल रहा है। कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जहां तक स्वयं विधेयक का सम्बंध है, डा. पेरूमान द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकारी सेवा में उच्च पदों पर अनुसूथित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग करता है। विधेयक उच्च पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पदों कीसंख्या के क्रमशः 15 प्र.श. और 7½ प्र.श. आरक्षण के प्रावधान की मांग करता है। इसमें यह भी मांग की गई है कि प्रत्येक जनगणना के पूरे होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का प्रतिशत उस जनगणना में रिकार्ड की गई कुल जनसंख्या में से उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार परिवर्तन होगा।

महोदया, मैं महसूस करती हूं कि ये सम्पूर्ण आरक्षण प्रश्न के महत्वपूर्ण पहलू हैं और सरकार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से समय-समय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करती रहती है। अभी हाल ही में 28 अप्रैल और 4 मई को राजनीतिक दलों के नेंताओं के साथ हमारी व्यापक बातचीत हुई थी। इन्हीं मुद्दों पर जिनकी यहां चर्चा की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किए गए। उनमें से कुछ ने कहा है कि यह प्रश्न आने वाले चुनावों में हमारे चुनाव घोषणापत्र का भाग होना चाहिए ताकि लोग अपने विचार व्यक्त कर सकें। अन्य ने कहा है कि कोई परिवर्तन करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। अधिकांश दल यह मांग कर रहे हैं कि 50 प्र.श. की सीमा को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए जो कि 'इंदिरा साहनी' के मामले के बाद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू हुई है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद पिछले वर्गों के लिएभी 27 प्र.श. आरक्षण शुरू कर दिया गया है।

अत: हम आज एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें हमारे पास उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, हमारे सामने राजनीतिक दलों की भिन्न-भिन्न मांगें हैं और सरकार में हमारे समुदाय के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करने संबंधी उक्त वर्ग की आकांक्षाएं केवल एक आरक्षित श्रेणी नहीं बन सकती है बल्कि उनकी स्थिति स्पष्ट और निर्णय लेने की हो जाती है।

अत: हमें एक सहमति बनाने और आरक्षण के लिए एक आम स्वीकार्य सीमा निर्धारित करने की जरूरत है और हमारा विश्वास है कि इसे परामर्श से और राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

माननीय सदस्या ने अपने दल की भूमिका के बारे में प्रभावशाली ढंग से बताया और तथ्यत: बताया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने इतने वर्षों में यह कार्यान्वयन किया है। हम भी उतने ही प्रतिबद्ध रहे हैं जितने कि दूसरे लोग।... (व्यवधान) मैं नहीं समझता हूं कि यह एक दल का या एक राजनीतिक मुद्दा है। मेरा विश्वास है कि जब उनका उचित हिस्सा देने का प्रश्न आता है, जैसी कि संविधान में गारंटी है, जैसीकि संविधान निर्माताओं ने गारंटी दी है, इस संबंध में कोई राजनीतिक या अन्य मतभेद नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रश्न यह है कि प्रशासन में ही कोई विरोध या समस्या उत्पन्न किए बिना हम इस काम को कैसे करते हैं?

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन रिक्तियों को भरने में वर्षों से बैकलॉग हो गया था, 1989 से हमने विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कदम उठाए हैं। हमने अब तक चार विशेष भर्ती अभियान चलाए हैं और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने अगले विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए पहले ही घोषण कर दी है। मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बीमा निगमों को 21.4.1995 को 1.4.1995 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग का पता लगाने के लिए कहा गया है और जून से विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन लोगों से जो यह कहते रहे हैं कि जहां तक बैकलॉग का संबंधहै हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, कि 1989 में 58,554 रिक्त स्थानों का पता लगाया था और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से 50,475 नियुक्तियां की गई थीं। इस दौरान नई रिक्तियां होने पर 1990-91 में बैकलॉग 46,559 था और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए फिर 21,114 पद उपलब्ध करवाये। 1991-92 में अगले विशेष भर्ती अभियान में 35,236 रिक्तियों

में से 18,231 रिक्तियों पर नियुक्तियां की गई थीं। 1993-94 में एक बार फिर एक और विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था जिसमें 30,000 रिक्तियों में से 12,346 नियुक्तियां की गई थीं।

महोदया, एक माननीय सदस्य ने पदों बनाम रिक्तियों की भर्ती का प्रश्न उठाया। आज यह मुद्दा न्यायाधीन है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है कि क्या बैकलॉग में पद शामिल होने चाहिए या इसे रिक्तियां माना चाहिए। इस बात का निर्णय उच्चतम न्यायालय को करना है। लेकिन इस समय यह न्यायाधीन है। मैंने सभा में व्यक्त किए गए सभी विचारों को सुना है। लेकिन सराकर इस समय कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि यह मामला इस समय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हाल ही में कल्याण मंत्रालय के माध्यम से राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई थी। सभी बातों को नोट कर लिया गया है और जो मुद्दे उठाए गए थे हम उन पर व्यापक अनुक्रिया प्रकट करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले कहा था इंदिरा साहनी के मामले में 50 प्रतिशत सीमा की बात आई है। लेकिन अनेक राजनीतिक दलों ने संविधान संशोधन का सुझाव दिया है और हम इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं।

महोदया, अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है इसने भारत सरकार के प्रथम स्थापना अधिकारी के पद पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नियुक्ति की है। आज संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक अनुसूचित जनजाति की महिला पदासीन है और अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसे यह सुनिश्चित करने का एक मुद्दा बना लिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निर्णय लेने की महत्वपूर्ण पदों पर आ रहे हैं।

श्री द्वारका नाथ दास : महोदया, उच्च सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है। आप केवल एक उद्धरण दे सकते हैं जैसा कि एक अभी-अभी आपने दिया है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, मैं यह बता दूं कि यह कहना सही नहीं है कि... (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : महोदया, मैं केरल का रहने वाला हूं। केरल में पिछले 30 वर्ष से आरक्षण लागू है। केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री के. करुणाकरण ने एक कानून बनाया जिसमें सभी श्रेणियों में आरक्षण दिया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पुलिस महानिरीक्षकों सहित लगभग 40 प्रतिशत विभागाध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। यह एक आदर्श है। यह दावा मत कीजिए कि केवल आप ही आरक्षण दे रहे हैं।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कोई मंत्री उत्तर दे रहा हो तो क्या सत्ता पक्ष का कोई संसद सदस्य को सीधे ही उत्तर दे सकता है?... (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं। वर्ग 'क' और 'ख' के उच्च सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती में 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। इस विधेयक का उद्देश्य इन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करना है। मैं कहना चाहती हूं कि यह पहले से ही मौजूद है। जहां पदोन्नति का भी संबंध है-वरिष्ठता से पदोन्नति-सभी श्रेणियों में आरक्षण पहले से ही उपलब्ध है। हमारी सरकार ने हाल ही में 27 प्रतिशत आरक्षण भी लागू किया है जिसका प्रावधान शायद अब पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक साथ आरक्षण के कारण किया गया है। जैसा कि मैंने कहाइसकी एक सीमा है और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श और सहमति से हम देखेंगे कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य डा. पेल्लमान से आग्रह करती हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि यह एक ऐसा पहलू है जिस पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जा रही है। हम उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए इस सदन के और हमारे दल के अधिकाश सदस्य मांग करते रहे हैं। हम पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें और सरकार को वह काम करने दें जो कर रही है... (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : महोदया, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकार देश के विभिन्न राजनैतिक दलों एवं विभिन्न वर्गों की जनता द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाने विशेषकर महिलाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु सुझाये गये संवैधानिक संशोधनों पर विचार कर रही है। इसमें कितना समय लगेगा? सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में कितना समय लगाएगी?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि 28 अप्रैल और 4 मई को दो बैठकें की गई थी और इन बैठकों में सभी दलों ने नहीं बल्कि कुछ दलों ने मांग की थी कि राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनसे परामर्श करना चाहिए। अतः हमें कुछ प्रस्तावित परिवर्तन लाने के बारे में उन संशोधनों पर कम से कम औपचारिक तौर पर मुख्य मंत्रियों से परामर्श करना होगा ताकि आम सहमति बनायी जा सके। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि एक सप्ताह अथवादस दनि अथवा कुछ ही दिनों में आम सहमति हो जाएगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सीताराम केसरी जी का राजनैतिक दलों के साथ सम्पर्क बना हुआ है और मैं इस सदन को यह आश्वासन दे सकती हूं कि हम यथाशीघ्र इसे सदन में लाएंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : यह यथाशीघ्र कब होगी?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : कृपया मुझे परेशान मत कीजिए क्योंकि मैं वास्तव में बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं एक बहुत की कनिष्ठ मंत्री हूं और इस संबंध में कोई समय-सीमा अथवा निर्दिष्ट सीमा नहीं बता सकती। परंतु मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, सरकार उनको निभाने के प्रति वचनबद्ध है और मैं आपको यह आश्वासन देती हूं कि यह काम यथाशीघ्र होगा।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा

नहीं है। महोदया, मंत्री महोदय इसमें सक्षम हैं और मैं उनके ज्ञान और दलीलों के लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन पिछली सरकार राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद से यह कार्यसूची में था और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह सरकार के विचाराधीन होना चाहिए था।

यदि सरकार और माननीय मंत्री मंडल आयोग रिपोर्ट को लागू करने का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं तो मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है।

यद्यपि यह रिपोर्ट दस वर्षों से दबी पड़ी थी, परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसे लागू करने का साहस दिखाया। अत: मंत्री जी यह कहकर बच नहीं सकते कि इस पर विचार किया जा रहा है और उनके वरिष्ठ मंत्री जी की विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। यह कोई उत्तर नहीं है। ..... (व्यवधान)

श्री पी. सी. चाको (त्रिचूर) : महोदया, सारी बात को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।

सभापति महोदय : श्री चाको जी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि इस रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। केवल कांग्रेस सरकार द्वारा ही उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा स्वीकृत फार्मूला लागू किया गया था।

श्री हरि किशोर सिंह : उच्चतम न्यायाल ने अपना विनिर्णय कब दिया था? (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समय नष्ट क्यों कर रहे हैं?

श्री पी. सी. चाको : महोदया, अन्तिम क्षणों में, इसे बेकार में राजनैतिक रंग दिया जा रहा है। यह आरक्षण किसी की देन नहीं है। इस आरक्षण को कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक लागू किया है और इसमें जनता दल का भी सहयोग रहा है। मामला ही कुछ ऐसा है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के पश्चात जनता दल ने स्वयं..... (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : क्या यह सच नहीं है कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद दस वर्षों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ... (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : सरकार में श्री वी. पी. सिंह की हैसियत नम्बर दो की थी। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने इसे लागू क्यों नहीं किया। यह सब कुछ श्री वी. पी. सिंह के कारण हुआ था। श्री वी. पी. सिंह मंत्रिमंडल में थे ... (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : मंडल आयोग रिपोर्ट 1980 में ही प्रस्तुत कर दी गयी थी..... (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, कोई भी सरकार घोषणा कर सकती है। परंतु कतिपय निर्णयों को लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक वास्तविकता बन जाए, इसके लिए गंभीर एवं अनुभवी सरकार का होना आवश्यक है और वही हमने किया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : सभापति महोदया, मैं सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में सचिव स्तर पर कितने प्रतिशत एससीएसटीज अधिकारी हैं तथा सरकारी उपकरणों में हैड पदों पर कितने प्रतिशत एससीएसटीज के अधिकारी हैं। यदि इन स्थानों को भरने में 15 प्रतिशत और साढ़े 7 प्रतिशत आरक्षण पर अमल नहीं किया गया है तो इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आंकड़े और प्रतिशत देने के लिए मुझे कुछ और समय की जरूरत है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको एग्जेक्ट फिगर्स मिल जाएंगी, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा. पी. वल्लल पेरुमान (चिदम्बरम) : सभापति महोदया, मैं विभिन्न राजनैतिक दलों के उन सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया। हमारी माननीय मंत्री, श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी ने इस विधेयक के संबंध में अच्छा उत्तर दिया और उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकरण के बारे में भी बताया। यद्यपि मंडल आयोग रिपोर्ट पर 16.11.92 को फैसला सुनाया गया था, परंतु माननीय मंत्री श्री सीताराम केसरी एवं श्री के. वी. तंगकाबालू द्वारा विभिन्न मंचों पर और लोकसभा तथा राज्य सभा में दिए गए उत्तरों में जो कुछ भी कहा उसके बावजूद सरकार ने संविधान (संशोधन) विधेयक लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सरकार ने अभी तक भी इस काम को पूरा नहीं किया। कल भी उन्होंने सभी राजनैतिक दलों की बैठक बुलायी थी। क्या ऐसा कोई राजनैतिक दल है जो कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों केहितों के खिलाफ हो? सभी राजनैतिक दल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के वोट पर नज़र गड़ाए बैठे हैं परंतु फिर भी सरकार सभी राजनैतिक दलों की आम सहमति चाहती है।

जब सरकार द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक लाया जाता है तब मैंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी भावना को बचाये रखा जाना चाहिए। कल्याणमंत्रालय, अनुसूचित जातियों से संबंधित मामले की तुलना पिछड़े वर्गों से करके, वास्तव में, उस मामले को हल्का कर रहा है। वे हमेशा पिछड़े वर्गों एवं मंडल आयोग की सिफारिशों की बात करते रहे हैं। वास्तव में, मंडल आयोग की सिफारिशों के संबंध में जो फैसला दिया गया था, वह हमारे संवैधानिक अधिकार पर हावी हो गया है। अत: मैं कल्याण विभाग एवं कार्मिक विभाग के माननीय मंत्रियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को एक ठोस मामले के रूप में लें तथा विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे

में टिप्पणी की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचला है, यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा. पी. वल्लल पेरूमान : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पदोन्नति में आरक्षण एवं वर्तमान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी करने संबंधी विधेयक की भावना को बनाए रखने हेतु ठोस एवं समयबद्ध उपाय सुझाने के लिए तैयार हैं? यदि वे आश्वासन देते हैं तो मैं अपना विधेयक वापस लेने पर विचार कर सकता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक वापस ले रहे हैं?

डा. पी. वल्ल पेरूमान : मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, मैंने यह पहले ही कह दिया है कि इन सभी मामलों पर परामर्श किया जा रहा है।

डा. पी. वल्लल पेरूमान : महोदया, यह प्रक्रिया 1992 से चलरही है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि संविधान संशोधन के लिए, निःसंदेह राजनैतिक दलों में आम सहमति की जरूरत होती है क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है। इसलिए हम ऐसा समाधान ढूंढ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। मुझे विश्वास है कि भाजपा के मेरे सहयोगी इस बात से सहमत होंगे कि उनका अपना एक दृष्टिकोण है। दोनों बैठकों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अन्य छोटे दल इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। कुछ दलई साई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अन्य दलों की यह मांग है कि इस संशोधन में कुछ बातें और शामिल की जानी चाहिए। हर एक दल ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यवाही-सारांश मेरे पास है। मैं विस्तार में नहीं जा रही हूं। मैं कार्यवाही सारांश का परिचालन करूंगी। इस संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। मेरे लिए यह कहना कि हम इस निश्चित तारीख को इन विचारों के साथ प्रस्तुत होंगे, बहुत कठिन है। मैं सदस्यों को केवल इतना ही आश्वासन दे सकती हूं कि सरकार और मेरा विचार है कि पूरी संसद यह बात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के अधिकारों, जैसा कि संविधान द्वारा गारंटी दी गई है और जैसी की मौजूदा बदली हुई परिस्थिति की मांग है, को आम सहमति हो जाने के बाद संसद द्वारा और एक संविधान संशोधन द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा जल्दी ही किया जाएगा क्योंकि सभी राजनैतिक दल इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

डा. पी. वल्लल पेरूमान : महोदया, मैं आपका आभारी हूं। मैं विधेयक वापस लेता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में उच्च श्रेणि के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि सरकारी सेवाओं में उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्तावा स्वीकृत हुआ।

डा. पी. वल्लल पेरूमान : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

4.40 म. प.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक **

(धारा 354 में संशोधन)

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 14 पर चर्चा करेगी। श्री सी. पी. मुदालागिरियप्पा। वह उपस्थित नहीं हैं। हम अगली मद, मद संख्या-15 लेते हैं। श्रीमती सरोज दुबे।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदया, जब भी हम प्रातःकाल मीठी चाय की चुस्कियों के साथ समाचारपत्र के पन्ने पलटते हैं तो नारी उत्पीड़न, दहेज हत्याएं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से घुमाने और अपमानित करने जैसी घटनाओं का विवरण पढ़ने को मिलता है और हमारी चाय का स्वाद कड़वा हो जाता है और मन में सवाल उठनेलगता है कि आखिर क्यों नारी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं।

एक तरफ तो नारी को देवी का रूप दिया जाता है और दूसरी तरफ नारी को समाज में कदमों तले रौंदने का काम किया जाता है। मुझेऐसा लगता है कि नारी लज्जा को भंग करने की आईपीसी में जो सजा तजवीज की गई है, वह बहुत कम है, यही है कि महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नारी को निर्वस्त्र घुमाकर जीवनभर के लिए उसके माथे एक ऐसी पर मोहर लगा दी जाती है जिसका अपमान उसे जीवन भर झेलना पड़ता है और इस कठोर अपराध की सजा केवल दो माह, छः माह या दो वर्ष तक है। मेरी समझ में आता है कि आईपीसी की धारा 354 में संशोधन किया जाए ताकि इस तरह के कुत्सित और घनघोर अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस अपराध की गंभीरता को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में मेरी मांग है कि इस तरह के गंभीर अपराधों में दी जाने वाली सजा पर फिर से विचार किया जाए और कड़ी सजा तजवीज की जाए।

सभापति महोदया, महाभारत में द्रौपदी चीरहरण घटना का जिक्र आता

** दिनांक 5.5.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

है, जिसमें दुःशासन ने चीरहरण करने का प्रयास किया तथा भीष्म पितामह भी देखते रहे। द्रौपदी क्रंदन करती रही, तड़पती रही, गुहार करती रही, लेकिन किसी भी महाबली की तलवार म्यान से बाहर नहीं निकली और अंत में श्री कृष्ण को द्रौपदी की जाल बचानी पड़ी।

इस तरह की घटनाएं उस जमाने से चली आ रही हैं जब नारी को देवी और लक्ष्मी माना जाता था। हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या नारी की लज्जा से अधिक महत्वपूर्ण भी कोई चीज समाज में है? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूं कि 20वीं शताब्दी के अंत में इलाहाबाद के दौना गांव में एक दलित महिला शिवपति को, जिसने कभी अपने सिर से आंचल नहीं हटाया था, कभी गैर-मर्द से रूबरू नहीं हुई थी, अचानक एक दिन लाठी और बंदूक के बल पर निर्वस्त्र करके पूरे गांव के सामने उसकी परेड करवा दी गई। उसने पूरे गांव के सामने गुहार की और कहा कि कोई मेरीलाज बचाओ, लेकिन महाभारत का इतिहास तो दोहराया गया मगर उस महिला की इज्जत पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आया।

कहने में यह साधारण सी बात लगती है कि शिवपति को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया, लेकिन यदि इस घटना की कल्पना की जाए कि एक दलित महिला, जिसने 40 वर्ष तक अपने शरीर को भारी से भारी वस्त्रों से ढककर रखा। जिसने अपने सिर का घूंघट नहीं उठाया, उस महिला को समाज के सामने नंगा कर दिया, उसके बच्चों के सामने, उसके भाई के सामने, उसके बड़ों के सामने, उसके पति और पुत्र के सामने, तमाम लोगों के सामने नंगा करके उससे परेड करा दी गई और जब इस तरह के क्रूरतम अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो मैं आश्चर्य और क्रोध से भर उठी क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई बहुत कठोर सजा नहीं है। हम तो इनकी साधारण से कानून में सजा करके जेल भेज सकते हैं। यह कलंकित घटना जिसमें, शिवपति ने तड़पते हुए, बिलखते हुए किसी भी तरह से अपने हाथ से अपने अंगों को ढककर अपनी लज्जा को बचाने की कोशिश कीतो इन शेरे-पुस्त लोगों ने जलती हुई सिगरेट से उसके बदन को दाग दिया। जब भी उसके कदम थमे या रोते तड़पते हुए भी वह चल नहीं पाई तो उन्होंने बंदूक की संगीन उसके सीने पर रख दी। जब ऐसा एक दर्दनाक, शर्मनाक हादसा एक महिला के साथ होता है तो पूरा समाज उसका तमाशा देखता है। केवल सजा के अभाव में एक के बाद दूसरी घटनाएं नित्य आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती रहती हैं और आसपास भी देखने को मिल जाती हैं। भोपाल के एक गांव में सास और बहू को एक साथ निर्वस्त्र किया गया और उनको गांव के अंदर घुमाया गया। उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने जाने वाली महिलाओं को निर्वस्त्रकरके खेतों में दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। दूसरे, तीसरे दिन तक उनके खेतों पड़े फटे चिथड़े वस्त्र उनके साथ हुए उत्पीड़न की कहानी कहते रहे।

मुजफ्फरनगर में एक प्रधानाचार्या ने किसी बच्चे का एडमीशन नहीं किया तो शेरे-पुस्त लोगों ने उनके वस्त्र फाड़ दिए और उन्हीं के विद्यालय में जहां वह बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देती थी, जहां वह देश के भावी नागरिकों का चरित्र बनाने की कोशिश कर रही थी वहीं उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ हम समानता का दावा करते हैं, आणविक युग की बात करते हैं, महिलाओं को बड़े सम्मान से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं कि "यत्र नारी पूज्यते, रमते तत्र देवता", जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जिस नारी को अनंत गुणों का सागर, धरती जैसी सहनशीलता रखने वाली, समुद्र जैसी गहराई, हिमगिरी जैसी शीतलता और हिमालय जैसी बड़े हृदय वाली कहा गया है उसी नारी को जिसे कभी हम मां, बहन, बेटी, प्रेयसी के रूप में देखते हैं उसी को समय-समय पर समाज में बड़ी बेरहमी से निर्वस्त्र कर दिया जाता है। दौना गांव में यह शिवपति के साथ जो घटना हुई या नई दिल्ली में जिन महिलाओं के साथ घटनाएं हुई या मुजफ्फरनगर में जिनके साथ घटनाएं हुई उनको अगर कोई गोली मार देता तो शायद इनको यह शिकायत न होती क्योंकि वह एक ही बार तो वह सम्मान के साथ मर जाती। जान चली जाती मगर उनकी इज्जत बच जाती और निर्वस्त्र करके घुमाने जैसा बर्बर कांड उनके माथे पर, उनके परिवार और आने वाली पीढ़ी पर उसकी मुहर न लगाता। जहां कहीं वह अपमानित प्रधानाचार्या जाती है उनसे पहले उनकी ख्याति वहां पहुंच जाती है। अब चाहे वह मोटे से मोटे यहां तक कि लोहे के कपड़े भी पहन ले लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आज भी वह पूरे समाज के सामने निर्वस्त्र खड़ी है। तो इतनी मर्मांतक पीड़ा, इतना घोर अपमान करने वाले लोगों के लिए केवल दो या चार महीने की सजा या दो वर्ष की सजा? यह बड़ा भारी अन्याय है। इसीलिए मैंने सैक्शन 354 में एक और उपधारा जोड़कर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग करती हूं। मैं यह मांग करती हूं कि इनको कायदे से तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इन्हें सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए।

फांसी की सजा इसलिए दी जानी चाहिए कि ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं जिससे वह जीते जी मर जाती है। इस तरह के अपराध करने वालों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम सभ्य समाज में रहते हैं। हम उतने बर्बर नहीं होना चाहते जितना कि अपराधी होते हैं। इसलिए इस प्रकार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास कम से कम सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा होनी चाहिए और उसके साथ-साथ भारी जुर्माना भी होना चाहिए। जिससे इन लोगों को नसीहत मिले ताकि फिर कोई दुशासन किसी द्रौपदी की तरफ हाथ न बढ़ा सके। क्योंकि अब किसी कृष्ण का जमाना नहीं रहा। अब पुरुष अपने पुरुषत्व को ऊंचा करने के लिए महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करके अपने अहम की संतुष्टि करता है। इसलिए ऐसे अपराधों में यदि कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक इन अपराधों की पुनरावृत्ति होती रहेगी और शिवपति जैसी महिलाएं तथा आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं अपमानित होती रहेगी। भारतीय नारी की देश-विदेश में एक देवी और गृहणी की छवि है। तोक्या वह इसी प्रकार निर्वस्त्र होकर दौड़तीरहेगी। ऐसा काम करने वाले लोगों को मानसिक विक्षप्त की संज्ञा दी जानी चाहिए।

महिलाओं की शर्म और हत्या के ऊपर महाकाव्य लिखे गए हैं। उनमें भारतीय नारी का ऐसा वर्णन है कि आंचल से सिर ढंके हुए, माथे पर सुहाग

की बिन्दी लगाए हुए, चूड़ियां पहने हुए, पायल खनखनाते हुए और शर्माते हुए नारी गांव के पनघट पर जाती है। अब इसकी कल्पना कीजिए कि अब वह नारी खुलेआम निर्वस्त्र करके दस आदमियों के साथ बंदूकों के साये में पैदल घुमाई जा रहीहै। इस प्रकार की कलुषित धाटनाएं सीधे हमारी संस्कृति पर हमला करती है, हमारी सभ्यता पर हमला करती हैं और हमारे समाज में इनसान के रूप में पलने वाले जो जानवर हैं उनके बारे में फिर से सोचने को विवश करती हैं।

नारी को प्रकृति ने ही कुछ कोमल बनाया है। लेकिन उसके बावजूद आज की नारी समाज में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलकार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता है। यही वजह है कि जब कभी वह प्रगति कीराह पर आगे कदम बढ़ाती है तो इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करके उसके कदम वापस घर की चारदीवारी में भेजने का प्रयास किया जाता है। लेकिन समाज को समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं से महिलाओं के बढ़ते कदमों को नहीं रोका जा सकता है। वे आगे आएंगी और अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी बराबरी के लिए संघर्ष करेंगी, जो कि वह कर रही हैं। इसी कड़ी के संदर्भ में मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 354 में संशोधन किया जाए और उसमें एक और उप-धारा जोड़ी जाए ताकि उसके तहत महिलाओं को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से घुमाने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

आजीवन कारावास तथा कम से कम उनके लिए 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाए। अब बहुत आसान काम समाज द्वारा समझ लिया गया है कि जब भी इनका कदम बढ़े तो महिलाओं को अपमानित किया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। वह तो सिर्फ अपने पति के पीछे खड़ी हुई थी उसका झगड़े में कोई हाथ नहीं था। लेकिन अपराधियों को लगा कि यदि वे ऐसी कोई अशोभनीय घटना नहीं करेंगे, औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डालेंगे तो झगड़े में हार जाएंग? यदि हमारे देश में महिलाओं के प्रति ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती रही तो देश की आधी आबादी के साथ न्याय नहीं होगा। वह बेचारी क्या कर पाएगी? पहले ही रामायण में नारी के लिए लिखा गया है-शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहकर हमें तो जानवर की कतार में खड़ा कर दिया गया है। यहां तक कि आधुनिक साहित्य ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमारे महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा-अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंख में पानी। यह कहकर हमारी प्रगति और हमारी सोच का रास्ता बंद कर दिया। साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेकिन जब भारतीय नारी इस अंधेरे में भटक जाती है तब वह साहित्य के दर्पण में झांककर प्रेरणा लेने की कोशिश करती है तो उसे जो संदेश मिलता है, 'ढोल, गंवार पशु नारी या अबला तेरी यही कहानी, आंचद में दूध आंख में पानी' तो वह निराश होकर हर ओर वह उत्पीड़न को अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति इस समाज में बढ़ रही है, जिसको रोकने के लिए बहुत कठोर कदम उठाने होंगे।

हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कश्मीर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? वहां न केवल आतंकवादियों द्वारा बल्कि जो उनकी सुरक्षा के लिए लोग तैनात हैं, उनके द्वारा उत्पीड़ित की जा रही हैं। ऐसा क्यों है? आज भारत में आजादी के 47 साल बाद भी महिलाओं पर अत्याचार पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्या गृह मंत्री बताएंगे कि अब तक ऐसे कितने अपराधियों के खिलाफ कड़ा व्यवहार किया गया है जिन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र कर अपमानित किया। जिस समय शिवपति के साथ ऐसी शर्मनाक घटना हुई तो महिला संगठनों ने बहुत शोर मचाया। लोग वहां शिवपति के आंसू पोंछने पहुंच गए। इतने आंसू पोंछे गए कि शिवपति बीमार हो गयी। सारे दिन उसका हाल पूछने वालों का तांता लगा रहा।

4.59 म.प.

(श्री शरद दीघे पीठासीन हुए)

लेकिन अंत क्या हुआ? आज अपराधी जेल से बाहर है और शिवपति को जान के लाले पड़े हुए हैं। आज इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं एक बार फिर से यह मांग करना चाहती हूं कि इस विधेयक में संशोधन किया जाए। अपराधी के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई दुश्शासन पैदा होकर द्रौपदी का चीर हरण करने का साहस न कर सके। यदि ऐसा कोई करता है तो कानून की मजबूत तलवार से उसके हाथ काट लिए जाएं और उसके पंजे को मरोड़ दिया जाए। मुझे, आशा है कि हमारी सरकार इसमें पूरा-पूरा सहयोग कर नारी को समाज में आगे बढ़ने में मार्ग प्रशस्त करेगी ताकि नारी देश हित में राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर देश के चहुंमुखी विकास में अपना योगदान दे सके। भारत की संस्कृति की गरिमा को कायम रखते हुए पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

5.00 म.प.

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, श्रीमती सरोज दुबे द्वारा भारतीय दंड संहिता में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

वास्तव में देश के अंदर समाचार-पत्रों में महिला उत्पीड़न की खबरें आए दिन पढ़ने को मिलती हैं और उनका इतना वीभत्स रूप है कि उनको पढ़ते-पढ़ते कई बार शर्म से हमारी आंखें नीचे झुक जाती हैं। हमारे यहां महिला को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च माना जाता है और पौराणिक दृष्टि से यदि सीताराम का नाम लिया जाए तो राम से पहले सीता का नाम आता है। राधेश्याम कहने पर श्याम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। लक्ष्मीनारायण कहने पर नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। गौरीशंकर कहने पर

शंकर से पहले गौरी का नाम लिया जाता है। विद्या की देवी सरस्वती मानी गई है। धन की देवी लक्ष्मी मानी गई है। शक्ति की देवी दुर्गा, भवानी मानी गई है। ये सभी नारी के विभिन्न रूप हैं। इन रूपों में महिला शक्ति को, नारी शक्ति को, मातृत्व शक्ति को सर्वोच्चता प्रदान करके उनको सम्मान प्रदान किया गया है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है—"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" अर्थात जिस समाज या जिस राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का निवास होता है और इसीलिए प्राचीनकाल में गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायिन जैसी बड़ी-बड़ी ऋषिकाएं होती थीं जो स्वयं वेदों की ऋचाओं के बारे में शास्त्रार्थ करती थीं। उनको समाज में सम्मानपूर्वक तथा बराबरी का स्थान प्राप्त था। किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता था। परंतु दुर्भाग्यवश मध्यकाल में अशिक्षा का शिकार होने के पश्चात, अनेक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त समाज में नारी का वह सर्वोच्च स्थान अवनति की ओर बढ़ता चला गया। इसके पश्चात जब आर्य समाज के प्रवर्तक और पुनर्जागरण के प्रबल पुरोधा स्वामी दयानन्द सरस्वती का इस देश में आगमन हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि महिलाओं का जो स्थान है, वह मातृत्व का स्थान है। उन्होंने कहा कि "माता निर्माता भवति।" माता निर्माण करने वाली होती है और हमारी संस्कृति में कहा गया कि 'मातृदेवी भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।' अर्थात सर्वप्रथम माता को देवता तुल्य समझो। फिर पिता को देवता तुल्य समझो। फिर आचार्य को देवता तुल्य समझो। फिर राष्ट्र देवो भव। इनमें माता का स्थान सर्वोच्च है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि 'माता निर्माता भवति'। माता निर्माण करने वाली होती है और फिर यह कहा कि जिस व्यक्ति की माता धार्मिक होती है, जिस व्यक्ति की माता विदूषी होती है, वह व्यक्ति हमेशा उन्नति के पथ परअग्रसर होता है। इसीलिए हमारे यहां महिलाओं का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। बाद में जितने समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता हुए, गांधी जी से लेकर आज तक जितने महापुरुष हुए, सबने इन भावनाओं का आदर करते हुए महिलाओं को समान स्थान प्रदान किया। इसलिए मैं श्रीमती सरोज दुबे द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

आज देश में कई स्थानों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। जैसे कहा गया कि इलाहाबाद में शिवपतिया नामक महिला, जो गरीब घर की रहने वाली थी, किस प्रकार पुरुषों ने उसके साथ अपनी कुंठा की तृप्ति करने के लिए या अपने पुरुषत्व के अहंकार की मनोवैज्ञानिक शांति के लिए या अपने आपको बड़ासमझने के लिए उस महिला की अस्मिता को लूटने का प्रयास करने का दुस्साहस किया और उसको निर्वस्त्र किया। इस अशिक्षित समाज में सामाजिक पंचायतों के नाम पर और जातीय पंचायतों के नाम पर, महिलाओं का सम्मान नहीं समझने के कारण या उनको दिन प्रतिदिन या सौदे की वस्तु मानकर उनके साथ समाज में जो निन्दनीय दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वह इलाहाबाद में हुआ हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास पिछले दिनों हुआ हो जिस पर भोपाल विधान सभा में बहुत दिनों हंगामा हुआ और उसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए दंड संहिता में संशोधन करना जरूरी है। इस प्रकार जो महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है और फिर उनका जुलूस निकालकर उनको अपमानित किया जाता है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, उनके जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमारी भारतीय दंड संहिता में कठोर दंड का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।

हालांकि यह बहुत अच्छा विधेयक है और इस विधेयक के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंदर इस प्रकार के अपराधियों के लिए या नारी के शील भंग के लिए या नारी की इज्जत लूटने पर पहले दो साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान था। अब ऐसे अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज के इंसान को भोगवादी प्रवृत्ति के कारण, पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण और सिनेमा व टीवी. के दुष्प्रभाव के कारण, अशिक्षा या समाज में नारी की महत्ता को न समझने के कारण या गरीबी के कारण महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार होता है। इसको रोकने के लिए ऐसा प्रावधान कियागया है। जो दो साल तक कैद व जुर्माने की सजा का प्रावधान है उसके स्थान पर सख्त सजा जो कम से कम 7 वर्ष तक हो और साथ में अधकि से अधिक जुर्माना किया जाए तो ऐसे एग्जम्पलरी पनिशमेंट दूसरों के लिए उदाहरण बन सकेंगे और उन्हें लगेगा कि ऐसा अपराध करेंगे तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो अत्याचारों की घटनाएं नारी के साथ बढ़ती जा रही हैं उन अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कैद और 7 वर्ष से कम सजा न हो इसका प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

मान्यवर, दुर्भाग्य से क्या होता है कि जब ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं तो या तो वे असामाजिक तत्व होते हैं या फिर उनका गिरोह होता है। उनके डर के कारण कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही के लिए नहीं आता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यों ही इस प्रकार की शिकायत हो तो पुलिस के अधिकारी को कानून के अनुसार ऐसा निर्देश हो कि जहां भी महिलाओं को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने की घटना या अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की घटना होती है वहां पुलिस जाकर, जांच करके चाहे गवाही मिले या न मिले, कितना ही बड़ा प्रभवशाली, धनशाली व बदमाश हो उसको पकड़कर कठोर सजा देनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि द्रोपदी का चीरहरण हुआ और उसके पति सभा में नीचे मस्तक किए हुए बैठे रहे। नतीजा यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। एक सीता के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लंका में जाकर चढ़ाई करनी पड़ी और रावण जैसे दुष्टों का संहार करना पड़ा। एक पद्मिनी के खातिर कई लड़ाइयां लड़ी गयीं। आज अनेक महिलाओं के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमारे संविधान में जिसको सर्वोच्च सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, हमारी संस्कृति व धर्म में सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया गया उसके लिए हमारी माननीय सदस्या कह रही थी कि वह अबला है। मैं कहता हूं कि वह अबला नहीं बल्कि सबला है। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगेबढ़ रहीहैं। वे हवाई जहाज की पायलट बन गयी हैं, सेना व पुलिस में काम कर रही हैं, इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिराजी ने जो साहस का काम अपने पद के अनुरूप दिखाया था और अन्यान्य देशों की महिलाओं ने जो काम किया है उसको प्रेरणा मानकर महिलाएं सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं और असामाजिक तत्वों का मुकाबला कर

सकती हैं। वे अपनी इज्जत बचाने के लिए व शिकायत करने में या अधिकारियों के सामने पेश होकर ऐसे तत्वों के खिलाफ गवाही देने में विचलित न हो। अब तो महिलाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए जूडो-कराटे भी सीखती हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर गांवों में अशिक्षा के कारण होती है।

हमारे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके पंचायतों में भी अब महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो गया है। अब महिलाएं पंचायतों की प्रधान, सरपंच और सदस्य बन रही हैं जिससे निश्चित रूप से उनमें आत्म-विश्वास बढ़ेगा। अब महिलाएं महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएगी बल्कि महिलाएं सामूहिक रूप से, संगठित होकर, महिला संगठनों के माध्यम से इतनी शक्ति का परिचय देगी की उनकी तरफ कोई भी असामाजिक तत्व शील-हरण करने या अन्य कोई दुर्व्यवहार करने का साहस नहीं कर सकेगा।

सभापति जी, अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। अभी भी हमारे गांवों के अंदर कुछ जातियां और सम्प्रदाय ऐसे हैं, मैं यहां किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन गांवों में अब भी जातीय आधार पर पंचायतें होती हैं। जब भी गांव में किसी महिला से संबंधित कोई कांड हो जाता है, किसी महिला का अपहरण हो जाता है, किसी महिला की बचपन में अगर शादी हो जाए और उसका पति बड़ा होकर पढ़-लिख जाए तो उसका पति अनपढ़ कहकर अपनी पत्नी को कहीं लेकर नहीं जाता या उसे छोड़ देता है या सास उसके साथ दुर्व्यवहार करती है या पति और सास दोनों मिलकर उस पर अत्याचार करते हैं, तंग करते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं या कोई अन्य दुर्व्यवहार उसके साथ किया जाता है या जब किसी महिला पर लांछन लगाया जाता है, झूठा व्यभिचार का दोष लगया जाता है तो गांवों में जातीय पंचायतों की बैठकें होती हैं जिसमें गांव के पंच, पटेल, नम्बरदार, मुखिया आदि बैठते हैं और ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं। वहां उनका पैरलल कानून चलता है, पुलिस के कानून या न्यायालय के कानूनों की परवाह नहीं की जाती। पहले वे महिला के पति को दबाने की कोशिश करते हैं, फिर घरवालों को दबाने की कोशिश करते हैं और अंत में सबके सामने महिला को लाकर अपमानित किया जाता है। कई बार पेड़ों से या रस्सों से बांध कर उसे लटकाया जाता है। हमारे ग्रामीण परिवेश के अपने नियम बने होते हैं जिनका सामाजिक नियमों से कोई सरोकार नहीं होता और उनके आधार पर वे गांवों में अत्याचार करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि उसे रोकने का प्रयास होना चाहिए। जो लोग अपने जात्याभिमान के कारण या पंच-पटेलाई दिखाने के उद्देश्य से ऐसे अत्याचार करते हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अंग्रेजी में भी एक कहावत है जिसका मतलब है कि भूल करना इंसान का काम है और उसे माफ करना देवताओं का काम है, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते लेकिन जब किसी महिला पर झूठे आरोप लगाकर उसके चरित्र और व्यहवार पर, उसके शील स्वभाव पर या किसी अन्य रूप से अपमानित करने का प्रयास होता है, तो वह वास्तव में निन्दनीय कृत्य है और उसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। इसीलिए महाराज मनु ने कहा था—दण्डेन शास्ति प्रजाम - अर्थात प्रजा का शासन दंड से होता है, सजा से होता है।

सदन में लाए गए विधेयक में जो बात कही गयी है, आई.पी.सी. की धारा 354 में जो संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसमें जो 'रिगरस' शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस प्रकार का साहस न कर सकें या कोई गलत फैसला लेकर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इससे न केवल महिलाओं में बल्कि उसके पति के मन में भी हीनता की भावना आती है। ऐसी महिलाएं जीवनभर अपने आपको कोसती रहती हैं कि हे भगवान तूने मुझे क्यों ऐसा जन्म दिया, मेरे जन्म को, जीवन को, इस समाज की झूठी प्रतिष्ठा ने मिट्टी में मिला दिया। उसके बच्चों में भी ऐसी हीनता की भावना आएगी और उसके रिश्तेदारों के मन में भी आएगी। सब लोग उसका तिरस्कार करने की कोशिश करते हैं जबकि होना याह चाहिए कि हमें दुर्गुणों से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं क्योंकि पापी को तो सुधारा जा सकता है, उसे गले से लगाने की कोशिश करनी चाहिए, पतित-पावन बनकर हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को ऐसी संस्थाओं में भेजना चाहिए जो भली प्रकार उनका मार्ग-दर्शन कर सके, संरक्षण दे सके, उन्हें स्वावलंबी बना सके और दूसरी सुविधाएं प्रदान कर सके।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आई.पी.सी. की धारा 354 में इस समय जो प्रावधान है, उसमें संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए ताकि समाज में आज जिस तरह की घटनाएं या कुकृत्य बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से, सबके सामने घुमाया जाता है, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां और गलत कांड रुक सकें और समाज के अंदर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। हमारे वेदों में कहा गया है कि नर और नारी एक समान हैं, स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास और हमारी परंपरा हमें यह बतलाती है कि हमारे यहां महिला आदरणीय रही हैं, पूज्या रही हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान वास्तव में समाज का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सम्मान है। ऐसा मानकर महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का इसमें संशोधन होना चाहिए और ऐसी घटनाओं की हम एक स्वर से कड़ी निन्दा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती सरोज दुबे द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करती हूं। इस विधेयक में वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में संशोधन चाहती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, जैसी वर्तमान में है, के अनुसार :

"जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

माननीय सदस्य चाहते हैं कि सजा की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर जुर्माने सहित सात वर्ष किया जाए। यही समय है कि सरकार और समाज स्वयं ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की समस्या से निपटें। यह समस्या

लगातार बढ़ रही है। हमें विधान का आभाव नहीं है जब कभी हम इस सभा में और सभा से बाहर बोलते हैं, तो इस विषय पर किसी घिसी पिटी बातें करके ही वह उसे उदारता समझ लेते हैं। किंतु जहां तक इसे लागू करने की बात है, इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। इसी त्रुटि को ध्यान में रखते हुए माननीय महिला सदस्यों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को बार-बार उठाया है। समस्या और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए माननीय अध्यक्षमहोदय ने भी सभी विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श किया है, यदि मुझे ठीक से याद है तो इस विषय पर इस महीने भी 25 तारीख को चर्चा होने जा रही है।

मैं श्रीमती सरोज दुबे को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देती हूं जिस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यह व्यक्त किया है कि वह यह संशोधन क्यों चाहती हैं। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए कि महिलाओं को किस तरह अपमानित किया जा रहा है। आज हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है। हमें सचमुच बहुत शर्म महसूस होती है कि इस तरह के अत्याचार न केवल वयस्क महिलाओं पर किए जाते हैं बल्कि बच्चों पर भी किए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे समाचार पढ़ने को मिले हैं जिसमें हर दूसरे दिन बच्चों के साथ यौनाचार का समाचार होता है। यहां तक कि 8 वर्ष की छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता है। मैंने शून्य काल के दौरान ऐसी घटनाओं पर नाराजगी अभिव्यक्त करने के लिए अपना हाथ उठाया, किंतु मुझे अक्सर नहीं मिला। कल राज्य सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस तरह से हमारे समाज का जो अधोपतन हो रहा है इससे हमें आश्चर्य होता है कि वास्तव में क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। महिलाओं को जिस तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है और जो पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ रही है, किसी भी सीमा तक कोई दंड उस पीड़ा की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता।

महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करती हूं अपितु उससे भी एक कदम आगे यह कहना चाहती हूं कि मैंने न केवल श्रीमती सरोज दुबे द्वारा बल्कि मैं इससे एक कदम आगे यह कहूंगी कि बलात्कार की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाए। इसका कारण यह है कि जिन बच्चों का यौन उत्पीड़न किया जाता है न केवल बच्चे बल्कि महिलाएं भी जिनका यौन उत्पीड़न इसी तरह होता है, इस तरह के मामलों में अपराधी बच जाता है क्योंकि इसके लिए कोई विधान नहीं है। महोदय, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। किंतु वह कृत्य जो वास्तव में बलात्कार से भी अधिक अपमानित करने वाले हैं उसे इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है जो केवल बलात्कार के रूप में ही परिभाषित किया गया है।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 पर विचार करते समय उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में संशोधन करने और बलात्कार की परिभाषा की पुर्नव्याख्या करने पर विचार करना चाहिए जिससे अपराधी को दंड दिया जा सके। जैसा कि श्रीमती सरोज दुबे ने पहले सुझाव दिया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए किसी भी सीमा तक दंड उनकी जलील हरकतों और जो वह अपराध करते हैं के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की इन दोनों धाराओं में संशोधन किया जाना चाहिए। मैंश्रीमती सरोज दुबे द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिज देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या के द्वारा लाया गया यह इंडियन पीनल कोड नं-354 में आंशिक संशोधन करने से संबद्ध इस बिल का मैं स्वागत करती हूं। लेकिन बड़ा खेद होता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज हमें यह गुहार करनी पड़ रही है कि जिस इतिहास के पिछले पृष्ठों की गिनती हम अंकों में नहीं कर पाते हैं, कहां और कब खड़ी थी द्रौपदी? हम यह जनश्रुतियों के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से या महाकाव्य में जो उसका वर्णन हुआ है, उसके माध्यम से परंपरागत रूप में द्रौपदी को हमने इस रूप में जाना है कि वह एक ऐसी नारी थी जिसको कभी उसके पांच पतियों के सामने और उसके स्वजनों, परिजनों और पितामाह के सामने, उसके सामने जिनके बारे में आज भी यह कहा जाता है कि हमारे भीष्म के इरादे हैं। मुझे लगता नहीं है कि औरत को नंगा करने की प्रवृत्ति को भीष्म के मनोबल ने, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि जो चाहें, वह विजय कर लें और उनके पांच पतियों में से किसी को बेधन का कौशल प्राप्त था, किसी को गदा का प्राप्त था, किसी को मलय युद्ध का हुनर प्राप्त था। यह सारे के सारे पति देखते रहे और द्रौपदी दुश्शासन का शिकार हो गयी। कौरव 100 भाई थे। वह उनकी पाशविक प्रवृत्ति का शिकार हुई। इसके पीछे कुछ न कुछ हमारी सामाजिक खामी अवश्य थी। उनके पतियों में भी खामी न हो, यह बात नहीं थी। यह उनकी पाशविक प्रवृत्ति थी जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। हम यह मानते हैं कि हम अग्नि के सामने यह शपथ लेते हैं कि आज से मैं तुम्हारा रक्षक हुआ। आज से मैं तुम्हारा पालक हुआ, प्रतिपालक हुआ और आज से मैं इस अष्ट सप्त परी में सात बार निश्चय करता हूं कि इस भव्य सागर में जितनी भी विघ्न-बाधाएं आएंगी, उन सबको एक साथ मिलकर पार करना होगा। ये सारे संकल्प जो इन पतियों ने लिये थे, उस समय कहां गये?

इसलिए इस समाज की संरचना में कहीं न कहीं बैठेहुए खोट को हमने देखा है जो नारी को उस रूप में नहीं मानती जिस रूप में वेदों में, पुराणों में वर्णित करती है और कहती है- "यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" या नारी के लिए दूसरे धर्मों में भी हम यह कहते हैं कि मां के आंचल के तले ही जन्नत है या मां मरियम की गोद में हमारा ईसा खेलता है। लेकिन जब हमारी बहनें, बेटियां नंगी की जाती हैं तो वहां सब लोगों की भुजाओं की शक्ति समाप्त हो जाती है और न्याय की गुहार देते हैं कि न्यायपालिका है, वहां न्या मिलेगा। वहां न्याय खेत का मिल सकता है, खलिहान का मिल सकता है, पेड़ का मिल सकता है या दो देशों के बीच में कोई टकराहट है, उसका मिल सकता है। रासा सिंह रावत जी ने ठीक कहा है कि इसके लिए हमारे यहां बहुत सारी पंचायतें बनी हुई हैं लेकिन उनका यह भी भ्रम है कि पंचायतों में न्याय नहीं मिलता।

हमारे सीमावर्ती प्रदेश हरियाणा में मीणा जाति की एक पुत्रवधू, जो गर्भवती थी, की जिन्दगी के अरमानों को कुचला गया, उसकी घाघरा, चोली को फाड़ा गया और उसके बावजूद के जो समर्थवान, पाशविक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने उसकी अस्मत के साथ भी खिलवाड़ किया। इन प्रवृत्तियों पर कैसे रोग लगाई जाए, कहीं न कहीं इन्हें प्रश्रय मिलता है। जस्टिस डिलेड के नाम पर जस्टिस डिनाई हो रहा है।

यदि आपको स्मरण हो तो एक ताजी घटना है। रंगीन तस्वीरों के साथ, रंगीन फटी हुई चोली और लहंगे के साथ हमारे यहां की मैगजीन्स ने उसे छापा था। स्मरण कर लेंगे उसका वह क्रंदन कि उस वीरान रात में कैसा लगा होगा जब वह अपने नंगेपन से भागने के लिए गुहार कर रही होगी। कोई नहीं आया और जब पंचायत बैठी तो उसके पति, सास और अनब्याही ननद को डराया, धमकाया गया कि यदि तुमने समाज में मुंह खोलातो हम तुमको खत्म कर देंगे या तुम्हारा ऐसा सामाजिक बहिष्कार करेंगे कि अनब्याही बेटी की कहीं शादी नहीं होगी।

श्रीमती दूबे ने अपने बिल के माध्यम से दो साल की सजा को सात साल और जुर्माने के साथ बढ़ाने की गुजारिश कीहै। बात दो या सात साल की नहीं है, बात यह है कि हम इतने बड़े जुर्म को बहुत छोटे रूप में देखते हैं।

दिल्ली के एक कालेज की घटना है, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उससे लड़के और लड़की का नामजुड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज के होस्टल में लड़की को नंगा करने की बात अखबारों में आई थी। उसके लिए एक कमेटी बना दी गई जिसने जांच की थी। लेकिन उस कमेटी के जांच करने के बाद क्या हुआ, उसे आज तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इन सारी बातों के होने के कारण मानसिक व्यथा में उस विश्वविद्यालय के कुलपति ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन आज भी सजा पाने वाले लोग सजा नहीं पा सके हैं।

माया त्यागी को नंगा घुमाया गया लेकिन जिसने ऐसा किया, उसे सजा दिलाने में 10-11 साल लग गए। न्यायपालिका से न्याय मिल जाता है और लोगों के 2-4-6 साल या इससे भी अधिक की सजा मिल जाती है। माया त्यागी के केस में उसे इतनी सजा इसलिए मिली क्योंकि उसके साथ कत्ल का भी अंजाम था। माया त्यागी को उसके पति के सामने नंगा किया गया जिसने कसम खाई थी कि हे माया, मैं तुम्हारी अस्मत की रक्षा करने के लिए तुम्हारा हाथ उसके पकड़ता हूं। बाद में उसके पति की हत्या कर दी गई। माया त्यागी कहीं न कहीं जिन्दा होगी लेकिन जिन्दा होकर भी मुर्दा होगी। वह अपनी उस लज्जा को कैसे ढक पाती होगी जो सड़क के किनारे उससे छीनी गई। वही हालत शिवपति की है! वह कहती है कि पता नहीं मैं कितना वस्त्र अपनी देह पर डालूं कि उसके बाद मेरी लज्जा ढकी जा सके।

चाहे जितना मैं आंचल को खींचती हूं, जितना भी अपने सिर को ढंकती हूं, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नंगी हूं। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था में आपने रिमांड होम्स की बात कही है, नंगा आप करते हैं और रिमांड होम में हमजाएं। नंगा आप करते हैं और हमारे बच्चे बदनाम होते हैं, हमारे बेटे बदनाम होते हैं, इसलिए आप हमें अबला न कहिए, हमें सबला भी मत कहिए, केवल समाज में हमको बला मत समझिए।

मैं दुर्गा सरस्वती का पाठ जब करती हूं तो हमेशा स्मरण करती हूं। दुर्गा को राक्षसों ने ही नहीं सातया, उनके पति ने मधुकैटभ राक्षस को इसलिए पैदा किया कि उनको क्रीड़ा करने की, विलास करने की इच्छा थी। वही राक्षस जब दुर्गा की अस्मत की ओर दौड़ पड़ा तो विष्णु वहां विलास करते रहे। यदि आप लोगों को, वेदाचार्यों को, पौराणिकचार्यों को यह बात सुनने में खराब लगे तो मैं यह वायदा करती हूं कि इसमें से एक भी बात मैं मिथ्या नहीं बोल रही हूं। उसके बाद सारे राक्षसों से, सारे राक्षसवृत्ति के लोगों से दुर्गा को अकेले लड़ना पड़ा। जिस दुर्गा की पूजा हम अपने अंदर शक्ति संचार के लिए करते हैं और शक्ति संचार करने के समय उसकी कील कवच में हम यह कहते हैं कि, हे दुर्गा, तुम्हीं सब कुछ हो, तुम्हीं सब की दात्री हो, उस दुर्गा के साथ ही क्या कुछ व्यवहार नहीं हुआ था। उसके साथ मधुकैटभ, धूमकेतु आदि जितने भी राक्षस थे, सब बारी-बारी से आये और एक ने तो यहां तक कहा कि यदि तुम बुद्धिहीना नहीं मानती हो तो मेरे मालिक को नहीं पहचानती हो। उसका मालिक ऐसा था कि वह अपने हाथ से उसे नंगा नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि दुर्गा को माथे से बाल से पकड़ो और खींचते-खींचते मेरे पास ले आओ। जो दुर्गा ने कहा था, "तिष्ट तिष्ठा रे मूढा:, यावत् मधु पिबाम्यहम्" यानि जितनी देर तक मैं मधु पीकर अपनी शक्ति संचय करती हूं, उतनी ही देर तक तुम कह सकते हो।

इसलिए आज सरोज दुबे की ओर से आवाज उठी है, हम एक साथ हैं और समाज में आपने जो थोड़ी बहुत छूट हमको दी है, यह अगर बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं है, जब जायेगी। जो कोई इनकार कर देता था कि हम सती नहीं होंगी, उनको यातना भरी जिंदगी बितानी पड़ती थी। कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें वह अपने पति और पिता का घर त्याग कर कहीं न कहीं कोठे पर जाकर बैठ जाती थी। वह तिरस्कृत, दीन, हीन जो जिंदगी उसको मंजूर होती थी, वह बिताती थी लेकिन उसको समाज में कोई स्थान नहीं मिल पाता था।

यहां नारी रोज-रोज नग्न की जा रही है चाहे उसका अधिकार छीन कर हम उसे नंगा करें, चाहे उसके कपड़े उतार कर हम उसे नंगा करें। कपड़े उतारने के बाद हम हमेशा यह आंकते हैं कि आपके साथ बलात्कार हुआ है तो 19 हजार, दो बार बलात्कार हुआ है तो 20 हजार, तीन बार बलात्कार हुआ है तो 30 हजार। ऐसा लगता है कि हम मजदूरी कर रहे हैं और इसमें 10 हजार, 20 हजार और 30 हजार दिया जा रहा है। आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। बात इतनी घिनौनी हद तक पहुंच गई है कि बाप बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है और होम मिनिस्टर के दफ्तर में वह अधिकारी काम कर रहा है। ऐसे-ऐसे लोगों को यदि हम न्यायपालिका के दफ्तर पर भेज देंगे कि जाओ वहां तुम्हें सजा दी जाएगी तो वह अबोध बालिका कहां से मुकदमा करने जाएगी? उसका पिता जो कि रक्षक है, वही बलात्कार कर रहा है। इसमें और आगे आना होगा। सरोज दुबे ने इस संबंध में जो कहा, मैं उस सीमा तक सजा देने की बात अवश्य कहती हूं लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि इसमें तत्काल न्याय दिलाना होगा जिससे ऐसा करने

वाले लोग अंगुली उठाने की कोशिश न कर सकें। दुःशासन के हाथ द्रौपदी के कपडों तक कभी नहीं जाएगे अगर न्याय चुस्त होगा, न्यायपालिका की व्यवस्था को जब इतना चुस्त-दुरुस्त बना देते हैं कि कुछ रोज में नहीं, कुछ घंटों के अंदर ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। यहां दो, चार या पांच साल तक मुकदमा चलता रहेगा। उस मुकदमे के बीच में उन्हें बेल हो जाएगी और बेल होने के बाद कहेंगे कि इस बार गवाही देने गये तो तुम्हें ठीक कर दूंगा।

उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय में उषा ढींगरा का कांड हुआ था। भरे न्यायालय में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। अच्छा हुआ वह मामला महिला कमीशन के पास आ गया। महिला कमीशन ने पहल की और सजा दिलाने में भरपूर जागरुकता दिखलायी, लेकिन उस महिला कमीशन को भी आपने बेदाग बना कर रखा है। हम लोगों ने इसलिए महिला कमीशन की मांग की थी जिससे महिलाओं को त्वरित लाभ मिल सके और उनको न्याय मिल सके। उस महिला कमीशन का जनवरी में कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक उसको पुनर्गठित नहीं किया गया है। बिना शक्ति के महिला कमीशन को पुनर्गठित करने के हम द्रोपदी को नंगा किये जाने का बदला लेंगी और आज सदियां गुजर जाने के बाद हम अपना अधिकार मांगेंगी। यह तो उस क्रिया की एक कड़ी है।

वेदों और पुरणों में हमारे मित्र ने कहा तो हमारी दुखती रग उखड़ गई है। इन्होंने कहा है कि 'वेदों का है ऐलान, नर नारी हैं एक समान'। लेकिन उस मनुवादी व्यवस्था के विरोध में जो हम जनता दल वाले कहा करते हैं, आप मनु स्मृति को पढ़िये, उसके दूसरे सर्ग में 65वें और 66वें श्लोक में यह लिखा गया है कि नारी को वेदाध्ययन का कोई अधिकार नहीं है और उसको हवन इत्यादि का भी कोई अधिकार नहीं है। एक ही क्रिया, कर्म उसका हो सकता है, वह है विवाह। वह विवाह पुरुष का अकेले नहीं हो सकता है, इसलिए नर नारी उसमें सहभागी बनते हैं। यही उसका एक अधिकार है। उसके बाद गृह गमन, उसे पति के घर में रहकार सेवा करनी है और बाद में जो आप पूजा करते हैं, वह चले जाइए, अपने यहां चूल्हा जलाइए। पुरुष विवाह के समय होने वाली अग्नि को लेकर उससे हवन करने की अग्नि प्रज्जवलित करता है और लड़की के लिए कहा गया है कि लड़की, तुम वहां जाकर चूल्हा जला लेना। सदियों से बनी हुई हमारे यहां जो रूढ़ियां हैं, जिनके तहत औरतों को एक ओर तो कहा गया है कि तुम देवी हो, पूज्या हो, आराध्या हो, एक ओर यह व्यवस्था है कि हम सीता-राम कहते हैं, हम राधा-कृष्ण कहतें हैं लेकिन दूसरी ओर हम शिव-पार्वती कहते हैं, वहां पर पहले शिव आ जाते हैं। यह सरी व्यवस्थाएं हैं। हमारी स्थिति क्या है, वही ढाक के तीन पात। हमको आज एक ही बात लगती है कि यह सारी व्यवस्था हमें पूज्या नहीं, केवल भोग्या के रूप में देखती है, भोज्या के रूप में देखती है और जब तक उचित शिक्षा के माध्यम से हम अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे, तब तक वही होगा जो होता आया है। हमने अपना मन नहीं बदला था और कहीं न कहीं इस धर्म के आंचल तले हमने नारी को इतना भोग्य बना दिया था कि कहीं बचपन में उसकी शादी थाली में बैठा कर गोद में लेकर होती थी, वह जानती नहीं थी कि मेरी शादी हो रही है, जब उसका पुरुष मर जाता था तो उसको विधवा बना दिया जाता था और घाट पर ले जाकर अफीम खिला कर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। वह महिला सती कही जाती थी। इसके बाद सती का चौरा बना कर महिमामंडित करके दूसरी जो नौजवान युवतियां विधवा होती थीं उनको भी उत्प्रेरित किया जाता था कि तुम भी जाकर मर जाओ, सती हो जाओ। वह इसलिए नहीं कि सती होने के बाद वह चली जाएंगी और स्वर्ग में कहीं उनके पतिदेवबैठे हों, उनके पास वे बैठ जाएंगी, बल्कि इसलिए कि उनके हिस्से की सम्पत्ति दूसरों की हो। कारण यह लगता है कि समाज में हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, इन सब पर यहां इस पुरुष प्रधान मनोवृत्ति वाले समाज में हमारे इस अरण्य-रोदन का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। महोदय, भले ही लोगों को यह अरण्य-रोदन लगे लेकिन मुझे अंदर से यह लगता है कि यदि मुझ पर अत्याचारहो रहा है तो मुझे मांग करनी है। महिलाएं जाग उठी हैं कि मांगों को यदि समय रहते नहीं बांध लिया तो किस विस्फोटक हद तक हम चले जाएंगे, मैं इसकी कल्पना से भयाक्रांत हो जाती हूं।

पुनः एक बार फिर माननीय सदस्या, श्रीमती सरोज दुबे, की ओर से लाए गए इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील (अमरावती) : सभापति महोदय, महिलाओं से संबंधित इस बिल पर सदन में चर्चा हो रही है, जब मैंने बाहर टीवी. पर देखा तो मैं अंदर चली आई। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर केवल महिलाओं द्वारा ही नहीं, बल्कि सदन के सभी सदस्यों द्वारा इस पर विचार होना आवश्यक है। जब किसी महिला की इज्जत को लूटाजाता है, उसे निर्वस्त्र किया जाता है और जो ऐसा काम करते हैं क्या उनके घर में मां-बहन या पुत्री कोई नहीं है। उन्हें ऐसा करने का मन कैसे होता है। इस बात को सोच कर समाज को इस पर गौर करना चाहिए। यह एक घिनौनी कृत्य है। चाहे कोई भी महिला हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, महिला आखिर महिला है और वह समाज की इज्जत है, घर की इज्जत है और हमारे देश की इज्जत है। मुझे मालूम नहीं है कि दूसरे देश में ऐसा होता है या नहीं। भारत की संस्कृति जिसके लिए हम अपने को गौरवशाली समझते हैं और हमारी संस्कृति जिसको महान समझते हैं तथा उसके गीत गाते हैं, ऐसे भारत देश में ऐसी बातें हों, यह बात केवल जिस समाज की वह औरत है उसकी नहीं है, बल्कि पूरे हमारे देश के लिए शर्मनाक घटना है। आप यकीन कीजिए, अगर ऐसी बातें इंटरनेशनल प्लेटफार्म हों और वहां चर्चा हो, तो क्या भारत को वहां नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी बातें हैं, तो उसका इलाज भी उतने ही तुरंत और उतना ही जबरदस्त कानून बनाकर होना आवश्यक है। श्रीमती सरोज दूबे, जो इस कानून में संशोधन करने के लिए बिल लाई हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्होंने अपनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हैं। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारी बहन ने, जिन्होंने अभी भाषण दिया, शास्त्र और इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार मैं सदन से जो कहना चाहती हूं, आपसे कहना चाहती हूं, वह मैं कहूंगी।

मैंने महाराष्ट्र में कई सालों तक मंत्री के रूप में काम किया है, मैं वहां हैल्थ-मिनिस्टर थी। उसी दौरान इन्टरनेशनल वीमेन्स इयर 1975 में सैलिब्रेट हुआ और मद्रास की कुछ महिला डाक्टर्स ने मुझे आमंत्रण दिया और कहा कि हम महिला डाक्टर्स कान्फ्रेंस करना चाहते हैं, आप उसमें आइए। चूंकि मैं हैल्थ-मिनिस्टर थी, मैं वहां गई और उन्होंने अपनी सारी बातें रखीं और समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा, हम डाक्टर्स बनते हैं इतनी पढ़ाई करते हैं और नर्सेज भी बहुत कोशिश करती हैं तथा नर्सिंग का पूरा कोर्स करती हैं, फिर हम लोगों से कहा जाता है कि देहातों में महिलाओं की सेवा करने के लिए महिला डाक्टर को होना आवश्यक है। कारण यह कि ग्रामीण महिलाएं पुरुष डाक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं, इसलिए वहां महिला डाक्टर्स को जाना चाहिए। हम जाने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन वहां पर रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिलता, मकान ढूंढना पड़ता है। मकान ढूंढने के बाद देहातों में हमें ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है, चूंकि हम वहां अकेले रहते हैं, तो हमारे ऊपर अन्याय किया जाता है। गांव के लोग हमें महिला की दृष्टि से देखते हैं। एक बार की बात आपको बताती हूं। किसी गांव में किसी महिला को डिलीवरी होनी है, इसलिए तुरन्त आप वहां चलिए, लेकिन जब वहां ले गए तो कोई डिलीवरी नहीं थी और हमारे साथ अनयाय किया गया। ऐसी बातें जो महिला समझ कर होती हैं, उनको रोका जाना चाहिए। इस बारे में बहुत कुछ सोच कर कानून बनाना चाहिए और इसके अगर कानून बना सकें, तो बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बाद में यह हुआ कि जहां-जहां लेडी डाक्टर है, उसको एक लेडी असिस्टेंट, हैल्पर दी जाती थी, लेकिन उसका भी कुछ असर हुआ, आखिर वह भी लेडी है, तो फिर वही समस्या आ गई। हो सकता है, आप इस बात को इतनी गहराई से लें, लेकिन मैं समझती हूं कि हर औरत और बच्ची को जब से वह प्राथमिक स्कूल और हाई स्कूल में जाती है तब से उसको जूडो-कराटे और फिजिकल एजूकेशन देना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि वह खुद अपना संरक्षण कर सके तो उसको हमें यह सिखाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें कुछ कानून और कुछ ऐसी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

महोदय, जिस बात को लेकर यहां चर्चा शुरू हुई है और जिस महिला को निर्वस्त्र बना कर शहर में घुमाया गया इससे ज्यादा बढ़ कर कोई बेइज्जती हो सकती है, ऐसा मैं नहीं समझती हूं। अगर कोई छोटा बच्चा भी हो, जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा है उसको अगर स्कूल में टीचर सजा देना चाहती है तो उसको बैंच पर खड़ा कर दिया जाता है, कभी उसको मारा जाता है तो बच्चा उसका बुरा नहीं मानता। मगर अगर उसको स्कूल में निर्वस्त्र कर दिया जाए और क्लास में खड़ा कर दिया जाए तो वह बच्चा फिर स्कूल में जाने को तैयार नहीं होता चाहे वह 4-5 साल का ही क्यों न हो। लड़की तो और बात है, लड़का भी तैयार नहीं होता, तो यह तो ऐसा घिनौना कार्य है जिसका कि मन पर भी गहरा असर पड़ता है और जब महिला के साथ ऐसे किया जाए तो आप सोचिए कि उस पर क्या बीतती होगी। उसके कुटुम्ब पर, रिश्तेदारों पर, समाज पर क्या बीतती होगी और इसीलिए यह जो इसमें 7 साल का बताया गया है, यह तो होना ही चाहिए, बल्कि इससे भी बढ़ कर होना आवश्यक है। ऐसी जो-जो बातें हैं इसका तुरंत अपराध, तुरंत सजा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में यह अपराध होता है, वहां की पुलिस को 24 घंटे के अंदर इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और उनको तुरंत बिहाइंड बार्स रखना चाहिए। ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बना दिया जाए जो केवल इन्हीं गुनाहों को देखे, उनके पास और 50 दूसरे गुनाहों का काम नहीं होना चाहिए। केवल नारी की बेइज्जती हुई, अगर उसको निर्वस्त्र बनाया गया, ऐसी अगर कोई घटना होती है तो अपराधी को तुरंत अरेस्ट किया जाए और ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाए और तुरंत एक महीने के अंदर उनको सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही इसका डेटरिंग इफेक्ट होगा, नहीं तो यह ऐसे ही चलता रहेगा। साल-साल, दो-दो, तीन-तीन साल तक लोग भूल भी जाएंगे कि ऐसी कोई घटना हुई थी। हाई कोर्ट में तो 10-10, 15-15 साल तक चलता रहता है, इसमें कोई अर्थ नहीं बचता। इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल्स को भी देर लगती है तो कलेक्टर को अधिकार दिया जाए, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट सेमी ज्यूडिशियल ऑथोरिटी होती है, यह कर सकेंगे या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। मगर अगर पीनल कोड में यह कर सकें या अगर यह नहीं हो सकता है तो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था होनी चाहिए और यह करना बहुत आवश्यक है।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। पिछले साल 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था तब उस समय मैंने यहीं खड़े होकर कहा था कि जिस प्रकार से टीवी और सिनेमा में महिलाओं के बारे में जो दृश्य दिखाए जाते हैं, जितने अश्लील और गंदे गाने, डांसेज इस प्रकार से दिखाए जाते हैं यह बहुत ही समाज के लिए गलत चीज है, इसे हमको रोकना चाहिए। हम पहले तो यह कहते थे कि चारदीवारी में महिलाएं बंद हो रही हैं लेकिन अब तो यह है कि टीवी में ऐसे गाने और डांस आने हैं कि वे अपने कमरे में ही बंद हो गई हैं। धार में तो 4-4 कमरे होते हैं वह तो अपने कमरे से निकल कर ड्राइंग रूम में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि उसका बच्चा देख रहा है तथा घर के अन्य सदस्य भी देख रहे हैं तो मां अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं देख सकती। इस प्रकार का ये सारा जो माहौल हो रहा है इससे भी माहौल बहुत बिगड़ रहा है। इसलिए यह जो "cinematograhph" एक्ट है उसमें भी आपको तब्दीली लानी होगी। हमने जब से कदम उठाया है तब से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन जितना होना आवश्यक है उतना अभी तक नहीं हुआ है। हम सारी बहनें, चाहे कोई किसी भी पार्टी को हो, हम सभी महिला माननीय सदस्या प्रेसीडेंट साहब के पास गई थीं और हमने उनको एक निवेदन दिया था, जिसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आगे भेजा। उस पर कुछ हुआ, लेकिन अभी भी इसका कोई ठीक से समाधान नहीं हुआ है, इसका कोई ठीक से हल नहीं निकल रहा है। इसका हल निकलना आवश्यक है। इसलिए इस एक्ट में चेंज होना चाहिए,अमेंडमेंट होना बहुत आवश्यक है। हम यह कहेंगे कि उसको भी साथ-साथ यहां लाया जाए।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, श्रीमती सरोज दुबे ने आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। इस विषय पर पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और सच्चाई यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिनोंदिन

बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं की सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता और महिलाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अपने आपको असहाय महसूस करती हैं।

सभापति महोदय, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता है, जिसका प्रभाव युवा पीढ़ी और खास कर अशिक्षित तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पर बहुत बुरा पड़ता है और उनके मन में गलत चीजें आने लगती हैं। यही कारण है कि इस तरह के गंभीर अपराध आज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करती हूं कि इन अपराधों की सजा को बढ़ाया जाना चाहिए, 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सजा देने में विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र मामलों को निपटाया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों पर इसका असर पड़े और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके।

समाज को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए और अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए ताकि आगे चलकर वे इस तरह के अपराध न करें।

अंत में मैं पुनः इस बात का समर्थन करती हूं कि इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आईपीसी की धारा 354 में संशोधन करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ सजा बढ़ा देने से यह बीमारी रुकने वाली नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं वह समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ ही घट रही हैं। हम लोग केवल यहां पर भाषण देते रहते हैं। मैंने देखा है कि होली के त्यौहार पर उत्तर प्रदेश और बिहार आदि प्रदेशों में ऊंची जाति के लोग ढोल लेकर कमजोर वर्ग के लोगों के दरवाजे पर जाते हैं और अश्लील गाने गाते हैं। जिनको गाना सुनकर भी शर्म आती है। किस महिला के साथ ये काम होते हैं? उनके साथ होते हैं जो कमजोर और दलित हैं। उनके साथ होते हैं जिनकी गांव में ताकत नहीं है। क्या उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ होते हैं, क्या बड़े-बड़े पूंजपतियों की महिलाओं के साथ होते हैं। नहीं, कभी नहीं होते। जब तक यह विषमता रहेगी तो लोकसभा जब तक रहेगी, यह होता रहेगा।

आप कह रहे हैं कि कानून बनाइए, संशोधन कीजिए। आपका जो कानून CRPC है जिसको एवीडेंस का लॉ कहते हैं तो जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करते हैं और IPC को कर देते हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता ही है कि 10 साल के बाद गवाही होती है तो बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। आप न्यायालय की बात करते हैं। वह तो बिक रहा है। आखिर कौन खरीदता है न्यायालय को? हम आपसे जानना चाहते हैं। न्यायालय में किसकी पहुंच है?

जब तक आपका सामंती समाज था उस वक्त तक कुछ वर्गों में ही दहेज-प्रथा थी लेकिन आज पूंजीवादी समाज में गरीबों में जो खुशहाल हो गये हैं उनमें भी दहेज-प्रथा आ गयी है। दहेज-प्रथा समाज में कोढ़ के समान है। हम यहां पर पांच सौ से अधिक लोग हैं अगर हम सभी शपथ लें कि हम दहेज नहीं लेंगे तो कितने करोड़ लोगों में यह बात जाएगी।

बनारस में मैंने देखा कि एक शराब-विक्रेता अपनी बच्ची की शादी में चार-चार मंत्रियों को लाया। भजनलाल, लालूबाबू तो कितना खर्च हुआ। यहां बिल लाने की एक परिपाटी बन गयी है और बिल लाकर अच्छे-अच्छे शब्दों को इस्तेमाल हम करते हैं और समझते हैं कि हृदय साफ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं वह न हों तो आपको ऐसी महिलाओं के वर्ग को शिक्षित करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब वे पढ़ कर अच्छी नारी बन जाएंगी तब किसी को हिम्मत नहीं होगी कि उसके सामने गलत काम करे।

आप कानून बनाइए लेकिन उस कानून को कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? SHO क्या लिखता है? डा. आपका कितना बड़ा हत्यारा है? बलात्कार हुआ है लेकिन लिख देगा कि नहीं हुआ, नो सीमैन। केस कहां जाएगा। जब तक सारे छेदों को आप बंद नहीं करते हैं तब तक पीनल-कोड में आप फांसी की सजा बना दीजिए कुछ होने वाला नहीं है।

6.00 म. प.

उस ट्रायल पर सारी चीज खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां भी जो छिद्र हैं, सामाजिक प्रचार करके, डाक्टर्स को साथ लेकर कि इस तरह के केसेज को खराब न करो, ये तुम्हारी ही मां-बहनें हैं, बंद करना चाहिए। अगर हम समाज का दिमागी तौर पर परिवर्तन नहीं करेंगे तो कानून से कुछ परिवर्तन नहीं होगा।

आज नई बात चल पड़ी है। मेडिकल सेंटर खुल गए हैं जहां पर सम्भ्रांत परिवार की औरतें जो कि गर्भवती हैं, जाकर यह पता लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में लड़की है या लड़का है। लड़की है तो उसको वहीं खत्म करवा दिया जाता है। जबकि हम यहां पर लड़कियों के अपमान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वहां लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मरवा दिया जाता है। अगर लड़की नहीं होगी तो यह लोक सभा कैसे चलेगी। इसलिए हमें इन सारी बातों को समझना होगा।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : यह चर्चा आगे जारी रहेगी। अब सभा सोमवार, 8 मई 1995, के 11 म.पू. तक के लिए स्थगित की जाती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात, लोकसभा सोमवार, 8 मई, 1995/18 वैशाख, 1917 (शक) के 11.00 म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।